मंगलवार, 1 अगस्त, 1995
17 श्रावण, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 1 अगस्त, 1995 के वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

| कालम | पंक्ति | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| विषय सूची के पृष्ठ 2 में पंक्ति तीन में श्री जनार्दन मिश्रा की जगह श्री जनार्दन मिश्र पढ़ें । इसी पृष्ठ में आए अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के कोष्ठकों को हटाएं और विशेष महत्व का मान कोष्ठकों में रखें । | | | |
| 4 | 11 | श्री हराधन राय | श्री हाराधन राय |
| 48 | नीचे से 5 | (ग) | (घ) |
| 159 | 4 | श्री वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति | श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति |
| 193 | 5 | श्री राम बिलास पासवान | श्री राम विलास पासवान |
| 193 | 10 | श्री अटल बिहारी बाजपेयी | श्री अटल बिहारी वाजपेयी |
| 246 | 7 | श्री रामचन्द्र धोंडारे | श्री रामचन्द्र मारोतराव धोंडारे |
| 289 | 5 | श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी | श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी |
| 306 | नीचे से 11 | प्रो॰ प्रेम [illegible] | प्रो० प्रेम धूमल |
| 326 | 10 | श्री दत्ता मेघे | श्री दत्ता मेघे |
| 374 | नीचे से 2 | सभापति महोदया | सभापति महोदय |
| 375 | 1 3 | | |
| 386 | 5 | श्री हरिचन्द सिंह | श्री हरचन्द सिंह |

# विषय-सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 1 अगस्त, 1995/10 श्रावण, 1917 (शक)


| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर : | | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : | 21, 23-25 | 1-23 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर : | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या : | 22, 26-40 | 23-44 |
| आतारांकित प्रश्न संख्या : | 168-397 | 45-328 |
| कैदियों को चिकित्सा सहायता दिये जाने के बारे में | | 328-337 |
| दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक | | 337-346 |
| श्री कालकादास | | 337 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | | 337-338 |
| श्री शरद यादव | | 338-340 |
| श्री नाथू राम मिर्धा | | 340-341 |
| श्री चन्द्र शेखर | | 341-342 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | | 342-343 |
| श्री चन्द्रजीत यादव | | 343 |
| श्री लाल कृष्ण आडवाणी | | 343-344 |
| श्री एस० बी० चव्हाण | | 344-345 |
| श्री महेश कनोडिया | | 345 |
| श्री विनय कटियार | | 345-346 |
| सभा पटल पर रखे गए पत्र | | 346-347 |
| विधेयकों पर अनुमति | | 348 |
| कार्य मंत्रणा समिति | | 348 |
| बावनवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत | | |
| रेल संबंधी स्थायी समिति | | 349 |
| पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश - प्रस्तुत | | |
| विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबधी स्थायी समिति | | 349-350 |
| सत्ताईसवां तथा अट्ठाईसवां प्रतिवेदन - सभा पटल पर रखे गये | | |
| अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1992-93 प्रस्तुत | | 350 |
| नियम 377 के अधीन मामले | | 351-355 |
| (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाओं के सुधार किए जाने की आवश्यकता | | 351 |
| श्री विजय कृष्ण हान्डिक | | |


* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने भी पूछा था।

विषय


(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण नीति का पुनरीक्षण किये जाने और इस कार्य हेतु समुचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता — 351–352
श्री जनार्दन मिश्रा

(तीन) महाराष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता — 352–353
श्री राम नाईक

(चार) एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता — 353
श्री मंजय लाल

(पांच) तमिलनाडु की तट रेखा की सुरक्षा के लिये पर्याप्त धन राशि स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता — 353
श्री पी. कुमारासामी

(छः) मंगलौर और शोरनूर की बीच रेल लाइन को दोहरा किये जाने की आवश्यकता — 354
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन

(सात) महाराष्ट्र के भूकम्प-ग्रस्त सतारा और सांगली जिलों में एकीकृत बाल विकास परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता — 354–355
श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण

संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक — 355–390
और
(अतिरिक्त उत्पाद शुल्क) विशेष महत्व का माल संशोधन विधेयक
विचार किये जाने वाले प्रस्ताव

श्री रमेश चेन्नित्तला — 356–361
श्री हरि किशोर सिंह — 361–363
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती — 363–366
श्री कांशीराम राणा — 366–369
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव — 369–371
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह — 371–373
श्री मोहन सिंह (देवरिया) — 373–375
प्रो० रासा सिंह रावत — 375–378
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी — 378–380
श्री मोहन रावले — 380–381
श्री अन्ना जोशी — 381–382
श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति — 382–384

खंड 2 से 5 और 1
यथासंशोधित पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव — 384–387
श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

| विषय | कालम |
|---|---|
| खंड 2 से 4 और 1 | |
| यथासंशोधित पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव | 388 |
| श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति | |
| कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक | 390-412 |
| राज्य सभा द्वारा यथापारित | |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री पी.ए. संगमा | 391-393 |
| श्री विरेन्द्र सिंह | 393-397 |
| श्री बसुदेव आचार्य | 397-403 |
| श्री ए. चार्ल्स | 403-406 |
| श्री जार्ज फर्नाण्डीज | 406-412 |

# लोक सभा

**मंगलवार, 1 अगस्त, 1995 / 10 श्रावण, 1917 (शक)**

**लोक सभा 11.02 म० पू० पर समवेत हुई।**

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**[अनुवाद]**

### वैगनों की कमी

+

*21. **श्री वसुदेव आचार्यः**
**श्री आराधन रायः**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड वैगनों की कमी के कारण कोयले की ढुलाई का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ''कोल इंडिया लिमिटेड'' को कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में वैगन उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). जी नहीं, अप्रैल से जून, 95 के दौरान रेलों ने 42.86 मिलियन टन राजस्व उपार्जक कोयले की ढुलाई की जोकि लक्ष्य से 0.70 मिलियन टन अधिक है। कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में 17247 माल डिब्बे प्रतिदिन के लदान के लक्ष्य की तुलना में प्रतिदिन 16688 माल डिब्बों का लदान किया गया। इस प्रकार यह 96.7 प्रतिशत के संतोषजनक स्तर तक हुआ।

(ग) रेलों ने माल डिब्बों के बेड़ों में वृद्धि करके तथा कोयला सर्किटों और टर्मिनल छोरों पर लदे हुए और खाली रेकों के संचलन पर कड़ी नजर रखकर अधिकाधिक लदान करने के उपाय किए हैं।

**श्री वसुदेव आचार्यः** महोदय, अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल को उनके स्थानों से तैयार माल निर्मित करने वाले एककों तक ढुलाई करने पर निर्भर करता है। वैगन उपलब्ध न होने के बारे में कोयला उद्योग और अन्य उद्योगों से बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं। हाल में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रकाश नारायण ने धमकी दी है कि वैगन उपलब्ध न होने पर सभी उर्वरक एककों को बंद कर दिया जाएगा। यह कोयला उद्योग के मामले में भी सच है।

क्या यह सच है कि मार्च के महीने में कोयला खानों को जो वैगन उपलब्ध कराए जाने थे उनका शुरू का पिछला बकाया 6696 वैगन था ? मैं उपलब्ध कराए जाने वाले पिछले बकाया वैगनों की बात कर रहा हूँ। बी.सी.सी.एल. में यह 9021 वैगन था और सी.सी.एल. में यह वैगन था, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या यह पिछला बकाया मार्च 1995 के बाद पूरा कर दिया गया है ?

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** महोदय, जो आंकड़े मेरे पास हैं उनके अनुसार फरवरी में 20,149 वैगनों की पेशकश थी, मार्च में 20,073 वैगनों की, अप्रैल में 19,652 वैगनो की और मई में 18,362 की पेशकश थी, फरवरी में 19,480 मार्च में 19,906, अप्रैल में 19,611 और मई में 18,362 वैगनों की सप्लाई की गई थी। यह वैगनों की सप्लाई के आंकड़े हैं। लदान के आंकड़े यह हैं - फरवरी में 17,541 मार्च में 17,302 अप्रैल में 17,190 और मई में 16,546, फरवरी में 1,940 वैगन को खाली छोड़ा गया अर्थात उनमें लदान नहीं किया गया। मार्च में 2,604 वैगनों में, अप्रैल में 2,421 वैगनों में, मई में 2,444 वैगनों में लदान नहीं किया गया।

**श्री वसुदेव आचार्यः** तब मार्च 1995 में कोई वैकलॉग नहीं था।

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** मार्च में कोई बैकलॉग नहीं है।

**श्री वसुदेव आचार्यः** रेल मंत्री ने वैगनों की खरीद को कम करने का निर्णय किया है। जब आठवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिया गया था तब आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चार पहियों वाले 1,50,000 वैगनों को खरीदने का निर्णय किया गया था। क्या माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि क्या रेलवे में वैगनों के बेड़े में कोई कमी है ? यह प्रश्न का भाग (क) है।

प्रश्न का भाग (ख) यह है, पहले 1993-94 से पूर्व यह होता था, वैगन इंडिया को क्रयादेश दिए जाते थे और वैगन इंडिया सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र को इनका वितरण करता था। अचानक अब रेल मंत्रालय ने इस नीति को बदल दिया है जिसे मंत्रिमंडल ने वर्ष 1973 में अनुमोदित किया था - यह एक अच्छी नीति थी - और उन्होने खुली निविदा प्रक्रिया अपनाने का निर्णय किया था। क्या मंत्री महोदय से मैं जान सकता हूँ कि रेल मंत्रालय ने कितने वैगनों का क्रयादेश वैगन इंडिया को दिया था, क्रयादेश का क्या प्रतिशत था और खुली निविदा प्रक्रिया के लिए कितने वैगन निर्धारित किए थे ?

प्रश्न का भाग (ग) यह है, क्या माननीय मंत्री महोदय इस सभा को सूचित करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदयः** श्रीमान आचार्य, समय समाप्त हो रहा है, कृपया प्रश्न पूछिए।

**श्री बसुदेव आचार्यः** यह नीति कब बदली गई थी और खुली निविदा के द्वारा हिंदुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन के क्रयादेश कब दिए गए थे, क्या यह कारपोरेशन उतनी संख्या में वैगन सप्लाई करने में असफल रहा है जितनी के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कम दर पर क्रयादेश दिए गए थे?

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** महोदय, अनुपूरक प्रश्न पूरी तरह से मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

**श्री बसुदेव आचार्य :** मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग (ग) बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मुख्य प्रश्न से संबंधित है।

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** महोदय, मुख्य प्रश्न कोल इंडिया लिमिटेड को वैगन देने के संबंध में है, तथापि, इस मामले को इस सभा में और दूसरी सभा में बार-बार उठाया गया है।

सभा इस बात को अच्छी तरह जानती है कि रेलवे बजट आवश्यकता पर आधारित बजट है, जब बजटीय सहायता कम हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि सरकार को उपलब्ध संसाधनों की सीमा में ही काम चलाना होगा और इसलिए रेलवे बजट आवश्यकता पर आधारित बजट बन गया है। वैगनों की कमी कभी नहीं रही है। प्रश्न हमारी परिसम्पत्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने का है जो कि हमने किया है और मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि वैगनों की कमी है **(व्यवधान)** अब हम देख रहे हैं कि हरेक राज्य से काफी संख्या में मांगे आ रही हैं। जो अपने विद्‌भुत क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। वैगनों को अधिक संख्या में खरीदा जाना है। किसी के कहे बिना - वैगन उद्‌योग ने भी हमें नहीं कहा है—इस वर्ष के बजट में हमने रेलवे द्‌वारा 12,000 वैगनों की खरीद की व्यवस्था की है। इसी तरह 'बोल्ट योजना' के तहत 12,000 वैगन खरीदे जाने हैं, इनके अतिरिक्त हमने हाल में सोच समझकर निर्णय किया है कि वैगन उद्‌योग से और 7000 वैगन खरीदे जाएं।

**श्री बसुदेव आचार्य :** क्या उन्हें वैगन इंडिया अथवा खुली निविदा प्रक्रिया से वितरित किया जाएगा?

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** फिर जहां तक खुली निविदा प्रक्रिया का संबंध है, जब धन कम पड़ जाता है, हमें यह पता लगाना पड़ता है कि क्या हम इनके लिए अधिक कीमत दे रहे हैं अथवा क्या इसके लिए प्रतियोगी दरें हो सकती है अथवा क्या कुछ और हो सकता है, जब हमने खुली निविदा प्रक्रिया से प्रतियोगी दर पर बाजार का परीक्षण किया तो मूल्य नीचे गिर गए, इससे यह पता चलता है कि वैगन इंडिया भी जो कि न केवल एक सरकारी क्षेत्र अपितु निजी क्षेत्र का एक प्रतिनिधि निकाय है, उत्पादक संघ के रूप में एक भिन्न तरीके से कार्य कर रहा था। इसलिए इसे अपने आपको अनुशासित करना पड़ेगा जिसका लाभ राजकोष को होगा, यह इस तरह से किया जाता है।

**श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वैगन इंडिया के माध्यम से वैगन वितरित करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने 1973 में लिया था और क्या इसे बदल दिया गया है?

**अध्यक्ष महोदयः** आपको इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

***श्री हराधन रायः** मंत्री महोदय का उत्तर भ्रामक है, कोल इंडिया की अप्रैल से जून 1995 तक मांग 17,870 वैगनों की थी जबकि सप्लाई 16,580 वैगन थी। इस तरह 1300 वैगनों की कमी थी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों की कोल इंडिया की वैगनों की सब्सिडियरीवार मांग और सप्लाई के आंकड़े क्या हैं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि कोयले की वार्षिक सप्लाई का आकलन टन किलोमीटर में दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि गत तीन वर्षों में कोयले की सप्लाई के टन किलोमीटर के आंकड़े क्या हैं और माल भाड़े के रूप में कितनी आय अर्जित हुई है।

मेरे अनुपूरक प्रश्न का तीसरी भाग यह है कि चूंकि सी.आई. एल. की इस वर्ष की दैनिक मांग 18,260 वैगनों की है, क्या मंत्री महोदय इस आंकड़े से अवगत हैं या नहीं? यदि हाँ, तो मंत्रालय इस मांग को किस प्रकार पूरा करेगा?

कोयला उपलब्ध न होने के कारण अनेक कारखानें बंद हो गए हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों में कितने वैगन बेकार हो गए और उनकी जगह कितने वैगन लाए गए हैं। आंकड़ों से यह पता चलेगा कि क्या वैगनों की कमी है आधिक्य है। यह मेरा प्रश्न है।

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** महोदय, मैंने मांग और सप्लाई की स्थिति के बारे में पहले ही आंकड़े दे दिए हैं। बेकार घोषित कर दिए वैगनों आदि के बारे में यह कहना है कि वैगनों को बदलने और उनके स्थान पर अन्य वैगन रखना एक वर्जिक प्रक्रिया है क्योंकि पुराने वैगनों को बेकार घोषित कर दिया जाता है और उनकी जगह हम वैगनों को रखने हेतु नए वैगनों के लिए क्रयादेश देते हैं।

महोदय, उन्होंने जो अन्य ब्यौरा मांगा है, मैंने अपने पहले उत्तर में उसके आंकड़े दिए हैं।

---

* मूलतः बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**श्री इराधन रायः** पिछले तीन वर्षों के लिए टन किलोमीटर के बारे में आपका क्या कहना है? क्या उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है?

**[हिन्दी]**

**डा० गिरिजा व्यास (उदयपुर):** माननीय मंत्री महोदय को मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ। शायद उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिली है। मैं अपने इलाके के बारे में पूछना चाहती हूँ। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में तीन महीने से कोई वैगन नहीं पहुँच रहा है। इससे 2 करोड़ प्रतिमाह हिन्दुस्तान जिंक में नुकसान हो रहा है। क्या मंत्री महोदय इस बात की जानकारी लेंगे और जितना बैकलॉग है उसे पूरा करा पाएंगे?

**[अनुवाद]**

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** महोदय, यह प्रश्न कोल इंडिया से संबंधित है। मैं इसके लिए एक अलग से नोटिस चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदयः** ठीक है, श्री लोकनाथ जी।

**डा० गिरिजा व्यासः** जी नहीं, उन्हें वैगन नहीं मिल रहे हैं... ...**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदयः** प्रश्न कोल इंडिया के संबंध में है और यह इस प्रश्न से नहीं निकलता है।

**डा० गिरिजा व्यासः** यह प्रश्न का भाग है। कोल इंडिया को वैगन नहीं मिल रहे हैं.....**(व्यवधान)**.....उन्हें वैगन नहीं मिल रहे हैं।

**श्री लोकनाथ चौधरीः** कोयले की सप्लाई न होने के कारण तमिलनाडु के तापीय विद्युत गृहों को बंद किया जा रहा है। और जिन जहाजों को कोयला पारादीप से तमिलनाडु को ले जाना है, उन्हें समुद्र में इंतजार करना पड़ रहा है। उनकी संख्या 11 है। इसलिए वहाँ गतिरोध उत्पन्न हो गया है। इस गतिरोध के लिए वैगनों की कमी मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

महोदय, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो मैं अभी महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या रेलवे ऐसी स्थिति में है कि वैगनों की कमी को पूरा किया जा सके। वैगनों की संख्या बढ़ाने के लिए योजना आयोग का क्या आकलन था और वास्तव में उन्होंने कितने वैगनों की संख्या बढ़ाई है? यह कहा जा रहा है कि उन्होंने सारा धन रेल लाइन को बदलने में निवेश कर दिया है और इसलिए देश में समस्त उद्योग को अक्टूबर से वैगनों की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिए कि उनकी आवश्यकता कितनी है.....

**अध्यक्ष महोदयः** वास्तव में उन्होंने आपके प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे दिया है। यदि आप चाहते हैं तो उसको आप दुबारा पूछ सकते हैं।

**श्री सी.के. जाफर शरीफः** महोदय, मैं सभा को यह स्पष्ट रूप से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि धन को अन्यत्र निवेश करने का अथवा लाइन बदलने अथवा कुछ और करने के कारण वैगनों की उपलब्धता में रुकावट डालने का कोई प्रश्न नहीं है। यह दो अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। मैं इस सभा के माध्यम से व्यापार और उद्योग को स्पष्टरूप से आश्वासन देना चाहूँगा कि वैगनों की कोई कमी नहीं होगी। हमने पहले ही उपाय कर लिए हैं। जो भी माल ढुलाई कराना चाहें वह हम ले जाने की स्थिति में हैं।

**अध्यक्ष महोदयः** प्रश्न संख्या 22 - श्री शिव चरण वर्मा - अनुपस्थित।

**श्रीमती गीता मुखर्जीः** महोदय, प्रश्न संख्या 23 और 29 को सक साथ मिला दिया जाए।

**अध्यक्ष महोदयः** प्रश्न संख्या 23 - श्री सूर्य नारायण यादव - अनुपस्थित। श्री मोहन रावले।

**[हिन्दी]**

**दालें**

***23. श्री सूर्य नारायण यादवः**
**श्री मोहन रावलेः**

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों की तुलना में वर्ष-वार हाल ही के महीनों में दालों की कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) कीमतों पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने मांग को पूरा करने हेतु राज्य व्यापार निगम और ''नैफेड'' को दालों का आयात करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) दालों के आयात से कमी को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा; और

(च) क्या सरकार ने विद्यमान आयात शुल्क में कमी करने हेतु सुझाव दिया है?

[अनुवाद]

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) एक विवरण अनुबंध पर दिया गया है, जिसमें जून, 1995 को समाप्त महीने तथा गत 3 वर्षों की तदनुरूपी अवधि में दालों के थोक मूल्य सूचकांकों में आए परिवर्तन का प्रतिशत दिया गया है।

(ख) देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दालों को प्रौद्योगिकी मिशन की परिधि में लाने जैसे कुछ दीर्घकालिक उपाय करने के साथ-साथ सरकार द्वारा दालों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए जो अन्य कदम उठाए गए हैं, उनमें दालों को आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखना, दालों के आयात पर सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5% करना आदि शामिल हैं। हाल ही में दालें, खाने योग्य तिलहन और खाने योग्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में संशोधन किया गया है, ताकि आयातित दालों को उक्त आदेश में उल्लिखित भंडारण सीमाओं की परिधि से बाहर रखा जा सके। इससे देशीय बाजार में आयातित दालों की उपलभ्यता में वृद्धि सुनिश्चित होने की उम्मीद है। दालें खुदरा सहकारी बिक्री केंद्रों, जैसे केंद्रीय भंडार, सुपर बाजार तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के माध्यम से भी सप्लाई की जाती हैं।

(ग) और (घ). चूंकि दालों का आयात पहले ही खुले सामान्य लाइसेंस के तहत है, अतः राज्य व्यापार निगम तथा राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जैसे अभिकरण भी मांग को पूरा करने के लिए दालों का आयात करने हेतु स्वतंत्र हैं।

(ङ) दालों की मांग और आपूर्ति के बीच इस समय अनुमानित अन्तर 40 से 50 लाख मी.टन के बीच है। वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तव में आयात की जाने वाली दालों की ठीक-ठीक मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है। 1994-95 के दौरान सभी अभिकरणों द्वारा कुल 5.55 लाख मी. टन दालों का आयात किया गया था, जबकि 1993-94 के दौरान दालों की 6.28 लाख मी. टन मात्रा का आयात किया गया था।

(च) दालों के आयात पर सीमा शुल्क को हाल में 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

**अनुबंध**

जून, 1995 को समाप्त महीने तथा गत 3 वर्षों की तदनरूपी अवधि के दौरान दालों के थोक मूल्य सूचकांको में आया प्रतिशत परिवर्तन।

प्रतिशत परिवर्तन (जून को समाप्त)

| वस्तु | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| दालें (उपसमूह) | +5.4 | +4.6 | +25.6 | +17.1 |
| चना | -4.7 | +33.8 | +31.0 | -23.1 |
| अरहर | +0.7 | -1.6 | +13.2 | +53.4 |
| मूंग | +37.2 | -10.4 | +20.6 | +10.6 |
| मसूर | -0.9 | +0.8 | +23.5 | +20.8 |
| उड़द | +2.6 | -13.2 | +43.2 | +61.1 |

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले** : अध्यक्ष महोदय, 1991 के चुनावों में कांग्रेस की सरकार ने वायदा किया था कि 100 दिनों में मंहगाई कम कर देगें। 1991 में जिन दालों के भाव 10 रुपये किलो थे, उनके भाव आज बहुत बढ़ गये हैं। आज अरहर की दाल के भाव 30 रुपये किलो, उड़द की दाल के भाव 40 रुपये, मूंग की दाल के भाव 25 रुपये किलो और चने की दाल के भाव 20 रुपये किलो हो गये हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि :

[अनुवाद]

"1994-95 के दौरान सभी एजेंसियों के द्वारा आयात की गयी दालों की कुल मात्रा 5.55 लाख टन थी"।

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इतना होने के बाद भी दालों के भाव कम क्यों नहीं हो रहे हैं? देश में दालों के उत्पादन की पर्याप्त क्षमता और कृषि भूमि उपलब्ध होने पर भी दालों का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस क्षेत्र में हरित क्रांति क्यों विफल हो गई है? गेहूं और चावल की तरह दालों का बफर स्टाक बनाने का क्या सरकार का कोई विचार है और दालों के मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है?

**श्री बूटा सिंह**: अध्यक्ष जी, दालों के भाव के बारे में जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है, उसके मुताबिक जो माननीय सदस्य ने भाव कहे हैं, वे सही नहीं हैं।

**श्री मोहन रावले**: आप बाजार में जायें .....(व्यवधान)

**श्री बूटा सिंह**: मेरी सूचना के मुताबिक चने की दाल के भाव

14 रुपये, अरहर के 20 रुपये ....(**व्यवधान**)

**श्री राम नगीना मिश्रः** यह सूचना गलत दी जा रही है।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदयः** यदि आप उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं मंत्री जो को बैठने के लिए कहूँगा।

..... (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदयः** कृपया समझिए कि एक सदस्य ने प्रश्न पूछा है और वह इसका उत्तर सुनना चाहते हैं। अब आप हल्ला मचाकर उन्हें उत्तर सुनने नहीं दे रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : 14 रुपये में कहाँ मिलेगा?

**श्री चूटा सिंह** : इसमें कोई संदेह नहीं है कि दालों के भाव पिछले तीन सालों से बढ़ते रहें हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दालों की उपज कम हो गई है। यह केवल भारतवर्ष में ही कम नहीं हुई है बल्कि पूरे विश्व में कम हुई है। विश्व में भी दालों का उत्पादन कम हो रहा है। हमारे यहां दूसरे देशों के मुकाबले फिर भी स्थिति थोड़ी अच्छी है। 4 टू 5 मिलियन टन पर-यिअर दालों के उत्पादन और खपत का जो गैप था, वह इतना बड़ा गैप था.....(**व्यवधान**)

**श्री बसुदेव आचार्य** : क्या आप उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं?

**श्री चूटा सिंह** : एक्सपोर्ट कोई नहीं किया गया है।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : आप यहां प्रश्न अनुपूरक के रूप में पूछ सकते हैं यह ठीक नहीं है, यह बात सीमा से काफी आगे जा रही है। आप केवल संगत प्रश्न पूछ सकते हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री चूटा सिंह** : उन यूनिट्स को एक्सपोर्ट की इजाजत है जो कि एक्सपोर्ट के लिये दाल मंगा करके और प्रोसैस करके बाहर भेजते हैं लेकिन आमतौर पर किसी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। 4 से 5 मिलियन टन के गैप को पूरा करने के लिये सरकार ने दालों की इम्पोर्ट ओ.जी.एल. की हुई है और इम्पोर्ट डयूटी भी कम करके 10 से 5 परसैंट कर दी है। इम्पोर्ट के लिये सब को इजाजत दी गई है। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि दालों का उत्पादन बढ़े। इसके लिये कृषि मंत्री महोदय ने एक टैक्नोलॉजी मिशन स्पैशली मांउट किया है। और किसानों को इस बात के लिये शेष सुविधायें दी जाती हैं ताकि वे दालों का उत्पादन बढ़ायें। और भी बहुत सारे प्रयास किये जा रहे हैं। स्टोरेज एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है। को-आप्रेटिव स्टोर्स, सरकारी स्टोर्स या प्राईवेट स्टोर्स बाहर से दालें मंगाते हैं, उनको ज्यादा दालें स्टोर करने के लिये प्रावधान किया गया है। बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि दालों की कीमत बहुत बढ़ गयी मगर इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में इनका उत्पादन कम है। उसको बढ़ाने के लिये दीर्घकालीन उपाय कृषि मंत्रालय से लिये जा रहे हैं।

**श्री मोडन रावले** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपील करता हूँ कि सुपर मार्किट में जाकर खरीद कर देखिये। मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि 1991 में जो वायदा किया था और जो आज दालें बेच रहे हैं। उसमें सरकार की असफलता है या नहीं, आप इसका जबाब हाँ या न में दीजिये?

**श्री चूटा सिंह** : इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि दालों का दाम कम हो। इसमें चने की दाल का दाम दुनिया के दूसरे देशों से हमारे देश में कम हुआ है मगर उत्पादन में प्रयत्नशील हैं कि उसका उत्पादन बढ़ायें ताकि हम कीमतों पर काबू पा सकें। सत्य यह है कि जब उत्पादन कम होता है तो दालों की कीमतें बढ़ती हैं।

**श्री मोडन सिंह (देवरिया)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि गरीब आदमी को प्रोटीन दालों से मिलती है और उसके दाम पिछले डेढ़ महीनों में डेढ़ गुना बढ़ गये हैं। माननीय मंत्री जी सदन के सामने सूचना सही नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद जब पूरी दुनिया में दालों की कमी है तो इम्पोर्ट कहाँ से होगा? दूसरी बात यह है कि अभी आपने स्वीकार किया है कि बड़े पैमाने पर यहाँ से दालों का एक्पोर्ट किया गया है तो जो एक्सपोर्टेड दालें हैं, उसकी मात्रा क्या है और उसका भारत के बाजारों में दाम बढ़ने अथवा घटने पर क्या प्रभाव पड़ा है?

**श्री चूटा सिंह** : अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा है, वह गलत कोट मत करें। मैंने तो यह कहा कि कुछ एक्सपोर्ट ऑरिएंटेड यूनिट्स हैं जो दालें मंगाते हैं। उसका यहां पर प्रोसैस करके भेजते हैं। इसका कारण यह है कि बाहर इसका प्रौसैस नहीं होता है। बाहर से तो साबूत दाले मिलती हैं। यहां उनको दला जाता है और फिर उनको बाहर भेज दिया जाता है। वे दालें देश के अंदर पैदा नहीं होती हैं वे तो केवल प्रौसैस करने के लिये मंगायी जाती हैं। यहां प्रोसैस करके उसका मुनाफा लेकर बाहर भेज दी जाती हैं। ये दालें तुर्की, हंगरी, कनाडा, आस्ट्रेलिया, चीन, बर्मा, थाईलैंड और तंजानिया से मंगायी जाती हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : कितने क्वांटिटी की एक्सपोर्ट की है?

**श्री चूटा सिंह** : उसके प्राइवेट सैक्टर में कुछ यूनिट्स हैं और हमारे यहां से इंडिजीनियस दालों के एक्सपोर्ट पर पाबंदी है।

[अनुवाद]

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : अध्यक्ष महोदय, दालें इस देश की आम जनता के लिए प्रोटीन का एक उपलब्ध स्रोत है और चूंकि उनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होकर लगभग 55 प्रतिशत रह गई है तो मैं खाद्य मंत्री महोदय से जो भूतपूर्व कृषि मंत्री भी हैं और जिनकी बगल में वर्तमान कृषि मंत्री भी बैठे हैं - पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार प्लास्टीकल्चर सब्बसिडी देगी जिसको उन्होंने हाल में देना शुरू किया है और जिसके लिए काफी धन उपलब्ध कराया गया है स्पिरिंकलर सिस्टम के द्वारा काफी .....

**अध्यक्ष महोदय** : यह सुसंगत नहीं है; इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आप उसे नहीं समझे, कृपया मुझे अनुमति दीजिए; क्या सरकार दालों की फसल के लिए भी प्लास्टीकल्चर सब्सिडी योजना लागू करेगें ? महोदय, यह मेरा मुख्य प्रश्न है, हमें इसका उत्पादन बढ़ाना है, यह अधिक महत्वपूर्ण है।

**श्री बूटा सिंह** : किसानों को यह सुविधाएं 'नाबार्ड' के जरिए दी जा रही हैं। केन्द्रीय सहकारी समितियों को ऋण देने के लिए 'नाबार्ड' द्वारा ऋण मंजूर किया गया है ताकि वे किसानों को ड्रिप सिंचाई के अन्तर्गत अधिक क्षेत्रों में दालें उगायें, सब्सिडी दी जा रही है, बेहतर बीज दिए जा रहे हैं, तकनीकी उपलब्ध की जा रही है.....

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या दाल की फसलों के लिए स्प्रिन्कलर दिए जा रहे हैं ?

**श्री बूटा सिंह** : स्प्रिन्कलर सब्सिडी पर भी दिए जा रहे हैं दालों का उत्पादन करने वाले किसानों को आदानों पर काफी सब्सिडी दी जा रही है, मैंने कृषि मंत्री को अलग से पहले ही पत्र लिख दिया है कि वे राष्ट्रीय प्रोद्योगिकीय मिशन को यह कार्य आरंभ करने के लिए कहें, उसको पहले ही कहा जा चुका है ताकि नकदी फसलों को उगाने वाले किसानों को बेहतर लाभ कमाने के लिए दालें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसलिए इसे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाना होगा जिसे कि कृषि मंत्री ने पहले ही स्वीकार कर लिया है वह यहाँ बैठकर उत्तर दे रहे हैं कि उन्होंने और अधिक फसलें उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के हमारे प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

**श्रीमती भावना चिखलिया** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हिन्दुस्तान में किसानों को जो उत्पादन के आधार पर मूल्य मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। आपने ही माना है कि दालों का उत्पादन कम हो रहा है। क्या आप सदन को आश्वासन देगें कि किसान जो दाल का उत्पादन करते हैं, उनको उनके उत्पादन के आधार पर मूल्य मिलेंगे ?

दूसरी बात यह है कि आपने इस प्रश्न के उत्तर में बताया है कि 1993-94 में 6.28 मीट्रिक टन दालें आयात कीं। 1994-95 में 5.55 मीट्रिक टन दालों का आयात किया गया है। उसमें कमी आई है जो अच्छी बात है। इसका क्या कारण है कि इसमें कमी आई है ? उत्पादन बढ़ा है या लोगों ने खाना बन्द कर दिया है ? मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा के नीचे के लोग दाल और रोटी ही खाते हैं। इसमें कमी कैसे आई है यह मैं जानना चाहती हूँ।

**श्री बूटा सिंह** : अध्यक्ष जी, अगर माननीय सदस्य ने स्टेटमेंट पढ़ा हो तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि पिछले तीन साल में दाल का उत्पादन साढ़े दस मिलियन टन से बढ़कर साढ़े चौदह मिलियन टन हुआ है। इससे आशाजनक स्थिति हो गई है। उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में दालों का उत्पादन और बढ़ेगा और इनकी कीमत में और कमी आएगी। इस बीच में हमने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। ओ.जी.एल. पर इसको रख दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि दाल को इंपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिए जाए। उसके लिए हमने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है। हम कोशिश करेगें कि दाल की कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए।

**श्रीमती भावना चिखलिया** : किसानों को भाव ठीक दिलाने के लिए आप कोशिश करेंगे ?

**श्री बूटा सिंह** : अभी तो ओपन मार्केट में है, पीडीएस के पास नहीं हैं। इसके लिए प्रयत्न हो रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही कीमत मिले।

[अनुवाद]

**श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि किसी भी आम आदमी की रोजमर्रा की आधारभूत आवश्यकता में, चाहे वह उच्च श्रेणी का हो अथवा मध्यम श्रेणी का हो अथवा निम्न श्रेणी का हो, मूल खाद्य सामग्री जैसे अनाज और अन्य दालें शामिल हैं। पिछले 3-4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कृषि मंत्रालय और अन्य विभाग वाणिज्यिक फसलें जैसे कपास, गन्ना और अन्य ऐसी फसलें उगाने के लिए बहुत से अन्य उपायों के माध्यम से काफी बढ़ावा और प्रोत्साहन दे रहे हैं। किंतु दालें उगाने के लिए हमें अन्य फसलों की तुलना में किसानों को अधिक प्रोत्साहन देना पड़ता है। हम देख रहे हैं कि इन अनाजों और दालों के उत्पादन में काफी कमी आई है। यदि हम फुटकर की दुकानों में जाएं तो हम वहां मूल्यों को बढ़ा हुआ पाएंगे। कभी-कभी तो इसमें चार गुणी वृद्धि पाएंगे।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से उत्पादकों को कुछ और अधिक प्रोत्साहन देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। उसी प्रश्न को दुबारा पूछना जरूरी नहीं है।

**[अनुवाद]**

**श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : महोदय, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या खाद्य मंत्रालय का विचार इनमें से कुछ दालों की बिक्री सार्वजनिक वितरण के माध्यम से करने का है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। जहां तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सम्बंध है उन्होंने 'नहीं' में उत्तर दिया है।

**[हिन्दी]**

**श्री सत्यदेव सिंह** : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में स्वीकार किया है कि इस देश में पांच लाख टन की कमी दालों के उत्पादन और खपत के बीच में है। आपने उपाय बताए हैं कि कृषि मंत्रालय में आपने आग्रह किया है और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि ये पाँच लाख टन की जो कमी है, क्या इसको पूरा करने के लिए आप इंपोर्ट करेंगे अन्यथा आप क्या उपाय कर रहे हैं ? एक आपने कहा कि बाहर से दाल लाकर प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट करते हैं। जब तक दालों की कमी है, तब तक क्या आप इस एक्सपोर्ट को बंद करने पर विचार करेंगें ?

**श्री बूटा सिंह** : मैंने यह नहीं कहा कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने कहा है कि जो ई.ओ.यू. प्राइवेट सेक्टर में है, जिनको पहले से यह परमीशन है कि दाल इंपोर्ट करके प्रोसेस करके बाहर भेजेंगे, उस पर सरकार विचार करेगी। दूसरा जो आपने शॉर्टेज बतायी है कि सप्लाई और डिमाण्ड में, उसको पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों को उत्साहित किया जाएगा कि अधिक से अधिक दाल उगाएं।

और अच्छे बीज उनको दिए जाते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए उनको सब्सिडी दी जाती हैं, स्पेशल किट्स दिए जाते हैं जिससे दालों का उत्पादन बढ़े। इसके अतिरिक्त भी जरूरत होगी तो जैसा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने खुद माना है कि वह इसके लिए स्टेट्स के साथ रिव्यू मीटिंग करेंगे। इस साल पिछले साल से अधिक दाल पैदा होने की संभावना है, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और

**[अनुवाद]**

उसके अलावा हम 5 प्रतिशत का आयात शुल्क कम करके ओ. जी.एल. पर दाल आयात करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री अनादि चरण दास** : कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इससे हम गरीब लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता है। हमारे लिए दो चीज महत्त्वपूर्ण हैं, लहसुन और प्याज। लहसुन का भाव बढ़ जाता है। मंत्रीजी ने लहसुन का कोई उल्लेख नहीं किया है। ..... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम यहाँ पर दाल को लहसुन नहीं कहते हैं। .....**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, तथ्य यह बताते हैं कि दालों के उत्पादन में 14 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह 10 मिलियन से बढ़कर 14 मिलियन हो गयी है। उत्पादन में ऐसी अत्यधिक वृद्धि के बावजूद दालों में महंगाई की वृद्धि दर आम मुद्रा स्फीति दर की वृद्धि से अधिक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5 अथवा 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उद्योगों में 8 अथवा 9 प्रतिशत वृद्धि हुई है, स्थिति यह है।

**[हिन्दी]**

**अध्यक्ष महोदय** : निर्मल कान्ति जी, दाल को दाल रहने दीजिए, उसको थ्योरी मत बनाइये।

**[अनुवाद]**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : इस संदर्भ में उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद मूल्यों में वृद्धि बहुत अधिक है। आपके कथन से यह लगता है कि आप यह नहीं जानते कि इस वर्ष कितना आयात किया जाएगा। मेरा प्रश्न यहीं से उठता है। क्या आप यह नहीं सोचते कि जब स्थिति इतनी खराब है कि इतनी अधिक वृद्धि दर होने के बावजूद मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो रही है तो सरकारी क्षेत्र को सीधा आयात करना चाहिए और इसके लिए कुछ एक निश्चित मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए ?

**श्री बूटा सिंह** : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है।

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही करने के लिए सुझाव एक आश्वासन है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : चूंकि आपने मेरे प्रश्नों को मिलाने की अनुमति नहीं दी है इसलिए मैं दाल पर बोलूँगी।

**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आप मसाला और प्याज पर न जाएं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देगें कि दालों की सप्लाई सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से की जाएगी और यदि हां तो कब से ?

**श्री बूटा सिंह** : इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दालों की सप्लाई करने की ऐसी कोई योजना नहीं है परन्तु हम इसकी जांच कर रहे हैं।

**श्री पृथ्वीराज डी. चौहान** : महोदय, पिछले वर्ष चीनी की भारी कमी थी और सरकार ने जीरो शुल्क पर चीनी का आयात करने का निर्णय किया था। इस वर्ष चूंकि दालों की कमी हो रही है सरकार ने इसे ओ.जी.एल. की श्रेणी में रख दिया है। और इसका आयात शुल्क 10 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उन्होंने आयात शुल्क 5 प्रतिशत क्यों रखा है। आप क्यों नहीं दालों का आयात जीरो प्रतिशत शुल्क पर करते हैं ? क्या मंत्री जी इस मामले को मंत्रिमंडल की मूल्य संबंधी समिति में उठाएंगें क्योंकि आम आदमी उद्वेलित है।

**श्री बूटा सिंह** : महोदय, यह जानने का एक तरीका है कि कितनी मात्रा में दालें वास्तव में बंदरगाहों पर आई हैं। आयात शुल्क है, अन्यथा 5 प्रतिशत नाममात्र का शुल्क है।

## वनों की उत्पादकता

***24. श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव/विशिष्ट योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बीज भंडारण तथा बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशालायें स्थापित करने संबंधी सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एकत्रित किये गये अच्छे किस्म के बीजों का अच्छी पौध स्टाक तैयार करने के लिए समुचित उपयोग किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो सभी महत्वपूर्ण प्रजातियों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए बनाये गए परीक्षण नियमों का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ)**: (क) जी, हां।

(ख) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के तहत खुले और अवक्रमित वनों में व्यापक वनीकरण और पौधरोपण को समृद्ध बना करके वनों की उत्पादकता बढ़ाने की योजना बनाई गई है। उत्पादन बढ़ाने के लिए वन वर्धन उपचार के द्वारा उचित तकनीकी उन्नयन के साथ प्राकृतिक वनों की पर्याप्त सुरक्षा की जा रही है। राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना जो कि अभी तैयार की जा रही है, से भी ''वनों की उत्पादकता में वृद्धि'' को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के रुप में अभिनिर्धारित किया गया है।

(ग) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद उन्नत बीजों के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर अनुसंधान कर रही है और देश के विभिन्न भागों में स्थिति आठ केन्द्रों के जरिए बीज बैंकों की स्थापना सहित बीज प्रसंस्करण सुविधाएँ जुटा रही हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत बीज विकास गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के तहत 1988-89 से 1994-95 की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को 1030.00 लाख रुपए प्रदान किए हैं।

(घ) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने अब तक 59 महत्वपूर्ण प्रजातियों के परीक्षण नियम बनाए हैं।

**श्री गोपी नाथ गजपति** : माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के प्रति जागरूकता वाले इस युग में वानिकी जैसे महत्वपूर्ण विषय के संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास प्रशंसनीय हैं। अब केन्द्रीय सरकार ने 1988 से 1995 के वर्षों से राज्य सरकारों को 1030 लाख रुपये प्रदान किए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 1030 लाख रुपये में से राज्यवार आवंटन कितना है और राज्य सरकारें बीज गुणवत्ता में सुधार करने जीन बैंक और बीज प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में कितना सफल रही हैं ?

**श्री कमल नाथ** : महोदय, यदि माननीय सदस्य 1030 लाख रुपये के राज्यवार वितरण का ब्यौरा चाहते हैं जो इन वर्षों में आवंटित किए गए हैं तो इसके लिए मेरे पास चार्ट है जिसे मुझे माननीय सदस्य को भेजने में प्रसन्नता होगी। परन्तु यदि किसी विशेष राज्य और किसी विशेष वर्ष के बारे में माननीय सदस्य जानकारी चाहते हैं तो मैं वह उन्हें सीधे भेज दूँगा, महोदय, बीज विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हमें पर्याप्त सफलता मिली है। इसलिए बीजों का उत्पादन बढ़ा है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को विभिन्न प्रयोग दिखाने होते हैं। जो उन्होंने उचित रूप से और सफलता के साथ किया है।

**श्री गोपी नाथ गजपति** : महोदय, मैं हमारे सक्रिय केन्द्रीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि किन विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है और क्या इसे उड़ीसा राज्य के लागू किया जाएगा और योजना को समूचे देश में किस वर्ष क्रियान्वित किया जाएगा।

**श्री कमल नाथ** : महोदय, हमने पहली बार राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम को तैयार करना आरम्भ किया है, राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम एक संदर्शी दस्तावेज है और इसमें कार्यवाही योजना शामिल है। इसमें वनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करने को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। और यह प्राथमिकता वर्तमान वन संसाधन के संरक्षण के समान दी जा रही है। यह राष्ट्रीय वानिकी कार्यवाही कार्यक्रम अपने अंतिम चरणों पर पूरी होने की प्रक्रिया में है और जहाँ तक वानिकी का सम्बन्ध है, उड़ीसा

एक महत्वपूर्ण राज्य है इसलिए वहाँ भी यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है।

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी** : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्ष 1989-90 से लेकर 1995-96 तक 1,030 लाख रुपये राज्य सरकारों को प्रदान किये गये, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने राज्यों को दी गई इस राशि का कोई सर्वे भी कराया कि किन-किन राज्यों में कितने प्रतिशत वनों में वृद्धि हुई? मेरे प्रश्न का 'ख' भाग है कि क्या माननीय मंत्री जी, आपको इस बात की भी जानकारी है कि राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली की ओर बढ़ता जा रहा है?

केन्द्र सरकार राज्यों को धनराशि देने में कोताही बरतती है। माननीय मंत्री महोदय, आपने जो आंकड़े दिये हैं, उनमें राजस्थान का जो मरू प्रदेश बढ़ता चला जा रहा है, क्या उसको रोकने के लिए आपने कोई पर्याप्त सुविधा देने का निश्चय किया है? यदि हाँ तो कृपया उसे स्पष्ट करिये।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह इस प्रश्न से नहीं निकलता है फिर भी आप इसका उत्तर देगें। आपको देना चाहिए और आप इस स्थिति में भी हैं।

[हिन्दी]

**श्री कमल नाथ** : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न था कि ये योजनायें लागू हुई हैं, क्या वह सफल रहीं? जो सेटेलाईट इमेजरी है, आज के दिन उससे हम रिमोट सेसिंग कर सकते हैं और हमारी जो स्टेट ऑफ दी फॉरेस्ट रिपोर्ट है, वे हमने पिछले साल ही बनाई थी। सेटेलाइट इमेजरी के आधार पर हम हर साल जिले की फोटो इन्टरप्रेट करते हैं। पहली दफा हमारे वनों की बढ़ोत्तरी हुई है।

जहाँ तक राजस्थान का रेगिस्तान दिल्ली की तरफ बढ़ने की बात है, वह सही है। इसलिए अरावली क्षेत्र के लिए ओ.ई.सी.एफ. की जो योजना है, उसे लागू कराया गया है। उसमें हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं और हमारी कन्सलटेटिव कमेटी के कई सदस्य वहाँ गये थे और उन्होंने उसकी जांच करके मुझे उसकी जानकारी दी। वे भी इससे सहमत थे कि हमारी अरावली रेंज की जो योजना है, जितना भी हमारा अरावली क्षेत्र है, उसमें हम बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।

[अनुवाद]

**श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने विशेष रूप से उत्कृष्ट बीज उत्पादन के लिए जीन पूल संरक्षण हेतु किन्हीं वनों का पता लगाया है। यदि उन्होंने ऐसा किया है तो वे उत्पाद कौन से हैं और क्या इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए राज्यों को अतिरिक्त धन दिया जाएगा?

**श्री कमल नाथ** : विभिन्न स्थानों में इन विस्तार कार्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को चुना गया है जिसके आठ संस्थान हैं। एक रांची में है, एक शिमला में है, एक कोयम्बतूर में है एक जोरहट में है, एक जोधपुर में है एक जबलपुर में है, एक इलाहाबाद में है। उन्होंने उन विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगाया है जो ने केवल विशिष्ट वृक्ष प्रजाति के लिए हैं बल्कि जीन सुधार के लिए भी उपयुक्त हैं। निःसंदेह पेड़ों की पैदावार हमारे देश में बहुत कम है। यह प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 2.1 क्यूबिक मीटर के अंतर्राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति हेक्टेयर 0.7 क्यूबिक मीटर है। इसलिए यह चिन्ता का विषय है और इसकी ओर हमारा ध्यान जा रहा है।

[हिन्दी]

## कृषि विकास दर

*25. **श्री जगमीत सिंह बरार** :
**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में भारत में कृषि उत्पादन दर में हो रही कमी पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें अगली शताब्दी में खाद्यान्नों की आपूर्ति तथा मांग के संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[अनुवाद]

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) और (ख). जी, नहीं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने यह अवलोकित किया है कि हाल ही के दशकों में भारत में कृषि का पर्याप्त विकास हुआ है। तथापि, रिपोर्ट में की गई मुख्य टिप्पणियों में, कृषि में विविधीकरण पर अधिक जोर देना, कृषि में पूंजी निवेश में वृद्धि की आवश्यकता, कृषि अनुसंधान तथा विस्तार के लिए अधिक परिव्यय, चालू सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कराने को प्राथमिकता देना, संस्थागत ऋणों में तेजी से वृद्धि करना तथा ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करने में गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र को सम्मिलित करना शामिल है।

(ग) अध्ययन से निकले निष्कर्ष सामान्य प्रकृति के हैं तथा सरकार इसमें उठाए गए मुद्दों पर पहले से ही कार्यवाही कर रही है।

**श्री जगजीत सिंह बरार** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय का उत्तर पढ़कर वास्तव में आश्चर्य हुआ है। इसके भाग (क) में कहा गया है कि ''अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने यह टिप्पणी की है कि भारत की कृषि उत्पादन दर हाल के वर्षों में पर्याप्त रही है।'' मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट है और मैं पहले पैराग्राफ से केवल दो लाइनें उद्धृत करना चाहता हूँ :

''अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने कहा है कि द्रुत कृषि विकास की दर जो हरित क्रांति के दौरान भारत ने देखी है, कम हो रही है और यह चिन्ता का विषय बन गई है।''

अब प्रश्न के भाग क के उत्तर में कहा गया है 'नहीं' मैं रिपोर्ट को उद्धृत करना चाहूँगा जिसमें कहा गया है : -

''कृषि में सकल पूंजी निर्माण की वार्षिक वृद्धि 1980 की आरम्भिक अवधि की तुलना में कम है''

रिपोर्ट में आगे कहा गया है :

''रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चावल के मामले में टी.एफ. पी. की वृद्धि दर जो 1970 के दशक में 1.3 प्रतिशत वार्षिक थी 1980 के दशक में घटकर 1.0 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गयी है। गेहूं के मामले में उत्पादकता वृद्धि 1.4 प्रतिशत वार्षिक से कम होकर 1.1 प्रतिशत रह गई है और मोटे अनाज के लिए 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर से कम होकर 0.9 प्रतिशत रह गई है।''

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है या नहीं और क्या उन्होंने यह कहने के लिए ''नहीं'' कहा है कि उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : हमें बताइए कि रिपोर्ट में चिन्ता कहाँ व्यक्त की गई है।

**श्री जगमीत सिंह बरार** : चिन्ता का विषय यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि में निजी निवेश केवल थोड़ा ही बढ़ा है और रिपोर्ट में यह भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले वर्षों में.....

**अध्यक्ष महोदय** : यह व्याख्या करने का विषय है और लोगों को गलत सूचित नहीं किया जाना चाहिए।

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में पिछले महीने मुझे वाशिंगटन में कृषि नीति अनुसंधान सम्मेलन में जाना पड़ा था। मेरी उन प्रख्यात व्यक्तियों के साथ पूरी चर्चा हुई थी। वहां पर 50 देशों के प्रतिनिधि आये थे। मेरे पास यह सिद्ध करने के लिए तथ्य और आंकड़े हैं कि भारज ने जो कुछ किया है वह अभूतपूर्व है। हमारा उत्पादन कम नहीं हुआ है। हमने पिछले वर्ष सामान्यतः 2.8 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त की है। 1992 में निवल उत्पादन 168.38 मिलियन टन था और इस वर्ष उत्पादन 190 मिलियन टन हुआ है। हमने हर मामले में प्रगति की है।

निवेश के क्षेत्र के मामले में मैं चिन्तित हूँ क्योंकि सरकारी क्षेत्र में निवेश कम हुआ है। मैं इसलिए अधिक चिन्तित हूँ। मैंने लिखा है और हम यह देखने के लिए कदम उठा रहे हैं कि कृषि में सरकारी क्षेत्र का निवेश हो। यह हमारी चिन्ता का विषय है। परन्तु जहाँ तक निजी निवेश का संबंध है, इसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि इसमें लाभ कम मिलता है इसलिए लोग इसमें निवेश नहीं करते हैं और वे ओद्योगिक क्षेत्र में निवेश करते हैं। समस्या यह है। परन्तु कुल मिलाकर मैं हर मामले में जो कुछ हमने प्राप्त किया है उससे संतुष्ट हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 17 मिलियन टन के आंकड़े से हम इस वर्ष 62 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। खाद्यमाल के क्षेत्र में 190 मिलियन टन उत्पादन आंकड़े अब तक रिकार्ड किये गये आंकड़ों में से सबसे अधिक हैं ..... **(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या आपने खाद्यमाल के संबंध में आठवीं योजना के लक्ष्यों को हासिल कर लिया है?

**श्री बलराम जाखड़** : मेरे प्रिय मित्र श्री चटर्जी यह एक तरह से अभूतपूर्व बात है कि हम लक्ष्य से भी आगे बढ़ गए हैं और हम इससे भी आगे की योजना बना रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यह एक बात है **(व्यवधान)** कृपया मुझे सुनिए, कृपया मेरे वक्तव्य में व्यवधान न डालिए, **(व्यवधान)**, यह जरूरी नहीं है कि हम लक्ष्य हासिल करते हैं, हम लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं परन्तु क्या हम उन्हें प्राप्त करते हैं या नहीं यह दूसरी बात है। प्रश्न यह है कि क्या हमने कुछ लक्ष्य हासिल किए हैं और हम कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और प्रमाण है कि हम पीछे नहीं हैं। मैंने बताया है कि आज हमारे पास 36 मिलियन टन भंडार है जबकि हमें केवल 22 मिलियन टन के बफर स्टाक की आवश्यकता है। स्थिति यह है, हम दालों के मामले में पिछड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि हम उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस प्रयोत्तन के लिए हमने उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन दिया है और हमने प्रोत्साहन मूल्य भी दिए हैं क्योंकि यह वर्षा पर आधारित फसल है। इसलिए यह समस्या आती है। आप मत्स्य व्यवसाय के मामले को ही लीजिए। हमारा 7 लाख टन का आंकड़ा बढ़ कर 48 लाख टन हो गया है। स्थिति यह है, पहले हरित क्रांति थी फिर श्वेत क्रांति आई। इसके बाद फेयर रिवोल्यूशन जो 19 बिलियन से बढ़कर 24 बिलियन हो गया और यही बात हरित क्रांति के बारे में है। मत्स्य व्यवसाय को ही लीजिए यह भारतीय किसानों के लिए एक नया क्षेत्र खोल रहा है, **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री बलराम जाखड़** : अब आपको पता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ।

[अनुवाद]

आप नहीं समझते कि मैं क्या कह रहा हूँ, प्रश्न यह है कि रिपोर्ट अन्य व्यवसाय अपनाने के बारे में क्या कहती है और इसके लिए हमने एक नई कृषि नीति के लिए दिशा दी है कि लोगों को अधिक धन मिले और वे नए व्यवसाय जैसे बागवानी, पुष्पकृषि, कुकुरमुत्ता आदि की खेती अपनाए, रिपोर्ट में यही कहा गया है, मैंने सब क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से बात की है और मैंने उनसे कहा है कि हम सुरक्षित आधार पर हैं और हम अपनी जनता को खिला सकने की स्थिति में हैं ..... **(व्यवधान)**

**श्री जगजीत सिंह बरार** : महोदय, मैं अपने विशिष्ट प्रश्न पर आऊंगा और रिपोर्ट के बारे में कुछ और कहूँगा, रिपोर्ट में लिखा है कि भंडार में कमी केवल निर्धन राज्यों में नहीं हो रही है अपितु यह कमी सारे देश में हो रही है। रिपोर्ट में यही कहा गया है, अब मंत्री महोदय कहते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि चिन्ता की कोई बात नहीं है। मैं यह कहना चाहूँगा कि देश में जनसंख्या में काफी वृद्धि होने और जनसंख्या विस्फोट होने के कारण लक्ष्यों को बनाए रखना चाहिए। उन लक्ष्यों को हमेशा दिमाग में रखा जाना चाहिए और रिपोर्ट को पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए।

अन्य व्यवसाय आरम्भ के बारे में यह कहना है कि भारत की कृषि विकास दर कम होने के कारण यह है कि अनुसंधान कार्य किसानों तक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कोई मार्गनिर्देश नहीं हैं कि सरकार इस दिशा में क्या प्रभावी उपाय अपनाना चाहती है। अन्य व्यवसाय अपनाने के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पंजाब सरकार अथवा पंजाब राज्य को पिछले वर्ष 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्योंकि किसान इस बारे में शिक्षित नहीं थे कि क्या यह उत्तम किस्म का चावल है अथवा धान है अथवा सपर फाइन किस्म का चावल आदि। किसानों को 400 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है क्योंकि उस पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया था। हर अनाज मंडी में किसान को प्रति क्विंटल 20 रुपये का नुकसान हुआ। यदि कोई किसान अपना अनाज मंडी में लाता है तो उसे कहा जाता है कि यह सुपर फाइन अथवा फाइन क्वालिटी का है, तब अनुसंधान कार्य किसान तक कैसे पहुंचता है, मैं मंत्री महोदय से इस बारे में ब्यौरा जानना चाहता हूँ।

**श्री बलराम जाखड़** : प्रश्न स्पष्ट है, तथ्य स्वंय कह रहे हैं।

**श्री जगजीत सिंह बरार** : आप इसे कैसे स्पष्ट करेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि पहला प्रश्न कृषि विकास दर से संबंधित है न कि वास्तविक उत्पादन से और दूसरा प्रश्न विकास कार्यक्रम से संबंधित है। कृषि विकास दर उत्पादन से अलग है।

**श्री बलराम जाखड़** : उत्पादन दर सामान्य तौर पर 2.8 प्रतिशत है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह एक औसत है, इसलिए..... .. **(व्यवधान)** दूसरा अनुसंधान कार्य के बारे में है, ऐसा नहीं है कि हमने इसे नहीं किया है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे किसान जाने कि यह क्या है तब हमें यह करना होगा। 400 करोड़ रुपये से 1,300 करोड़ रुपये का जो आवंटन किया गया है वह विभिन्न योजनाओं से इस योजना के लिए किया गया है। यह मैं कर रहा हूँ, यह इसके बारे में भी है। हम इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे आम जनता बहुत कुछ ले सकेगी।

दूसरा, जो आपने कहा है कि वह सही नहीं है। यह वैज्ञानिक ज्ञान की कमी का प्रश्न नहीं है जो देना है। यह प्रश्न भारतीय खाद्य निगम और अन्य संबंधित बातों का है..... **(व्यवधान)**

**श्री जगजीत सिंह बरार** : अनुसंधान कार्य विश्वविद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बरार, मंत्री जी आपके वक्तव्य को काट नहीं रहे हैं। वह आपके वक्तव्य का समर्थन कर रहे हैं।

**श्री बलराम जाखड़** : महोदय, मैंने कहा है कि हम उसको ध्यान में रख रहे हैं, मैंने कहा है कि हमें ब्यौरा बताना चाहिए और मूल्य निर्धारित कर दिया गया है.....**(व्यवधान)** मैं समझता हूँ कि ऐसा दुबारा नहीं होगा.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि माननीय मंत्री का जो जवाब आ रहा है वह बिल्कुल असंतोषजनक है। मेरा सीधा सवाल यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन बसर करने वाले गरीब लोग हैं, वह मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, मक्का, मरुआ को खाने में काम में लेते हैं, ऐसे अनाजों के उत्पादन में कमी का क्या कारण है ? ऐसे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में क्या सरकार कोई पहल करना चाहती है ? जो अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति संस्थान है, जो अनुसंधान संस्थान है, उसने अभी इंस्टीट्यूशनल फाइनेसिंग पर, ऋण देने पर, संस्थागत ऋणों में तेजी लाने पर बल दिया है। आर.बी.आई. की गाइडलाइंस है कि एग्रीकल्चर सैक्टर में इतने परसेन्ट इन्वेस्टमेंट करना है, क्या वह बैंक्स करते हैं ? यह मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि जो ढांचा सुधार करने का तैयार किया गया है, क्या सरकार इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल करना चाहती है ?

**श्री बलराम जाखड़** : बाजरे का, ज्वार का, सबका उत्पादन बढ़ा है और उनका दाम भी बढ़ाकर दिया गया है। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इतना जरूर है कि किसान वही बोता है जो उसके फायदे में होता है। कोई भी आदमी दुकानदारी इसलिए नहीं करता कि उसको नुकसान हो। किसान अपने फायदे के लिए बुवाई करेगा और वह भी

चाहेगा कि उसको उसका लाभ मिले। इसके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। मेरे पास महाराष्ट्र में 60 करोड़ रुपये की ज्वार पड़ी हुई थी, जो खरीदी नहीं गई। अब लोग उसको खाना बंद कर दें तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है यहां तक कि हमने ज्वार का निर्यात भी किया है।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

### चीनी मिलें

*22. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशय पत्र प्राप्त करने के बाद भी अनेक चीनी मिलों ने काफी समय तक निर्धारित लक्ष्य तक चीनी उत्पादन संबंधी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दोषी चीनी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का विचार है ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) से (ग). 30.6.1995 तक नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए 135 आशय-पत्र तथा वर्तमान यूनिटों के विस्तार के लिए 163 आशय-पत्र कार्यान्वयन हेतु लम्बित थे। इन आशय-पत्रों का राज्यवार तथा क्षेत्रवार ब्रेक-अप विवरण I तथा II पर संलग्न है।

आशय-पत्र 3 वर्ष की वैधता अवधि के साथ जारी किए जाते हैं, जिसके अन्दर ही उद्यमियो को इनका क्रियान्वयन करना अपेक्षित होता है। नई चीनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए लम्बित 135 आशय-पत्रों में से 75 चीनी मौसम 1993-94 (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान जारी किए गए थे। शेष 60 जो चीनी मौसम 1993-94 से पहले जारी किए गए थे, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसी प्रकार अवस्थित यूनिटों के विस्तार के लिए कार्यान्वयन हेतु लम्बित 163 आशय-पत्रों में से 1993-94 तथा इसके बाद 34 आशय-पत्र जारी किए गए हैं। इन लम्बित आशय-पत्रों की प्रगति की समीक्षा समय-समय पर की जाती है।

1993-94 के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए 11 आशय-पत्र प्रदान किए गए तथा अवस्थित चीनी फैक्ट्री के विस्तार हेतु जारी 6 आशय-पत्र कालातीत हो गए क्योंकि उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है।

चीनी मौसम 1994-95 के दौरान आशय-पत्रों की शर्तों का अनुपालन न करने के लिए आज तक चार चीनी फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं। हम तीन वर्ष से अधिक की अवधि से पूर्व में जारी किए गए आशय-पत्रों की जांच कर रहे हैं और उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं।

**विवरण I**

**नई चीनी मिलें स्थापित करने हेतु जारी तथा कार्यान्वयन हेतु लम्बित आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस का क्षेत्रवार ब्रेक-अप**

(30.06.95 तक)

| क्रम सं० | राज्य | निजी क्षेत्र | सार्व. क्षेत्र | सह. क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| **सातवीं योजना से पहले** | | | | | |
| 1. | उत्तर प्रदेश | 1 | – | – | 1 |
| 2. | मणिपुर | – | 1 | – | 1 |
| | **कुल** | **1** | **1** | **–** | **2** |
| **सातवीं योजना:** | | | | | |
| 1. | तमिलनाडु | – | – | 2 | 2 |
| 2. | महाराष्ट्र | – | – | 26 | 26 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 1 | – | 2 | 3 |
| 4. | दादरा तथा नगर हवेली | – | – | 1 | 1 |
| 5. | उड़ीसा | 2 | – | – | 2 |
| 6. | कर्नाटक | – | – | 3 | 3 |
| 7. | आन्ध्र प्रदेश | – | 1 | – | 1 |
| 8. | गुजरात | – | – | 7 | 7 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 2 | – | – | 2 |
| 10. | पांडिचेरी | 1 | – | – | 1 |
| | **कुल** | **6** | **1** | **41** | **48** |
| **1990-91 वर्ष के दौरान:** | | | | | |
| 1. | पंजाब | – | 1 | 1 | 2 |
| 2. | उड़ीसा | 2 | – | – | 2 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | 2 | – | – | 2 |
| 4. | महाराष्ट्र | – | – | 2 | 2 |
| 5. | हरियाणा | 1 | – | – | 1 |

| क्रमसं० राज्य | निजी क्षेत्र | सार्व.क्षेत्र | सह.क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 6. गुजरात | – | – | 1 | 1 |
| **कुल** | **5** | **1** | **4** | **10** |
| **वर्ष 1993-94 के दौरानः** | | | | |
| 1. हरियाणा | 3 | – | 1 | 4 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 25 | – | 1 | 26 |
| 3. मध्य प्रदेश | 2 | – | – | 2 |
| 4. गुजरात | – | – | 2 | 2 |
| 5. महाराष्ट्र | – | – | 17 | 17 |
| 6. बिहार | 1 | – | – | 1 |
| 7. उड़ीसा | – | 1 | – | 1 |
| 8. आन्ध्र प्रदेश | 15 | – | – | 15 |
| 9. कर्नाटक | 1 | – | 4 | 5 |
| 10. तमिलनाडु | 2 | – | – | 2 |
| **कुल** | **49** | **1** | **25** | **75** |
| **कुल जोड़** | **61** | **4** | **70** | **135** |

**विवरण-II**

**अवस्थित यूनिटों के विस्तार हेतु जारी तथा कार्यान्वयन हेतु लम्बित आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस का क्षेत्रवार ब्रेक-अप**

(30.06.95 तक)

| क्रमसं० राज्य | निजी क्षेत्र | सार्व.क्षेत्र | सह.क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **पाँचवी योजना तथा सातवीं योजना से पहले :** | | | | |
| 1. बिहार | 1 | – | – | 1 |
| 2. पंजाब | – | – | 1 | 1 |
| 3. महाराष्ट्र | – | – | 2 | 2 |
| 4. उत्तर प्रदेश | 2 | 1 | – | 3 |
| **कुल** | **3** | **1** | **3** | **7** |
| **सातवीं योजनाः** | | | | |
| 1. हरियाणा | – | – | 1 | 1 |
| 2. उड़ीसा | – | – | 1 | 1 |
| 3. गुजरात | – | – | 2 | 2 |
| 4. बिहार | 1 | – | – | 1 |
| 5. कर्नाटक | 3 | – | 5 | 8 |
| 6. तमिलनाडु | 2 | – | 3 | 5 |
| 7. पंजाब | – | – | 2 | 2 |
| 8. महाराष्ट्र | – | – | 17 | 17 |
| 9. आन्ध्र प्रदेश | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 10. उत्तर प्रदेश | 10 | 23 | 15 | 48 |
| 11. मध्य प्रदेश | 2 | – | – | 2 |
| **कुल** | **21** | **25** | **49** | **95** |
| **वर्ष 1990-91 के दौरान :** | | | | |
| 1. पंजाब | 1 | – | 1 | 2 |
| 2. गुजरात | – | – | 3 | 3 |
| 3. उत्तर प्रदेश | – | – | 2 | 2 |
| 4. नागालैंड | – | 1 | – | 1 |
| **कुल** | **1** | **1** | **6** | **8** |
| **वर्ष 1991-92 के दौरानः** | | | | |
| 1. महाराष्ट्र | – | – | 9 | 9 |
| 2. उत्तर प्रदेश | – | – | 1 | 1 |
| 3. आन्ध्र प्रदेश | – | – | 2 | 2 |
| 4. कर्नाटक | – | – | 1 | 1 |
| 5. बिहार | 2 | – | – | 2 |
| 6. हरियाणा | – | – | 2 | 2 |
| 7. तमिलनाडु | – | – | 1 | 1 |
| 8. गुजरात | – | – | 1 | 1 |
| **कुल** | **2** | **–** | **17** | **19** |
| **आठवीं योजना** | | | | |
| **वर्ष 1992-93 के दौरानः** | | | | |
| 1. उड़ीसा | 1 | – | – | 1 |
| 2. उत्तर प्रदेश | 1 | – | 1 | 2 |
| **कुल** | **2** | **–** | **1** | **3** |

| क्रम.सं० राज्य | निजी क्षेत्र | सार्व.क्षेत्र | सह.क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|
| **वर्ष 1993-94 के दौरान:** | | | | |
| 1. उत्तर प्रदेश | 6 | – | – | 6 |
| 2. पंजाब | 1 | – | – | 1 |
| 3. महाराष्ट्र | – | – | 6 | 6 |
| 4. तमिलनाडु | 1 | – | – | 1 |
| 5. मध्य प्रदेश | – | – | 1 | 1 |
| 6. राजस्थान | 1 | – | – | 1 |
| 7. पं बंगाल | 1 | 1 | – | 2 |
| 8. बिहार | 3 | – | – | 3 |
| 9. गुजरात | – | – | 1 | 1 |
| **कुल जोड़** | **13** | **1** | **8** | **22** |
| **वर्ष 1994-95 के दौरान (30.06.95 तक)** | | | | |
| 1. उत्तर प्रदेश | 3 | – | – | 3 |
| 2. हरियाणा | – | – | 1 | 1 |
| 3. महाराष्ट्र | – | – | 4 | 4 |
| 4. तमिलनाडु | 1 | – | – | 1 |
| **जोड़** | **4** | **–** | **5** | **9** |
| **कुल जोड़** | **46** | **28** | **89** | **163** |

**[अनुवाद]**

**चीनी उत्पादन पर उपकर**

***26. श्री नीतीश कुमार :**
**श्री नवल किशोर राय :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी मिलों के विकास हेतु चीनी पर उपकर एकत्र किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस स्रोत से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी राशि एकत्र की गई;

(ग) चीनी उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1994-95 के दौरान कुल कितनी राशि एकत्र होने की संभावना है;

(घ) क्या इन वर्षों के दौरान इस कोष से विभिन्न शीर्षों को धन आवंटित कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) चीनी उपकर वर्ष विशेष में उत्पादन के आधार पर एकत्रित नहीं किया जाता है बल्कि यह अवधि विशेष में फैक्ट्रियों से चीनी के प्रेषण पर एकत्रित किया जाता है। एकत्रित किए गए उपकर की वित्तीय वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :

| वित्तीय वर्ष | करोड़ रुपये में |
|---|---|
| 1992-93 | 168.71 |
| 1993-94 | 165.47 |
| 1994-95 | 136.41 (अनन्तिम) |
| **जोड़:** | **470.59** |

(ग) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान चीनी उपकर के खाते में 136.41 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की राशि वसूल की गई है। 30.6.1995 को स्थिति के अनुसार, चीनी वर्ष 1994-95 के दौरान लगभग 141.5 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। जब समस्त उत्पादन अंततः फैक्ट्रियों से भेज दिया जाएगा तब इस उत्पादन पर 14 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपकर की राशि लगभग 198 करोड़ रुपये बैठेगी। वर्तमान मौसम के लिए उत्पादन के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध होने पर ही अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे।

(घ) और (ङ). एक विवरण संलग्न है जिसमें चीनी विकास निधि के अधीन विभिन्न मदों के लिए वितरित की गई राशि का ब्यौरा दिया गया है।

**[अनुवाद]**

**ग्रामीण पुस्तकालय**

***27. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गांवों में ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का कोई विचार है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार उनका ब्यौरा क्या है; और

**विवरण**

**1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान चीनी विकास निधि के विभिन्न शीर्षों के अधीन वितरित की गई राशि (वर्षवार)**

(लाख रुपयों में)

| उप-शीर्ष | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| बफर स्टाक रखने के लिए सब्सिडी | - | 120.82 | 146.62 |
| चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान | 451.66 | 16.05 | 146.83 |
| गन्ना विकास के लिए चीनी मिलों को ऋण | 1707.11 | 3777.81 | 1326.134 |
| पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए चीनी मिलों को ऋण | 9278.375 | 7750.062 | 5026.596 |
| चीनी विकास निधि का प्रशासन-वित्तीय संस्थानों को एजेन्सी प्रभारों और कुछ स्टाफ आदि को वेतन का भुगतान | 96.58 | 196.13 | 188.18 |
| राष्ट्रीय चीनी और चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान, मऊ पर खर्च | - | - | 11.67 (अनन्तिम) |
| जोड़ : | 11533.725 | 11860.872 | 6846.03 |

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रस्ताव के लिए कितनी बजट धनराशि आवंटित की गई है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)** : (क) जी, हां। ऐसा एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रस्तावित राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 1995-96 के लिए संस्कृति विभाग के बजट में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

**विवरण**

**प्रायोगिक स्कीम के रूप में वर्ष 1995-96 के दौरान प्रस्तावित ग्रामीण पुस्तकालयों का राज्य-वार वितरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 33 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 5 |
| 3. | असम | 16 |
| 4. | बिहार | 53 |
| 5. | गोवा | 5 |
| 6. | गुजरात | 19 |
| 7. | हरियाणा | 10 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 5 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 5 |
| 10. | कर्नाटक | 22 |
| 11. | केरल | 17 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 35 |
| 13. | महाराष्ट्र | 33 |
| 14. | मणिपुर | 5 |
| 15. | मेघालय | 5 |
| 16. | मिजोरम | 5 |
| 17. | नागालैंड | |
| 18. | उड़ीसा | |
| 19. | पंजाब | |
| 20. | राजस्थान | |

| | | |
|---|---|---|
| 21. | सिक्किम | 5 |
| 22. | तमिलनाडु | 25 |
| 23. | त्रिपुरा | 5 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 79 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 34 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | |
| 1. | अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | 3 |
| 2. | चंडीगढ़ | 3 |
| 3. | दादर-व-नगर हवेली | 3 |
| 4. | दमन और दीव | 3 |
| 5. | दिल्ली | 3 |
| 6. | लक्षद्वीप | 3 |
| 7. | पांडिचेरी | 3 |
| | कुल | 500 |

**चीनी का कोटा**

*28. **श्री हरिन पाठक:**
**श्री डी. वेंकटेश्वर राव:**

**क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय पूल से कम चीनी आवंटित किए जाने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित की जाने वाली चीनी की प्रति इकाई आपूर्ति कम कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा चीनी का कोटा बहाल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और यह कोटा कब तक बहाल कर दिया जाएगा?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) और (ख). केंद्रीय सरकार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को लेवी चीनी का आवंटन 01.10.1986 की अनुमानित जनसंख्या हेतु आमतौर पर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर करती है। बाद में जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति वास्तविक उपलब्धता 425 ग्राम प्रतिमाह से कम है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक लेवी चीनी के आंवटन में तदर्थ वृद्धि की गई थी। लेवी चीनी की उपलब्धता में बाधाओं के कारण अप्रैल, 1994 से इस अतिरिक्त आवंटन को चालू नहीं रखा जा सका। केंद्रीय सरकार ने सितम्बर, 1995 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लेवी चीनी के आंवटन में पांच प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि को फिरसे बहाल करने का निर्णय किया है। तथापि, उपभोक्ताओ के बीच वितरण का वास्तविक पैमाना नियत करने का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा यह विभिन्न राज्यों में या एक राज्य के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकता है।

**आयातित पामोलिन तेल**

*29. **श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी:** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित पामोलिन का पूरा स्टाक बेच दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंहगा होने के कारण कोई इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं है और सरकार फिर भी इसका आयात कर रही है; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे से बचने के लिए पामोलिन के वर्तमान स्टाक को बेचने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) और (ख). राज्य व्यापार निगम इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आर.बी.डी. पामोलीन आयात करने की कार्यवाही में लगा हुआ है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 1995-96 के दौरान उन्हें किए गए आवंटन के प्रति केन्द्रीय पूल से उठाया जा रहा है।

(ग) और (घ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य पामोलीन की आपूर्ति हेतु अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मांग प्राप्त हुई है तथा तदनुसार तेलों को निर्मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।

**दिल्ली में रिज क्षेत्र का अतिक्रमण**

*30. **श्री रामविलास पासवान:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रिज क्षेत्र का अनवरत अतिक्रमण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक अतिक्रमित वन भूमि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा रिज क्षेत्र, जिसे मई, 1994 में आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था, उसे अतिक्रमण हटाने और उसके संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) से (ग). विभिन्न मंचों से रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली रिज में अवैध कब्जे हुए हैं। दिल्ली रिज पर हरियाली बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रबंध करने हेतु इस मंत्रालय ने समय-समय पर इस मामले को दिल्ली सरकार के साथ उठाया है।

दिल्ली रिज के प्राकृतिक वातस्थलों के संरक्षण के उद्देश्य से उसके वैकल्पिक प्रबंध पैटर्न के बारे में सुझाव देने के लिए दिल्ली के उप-राज्यपाल ने अप्रैल, 1993 में एक समिति भी गठित की थी। उपर्युक्त समिति की रिपोर्ट की जांच करने के बाद इस मंत्रालय ने अन्य उपायों के साथ-साथ सम्पूर्ण रिज क्षेत्र की आरक्षित वन घोषित करने तथा अवैध काबिजों का पता लगाने के लिए रिज के वर्तमान काबिजों की स्थिति निर्धारित करने का सुझाव दिया था।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित रिज क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के हक में तथाकथित किन्हीं अधिकारों का निर्धारण करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक वन बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति भी की है। रिज को आरक्षित वन घोषित करने के लिए अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए कार्रवाही की जा रही है इसमें अधिकारों का निपटारा और अवैध कब्जों को खाली करना भी शामिल होगा।

**[हिन्दी]**

## शैक्षिक स्तर

*31. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों में प्राथमिक स्तर से लेकर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर तक दी जा रही शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है और पब्लिक स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर कहीं बेहतर है, यद्यपि इन पब्लिक स्कूलों में शिक्षा अत्यंत मंहगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोई समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या इस स्थिति में सुधार लाने की कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) से (ङ). राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में शैक्षिक स्तरों में गिरावट के संबंध में सामान्य राय की प्रमाणिकता की जांच के लिए कोई मानक कसौटी नहीं है। निजी और राजकीय, दोनों ही प्रकार की सभी संस्थाओं में ये स्तर समय-समय पर भिन्न-भिन्न होते हैं। तथापि, सरकार, राज्य द्वारा संचालित संस्थाओं में शिक्षा की गुणवत्ता और विषय-वस्तु के स्तर में सुधर की आवश्यकता के प्रति पूर्णतः सजग है और वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में इस संबंध में विशिष्ट कार्यक्रम चलाती आ रही है। प्राथमिक शिखा में सुधार के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और औपचारिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं। सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तु और प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय हैं - पाठ्यचर्या का नवीकरण, पाठ्य-पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता में सुधार लाने के लिए उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उनको सेवाकालनी प्रशिक्षण प्रदान करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसके अलावा देश की सभी तकनीकी संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे संसद द्वारा सृजित एक कानूनी निकाय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन करें। तकनीकी और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए इसी प्रकार के एक अन्य निकाय का गठन किया है।

**[अनुवाद]**

## फलों का उत्पादन

*32. **श्री राम सिंह कस्वां :**
**डा0 रामकृष्ण कुसमरिया :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फलों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या फलों के कुल उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में होता है;

(ग) यदि वर्तमान फलोद्यानों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं तो क्या फलों का उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1992-93 के दौरान फलों का वार्षिक उत्पादन 32.95 मिलियन मीटरी टन था।

(ख) वर्षा सिंचित क्षेत्रों में फलों के उत्पादन संबंधी कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी मोटे अनुमान के अनुसार, देश में लगभग 50 प्रतिशत फल उत्पादन वर्षा सिंचित परिस्थितियों के अधीन किया जाता है।

(ग) और (घ). सिंचाई से फलों की क्वालिटी और विभिन्न फलों की फसलों की उपज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। उत्पादन में इस प्रकार की वृद्धि के अनुमानों की सूचना एसिड लाईम और लीची तथा कुछ अन्य फलों की फसलों के बारे में मिली है।

(ङ) भारत सरकार ''प्लास्टिक के उपयोग'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत आठवीं योजना के 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से फलों सहित बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई पद्धित के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए सहायता प्रदान कर रही है। यह सहायता प्रति हैक्टेयर 15,000/- रुपए की अधिकतम सीमा के साथ लागत के 50 प्रतिशत तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों में सरकारी फार्मों में ड्रिप सिंचाई की सुविधा वाले 1 हैक्टेयर के प्रदर्शन भूखण्डों की स्थापना की जा रही है।

**[हिन्दी]**

## दुर्घटनाएं

*33. **श्री संतोष कुमार गंगवार:**
**श्री देवी बक्स सिंह:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों से लेकर आज तक जोन-वार हुई रेल दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) इन दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण क्या है; और

(घ) इन दुर्घटनाओं तथा रेलगाड़ी के पटरी से उतरने की घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों के मामले में कितनी अनुग्रह राशि और मुआवजा दिया गया ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) 1.1.95 से 30.6.95 तक की अवधि के दौरान पटरी से उतरने की घटनाओं सहित परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं का जोनवार विवरण निम्नलिखित है:-

| रेलवे | कुल परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या | पटरी से उतरने की घटनाओं की संख्या |
|---|---|---|
| मध्य | 19 | 17 |
| पूर्व | 12 | 8 |
| उत्तर | 43 | 30 |
| पूर्वोत्तर | 18 | 14 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 12 | 11 |
| दक्षिण | 30 | 16 |
| दक्षिण-मध्य | 15 | 10 |
| दक्षिण-पूर्व | 38 | 34 |
| पश्चिम | 19 | 14 |
| जोड़: | 206 | 154 |

(ख) इन दुर्घटनाओं में 199 व्यक्तियों की जानें गईं और 508 व्यक्ति घायल हुए।

(ग) अनंतिम सूचना के अनुसार, 117 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की भूल के कारण हुईं, 39 दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों की भूल के कारण हुईं, 28 दुर्घटनाएं उपस्करों की खराबी के कारण तथा 3 दुर्घटनाएं तोड़-फोड़ के कारण हुईं। 5 दुर्घटनाएं आनुषंगिक थीं और 14 मामलों में जांच चल रही है।

(घ) पिछले छह महीने के दौरान मृतकों और घायलों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 8,23,750/- रुपए का भुगतान किया गया है। अभी तक रेल दावा अधिकरण ने किसी मामले में मुआवजे के भुगतान की डिक्री नहीं दी है। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर ज्यों ही रेल दावा अधिकरण द्वारा मामलों पर निर्णय ले लिया जाएगा त्यों ही रेल प्रशासन द्वारा दावाकर्ताओं को मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

**[अनुवाद]**

## मानसून में विलम्ब से पड़ने वाला प्रभाव

*34. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सावुल:**
**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसून विलम्ब से आने के कारण देश के कई भागों में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और इससे खरीफ की फसल के उत्पादन में कमी आने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके फलस्वरूप कौन-कौन से राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) इससे तिलहनों सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन में कितनी कमी आने का अनुमान है और इसका देश में खाद्यानों की कुल उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या प्रभावित राज्यों ने वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) और (ख). यद्यपि वर्तमान वर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के आरम्भ में कुछ राज्यों में मानसून के आने में विलम्ब हुआ तथा वर्षा कम हुई, तथापि वर्षा की स्थिति में पिछले दो-तीन सप्ताहों के दौरान काफी सुधार हुआ है। 26 जुलाई, 1995 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश के 35 मौसम वैज्ञानीय उप-प्रभागों में से 26 उप प्रभागों में कुल संचयी वर्षा सामान्य या सामान्य से अधिक हुई। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों जिन में प्रारंभिक अवधि में कम वर्षा हुई थी वहां भी इस अवधि में इन राज्यों में भी बहुत अधिक वर्षा हुई है। विलम्बित मानसून के कारण खरीफ फसलों के उत्पादन में कोई विशेष कमी आने की सम्भावना नहीं है।

(ग) वर्षा की वर्तमान स्थिति के अनुसार खरीफ खाद्यान्नों तथा तिलहनों के उत्पादन में कोई खास कमी आने का पूर्वानुमान नहीं है तथा देश में खाद्यान्नों की स्थिति अच्छी बनी रहेगी।

(घ) एक बहु विषयक फसल मौसम निगरानी दल देश के विभिन्न भागों में वर्षा और फसल की स्थिति की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है।

(ङ) और (च). सूखा राहत उपाय करने के लिए, 256.23 करोड़ की अनुमानित लागत की वित्तीय सहायता की मांग करते हुए कनार्टक सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। यह ज्ञापन 8 जुलाई, 1995 की वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। बाद में कर्नाटक के अधिकतर भागों में व्यापक वर्षा हुई है। चूंकि बाद में स्थिति में सुधार हुआ है, अतः कर्नाटक सरकार द्वारा अद्यतन स्थिति का मूल्यांकन किया जाना है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले तात्कालिक राहत उपायों के लिए कर्नाटक सरकार के पास आपदा राहत कोष की धनराशि में से 39.49 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध है। अन्य किसी राज्य ने सूखा राहत उपायों के लिए किसी सहायता की मांग नहीं की है।

## इरकॉन परियोजना में अनियमिततायें

*35. **श्री प्रमथेश मुखर्जी:**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुन, 1995 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' में ''मैसिव इरेंगुलरिटीज़ इन इरकॉनस् मलेशियन प्रोजेक्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें उल्लिखित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इरकॉन की वर्ष 1994 की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी इरकॉन की मलेशियन परियोजना में भारी अनियमितताओं के बारे में उल्लेख किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इरकॉन की परियोजनाओं में अनियमितताओं को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ़)** : (क) जी, हाँ।

(ख) समाचार-पत्र में छपी खबर अपूर्ण/गलत सूचना पर आधारित है।

(ग) से (ङ). एक विवरण संलग्न है।

(च) इरकॉन निरंतर उत्कृष्ट कार्य करता आ रहा है। ऐसे कार्य को मान्यता देते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा इसे लगातार पिछले तीन वर्षों से उत्कृष्ट दर्जा प्रदान किया गया है।

### विवरण

आंतरिक लेखा परीक्षा एक वार्षिक प्रक्रिया है जिसमें निरीक्षण के दौरान सभी कमियां नोट की जाती हैं। तब इन मुद्दो के संबंध में उच्च स्तर पर चर्चा की जाती है और उसके बाद या तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या प्रमख मुद्दों के मामलें में, जिनमें पर्याप्त

में बड़े स्तर का सुधार करना निहित होता है अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। लेखा की अंतिम रिपोर्ट, जिसक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों जिन्हें कंपनी विधि बोर्ड और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नामांकित किया जाता है, द्वारा की जाती है, तभी तैयार की जाती है जब सांविधिक लेखा परीक्षक आंतरिक लेखा परीक्षा की टिप्पणियों सहित विभिन्न पहलुओं की जांच कर लेते हैं और तभी वे लेखों का सत्यापन करते हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की अंतिम रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में समाविष्ट की जाती है जिसमें प्रतिवर्ष दिसंबर तक संसद के समक्ष रखा जाता है।

वर्ष 1994 के लिए मलेशियाई परियोजना की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में छुटपुट मुद्दे उत्पन्न हुए हैं जो नेमी प्रकृति के हैं और अधिकांश मुद्दों को स्पष्टीकरण और शोधक कार्रवाई के बाद पहले ही छोड़ दिया गया/हल कर लिया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की अंतिम रिपोर्ट विधिवत् रूप से कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में समाविष्ट की जाएगी और सभापटल पर रखी जाएगी।

**[हिन्दी]**

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कम्प्यूटरीकरण

*** 36. श्रीमती शीला गौतम:**
**श्री राजेश कुमार :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का धीरे-धीरे कम्प्यूटरीकरण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितना वार्षिक परिव्यय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या इस निर्णय के फलस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) :** (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि वर्ष 1994-95 के दौरान, मुख्यालय में कम्प्यूटरीकरण का स्थान तैयार करने तथा हार्डवेयर और साफ्टवेअर के लिए 21.06 लाख रु0, की राशि खर्च की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

## खेलों का विकास

***37. श्री तारा सिंह :**
**श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेलों के विकास एंव प्रबंध के लिए नए दिशा निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में खेलों के प्रदर्शन का स्तर गिरता जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने खेलों के गिरते हुए स्तर में सुधार लाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :** (क) और (ख). जी, हाँ। सरकार ने, देश में खेलों के विकास एवं प्रबंध के लिए शीर्षस्थ खेल निकायों को अनुदान देने के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तैयार किए हैं। इन मार्गनिर्देशों में मान्यता संबंधी शर्तों, खेल विधाओं को प्राथमिकता देना, प्रशिक्षण शिविरों के लिए सहायता का मापदंड, खेल उपस्कर, विदेशों में प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षकों/रेफरियों का विकास और शीर्षस्थ खेल निकायों का प्रबंध कार्य आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन मार्गनिर्देशों को अभी अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाना है।

(ग) और (घ). जी, नहीं। तथापि, प्रदर्शन संबंधी स्तरों में सुधार लाने की दृष्टि से सरकार ने खेलों के क्षेत्र में कई कदम उठाएं हैं। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं :-

(एक) सरकार 1998 में होने वाले एशियाई खेलो की प्रतियोगिताओं और विधाओं का सावधानीपूर्वक चयन करने और बाद में एक लम्बी अवधि के लिए संसाधनों और विशेषज्ञता पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता को मान्यता देती है।

(दो) जूनियर खिलाड़ियों को गहन प्रशिक्षण देकर उनके प्रदर्शन के स्तर में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए जा रहे हैं।

(तीन) प्रतिभाशाली किशोर बच्चों को तैयार करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

(चार) संबंधित राष्ट्रीय संघों, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय खेल प्राधिकरण के समन्वय से चुनिंदा विधाओं में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(पाँच) राष्ट्रीय खेल संघों को ओलम्पिक तथा एशियाई खेलों के लिए दीर्घावधिक योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया था और इस योजना के एक अंग के रूप में एशियाई खेल चक्र के अनुरूप एक चार वर्षीय विकास योजना तैयार की जा रही है। इन आयोजनाओं में एथलीट विकास, प्रशिक्षण और अधिकारियों का विकास, क्लबों की वृद्धि, स्वदेशी टूर्नामेंट तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, उपस्कर और वैज्ञानिक सहायता, व्यावसायिक और वित्तीय प्रबंध विकास आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ये योजनाएं तैयार कर ली गई है और सिद्धात रूप में अनुमोदित कर दी गई हैं। इनकी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

**उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क में रियायतों का लाभ**

*38. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक उद्योगों ने उत्पाद शुल्क में मिली रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है;

(ख) क्या सरकार के मंत्रालयों ने यह कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत ऐसे दोषी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्पाद-शुल्क में मिली रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं तक न पहुंचाने वाले दोषी उद्योगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए कोई कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) क्या मंत्रालय ने ऐसे दोषी उद्योगों की सूची वित्त मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों को भेज दी हैं; और

(च) यदि हां, तो इन उद्योगों के नाम क्या हैं और मंत्रालयों ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वे कुछ चुनी वस्तुओं, जिन पर 1995-96 के बजट में उत्पादन/सीमा शुल्कों की काफी कमी की गई थी, के बारे में यह जानने के लिए एक अध्ययन करें कि क्या उद्योगों ने उपभोक्ताओं तक उक्त लाभ पहुंचाए हैं और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करे।

(ख) से (घ). वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय उत्पाद कानूनों में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिसके तहत उन विनिर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके जो बजट में घोषित शुल्क रियायतों का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाते हैं। तथापि, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने हाल में सूचित किया है कि ''यदि सरकार किसी निर्दिष्ट उद्योग/उद्योगों को इस शर्त के साथ उत्पाद शुल्क रियायतों का लाभ देती है कि उत्पाद के मूल्यों को उस सीमा तक कम कर दिया जाएगा जितनी रियायतें दी गई हैं और यदि उद्योग उन लाभों को अन्तरित नहीं करता है तो यह मूल्यों में जोड़-तोड़ करने का एक अवरोधक व्यापारिक व्यवहार का मामला बन जाता है और उनके विरुद्ध एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।''

(ङ) और (च). औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से उनके निष्कर्ष प्राप्त होते ही उसे सभी संबंधित मंत्रालयों को भेज दिया जाएगा।

**आवश्यक वस्तुओं के मूल्य**

*39. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :
**श्री फूल चंद वर्मा** :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पूरे देश में अधिकांश आवश्यक वस्तुओं विशेषतः सब्जियों, खाद्यान्नों आदि के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) अनाजों और सब्जियों सहित आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) चीनी, खाद्यान्न, खाने योग्य तेलों इत्यादि जैसी अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आसान बनी हुई है। अरहर इत्यादि जैसी दालों के मूल्यों में वृद्धि का रुख मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा अन्तर अनेक वर्षों से उनके स्थिर उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी सीमित उपलब्धता के कारण है। सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि पूरी तरह से कम आपूर्ति वाले मौसम में सब्जियों की आवक में कमी के कारण हैं। जहाँ तक चावल और गेहूँ जैसे अनाजों का संबंध है, इनका पर्याप्त सुरक्षित भंडार उपलब्ध है और इनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए आपूर्ति राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर की जा रही है। भारतीय

खाद्य निगम ने भी चुनिंदा केन्द्रों में चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री के कार्य को तेज किया है। दालों के मामले में, देश में दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा दालों के मूल्यों को नियंत्रण में रखने हेतु सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में दालों को आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखना, दालों के आयात पर सीमा शुल्क को घटा कर 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत करना आदि शामिल है। चावल, गेहूं, चीनी, पामोलीन, मिट्टी का तेल और सॉफ्ट कोक जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं की उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए बाजार मूल्य पर आपूर्ति की जा रही है।

**विवरण**

**8.7.95 को समाप्त सप्ताह के दौरान विभिन्न अवधियों की तुलना में आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव**

| वस्तु | एक सप्ताह की तुलना में | 2 सप्ताहों की तुलना में | 1 माह की तुलना में | 3 माह की तुलना में | 6 माह की तुलना में |
|---|---|---|---|---|---|
| **अनाज** | -0.1 | स्थिर | +0.7 | +1.0 | +1.8 |
| (क) चावल | -0.1 | स्थिर | +0.4 | +3.3 | +4.8 |
| (ख) गेहूं | +0.1 | -0.5 | +0.1 | -4.1 | -6.9 |
| ज्वार | +0.2 | +1.0 | +4.3 | +6.9 | +14.7 |
| बाजरा | -0.5 | +1.8 | +3.0 | स्थिर | +13.8 |
| चना | +0.2 | स्थिर | -1.2 | -10.0 | -26.8 |
| अरहर | +1.4 | +0.8 | +10.5 | +20.7 | +45.8 |
| चीनी | +0.2 | +0.7 | +0.9 | +0.8 | स्थिर |
| वनस्पति | स्थिर | स्थिर | स्थिर | +0.1 | +4.3 |
| मूंगफली का तेल | +0.3 | +0.8 | +1.8 | +1.8 | +18.4 |
| सरसों का तेल | +3.6 | +3.8 | +1.9 | -6.2 | -5.4 |
| सब्जियां | +2.7 | +2.2 | +5.4 | +32.2 | +58.3 |
| चाय | -1.3 | -1.3 | +6.6 | +40.5 | +9.3 |
| नमक | +7.0 | +22.0 | +29.0 | +35.5 | +47.1 |

**फसल बीमा योजना**

*40. **श्रीमती सरोज दुबे :**
**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, सूखा और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाली कठिनाइयों, जिनके कारण भूमि से होने वाले लाभों में अनिश्चितता आती है, को दूर करने के लिए, फसल बीमा योजना तेजी से लागू करने का पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार, आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में हाल ही के वर्षों में प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस समस्या का नए सिरे से अध्ययन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त प्राकृतिक आपदाएं आने पर किसानों को राहत देने के लिए इसके अलावा और क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़)** : (क) और (ख). एक वृहत फसल बीमा योजना 1985 से इस देश में चल रही है। यह योजना किसानों को बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मामले में सुरक्षा प्रदान करती है।

(ग) और (घ). विभिन्न क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन में हाल के वर्षों में प्राप्त अनुभव के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं की हालत में किसानों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुधारों पर विचार किया जा रहा है।

## उर्वरकों का असंतुलित उपयोग

**168. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1994-95 के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग में बढ़ते हुए असंतुलन के बारे में भारतीय उर्वरक संघ की रिपोर्ट की ओर गया है जिसमें भूमि के स्वरूप पर दीर्घकालिक रूप से बुरा प्रभाव पड़ने की बात कही गई है;

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य-वार उर्वरकों के किए गए उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस असंतुलन को कम करने हेतु पहले ही कुछ कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनके अतिरिक्त क्या-क्या कदम विचाराधीन हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) जी, हाँ। सरकार को रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). असन्तुलन को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(एक) 1992-93 के दौरान फास्फेट तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों के विनियंत्रण के बाद लागू उक्त उर्वरकों की रियायती बिक्री की योजना को तब से जारी रखा गया है।

(दो) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के संतुलित तथा एकीकृत उपयोग से संबंधित एक योजना शुरू की गई है, जिसमें कार्बनिक खाद, जैव उर्वरकों तथा सूक्ष्मपोषक तत्वों के माध्यम से रासायनिक उर्वरकों के साथ-साथ पोषक तत्वों के एकीकृत उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(तीन) 1994-95 के दौरान, कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरक उपयोग के विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हरी खाद तथा एकीकृत पोषक प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है।

(चार) जैव उर्वरकों के उपयोग के विकास से संबंधित राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत जैव उर्वरकों के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

(पांच) राज्य सरकारों को किसानों को उर्वरकों के संतुलित उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की सलाह दी गई है।

(छः) सरकार द्वारा जैव उर्वरकों के संबंध में एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस प्रोद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन से भी उर्वरकों के उपयोग में असंतुलन को कम करने में मदद मिलेगी।

## पोत दुर्घटनाएं

**169. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 और 1995 के दौरान प्रकाश में आई भारतीय जल क्षेत्र में पोत दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दुर्घटनाओं में समुद्री पर्यावरण को कोई क्षति पहुंची है;

(ग) यदि हाँ, तो प्रत्येक ऐसी दुर्घटना से किस हद तक प्रदूषण हुआ; और

(घ) इन पोत दुर्घटनाओं के कारण होने वाले समुद्री पर्यावरण के प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**विवरण**

उर्वरकों की राज्यवार खपत (मीटरी टन)

| राज्य | 1993-94 | | | | 1994-95 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन | पी | के | कुल | एन | पी | के | कुल |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. आंध्र प्रदेश | 1085746 | 369503 | 88089 | 1543338 | 1109154 | 382093 | 109940 | 1601187 |
| 2. कर्नाटक | 472816 | 215820 | 116403 | 805039 | 482498 | 202616 | 119458 | 804572 |
| 3. केरल | 77599 | 33122 | 66110 | 176831 | 83725 | 42656 | 75227 | 201608 |
| 4. तमिलनाडु | 413884 | 161343 | 205694 | 780921 | 481868 | 193345 | 278123 | 953336 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. अंड व निको. द्वीप | 214 | 100 | 32 | 346 | 338 | 119 | 197 | 654 |
| 6. पांडिचेरी | 11516 | 3820 | 3933 | 19269 | 12689 | 3963 | 3931 | 20583 |
| 7. गुजरात | 472891 | 157015 | 39176 | 669082 | 562497 | 200990 | 50160 | 813647 |
| 8. मध्य प्रदेश | 521204 | 235952 | 16827 | 773983 | 547538 | 286355 | 29848 | 863741 |
| 9. महाराष्ट्र | 804000 | 259000 | 131000 | 1194000 | 948000 | 379000 | 187000 | 1514000 |
| 10. राजस्थान | 365988 | 133754 | 2627 | 502367 | 473726 | 147975 | 7943 | 529644 |
| 11. दादरा व नग. ह. | 670 | 389 | 13 | 1072 | 668 | 408 | 45 | 1121 |
| 12. गोवा | 3119 | 1857 | 1090 | 6066 | 3526 | 1415 | 1433 | 6374 |
| 13. दमन व दीव | 157 | 38 | 12 | 207 | 125 | 45 | 12 | 186 |
| 14. हरियाणा | 522875 | 148445 | 364 | 671684 | 550141 | 151629 | 2120 | 703890 |
| 15. हिमाचल प्रदेश | 24659 | 2334 | 1621 | 28614 | 29162 | 2547 | 2262 | 33975 |
| 16. जम्मू कश्मीर | 35166 | 6560 | 598 | 42324 | 41737 | 8887 | 1452 | 52676 |
| 17. पंजाब | 946517 | 245481 | 7474 | 1199472 | 1032152 | 265144 | 16434 | 1313730 |
| 18. उत्तर प्रदेश | 1893528 | 359647 | 38754 | 2291929 | 2065592 | 424904 | 73190 | 2563686 |
| 19. चण्डीगढ़ | 507 | 23 | 4 | 534 | 356 | 42 | 1 | 399 |
| 20. दिल्ली | 13278 | 2443 | 14 | 15735 | 14202 | 2063 | 36 | 16301 |
| 21. असम | 20713 | 4980 | 7701 | 33394 | 21963 | 4840 | 9794 | 36597 |
| 22. मणिपुर | 8201 | 853 | 51 | 9105 | 8959 | 2035 | 315 | 11309 |
| 23. मेघालय | 1815 | 1132 | 263 | 3210 | 2237 | 1151 | 192 | 3580 |
| 24. नागालैण्ड | 496 | 454 | 138 | 1088 | 255 | 283 | 109 | 647 |
| 25. सिक्किम | 609 | 285 | 93 | 987 | 708 | 210 | 60 | 978 |
| 26. त्रिपुरा | 5254 | 1718 | 894 | 7866 | 5192 | 2210 | 1362 | 8764 |
| 27. अरुणाचल प्रदेश | 284 | 213 | 84 | 580 | 305 | 237 | 109 | 651 |
| 28. मिजोरम | 351 | 433 | 157 | 941 | 309 | 301 | 221 | 831 |
| 29. चाय बोर्ड (उ.पू.) | 32663 | 6543 | 8840 | 48046 | 26327 | 5771 | 16652 | 48750 |
| 30. बिहार | 471648 | 98671 | 15006 | 585325 | 525617 | 95519 | 34035 | 655171 |
| 31. उड़ीसा | 154591 | 34164 | 18947 | 207702 | 159536 | 37516 | 23575 | 220627 |
| 32. प0 बंगाल | 425308 | 183212 | 136576 | 745096 | 450418 | 160352 | 136083 | 746853 |
| 33. लक्षद्वीप | 54 | 0 | 117 | 171 | 59 | 0 | 125 | 184 |
| कुल : | 8788321 | 2669301 | 908702 | 12366324 | 9641583 | 3006621 | 1181444 | 13829648 |

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) 1994 और 1995 के दौरान पोत दुर्घटनाओं की प्राप्त रिपोर्टों के ब्यौरे संलग्न हैं।

(ख) समुद्री पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ग) तेल फैलने की कोई घटना नहीं हुई इसीलिए कोई प्रदूषण नहीं हुआ है।

(ग) भारतीय तटरक्षक पोत और वायुयानों में प्रदूषण निगरानी और नियंत्रण उपकरण लगे होते हैं। भारत के समुद्री क्षेत्र में तेल प्रदूषण की किसी घटना का सामना करने के लिए किसी दुर्घटना के दृश्य की तरफ शोधता से संचालन के लिए भारतीय समुद्र तट के आस-पास पोत सामरिक दृष्टि से स्थित रहते हैं।

**विवरण**

| क्र.स. | दिनांक | नाम | दुर्घटना का स्वरूप |
|---|---|---|---|
| 1. | 5.6.94 | एम.वी.समुद्री ट्रांसपोर्टर | चक्रवात की वजह से भूग्रस्त। |
| 2. | 5.6.94 | एम.वी. पिग्रंवदा | टक्कर |
| 3. | 5.6.94 | एम.वी. पवीफिक पायनियर | भूग्रस्त |
| 4. | 5.6.94 | एम.वी. संजीवनी | टक्कर |
| 5. | 5.6.94 | एम.एफ.वी. ज्वेगदा चनोमोर्थ | भूग्रस्त |
| 6. | 5.6.94 | टग करेजियस | भूग्रस्त |
| 7. | 5.6.94 | एम.वी. दामोदर कृष्ण | बंधनी टूट गई और बह गया |
| 8. | 6.6.94 | एम.वी.जी. माथर | नौभर छिद्र से पानी भर गया |
| 9. | 11.10.94 | एम.वी. शिवनेरी | भूग्रस्त |
| 10. | 30.10.94 | एम.वी. सागर | भूग्रस्त |
| 1. | 26.3.95 | टी.एस.डी. माण्डवी-2 | पंप कक्ष में मौसम प्रविष्ट होने के कारण जिससे इंजन कक्ष में पानी भर जाता है और पोत डूब जाता है। |
| 2. | 7.5.95 | एम.वी. लोक पग्रति | भूग्रस्त |
| 3. | 14.5.95 | एम.वी. सत्यवती | नौभार छिद्र में पानी भर गया और डूब गया। |
| 4. | 17.7.95 | एम.वी. मराठा चैलेंजर | भारी आवरण से पोत का स्टारबोर्ड साइड टूट गया। |

**प्रौढ़ शिक्षा**

**170. श्री राम कापसे** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय स्वंयसेवी संस्थाओं को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की संशोधित योजना के अन्तर्गत पात्र स्वैच्छिक एजेंसियों को इस शर्त पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है कि क्षेत्रीय परियोजनाओं में कुल परियोजना लागत का कुल प्रशासनिक लागत 9 प्रतिशत से अधिक न हों।

वर्ष 1994-95 के दौरान, 162 स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत आधार पर 11.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात वर्ष 1995-96 में अब तक 33 स्वैच्छिक एजेंसियों को शत-प्रतिशत आधार पर कुल 1.31 करोड़ रुपये धनराशि प्रदान की गई है।

**वैश्यावृत्ति**

**171. श्री राजेश कुमार :**
**श्रीमती गिरिजा देवी :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''युनिसेफ'' की वर्ष 1995 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 18 वर्ष से कम आयु की लाखों युवतियां वैश्यावृत्ति के धंधे में शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजेश्वरी)** : (क) और (ख). यूनिसेफ की रिपोर्ट ''राष्ट्रों की प्रगति - 1995'' के अनुसार भारत में वैश्यावृत्ति के व्यवसाय में संलग्न 18 वर्ष से छोटे बच्चों की अनुमानित संख्या लगभग 3 से 4 लाख है। तथापि यह केवल अनुमान मात्र ही है तथा भारत अथवा विभिन्न राज्यों में बाल-वैश्याओं की संख्या के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत सरकार ने एक केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है ताकि बाल वैश्याओं को मुक्ति दिलाने तथा उनके पुनर्वास के लिए कानूनी तथा गैर कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से सिफारिश/कार्य योजना तैयार की जा सके। समिति की सिफारिश संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को समुचित कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने क्षेत्राधिकार में राज्य सलाहकार समितियाँ स्थापित की हैं ताकि वे वैश्यालयों से मुक्त कराए

गए पीड़ित बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार एवं पुनर्वारा के लिए उपायों के सुझाव दे सकें। कुछ राज्यों द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति तथा अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 (आई.टी. पी.ए.) की धारा 13 के तहत स्थानीय गैर सरकारी सलाहकार निकायों के गठन से संबंधित अधिसूचना भी जारी की गई है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बराबर अनुरोध कर रही है कि जहाँ-कहीं पर इस प्रकार की अधिसूचनाएँ जारी नहीं की गई हैं वे इन अधिसूचनाओं को जारी करने संबंधी कार्रवाई करें।

अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम 1956 के साथ भारतीय दण्ड संहिता को जोड़ दिया गया है जिसके तहत मानवों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, के पणन का निषेध किया गया है। इस अधिनियम के तहत बच्चे अथवा अवयस्क को वैश्यावृति संबंधी मामलों के लिए अधिक कठोर जुर्माना, सजा निर्धारित की गई है।

किशोर न्याय अधिनियम 1986 में उपेक्षित अथवा परित्यनत किशोरों जिनमें बालिकाएँ भी शामिल हैं, की देखभाल, संरक्षण, उपचार एवं पुनर्वास का प्रावधान है।

इन अधिनियमों को लागू करना राज्य सरकारों का दायित्व है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी राज्य सरकारों के पुलिस सह-निदेशकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

पीड़ितों के संरक्षण तथा पुनर्वास के लिए किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित गृहों तथा अल्पवास गृहों का एक व्यापक सरकारी तन्त्र है। अल्पवास गृहों के शिक्षित चिकित्सों, मनोचिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध हैं। किशोर-न्याय अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित गृहों में ये सेवाएं अंशकालिक आधार पर उपलब्ध हैं। दक्षेस बालिका दशक (1991-2000 ई.) में बालिकाओं को केन्द्रबिन्दु मानते हुए उनकी उत्तरजीविता, संरक्षण एवं विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है। आई.सी.डी.एस. अवसंरचना के माध्यम से किशोर बालिकाओं के लिए विशेष मध्यस्थता कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। कार्यवाही तथा समर्थन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि बालिकाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा सके तथा उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सके।

## रेल परियोजनाएँ

**172. श्री राम कापसे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास महाराष्ट्र में छोटी/मीटर गेज की रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने और नई रेल लाईनें बिछाने सम्बन्धी लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार से निम्नलिखित नई लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं के लिए अभयावेदन प्राप्त हुए थे।

| नई लाइनें | आमान परिवर्तन |
|---|---|
| 1. वर्धा-यावतमल-पुसादनांदेड (182 कि.मी.) | 1. औरंगाबाद-परभनी (169 कि.मी.) |
| 2. अमरावती-नरखेड (138 कि.मी.) | 2. परभनी-मुदखेड-अदिलाबाद (126 कि.मी.) |
| 3. जालना-खामगांव (155 कि.मी.) | 3. गोंदिया-चांदा फोर्ट (242 कि.मी.) |
| 4. पंढरपुर-ब्रोनन्द (145 कि.मी.) | 4. सीलापुर-बीजापुर (109 कि.मी.) |
| 5. कोल्हापुर-रतनगिरि (115 कि.मी.) | 5. दौंड-बारामती (42 कि.मी.) |
| 6. सोलापुर-बीड-औरंगाबाद-बालीसगांव (300 कि.मी.) | 6. मिरज-लातूर (359 कि.मी.) |
| 7. पुणे-नासिक (190 कि.मी.) | 7. पचोरा-जामनेर (56 कि.मी.) |
| | 8. नागपुर-नागभीड (120 कि.मी.) |
| | 9. यावतमल-मूर्तिजापुर-अचलपुर (101 कि.मी.) |

इन मदों में से निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की गई हैं :

| नई लाइनें | आमान परिवर्तन |
|---|---|
| 1. अमरावती-नरखेड (नौवीं योजना में पूरा किया जाएगा) | 1. औरंगाबाद-परभनी (पूरा हो गया) |
| 2. जालना-खामगांव (अनुदान की पूरक मांगों के माध्यम से इस कार्य को 1995-96 में बिना वारी के रूप में शुरू किया जाएगा) | 2. परानी-मुदखेड़-आदिलाबाद (96-97 में पूरा किया जाएगा) |
| | 3. गोंदिया-चांदा फोर्ट (96-97 में पूरा किया जाएगा) |
| | 4. सोलापुर-बीजापुर-गदग (सोलापुर-बीजापुर 95-96 में और शेष कार्य 97-98 में पूरा किया जाएगा) |
| | 5. मिरज-लातूर (नौवीं योजना में पूरा किया जाएगा) |
| | 6. दौंड-बारामती (पूरा हो गया) |

संसाधनों की उपलब्धता तथा पूरे देश में ऐसी परियोजनाओं की समग्र सूची में प्राथमिकता के अनुसार आगामी वर्षों में शेष मदों के बारे में विचार किया जाएगा।

**मैनग्रोव**

**173. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटवर्ती राज्य केरल में मैनग्रोव पाए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने क्षेत्र में पाए जाते हैं;

(ग) देश में मैनग्रोव पाए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा मैनग्रोव मुख्य रूप से किन-किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पाए जाते हैं; और

(घ) सरकार द्वारा मैनग्रोव को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) से (ग). केरल राज्य में 16.70 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में कच्छ वनस्पति है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति के कुल क्षेत्र का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सरकार द्वारा कच्छ वनस्पतियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उत्प्रेरक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना स्कीम चलाई गई है। प्राथमिकता के आधार पर पन्द्रह कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया है। प्रबंध कार्य-योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 3.85 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। प्रबंध कार्य योजनाओं के अन्तर्गत गतिविधियों में सर्वेक्षण और सीमांकन, प्राकृतिक पुनर्जनन, वनीकरण, पौधशाला विकास, सुरक्षा उपाय, शिक्षा और जागरूकता आते हैं।

2. कच्छ वनस्पतियों के संरक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्राथमिक क्षेत्रों की शिनाख्त के लिए सरकार को उपयुक्त नीतियों पर सलाह देने के लिए नम भूमि, कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों पर एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। राज्य स्तर पर, प्रबंध कार्य योजनाओं के गठन और कार्यान्वयन के लिए संचालन समितियां गठित की गई हैं।

3. कच्छ वनस्पति पारि-प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन और अन्वेषण करने के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन किए गए हैं।

4. कच्छ वनस्पति क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और जीवमंडल रिजर्वों सहित सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

**विवरण**

**कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का राज्य का ब्यौरा (1991)**

| | |
|---|---|
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 378 |
| 2. गोवा | 3 |
| 3. गुजरात | 419 |
| 4. महाराष्ट्र | 155 |
| 5. उड़ीसा | 195 |
| 6. तमिलनाडु | 21 |
| 7. पश्चिम बंगाल | 2119 |
| 8. अंडमान और निकोबार | 966 |
| योग | 4256 |

**महिलाओं के लिए लाभार्थी प्रधान योजनाएँ**

**174. श्री हरिन पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1995 तक गुजरात में महिलाओं के लिए कितनी लाभार्थी प्रधान योजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं;

(ख) जुलाई, 1995 तक इन योजनाओं से योजना-वार कितनी महिलाएँ लाभान्वित हुई; और

(ग) इनमें से कितनी योजनाएँ सीधे महिला और बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजेश्वरी)**: (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

## सतत कृषि विकास

**175. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि के सतत विकास हेतु एक समन्वित डाटा बेस स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) सरकार को देश में कृषि के सतत् विकास हेतु एक समन्वित डाटा बेस स्थापित किये जाने के संबंध में जानकारी है।

(ख) देश में डाटा बेस का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है तथा इसे एन.आई.सी.एन.ई.टी. आधारित नेटवर्क स्थापित करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

## आन्ध्र प्रदेश वन परियोजना

**176. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवसी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठन विकास केन्द्र (सेन्टर आर्गनाइजेशन डेवलपमैंट) ने आन्ध्र प्रदेश वन परियोजना पर संस्थागत विकास अध्ययन का तीसरा चरण पूरा कर लिया है;

(ख) क्या उक्त केन्द्र यह अध्ययन आन्ध्र प्रदेश वन विभाग और आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम की ओर से कर रहा है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश वन परियोजना का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है जिसमें कार्यान्वयन अवधि के छः वर्षों के दौरान खर्च की जाने वाली 353 करोड़ रुपए की धनराशि भी शामिल है;

(घ) यदि हाँ, तो इस परियोजना पर क्या-क्या कार्य आरंभ किया गया है;

(ङ) क्या इस परियोजना के उद्देश्यों ने जैव विविधता के संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के साथ-साथ पुनर्वास, नवीनीकरण और उत्पादकता में वृद्धि की बातें भी शामिल हैं; और

(च) यदि हाँ, तो यह परियोजना अपने लक्ष्यों को हासिल करने में किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश वानिकी परियोजना के अंतर्गत संगठन विकास केन्द्र हैदराबाद को आन्ध्र प्रदेश वन विभाग और आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम दोनों को सम्मिलिति करते हुए संस्थागत विकास अध्ययन करने के काम में लगाया गया है। इस अध्ययन को पांच मापदण्डों में किए जाने का प्रस्ताव है। तीन मापदण्डों का अध्ययन पहले ही पूरा हो चुका है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस परियोजना को औपचारिक रूप से 20 नवम्बर, 1994 को चलाया गया। इस परियोजना के तहत संयुक्त वन प्रबन्धन के लिए अब तक 200 वन संरक्षण समितियाँ बनाई गई हैं और 10,628 हैक्टेयर क्षेत्र पर पौधरोपण किया गया है। इसके अलावा कृषि वानिकी के तहत 12.62 लाख पौध उगाए गए हैं। प्रबन्धन सूचना पद्धति, भौगोलिक सूचना पद्धति और वनस्पति विस्तार का अध्ययन करने के लिए पहले ही सलाहकार नियुक्त किए गए हैं।

(ङ) जी, हां।

(च) इस परियोजना का कार्यान्वयन अभी शुरू हुआ है और धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। आशा की जाती है कि आने वाले समय में इसके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे।

## महिला समृद्धि योजना

**177. श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से डाकपाल महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिलाओं से 4 रुपये की जमा राशि लेने से इंकार कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि अनेक स्थानों पर इस खाते में अपेक्षाकृत कहीं अधिक धनवान् परिवार एकमुश्त राशि जमा करा रहे हैं और इस प्रकार इस योजना के प्रयोजन को ही निष्फल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस योजना पर प्रभावी निगरानी रखने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजेश्वरी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। इस स्कीम के अन्तर्गत परिवारों से जमा स्वीकार करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) स्कीम पर निगरानी रखने के लिए पहले से ही व्यापक उपाय अपनाए जा रहे हैं।

## रेल लाइन का विस्तार

178. **श्री अमल दत्त:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल लाइन को नामखाना से पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बखाली तक विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण समुद्रतट को रेल लाइन से नहीं जोड़े जाने का क्या कारण है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

## ई. एम. यू. कोच

179. **डा0 सुधीर राय :**
**श्री सत्यगोपाल मिश्र:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल-बर्दवान सेक्शन में सभी पुराने कोचों के स्थान पर ई.एम.यू.कोच शुरू करने तथा क्रमशः दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे के हावड़ा-सियालदाह, खड़गपुर-मिदनापुर, आसनसोल-वर्दवान और अन्य सेक्शनों में इन कोचों की बारम्बारता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). आंसनसोल और बर्धमान के बीच चल रही पारम्परिक सवारी डिब्बों वाली पैसेंजर गाड़ियों की उत्तरोत्तर में मुख्य लाइन ई.एम.यू. (मेमू) रेलों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है इस खण्ड पर पहले ही छह जोड़ी सवारी गाड़ियों की मेमू गाड़ियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है और उन्हीं रेकों से इस खंड में एक अतिरिक्त गाड़ी भी शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त रेकों, अपेक्षित संसाधनों के उपलब्ध होने, परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक होने, और यातायात की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होने पर ई.एम.यू./मेमू गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने पर विचार किया जाएगा। 1995-96 के दौरान पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों के निम्नलिखित खंडों पर शुरू की गई/शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित मेमू गाड़ियों का विवरण निम्नलिखित है :-

(एक) धनबाद - गया

(दो) गया - मुगलसराय

(तीन) टाटानगर - खड़गपुर

(चार) आद्रा - आसनसोल

(पांच) रायपुर क्षेत्र

**[हिन्दी]**

## कपास का उत्पादन

180. **श्री एन. जे. राठवा :**
**श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कपास का किस्म-वार तथा राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस अवधि के दौरान देश में कपास उत्पादकों को वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ग) इस अवधि के दौरान कपास उगाने वाले किसानों को बिनौलों का कितनी मात्रा में, राज्य-वार, वितरण किया गया;

(घ) गुजरात में ऐसे कितने किसान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ङ) देश के कपास के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कपास की सभी किस्मों के उत्पादन का राज्य-वार विवरण नीचे दिया गया है :-

(प्रत्येक 170 किलोग्राम की लाख गाठें)

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 11.47 | 13.40 | 13.50 |
| 2. | गुजरात | 19.88 | 16.23 | 16.50 |
| 3. | हरियाणा | 14.06 | 11.24 | 14.00 |
| 4. | कर्नाटक | 8.65 | 7.70 | 8.59 |

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | मध्य प्रदेश | 3.53 | 4.06 | 4.06 |
| 6. | महाराष्ट्र | 18.08 | 26.25 | 25.61 |
| 7. | उड़ीसा | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 8. | पंजाब | 23.14 | 15.15 | 17.79 |
| 9. | राजस्थान | 10.16 | 8.39 | 10.78 |
| 10. | तमिलनाडु | 4.54 | 4.21 | 4.89 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| 12. | अन्य | 0.34 | 0.32 | 0.32 |
| | अखिल भारत | 114.02 | 107.12 | 116.22 |

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित गहन कपास विकास कार्यक्रम के तहत कपास की खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकारों द्वारा सहायता दी जाती है। भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत गत तीन वर्षों में दी गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 196.55 | - | - |
| 2. | गुजरात | 102.555 | 45.65 | 11.65 |
| 3. | हरियाणा | 102.39 | 58.71 | 31.92 |
| 4. | कर्नाटक | 45.348 | 24.86 | 59.43 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 55.725 | 20.33 | - |
| 6. | महाराष्ट्र | 174.47 | 71.58 | 381.96 |
| 7. | उड़ीसा | 2.95 | 3.48 | 3.14 |
| 8. | पंजाब | 109.80 | 151.15 | 227.78 |
| 9. | राजस्थान | 90.535 | 88.35 | 69.41 |
| 10. | तमिलनाडु | 73.652 | 200.06 | 300.94 |
| 11. | उत्तर प्रदेश | 7.71 | 1.73 | 1.77 |
| | योग | 961.685 | 665.90 | 1088.00 |

(ग) गत तीन वर्षों में किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए प्रमाणीकृत/क्वालिटी बीजों की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मात्रा लाख क्विंटल में)

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 0.08 | 0.08 | 0.40 |
| 2. | गुजरात | 0.17 | 0.10 | 0.11 |
| 3. | हरियाणा | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| 4. | कर्नाटक | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| 5. | मध्य प्रदेश | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| 6. | महाराष्ट्र | 1.26 | 1.21 | 1.07 |
| 7. | राजस्थान | 0.17 | 0.23 | 0.61 |
| 8. | तमिलनाडु | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 9. | पंजाब | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| | अखिल भारतीय | 2.24 | 2.17 | 2.79 |

(घ) केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना-गहन कपास विकास कार्यक्रम में गुजरात में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किसानों को 25 प्रतिशत लाभ देने का प्रावधान है।

(ङ) कपास की सभी किस्मों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रमुख रूप से कपास की खेती करने वाले 11 राज्यों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 की हिस्सेदारी के आधार पर केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना-गहन कपास विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन तथा वितरण, उपस्करों की आपूर्ति, उत्पादन, प्रोद्योगिकी संबंधी प्रदर्शनों का आयोजन, एकीकृत कीट प्रबंध प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण, छिड़काव यंत्रों की सप्लाई तथा कृषक प्रशिक्षण आदि के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

[अनुवाद]

## एकीकृत मत्स्यन विकास परियोजना

181. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम

(एन.सी.डी.सी.) की एकीकृत मत्स्यन विकास परियोजना स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या अन्य राज्यों से भी ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में कितनी लागत अंतर्गस्त है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम सहकारी समितियों को परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) जी, हां महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एकीकृत मत्स्यन विकास परियोजनाओं के तहत सहायता हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) से अनुरोध किया है।

(ख) और (ग). जी, हां। समुद्रीय तथा अंतर्देशीय क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मत्स्यन सहकारी समितियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में परामर्शदाताओं को लगाने के लिए मदद देती है। परामर्शदाता को नियुक्त करने के प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रस्तुत करने होते हैं जिसमें परामर्शदाताओं को लगाने की आवश्यकता, विचारार्थ विषय व परामर्शदात्री सेवाओं की लागत, समय सीमा व परामर्शदाताओं का जीवनवृत्त आदि इंगित किया हो। तथापि विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में परामर्शदाता को लगाने में खर्च की गई राशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा परियोजना लागत के तहत सभी मुहैया की जाती है यदि एन.सी.डी.सी. द्वारा बाद में परियोजना स्वीकृत कर दी जाती है।

**करबी अंगलांग की जिला परिषद**

**182. डा0 जयंत रंगपी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को करबी अंगलांग के जिला परिषद् से इस जिले हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संबंधी कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**विवरण**

**एन.सी.डी.सी. द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत मत्स्यन विकास परियोजनाओं का ब्यौरा**

(लाख रुपए में)

| राज्य | परियोजना अवधि | ब्लॉक लागत | सहायता | |
|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृत | निर्मुक्त |
| **समुद्रीय क्षेत्र** | | | | |
| 1. आंध्र प्रदेश-1 | 86/87 - 92/93 | 215.24 | 181.78 | 170.496 |
| 2. आंध्र प्रदेश-2 | 90/91 - 95/96 | 2195.65 | 2060.16 | 582.895 |
| 3. केरल-1 | 85/86 - 90/91 | 555.84 | 431.69 | 431.690 |
| 4. केरल-2 | 86/87 - 92/93 | 1034.28 | 911.45 | 911.450 |
| 5. केरल-3 | 91/92 - 96/97 | 3560.00 | 3450.00 | 2102.178 |
| 6. पश्चिम बंगाल-1 | 85/86 - 92/93 | 1526.03 | 1405.84 | 1401.440 |
| 7. पश्चिम बंगाल-2 | 90/91 - 95/96 | 709.32 | 627.42 | 451.057 |
| 8. उड़ीसा | 90/91 - 97/98 | 413.57 | 356.82 | 73.970 |
| 9. तमिलनाडु | 91/92 - 96/97 | 1588.20 | 1517.11 | 432.983 |
| | उपयोग | 11798.13 | 10942.27 | 6558.159 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **अंतर्देशीय क्षेत्र** | | | | |
| 10. गुजरात | 87/88 - 95/96 | 220.17 | 183.61 | 129.794 |
| 11. कर्नाटक | 87/88 - 96/97 | 473.88 | 406.58 | 63.199 |
| 12. महाराष्ट्र | 91/92 - 96/97 | 565.85 | 156.85 | 166.664 |
| 13. पश्चिम बंगाल | 94/95 - 98/99 | 536.85 | 439.33 | 59.370 |
| उप-योग | | 1796.75 | 1595.37 | 419.027 |
| कुल-योग | | 13594.88 | 12537.64 | 6977.186 |

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). जी हां, करबी अंगलांग जिला परिषद् से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि उक्त जिले के लिए एक अलग सोसायटी स्थापित करके करबी अंगलांग जिला परिषद् को 1994 में शुरू किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अंतर्गत भारत सरकार से सीधे निधियां प्रदान की जाएं।

(ग) ज्ञापन की जांच की गई थी और यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कमद उठाए गए हैं कि करबी अंगलांग जिला परिषद् का असम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सोसायटी के प्रबंध निकायों में पूरी तरह से प्रतिनिधित्व हो। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम है जिसमें जिले वार्षिक कार्य योजनाएं और स्थानीय विशिष्ट जरूरतों पर आधारित बजट तथा कार्यक्रम के वित्तीय पैरामीटर तैयार करते हैं। जिला प्रस्तावों को अनुमोदित किए जाने के बाद निधियां जिलों को उपलब्ध कराई जाती हैं।

### पैदल पार उपरि पुल

**183. श्री थाईल जॉन अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एलेपी जिले में शेरतलाई रेलवे स्टेशन पर पैदल पार उपरि पुल के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल के कब तक तैयार होने की संभावना है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

### भगवान अयप्पा के मंदिर के लिए वन भूमि

**184. प्रो० पी. जे. कुरियन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 13 दिसम्बर 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1064 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 115.60 हेक्टर वन-भूमि भगवान अयप्पा मंदिर, साबरीमाला को दिए जाने के प्रस्ताव के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा मांगा गया आवश्यक ब्यौरा दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा 23.9.94 को मांगा गया ब्यौरा अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

### कृषि विज्ञान केन्द्र खोलना

**185. श्री रामपूजन पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के इलाहबाद में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने हेतु अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). भा.कृ.अनु. परिषद ने कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) इलाहबाद के लिए

वर्ष 1994-95 में 9.01 लाख रुपये जारी किये हैं, तथा वर्ष 1995-96 में इलाहाबाद के लिए कुल स्वीकृत बजट 48.9 लाख रुपये का है जिसमें से 50 प्रतिशत पहली किस्त में जारी कर दिया गया है।

(एक) परियोजना को वर्ष 1994-95 में स्वीकृत किया गया।

(दो) परियोजना के लिए फार्म की भूमि पहले ही नियत कर ली गई है और उसको विकसित किया जा रहा है।

(तीन) इसके लिए स्टाफ की पहले ही नियुक्ति कर ली गई है और वे कार्यरत हैं।

(चार) संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

(पाँच) केन्द्र ने इस क्षेत्र में पहले ही अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है।

## शेरों का पुनः लाया जाना

**186. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के गिर क्षेत्र से मध्य प्रदेश में कुछ शेरों की पुनः लाने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए तैयार की गई योजनाओं के अनुसार मध्य प्रदेश को शेरों के कितने जोड़े भेजे जाने का प्रस्ताव है और इस अभयारण्य के लिए कितनी भूमि अपेक्षित होगी तथा इसके परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हो जायेंगे;

(ग) क्या इस प्रस्तावित योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस अभयारण्य की स्थापना पर कुल कितना व्यय होगा ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) कुनो-पालपुर अभयारण्य में शेरों को पुनः बसाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा किए गए प्रस्ताव के व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही कुछ प्रारंभिक परियोजना गतिविधियां शुरू कर दी हैं। इनमें शामिल हैं : सामाजिक प्रभाव अध्ययनों सहित पुनःस्थान निर्धारण और पुनर्वास की आवश्यकता वाले गांवों को सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण; उपलब्धता और विस्तार की आवश्यकता का आंकलन करने के लिए शिकार आधार पर सर्वेक्षण और गणना; वासस्थल और अवसंरचना का विकास; तथा जन शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम।

(ख) पुनः बसाये जाने वाले शेरों की संख्या के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है और यह उपर उल्लिखित पूर्व-स्थानपरिवर्तन गतिविधियों के परिणामों पर निर्भर करेगा। कुनों पालपुर अभयारण्य का क्षेत्रफल 345 वर्ग कि.मी. है। इस परियोजना के अधीन 18 गांवों के 1575 परिवारों का पुनः स्थाननिर्धारण और पुनर्वास करना पड़ेगा।

(ग) और (घ). राज्य वन विभाग ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने ग्राम पुनर्वास योजना सहित इस परियोजना को मंजूरी प्रदान करने के लिए राज्य मंत्रीमंडल से अनुरोध किया है। परियोजना के प्रथम चरण के 5 सालों में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है।

[अनुवाद]

## लोकोशेड तथा यार्ड

**187. श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दरभंगा लोकोशेड तथा यार्ड का उन्नयन और सुधार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## दूध की आपूर्ति

**188. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना पूरी दिल्ली में फैले डिपुओं में दूध की आपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं कर पा रही है जिससे कि लोगों को काफी देर तक चिलचिलाती धूप में प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो डिपुओं में सुबह और शाम दूध की आपूर्ति हेतु निर्धारित समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) डी.एम.एस. द्वारा दूध की आपूर्ति समय पर नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) दूध सप्लाई में पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए किन कदमों पर विचार किया जा रहा है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क)

दिल्ली दुग्ध योजना अपने बूथ वितरण केन्द्रों में दूध की आपूर्ति निश्चित समय पर करता है।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूध वितरण के लिए निश्चित समय आरंभ होने के कुछ ही समय पूर्व दुग्ध वितरण केन्द्रों पर दूध पहुंच जाना चाहिए। दूध वितरण का निश्चित समय नीचे दिया गया है :-

| | गर्मी | सर्दी |
|---|---|---|
| पूर्वाह्न | 5.30 बजे | 6.00 बजे |
| अपराह्न | 4.00 बजे | 3.30 बजे |

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए गए हैं कि वितरण के निश्चित समय से पहले वितरण केन्द्रों पर दूध अवश्य पहुंच जाए।

## रेल लाइन

**189. श्री पी.सी. थॉमस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा ने केरल में कोट्टायम से इकमली और साबरियामाला होकर पुनलूर तक की रेल लाइन के बारे में किए गए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट रेलवे को दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कोट्टायम से इस रेल लाइन की आर्थिक व्यवहार्यता संबंधी क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) क्या इरूमली से पाला और मुवट्टपूझा होकर अंगामली तक की सर्वेक्षण की रिपोर्ट मिल गई है;

(घ) क्या अंगामली से नूडमनगड और त्रिवेन्द्रम तक का प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). जी हाँ। मैसर्स राइट्स द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और रेलवे द्वारा राइट्स से साथ परामर्श करके सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). सर्वेक्षण पहले ही चल रहा है।

## रात्रि कालीन रेलगाड़ी

**190. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगांव-हुबली-बंगलौर के बीच रात्रि के समय कोई रेलगाड़ी नहीं चल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मार्ग पर रात्रि के समय गाड़ी चलाने हेतु कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). 283/284 तीर्व यात्री गाड़ी बेंगलूरू और हुबली के बीच और वापसी में रात्रि कालीन सेवा मुहैया कराती है। इसके अलावा, 1995-96 के दौरान मिरज और बेंगलूरू के बीच बरास्ता बेलगाम एक रात्रि कालीन एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

**[हिन्दी]**

## भारतीय खाद्य निगम में अस्थायी श्रमिक

**191. श्री फूल चंद वर्मा** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और अन्य स्थानों पर इस समय राज्य-वार कितने अस्थायी श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन श्रमिकों को नियमित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने श्रमिक नियमित किए गए और कितने श्रमिक बाद में निकाल दिए गए और उनके स्थान पर कितने अन्य श्रमिक भर्ती किए गए ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों के हैंडलिंग कार्य में लगाए गए श्रमिकों की संख्या इसमें अन्तर्ग्रस्त कार्य की मात्रा पर निर्भर करते हुए दिन-प्रति-दिन भिन्न-भिन्न होती है। इसके अलावा, मेट/कार्यकारी प्रबन्ध समिति, सहकारी समिति और ठेका प्रणाली के जरिए लगाए गए श्रमिकों की संख्या पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है। अतः काम पर लगाए गए श्रमिकों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अधीन निगम में/के अधीन ठेका श्रमिकों को रोजगार न देने के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद कामगारों को उपलब्ध कार्य की मात्रा, जिस अवधि के लिए कार्य

उपलब्ध है और कार्य-भार के मानदण्ड, जो एक दिन के लिए लागू होगें, लगाए गए प्रति कामगार जैसे उद्देश्यात्मक मानदण्डों को अपनाकर विनियमित करने पर विचार किया जाता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

## विकास कार्य

**192. श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान रेलवे को जोन-वार कितना-कितना घाटा और मुनाफा हुआ;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रेल लाइनों के नवीकरण, विद्युतीकरण और अन्य विकास कार्यों के मामले में जोन-वार कितनी प्रगति हुई;

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान रेलवे द्वारा जोनवार शुरू किए जाने वाले विकासात्मक कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर कितनी राशि व्यय की जायेगी ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). रेलवे द्वारा 1994-95 के दौरान उठाई गई हानि और अर्जित लाभ का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलपथ नवीकरण के संबंध में क्षेत्र-वार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

| रेलवे | रेलपथ नवीकरण की उपलब्धियां | | |
|---|---|---|---|
| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| मध्य | 466 | 421 | 415 |
| पूर्व | 389 | 328 | 295 |
| उत्तर | 477 | 431 | 399 |
| पूर्वोत्तर | 104 | 100 | 112 |
| पूर्वोत्तर सीमा | 120 | 126 | 97 |
| दक्षिण | 175 | 165 | 180 |
| दक्षिण मध्य | 332 | 400 | 370 |
| दक्षिण पूर्व | 525 | 541 | 591 |
| पश्चिम | 350 | 302 | 303 |
| **जोड़** | **2938** | **2814** | **2762** |

## विवरण

रु0 करोड़ (अनन्तिम)

| | मध्य | पूर्व | उत्तर | पूर्वोत्तर | पू.सीमा | दक्षिण | द.म. | द.पू. | पश्चिम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सकल यातायात प्राप्तियां | 3296.11 | 2368.71 | 3245.64 | 477.99 | 388.78 | 1327.35 | 1892.57 | 3833.18 | 3266.72 |
| कुल संचालन व्यय | 2565.11 | 2165.32 | 2748.54 | 849.72 | 722.44 | 1447.90 | 1588.80 | 2410.53 | 2074.19 |
| शुद्ध यातायात प्राप्तियां | 731.00 | 202.39 | 497.10 | -371.73 | -333.66 | -120.55 | 303.68 | 1428.65 | 1192.53 |
| शुद्ध विविध प्राप्तियां | 35.66 | 6.39 | -5.88 | 5.43 | 78.89 | 53.24 | 13.37 | 77.02 | -0.94 |
| शुद्ध राजस्व | 766.66 | 208.78 | 491.22 | -362.30 | -254.97 | -67.31 | 317.05 | 1505.67 | 1191.59 |
| लाभांश | 180.52 | 115.51 | 162.89 | 57.21 | -39.83 | 145.16 | 146.40 | 219.26 | 120.45 |
| वृद्धि(+)/गिरावट (-) | 586.14 | 93.27 | 328.33 | -419.51 | -215.14 | -212.47 | 170.65 | 1286.39 | 1071.14 |

31.3.95 तक 12266 मार्ग किलोमीटर का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण मार्ग किलोमीटर का रेलवे वार/क्षेत्र वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

| वर्ष | म.रे. | पू.रे. | उ.रे. | द.रे. | द.म.रे. | द.पू.रे. | प.रे. | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 138 | 44 | 9 | - | 58 | 225 | 5 | 479 |
| 1993-94 | 136 | 69 | 34 | 13 | 11 | 219 | 23 | 505 |
| 1994-95 | 89 | 188 | 82 | - | 40 | 74 | - | 473 |

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे किए गए नई लाइनों, दोहरीकरण और आसमान परिवर्तन के कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

**1992-93 नई लाइनें**

| रेलवे/क्षेत्र | खंड | लम्बाई (कि.मी.) |
|---|---|---|
| मध्य | रामपुर रोड-दीवा | 21.00 |
| | बिरला-नगर-सानीचेरा | 16.00 |
| | शिवपुरी-खजूरी | 15.00 |
| | मथुरा-डीग | 29.00 |
| पूर्वोत्तर | बिलासपुर-रुद्रपुर | 22.00 |
| दक्षिण | त्रिचूर-गुरूवायूर | 24.00 |
| | अल्लेप्पी-कायनकुलम | 43.00 |
| | अम्बाकुरै-मदुरै | 44.00 |
| दक्षिण मध्य | तेलापुर-पाटनचेरू | 9.00 |
| दक्षिण पूर्व | तालचेर-अंगुल | 18.00 |
| | | 214.00 |

**दोहरीकरण**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | कोहली-कमलेश्वर | 12.68 |
| | मझगवान-टिकरिया | 13.18 |
| | माताटीला-बसई | 7.88 |
| | ताकु-काला आखर | 10.48 |
| | बेतवा "ए" और "बी" केबिन | 2.71 |
| | पाकरिया रोड़-अमदारा | 9.83 |
| पूर्व | नाथनगर-भागलपुट | 3.85 |
| | जमीर घाटा-गौर मालदा | 5.77 |
| | हैदरनगर-कोसीयारा | 6.07 |
| | जपला-हैदरनगर | 7.02 |
| | कोसीयारा-मोहम्मदगंज | 5.84 |
| | बारासात-दत्तापुकुर | 7.67 |
| उत्तर | धमतान साहिब-हिमतपुरा | 13.00 |
| | रामपुर-मिलक | 23.00 |
| पूर्वोत्तर सीमा | मालदा टाउन से "बी" केबिन | 2.70 |
| | बरसोई-सुधानी | 11.91 |
| दक्षिण मध्य | तांदूर-मनट्टी | 8.49 |
| | रायचूर-मारीचेतल | 29.81 |
| पश्चिम | माही पुल | 1.27 |
| | | 185.14 |

**आमान परिवर्तन**

| रेलवे | खंड/लाइन का नाम | लम्बाई (कि.मी.) |
|---|---|---|
| उत्तर | लखनऊ-कानपुर | 59 |
| | दिल्ली-रेवाड़ी | 83 |
| | कोटकापुरा-फज़िल्का | 80 |
| | लालगढ़-मेड़ता रोड़ | 177 |
| | लालगढ़-कोलायत | 47 |
| पूर्वोत्तर | बुढ़वल-महमूदाबार | 38 |
| | मानकपुर-कटरा | 30 |
| दक्षिण | बेंगलूर-तुमकूर | 59 |
| | मैसूर-बेंगलूरू | 138 |
| | बेंगलूरू-बेहलंका | 12 |
| | विंडीगुल-तुतीकोरिन | 196 |
| दक्षिण मध्य | बेल्लारी-रायवर्ग | 54 |
| | औरंगाबाद-जालना | 64 |

| | | |
|---|---|---|
| | परभनी-पर्ली वैजनाथ | 63 |
| | गुंटूर-नरसारावपेट | 46 |
| दक्षिण पूर्व | पुरूलिया-कोटशिला | 35 |
| पश्चिम | नदियाड़-कपड़वंज | 45 |
| | सवाईमाधोपुर-जयपुर | 125 |
| | जोड़ | 1351 |

**1993-94 नई लाइनें**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | डीग-अलवर | 79.00 |
| पूर्वोत्तर | रूद्रपुर-काठगोदाम | 14.00 |
| दक्षिण | चित्रदुर्ग-रायदुर्ग | 100.00 |
| दक्षिण पूर्व | संवलपुर-मानेश्वर | 18.00 |
| | | 211.00 |

**दोहरीकरण**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | कीरतगढ़-कालाआखार | 12.00 |
| | मेटपंजारा-भरतवाड़ा | 16.00 |
| | रनखेड़-मेटपांजरा | 34.00 |
| | नर्मदा पुल | 1.00 |
| पूर्व | जमीनघाट-खलतीपुर | 6.00 |
| | खलतीपुर-चामग्राम | 9.00 |
| | बोनीदांगा-लिंक केबिन | 2.00 |
| | क्यूल-जमालपुर-भागलपुर | 5.00 |
| | मुगलसराय-गंखाराजा | 4.00 |
| उत्तर | निजामुद्दीन-तिलक ब्रिज | 5.00 |
| | रामपुर-आजादपुर | 8.00 |
| | रोहतक-झाकल | 11.00 |
| पूर्वोत्तर सीमा | तेलता-दालकाला | |
| दक्षिण | कोल्लम-करूणागघल्ली | 14.00 |
| दक्षिण मध्य | सेरम-मलखेड | 12.00 |
| | सिलगरी-नारायणपेट | 13.00 |
| | नारायणपेट-चेगुंटा | 11.00 |
| | यादगीर-सिंगेरी | 11.00 |
| | धागुंडी-यादगीर | 8.00 |
| दक्षिण पूर्व | जोरांडा रोड-धेनकानल | 9.00 |
| | रायपुर-विजयानगरम बलाइन | 83.00 |
| पश्चिम | बोलई-अकोदिया | 12.00 |
| | माही पुल | 1.00 |
| | जोड़ | 295.00 |

**आमान परिवर्तन**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | दौंड-बारामती | 42.00 |
| उत्तर | भटिंडा-हिसार | 157.00 |
| | फुलेरा-जोधपुर-भगत-की-कोठी | 261.00 |
| | पटेल नगर-सराय रोहिल्ला | 3.00 |
| | मेड़ता रोड़-मेड़ता सिटी | 15.00 |
| पूर्वोत्तर | महमूदाबार-सीतापुर | 60.00 |
| | वाराणसी-इलाहाबाद | 126.00 |
| | लखनऊ-मानकनगर | 5.00 |
| | लालकुआं-काठ गोदाम | 29.00 |
| पूर्वोत्तर सीमा | गुवाहाटी-लमडिंग | 181.00 |
| दक्षिण | तुमकुर-चिकजाजूर | 215.00 |
| | चिकजाजूर-चित्रदुर्ग | 16.00 |
| | मैसूर-अशोकापुरम | 5.00 |
| | ताम्बरम-एगम्बूर | 27.00 |
| दक्षिण मध्य | नरसारावपेट-दोनकोंडा | 75.00 |
| | जालना-परभनी | 116.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | फलकनुमा-सिंकदराबाद | 28.00 |
| | बोलाराम-सिंकदराबाद | 14.00 |
| | फलकनुमा-महबूब नगर | 99.00 |
| दक्षिण पूर्व | गोंदिया-अर्जुनी | 82.00 |
| पश्चिम | जयपुर-फुलेरा | 55.00 |
| | जयपुर-दुर्गापुर | 8.00 |
| | जोड़ | 1619.00 |

**1994-95 नई लाइनें**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | सानीचेरा-नोनेरा | 13.00 |
| पूर्व | कुल्फी-करनजली | 5.00 |
| | जोड़ | 18.00 |

**दोहरीकरण**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | नर्मदा पुल | 3.60 |
| पूर्व | मोहम्मदगंज-सतवाहिनी | 6.92 |
| | सिदराजा-चांदुलीमझवार | 8.40 |
| | चांदुलीमझवार-गंजकवाजा | 8.5 |
| | गंजकवाजा-मुगलसराय | 7.00 |
| उत्तर | मिलक-नागरियासादत-धनीता | 16.00 |
| | भीटोरा-परसाखेंडा | 5.00 |
| पूर्वोत्तर सीमा | न्यू जलपाईगुड़ी-अम्बारीफलकटा | 9.00 |
| दक्षिण मध्य | चित्तपुर-मुलखेड़ रोड़ | 9.67 |
| | सुलेहाल्ली-चित्तपुर | 6.01 |
| | नवानदगी-कुरकुंडा | 7.55 |
| | रुकमापुर-तादूर | 11.00 |
| दक्षिण पूर्व | धीरूबाली-सिंगापुरम रोड़ | 11.00 |
| | सिंगापुरम रोड़-रायगड़ा | 9.00 |
| | रायगड़ा-लद्दा | 5.00 |
| | मुरीगुड़ा-वीस्समकटक | 18.00 |
| | | 141.65 |

**आमान परिवर्तन**

| | | |
|---|---|---|
| उत्तर | हिसार-रेवाड़ी | 143 |
| | दिल्ली कैंट-दिल्ली/नई दिल्ली | 14 |
| पूर्वोत्तर | मुजफ्फरपुर-रक्सौल | 129 |
| पूर्वोत्तर सीमा | चंपीरमुख-हैवरगांव | 21 |
| | लमडिंग-नैलालंग | 22 |
| दक्षिण | बीरूर-शिमोगा | 63 |
| | अमृतापुर-चित्रदुर्ग | 18 |
| | चिकजाजूर हरिहर | 60 |
| | हरिहर-हुबली | 120 |
| दक्षिण मध्य | परभनी-पूर्णा | 29 |
| | पूर्णा-नादंड | 32 |
| | दोनाकोंडा-गिद्दालूर | 84 |
| | हुबली-लोंडा | 93 |
| | मिरज-लोंडा | 188 |
| | अलनवर-अम्बेवादी | 26 |
| | हुबली-गदग-हलीपुर | 78 |
| दक्षिण पूर्व | अर्जुनी-वाडसा | 23 |
| पश्चिम | रेवाड़ी-जयपुर | 225 |
| | फुलेरा-अजमेर | 81 |
| | खोदिया-मेहसाणा | 52 |
| | जोधपुर-जैसलमेर | 295 |
| | जोड़ | 1805 |

(घ) और (ङ). 1995-96 के दौरान शुरू किए जाने वाले, विद्युतीकरण, नई लाईनों, दोहरीकरण और आमान परिवर्तन के कार्य का ब्यौरा इस प्रकार है :-

| रेलवे | विद्युतीकरण परियोजना का नाम | 1995-96 में विद्युतीकृत किए जाने वाला मार्ग कि.मी. | 1995-96 में खर्च की जाने वाली संभावित राशि (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|---|
| मध्य | बीना-कटनी (पूरा किये जाने वाला शेष कार्य) | - | 4.72 |
| पूर्व | सोननगर-पतरातू | 65 | 40.00 |
| | सीतारामपुर-मुगलसराय | 32 | 31.00 |
| | गोमविया-पतरातू | 41 | 10.00 |
| | जमीवा-मोहुदा | 22 | 4.07 |
| | वंडेल-कटवा | 52 | 20.20 |
| उत्तर | दिल्ली-अम्बाला-लुधियाना | 128 | 50.00 |
| | अम्बाला-मुरादाबाद | - | 1.70 |
| दक्षिण | इरोड-एर्णाकुलम (कोचीन हर्बर टर्मिनस सहित) | 146 | 26.00 |
| दक्षिणमध्य | विजयवाडा-विशाखापत्तनम रेणिगुंटा-गुंतकल-हॉस्पेट (रणजीत पुरा-तोरगांल्लू सहित) | 176 | 75.91 |
| दक्षिणपूर्व | कटनी-विलासपुर और अन्नपुर-विशरामपुर/चिरमिरी (पूरा किये जाने वाला शेष कार्य) | - | 55.00 |
| | वोकारो स्टील सिटी-यरसुआन/किरिबुरू | 67 | 18.20 |
| | चांडिल-मुरी-बरकाकाना | - | 5.20 |
| | आद्रा-मिदनापुर | - | 2.50 |
| | खड़गपुर-भुवनेश्वर (तालचेर-पारादीप सहित) | - | 40.00 |

**आमान परिवर्तन**

| रेलवे | खंड का नाम | लागत करोड़ रु. में |
|---|---|---|
| उत्तर | लुनी-जोधपुर | 20.00 |
| पूर्वोत्तर | मथुरा-अघनेरा | 32.00 |
| | नरकटियागंज-वगहा-वाल्मिकीनगर | 40.38 |
| | खड्डा-गोरखपुर | 45.00 |
| | गोरखपुर-गोंडा लूप | 189.46 |
| | इन्द्रा-फेफना | 27.28 |
| पूर्वोत्तर सीमा | सिलीगुड़ी जं०-न्यू जलपाईगुडी जं० | 4.80 |
| | धुवरी-फकीराग्राम | 36.00 |
| दक्षिण | मैसुर-हस्सन | 80.00 |
| | यशवंतापुर-सेलम | 140.00 |
| | त्रिची-नागोर-करईकल | 100.00 |
| दक्षिण पूर्व | रुपसा-वांगरीपोसी | 57.95 |
| | जबलपुर-गोंदिया | 185.00 |
| पश्चिम | आगरा-बांदीकुई | 88.73 |
| | गांधीधाम-भुज | 26.14 |
| | वांकानेर-मालिया-मियाना | 51.00 |
| | चित्तोड़गढ़-उदयपुर | 104.78 |

**दोहरीकरण**

| | | |
|---|---|---|
| मध्य | दीवा-वसई रोड़ | 90.00 |
| | दीवा-पनवेल | 47.00 |
| | घोड़-भीगवा | 38.78 |
| | निशातपुर (ए और बी केबिन) | 2.77 |
| पूर्व | गुसकारा-बोलापुर-चरण-।।। | 24.14 |
| | बज-बज-अकरा-चरण-। | 7.85 |
| | पटना-गया | 82.00 |
| उत्तर | टुंडला-यमुना पुल | 24.60 |
| | मुरादनगर-मेरठ | 31.00 |
| | गाजियाबाद-मुरादाबाद कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना | 30.00 |
| | कानपुर-पनकी-तीसरी लाइन | 20.00 |
| दक्षिण | कट्टीपुरम-गुरूवायूर | 40.00 |
| | बेंगलूरू-केंगेरी | 23.58 |
| दक्षिण पूर्व | रघुनाथपुर-गोरखनाथ-रहेमा (कहीं-कहीं दोहरी लाइन बिछाना है) | 25.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | उरकारा-रायपुर-सारोना | 11.89 |
| पश्चिम | कोटा-गुर्ला-चम्बल पुल का दोहरीकरण | 8.49 |
| | बम्बई सेंट्रल-बोरीवली | 39.80 |
| **नई लाइनें** | | |
| मध्य | अहमद नगर-बीड-पर्ली वैजनाथ | 353.00 |
| | जालना-खामगांव | 228.00 |
| पूर्वोत्तर सीमा | कुमारघाट-अगरतला | 575.00 |
| दक्षिण | कोट्तूर-हरिहर | 65.93 |
| दक्षिण पूर्व | दल्लीराजहरा-जगदलपुर | 128.00 |
| | वीशरामपुर-अम्बीकापुर | 28.73 |

**कामकाजी महिला होस्टल**

193. **श्री छेदी पासवान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कामकाजी महिलाओं के लिए कितने होस्टल हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य से ऐसे होस्टलों के निर्माण हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) ऐसे कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक मंजूर कर दिए जाने की संभावना है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती वासवाराजेश्वरी)** : (क) कामकाजी महिलाओं के लिए बाद दिवस देखभाल केन्द्र सहित होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने की स्कीम की शुरूआत से अब तक, बिहार में 482 कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए 8 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) पाँच।

(ग) कोई नहीं। वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान पहले से स्वीकृत तथा बिहार में निर्माणाधीन होस्टलों के लिए कुल मिलाकर 21.89 लाख रुपये की अनुदान राशि निर्मुक्त की गई।

(घ) राज्य सरकार की संस्तुति सहित हर दृष्टि से पूर्व प्रस्ताव प्राप्त होते ही कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत कर दिए जायेंगे।

[अनुवाद]

**भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता**

194. **श्री पी० कुमारासामी:**
**डा० के० वी० आर० चौधरी:**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डारण सुविधाओं को बढ़ाने और उनमें सुधार करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहाँ एफ.सी.आई. के पास निकट भविष्य में गोदामों का निर्माण करने और विद्यमान क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और इसका स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम की राज्य-वार कुल भण्डारण क्षमता कितनी है ?

**खाद्यमंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी, हां 01.6.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध वर्तमान भण्डारण क्षमता 285.79 लाख मीटरी टन है। भारतीय खाद्य निगम अपनी आवश्यकतानुसार केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगमों और प्राइवेट पार्टियों से भण्डारण क्षमता किराए पर लेता है। अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराए पर लेने के लिए फील्ड अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है। भारतीय खाद्य निगम अपनी भण्डारण सुवधिाओं में सुधार करने के उपायों के रूप में अतिरिक्त रेलवे साइडिंग, लारी तौल सेतु और गतिशील इलेक्ट्रानिक तौल सेतु भी मुहैया कर रहा है।

(ख) और (ग). भारतीय खाद्य निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान देश में 6.60 लाख मीटरी टन की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था जिसमें से इसने पहले ही 3.14 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण कर लिया है। निगम का 1995-96 के दौरान निम्नलिखित केन्द्रों पर 1.43 लाख मीटरी टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव है :-

(हजार मीटरी टन में)

| क्र.सं. | केन्द्र (राज्य) | क्षमता |
|---|---|---|
| 1. | बेलारी (कर्नाटक) | 10.00 |
| 2. | कुल्लु (हिमाचल प्रदेश) | 1.67 |
| 3. | जोवाई (मेघालय) | 5.00 |

| क्र.सं. | केन्द्र (राज्य) | क्षमता |
|---|---|---|
| 4. | श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) | 5.00 |
| 5. | कटनी (मध्य प्रदेश) | 10.00 |
| 6. | जामकुंटा (आन्ध्र प्रदेश) | 10.00 |
| 7. | काजीपेट (आन्ध्र प्रदेश) | 15.00 |
| 8. | जंगापल्ली (आन्ध्र प्रदेश) | 15.00 |
| 9. | पटियाला (पंजाब) | 29.18 |
| 10. | धुरी (पंजाब) | 21.69 |
| 11. | रायबरेली (उत्तर प्रदेश) | 20.00 |
| | जोड़ | 142.54 |

(घ) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**1.6.95 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम की राज्यवार कुल भंडारण क्षमता दर्शाने वाला विवरण**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | कुल भण्डारण क्षमता (लाख मीटरी टन में) |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 0.12 |
| 2. | आन्ध्र प्रदेश | 24.37 |
| 3. | असम | 2.79 |
| 4. | बिहार | 6.23 |
| 5. | गोवा | 0.15 |
| 6. | गुजरात | 14.60 |
| 7. | हरियाणा | 20.00 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0.25 |
| 9. | जम्मू तथा कश्मीर | 0.97 |
| 10. | कर्नाटक | 4.16 |
| 11. | केरल | 5.43 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 16.98 |
| 13. | महाराष्ट्र | 19.18 |
| 14. | मणिपुर | 0.13 |
| 15. | मेघालय | 0.17 |
| 16. | मिजोरम | 0.15 |
| 17. | नागालैंड | 0.18 |
| 18. | उड़ीसा | 4.22 |
| 19. | पंजाब | 83.67 |
| 20. | राजस्थान | 19.40 |
| 21. | सिक्किम | 0.08 |
| 22. | तमिलनाडु | 7.99 |
| 23. | त्रिपुरा | 0.35 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 36.56 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 12.27 |
| 26. | चण्डीगढ़ | 1.16 |
| 27. | दिल्ली | 3.81 |
| 28. | पांडिचेरी | 0.41 |
| | जोड़ | 285.78* |

*टिप्पणी* : *इसमें केन्द्रीय भण्डारण निगम, राज्य भण्डारण निगम, राज्य सरकारों और निजी पार्टियों से किराये पर ली गई 147.25 लाख मीटरी टन की क्षमता शामिल है।

**मंत्रालय में रिक्त पद**

**195. श्री अमर राय प्रधान:** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में श्रेणीवार

कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों को रिक्त रखने के क्या करण हैं और इन पदों को कब तक भर दिया जाएगा ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) किसी अपूर्वदृष्ट रिक्तियों के मामले को छोड़कर रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी जाती है। पदों के रिक्त पड़े रहने के कुछ कारण हैं: उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता, नामित करने वाले प्राधिकारियों से नामांकन प्रापत होने में देरी, संगठनों की ओर से आवेदकों के पूरे कागजात भेजने में देरी, चुने गए उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्तों के पुष्टिकरण और डाक्टरी परीक्षा में देरी इत्यादि।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त पदों को भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/कर्मचारी चयन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि शामिल हैं। सदंर्भित पदों को भरने के लिए कोई समय-सीमा इंगित करना संभव नहीं है।

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पदों की सूची**

| क्र.सं. | पद का नाम | ग्रुप | पदों की संख्या | किस तारीख से रिक्त हैं |
|---|---|---|---|---|
| **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (मुख्यालय)** | | | | |
| 1. | उप निदेशक (सहकारिता) | क | 2 | 20.06.1995 |
| 2. | उप निदेशक (एस.एम.आई.एस.) | क | 1 | 01.04.1995 |
| 3. | उप निदेशक (राजभाषा) | क | 1 | 01.04.1995 |
| 4. | प्रोग्रामर | क | 1 | 12.08.1992 |
| 5. | अनुसंधान सहायक | ख | 1 | 27.07.1991 |
| 6. | वरिष्ठ तकनीकी सहायक | ख | 3 | 13.01.1994 |
| | | | | 01.04.1994 |
| | | | | 28.03.1995 |
| 7. | सहायक | ख | 2 | 07.06.1995 |
| 8. | अन्वेषक | ग | 2 | 06.10.1993 |
| | | | | 01.11.1994 |
| 9. | उच्च श्रेणी लिपिक | ग | 4 | 16.03.1995 |
| 10. | आशुलिपिक ग्रेड ''घ'' | ग | 1 | 22.06.1995 |
| 11. | अर्दली अधिकारी | ग | 1 | 11.08.1994 |
| 12. | अवर श्रेणी लिपिक | ग | 4 | 17.11.1994 |
| | | | | 01.12.1994 |
| | | | | 12.12.1994 |
| | | | | 06.01.1995 |
| 13. | कम्प्यूटिस्ट | ग | 1 | 22.06.1995 |
| 14. | स्टाफ कार ड्राइवर | ग | 2 | 18.01.1993 |
| | | | | 1995* |
| 15. | जमादार | घ | 1 | 01.07.1995 |

| क्र.सं. | पद का नाम | ग्रुप | पदों की संख्या | किस तारीख से रिक्त है |
|---|---|---|---|---|
| 16. | चपरासी | क | 2 | 19.12.1994 |
| | | | | 31.01.1995 |
| **वायदा बाजार आयोग, बम्बई** | | | | |
| 1. | निदेशक (प्रवर्तन) | क | 1 | 01.12.1993 |
| 2. | सहायक निदेशक | क | 2 | 02.05.1994 |
| | | | | 08.06.1994 |
| 3. | प्रवर्तन अधिकारी | ख | 1 | 14.09.1994 |
| 4. | हिंदी अधिकारी | ख | 1 | 13.03.1993 |
| 5. | वरिष्ठ अनुसंधान सहायक | ख | 2 | 24.01.1994 |
| | | | | 01.03.1995 |
| 6. | कनिष्ठ अनुसंधान सहायक | ग | 1 | 16.12.1992 |
| 7. | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | ग | 1 | 09.07.1993 |
| 8. | कम्प्यूटर | ग | 1 | 01.06.1993 |
| 9. | अवर श्रेणी लिपिक | ग | 2 | 01.11.1994 |
| | | | | 03.04.1995 |
| 10. | आशुलिपिक | ग | 1 | 03.08.1994 |
| 11. | चपरासी | घ | 1 | 01.04.1995 |
| **क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, अहमदाबाद** | | | | |
| 1. | उप निदेशक | क | 1 | 01.12.1993 |
| 2. | सहायक निदेशक | क | 1 | 01.08.1993 |
| 3. | माप विज्ञान सहायक | ख | 1 | 01.09.1993 |
| 4. | प्रयोगशाला परिचर | घ | 1 | 12.06.1991 |
| **क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, बंगलौर** | | | | |
| 1. | सहायक प्रोफेसर | क | 2 | 04.11.1987 |
| 2. | माप विज्ञान सहायक | ख | 1 | 13.11.1987 |
| 3. | एयर कंडीशनर मैकेनिक | ग | 1 | 13.11.1987 |
| **क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, भुवनेश्वर** | | | | |
| 1. | सहायक निदेशक | क | 1 | 19.10.1994 |
| 2. | आशुलिपिक ग्रेड-।।। | ग | 1 | 01.11.1994 |
| 3. | चपरासी | घ | 1 | 01.04.1993 |
| **वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय, नई दिल्ली** | | | | |
| 1. | उप निर्देशक | क | 1 | 10.05.1991 |
| 2. | प्रोग्रामर | क | 1 | 30.06.1994 |

*जिस तारीख से उक्त पदा भरा जाएगा तब से 29.02.96 तक के लिए सृजित।

| क्र.सं. | पद का नाम | ग्रुप | पदों की संख्या | किस तारीख से रिक्त हैं |
|---|---|---|---|---|
| 3. | प्रशासनिक अधिकारी | क | 1 | 09.12.1993 |
| 4. | सहायक | ख | 2 | 01.09.1994 |
| | | | | 18.03.1995 |
| 5. | उच्च श्रेणी लिपिक | ग | 2 | 11.081994 |
| | | | | 17.03.1995 |
| 6. | अवर श्रेणी लिपिक | ग | 5 | 01.07.1994 |
| | | | | 02.10.1993 |
| | | | | 02.10.1993 |
| | | | | 02.10.1993 |
| | | | | 11.02.1994 |
| 7. | आशुलिपिक ग्रेड ''घ'' | ग | 4 | 17.09.1994 |
| | | | | 06.05.1993 |
| | | | | 13.12.1994 |
| | | | | 08.04.1995 |
| 8. | कनिष्ठ हिंदी अनुवादक | ग | 1 | 21.01.1995 |
| 9. | लेखा लिपिक | ग | 1 | 11.03.1994 |
| **भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान, रांची, बिहार** | | | | |
| 1. | प्रोफेसर | क | 1 | 01.11.1992 |
| 2. | सहायक प्रोफेसर | क | 10 | 04.11.1987 |
| 3. | माप विज्ञान सहायक | ख | 1 | 01.10.1993 |
| 4. | पुस्तकाध्यक्ष | ख | 1 | 04.11.1987 |
| 5. | अशुलिपिक ग्रेड-।।। | ग | 1 | 04.03.1987 |
| 6. | उच्च श्रेणी लिपिक | ग | 1 | 04.11.1987 |
| 7. | अवर श्रेणी लिपिक | ग | 2 | 01.03.1990 |
| 8. | स्टोर कीपर | ग | 1 | 01.02.1992 |
| 9. | डुप्लीकेटिंग मशीन आपरेटर | घ | 1 | 01.06.1988 |
| 10. | चपरासी | घ | 1 | 06.06.1988 |
| 11. | पम्पमैन | घ | 1 | 04.11.1987 |
| 12. | प्लम्बर | घ | 1 | 04.11.1987 |
| 13. | माली | घ | 1 | 31.05.1995 |
| **राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, नई दिल्ली** | | | | |
| 1. | अनुभाग अधिकारी | ख | 1 | 22.07.1995 |
| 2. | कोर्ट मास्टर | ख | 1 | 01.02.1995 |
| 3. | अशुलिपिक ग्रेड ''ग ' | ख | 2 | 10.09.1994 |
| | | | | 01.04.1995 |

## सांस्कृतिक संबंध

**196. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व के प्रमुख देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने संबंधी सरकार की नीति क्या है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान भारत और विभिन्न देशों के साथ किए गए समझौतों में किन-किन प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) गत चार वर्ष के दौरान क्या-क्या मुख्य उपलब्धियां रहीं और आगामी दो वर्षों के दौरान किन-किन योजनाओं का प्रस्ताव है;

(घ) क्या विदेशों में स्थित मिशनों के कार्यनिष्पादन का उच्च स्तर पर हाल ही में आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इंगलैंड, अमरीका, चीन और जापान के साथ सांस्कृतिक संबंधों में सुधार लाने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) भारत और विश्व के अनेक देशों के बीच सांस्कृतिक संपर्कों का नवीनीकरण करने, उन्हें पुनर्जीवित और सुदृढ़ करने हेतु, सरकार विदेशों में भारत की संस्कृति और उसकी तस्वीर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सांस्कृतिक करारों, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय रूप से सांस्कृतिक सहयोग की एक नीति अपना रही है।

(ख) विभिन्न नयाचारों में अभिज्ञात और शामिल सहयोग के ग्रस्त क्षेत्रों में कला और संस्कृति के अतिरिक्त शिक्षा (विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अकादमिक कार्यकलापों सहित) जन-स्वास्थ्य, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, पर्यटन, जन-प्रचार माध्यम के क्षेत्रों में व्यापक कार्यकलाप और दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म और प्रेस, खेलकूद और युवा कार्यकलाप, आदि शामिल हैं।

(ग) विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक अंतक्रिया से लोगों के बीच संपर्कों में वृद्धि हुई है और इससे संस्थागत संबंधों को दीर्घकालिक बनाने की दृष्टि से अकादमिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच घनिष्ठतर संपर्क विकसित हुए हैं। भाषा शिक्षकों, विभिन्न क्षेत्रों के अध्येताओं द्वारा उनके संबंधित कार्यकलापों के क्षेत्रों में अनुभवों और विचारों के विनिमय हेतु उनके आदान-प्रदान करने के अतिरिक्त, देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को इसके समुचित परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित किया गया है।

विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक समझौतों में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप सांस्कृतिक सहयोग की नीति को भविष्य में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(घ) विदेश मंत्रालय आवधिक रूप से विदेश सेवा निरीक्षकों के द्वारा विदेशों में अपने मिशनों के कार्य-निष्पादन का आंकलन करता है। ये निरीक्षक मिशनों का दौरा करते समय उनके कार्यकरण के संपूर्ण क्षेत्र की जांच करते हैं जिसमें सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं। विदेश सेवा निरीक्षकों की अनुसंशाओं के आधार पर, यदि अपेक्षित हो, तो मिशनों के कार्यकरण को वांछित क्षेत्रों में सुदृढ़ किया जाता है।

(ङ) विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। लंदन के नेहरू सांस्कृतिक केन्द्र और अन्य निजी संगठनों के माध्यम से इंगलैंड के साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यकलाप आयोजित किए जा रहे हैं। भारत-संयुक्त राज्य शिक्षा एवं सांस्कृतिक उप-आयोग के तत्वावधान में सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

चीन और जापान के साथ सांस्कृतिक संबंधों को खेलकूद टीमों, अध्येताओं, छात्रों, अकादमिक और सांस्कृतिक संस्थाओं, छात्रवृत्तियों के आदान-प्रदान, आदि सहित कला और संस्कृति, शिक्षा, रेडियो, दूरदर्शन एवं प्रेस के जन प्रचार माध्यमों, खेलकूद एवं युवा कार्यकलापों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

## कृषि विकास

**197. डा० के.वी.आर. चौधरी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को कृषि विकास हेतु गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितनी-कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ और अधिक धनराशि दिए जाने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा कृषि को अर्थक्षम पेशा बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान कृषि तथा इससे संबंधित कार्यकलापों के लिए योजना परिव्यय का राज्यवार विवरण-I संलग्न है।

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय तथा 1994-95 के लिए संशोधित परिव्यय का विवरण-II संलग्न है।

(ग) से (ङ). चालू वर्ष के दौरान नागालैण्ड को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य ने योजना आयोग से अधिक धनराशि की मांग नहीं की है। नागालैण्ड में कृषि विपणन के लिए 22.18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया गया है। योजना आयोग ने राज्य योजना के अंतर्गत 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान 6.45 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की है।

(च) कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :- सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश पर अधिक ध्यान, फार्म ऋण में पर्याप्त वृद्धि, कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि, बीज आदि सहित कृषि जिंसों के घरेलू तथा विदेशी व्यापार में प्रतिबंधों में कमी करना।

**विवरण-I**

| क्र. स. | राज्य | 1992-93 स्वीकृत व्यय | 1993-94 स्वीकृत व्यय | 1994-95 स्वीकृत व्यय | 1995-96 स्वीकृत व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 41.23 | 59.87 | 64.70 | * |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 34.66 | 39.60 | 42.93 | 49.70 |
| 3. | असम | 133.31 | 139.33 | 139.33 | 166.00 |
| 4. | बिहार | 150.37 | 158.02 | 158.02 | 155.43 |
| 5. | गोवा | 10.73 | 11.26 | 11.34 | 11.19 |
| 6. | गुजरात | 126.26 | 126.26 | 133.31 | * |
| 7. | हरियाणा | 71.26 | 75.83 | 75.14 | 89.64 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 86.60 | 93.58 | 100.11 | 107.69 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 80.86 | 91.90 | 94.46 | 110.11 |
| 10. | कर्नाटक | 152.02 | 213.03 | 227.58 | 237.35 |
| 11. | केरल | 154.55 | 161.30 | 192.25 | 207.25 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 188.45 | 181.64 | 185.05 | 213.83 |
| 13. | महाराष्ट्र | 256.50 | 343.31 | 372.87 | * |
| 14. | मणिपुर | 21.47 | 23.60 | 24.51 | 26.63 |
| 15. | मेघालय | 37.56 | 44.74 | 41.99 | 38.12 |
| 16. | मिजोरम | 27.48 | 26.27 | 24.02 | 21.90 |
| 17. | नागालैंड | 22.40 | 23.60 | 21.10 | 21.10 |
| 18. | उड़ीसा | 161.42 | 137.87 | 150.12 | 170.83 |
| 19. | पंजाब | 96.45 | 82.64 | 89.55 | 107.83 |
| 20. | राजस्थान | 171.20 | 182.15 | 245.55 | 317.40 |
| 21. | सिक्किम | 13.30 | 14.32 | 12.92 | 19.42 |
| 22. | तमिलनाडु | 215.67 | 237.39 | 243.60 | 265.65 |
| 23. | त्रिपुरा | 68.85 | 62.90 | 32.26 | 47.58 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 377.51 | 312.94 | 367.68 | 396.07 |
| 25. | पं० बंगाल | 89.72 | 67.48 | 96.00 | 102.78 |
| | **केन्द्र शासित प्रदेश** | | | | |
| 26. | अंड. व निको. द्वीप समूह | 11.36 | 11.70 | 16.27 | 15.73 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 2.68 | 3.00 | 1.75 | 2.60 |
| 28. | दादरा नगर हवेली | 3.54 | 6.85 | 5.58 | 5.22 |
| 29. | दमन व दीव | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.60 |
| 30. | दिल्ली | 12.00 | 9.68 | 12.10 | 13.60 |
| 31. | लक्षद्वीप | 5.13 | 6.06 | 6.45 | 6.83 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 10.00 | 12.85 | 18.52 | 22.40 |

* अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया।

**विवरण-II**

(करोड़ रुपए)

| सज्य/केन्द्र शासित प्रदेश | 1992-93 वास्तविक व्यय | 1993-94 संशोधित | 1994-95 परिव्यय |
|---|---|---|---|
| **राज्य** | | | |
| 1. आंध्र प्रदेश | 57.64 | 64.74 | 34.49 |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | 32.70 | 34.59 | 42.07 |
| 3. असम | 74.45 | 102.93 | 118.23 |
| 4. बिहार | 71.53 | 36.81 | 46.46 |
| 5. गोवा | 9.77 | 10.89 | 10.43 |
| 6. गुजरात | 126.23 | 106.37 | 133.30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. हरियाणा | 70.40 | 74.36 | 71.02 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 84.06 | 83.63 | 88.10 |
| 9. जम्मू व कश्मीर | 78.62 | 81.02 | 98.47 |
| 10. कर्नाटक | 137.12 | 185.57 | 198.58 |
| 11. केरल | 123.57 | 164.44 | 192.25 |
| 12. मध्य प्रदेश | 137.75 | 149.28 | 164.60 |
| 13. महाराष्ट्र | 193.53 | 242.91 | 346.37 |
| 14. मणिपुर | 20.93 | 18.10 | 21.06 |
| 15. मेघालय | 34.26 | 31.70 | 26.24 |
| 16. मिजोरम | 21.75 | 23.65 | 20.82 |
| 17. नागालैण्ड | 8.60 | 16.21 | 6.18 |
| 18. उड़ीसा | 131.29 | 91.76 | 94.89 |
| 19. पंजाब | 53.74 | 74.01 | 83.32 |
| 20. राजस्थान | 128.24 | 161.01 | 245.80 |
| 21. सिक्किम | 13.91 | 12.77 | 14.80 |
| 22. तमिलनाडु | 260.36 | 175.38 | 234.17 |
| 23. त्रिपुरा | 39.58 | 28.76 | 32.01 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 300.18 | 311.13 | 348.59 |
| 25. प0 बंगाल | 42.04 | 70.85 | 90.00 |
| **केन्द्र शासित प्रदेश** | | | |
| 1. अंड. व निको. दी. समूह | 9.43 | 10.53 | 16.27 |
| 2. चण्डीगढ़ | 2.57 | 2.83 | 1.75 |
| 3. दादरा नगर हवेली | 3.66 | 7.24 | 5.58 |
| 4. दमन व दीव | 1.39 | 1.28 | 1.41 |
| 5. दिल्ली | 9.73 | 6.80 | 12.10 |
| 6. लक्षद्वीप | 4.01 | 5.11 | 6.45 |
| 7. पांडिचेरी | 9.73 | 12.51 | 18.94 |

**हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक प्रदूषण**

**198 प्रो0 प्रेम धूमल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीमेंट एककों सहित प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न औद्योगिक एककों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में कार्यवाही करने में असफल रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक दल वहां भेजने का है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्तावित किसी अन्य कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). बरमाना जिला बिलासपुर में एक सीमेंट संयंत्र से, जादोत जिला हमीरपुर में एक चूने के भट्ठे से औद्योगिक प्रदूषण और हिमाचल प्रदेश में सामान्य पर्यावरणीय अवक्रमण की शिकायतें मिली हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार एक यूनिट को छोड़कर राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले अधिकांश उद्योग पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन कर रहे हैं। फिर भी, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा गया है कि वह उस सीमेंट संयंत्र में जिसके बारे में शिकायत मिली है, अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक निरीक्षण दल भेजें और यह भी निदेश दिया है कि दोषी यूनिट के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे। इसके अलावा, जिला प्राधिकारियों को यह कहा गया है कि जादोत में चूने के भट्ठे के बारे में मिली शिकायत की जांच करें और शिकायत को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई करें। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्यावरणीय अवक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(एक) प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।

(दो) उद्योगों को यह निदेश दिया गया है कि वे एक निश्चित समय सीमा के अन्दर आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगा लें और दोषी यूनिटों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

(तीन) उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

**राजस्थान में केन्द्रीय राज्य फार्म**

**199. श्री कुंजी लाल:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय राज्य फार्मों के पास कुल कितनी भूमि है;

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों का उत्पादन करने हेतु कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) 1994-95 के दौरान इन फार्मों में कितनी मात्रा में बीजों का उत्पादन किया गया ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के राजस्थान में लगभग 16,234 हैक्टेयर क्षेत्र के तीन फार्म यानि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़, सरदारगढ़ तथा जेतसर हैं।

(ख) 1994-95 के दौरान खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया गया कुल क्षेत्र लगभग 8343 हैक्टेयर था।

(ग) 1994-95 के दौरान इन फार्मों में उत्पादित खाद्यान्नों के बीजों की मात्रा 79,855 क्विंटल होने की संभावना है।

[अनुवाद]

**केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश**

**200. श्री मुही राम सैकिया** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जुलाई, 1995 के ''पाइनियर'' में ''के.वी. एडमिशन स्कीम ड्राज फ्लेक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालयों में ''स्पेशल'' डिस्पेंशेसन स्कीम'' के अन्तर्गत विगत शैक्षिक वर्ष के कुल प्रवेशों का दस प्रतिशत से अधिक प्रवेश दिए गये;

(ग) क्या स्पेशल डिस्पेंशेसन स्कीम के कारण एक कक्षा में एक सैक्शन में छात्रों की संख्या पैंतीस से बढ़ गई;

(घ) क्या ''स्पेशल डिस्पेंशेसन'' स्कीम के प्रावधानों के कारण पात्र छात्रों के प्रवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्पेशल डिस्पशेशन स्कीम के अन्तर्गत प्रवेश दिया जाना बन्द करने का है ताकि केवल पात्र छात्रों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आश्रितों को बिना किसी बाधा के प्रवेश मिल सके ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान प्रवेश सीमा से अधिक बढ़े।

(ग) जी, हां। कुछ मामलों में।

(घ) जी, नही। विशेष छूट के अंतर्गत दाखिले प्रति सेक्शन दाखिल 35 छात्रों के कक्षा-आकार के अतिरिक्त होते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**वन्य प्राणी उत्पाद**

**201. श्री श्रवण कुमार पटेल :**
**श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यहां बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में जनवरी, 1995 से अब तक जब्त वन्य प्राणियों की खालों, हड्डियों और अन्य वन्य-प्राणी उत्पादों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) पकड़े गए अवैध शिकार करने वाले गिरोहों और जानवरों के अंगों/उत्पादों के व्यापरियों का ब्यौर क्या है; और

(ग) वन्य-प्राणी उत्पादों की तस्करी को रोकने के हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जनवरी, 1995 से पकड़ी गई जीव जन्तुओं की खालों, हड्डियों तथा अन्य वन्यजीव उत्पादों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पकड़े गए वन्यजीव उत्पादों के सिलसिले में 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(एक) अनुसूचित वन्यप्राणियों के शिकार पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(दो) चोरी-छिपे शिकार-रोधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्येतरसंघ राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

(तीन) बाघ, हाथियों तथा गैंडों और उनके वासस्थलों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।

(चार) वन्य वनस्पतिजात एवं प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के विकास के लिए वित्तीय सहायता देती है।

(पांच) जब कभी वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार की सूचना वन्यजीव प्राधिकारियों के पास पहुंचती है, वे छापे मारते हैं।

(छः) जीवजन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी सामग्रियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य प्राणीजात तथा वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है।

(सात) वन्यजीव उत्पादों की तस्करी रोकने के लिए अधिकांशतः देश के मुख्य निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(आठ) अन्य प्रवर्तक संगठनों जैसे पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, सीमा शुल्क, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, तटरक्षक आदि के साथ अन्तर-विभागीय समन्वयन बढ़ाया जा रहा है। इन सभी संगठनों के लिए साइट्स के प्रवर्तन तथा कार्यान्वयन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नई दिल्ली में फरवरी, 1995 में आयोजित किया गया था।

**विवरण**

**दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में जनवरी, 1995 से जब्त की गई वन्यजीवों की खालें/उत्पाद**

| क्र.सं. | जब्त की गई मद | दिल्ली | बम्बई | कलकत्ता | मद्रास |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | तेंदुए की खाल | 5 नग | - | - | 2 नग |
| 2. | मरुस्थली लोमड़ी की खाल | 796 नग | - | - | - |
| 3. | मरुस्थली बिल्ली की खाल | 212 नग | - | - | - |
| 4. | जंगली बिल्ली की खाल | 21 नग | - | - | 1 नग |
| 5. | गंध विलाव की खाल | 7 नग | - | - | - |
| 6. | उद विलाद की खाल | 45 नग | - | - | - |
| 7. | नेवले की खाल | 61 नग | - | - | - |
| 8. | शेर की खाल | - | - | - | 1 नग |
| 9. | बारासिंगा की खाल | - | 1 नग | - | - |
| 10. | बाघ की खाल | - | - | - | 1 नग |
| 11. | पिलिंग कैट की खाल | - | - | - | 5 नग |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | तेंदुआ बिल्ली की खाल | - | - | - | 2 नग |
| 13. | चीतल की खाल | - | - | - | 3 नग |
| 14. | गौल की खाल | - | - | - | 168 नग |
| 15. | सर्प की खाल और वस्तुएं | - | 11 नग | - | 24774 नग |
| 16. | सियार की समूरवार खाल व वस्तुएं | 7 नग 2016 कि. ग्राम | - | 448 नग | - |
| 17. | वन्यजीव समूर की वस्तुएं | - | 2 नग | - | - |
| 18. | नेवले के बालों का ब्रुश | - | - | 312 नग | - |
| 19. | हाथी दांत के सामान | 867 नग 6.236 कि.ग्रा.+ | 9 नग 1 सैट | 7 नग 3 कि.ग्रा. | - 7 नग |
| 20. | वन्यजीवों की ऊर्वास्थि | - | - | 11.200 कि.ग्रा. | - |
| 21. | घड़ियाल का कंकाल | - | 1 नग | - | - |
| 22. | सांभर और हिरण के सिंग | - | 501 कि.ग्रा. | - | - |
| 23. | ओविस प्रजाति की हड्डी | - | 1 नग | - | - |

**शिवालिक पहाड़ियां**

**202. श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकी विनाश की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार शिवालिक पहाड़ियों को पारिस्थितिकी विनाश से बचाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किस परियोजना/योजना को कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) जनसंख्या का दबाव, वननाशन, भूमि कटाव, भूस्खलन जैसे अनेक घटक हैं। जिनके परिणामस्वरूप शिवालिक पहाड़ियों में पारिस्थितिकीय अवक्रमण हो सकता है।

(ख) से (घ). हिमाचल के पारिस्थितिकीय महत्व को देखते हुए सरकार ने गोविन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान स्थापित किया है। इसके अधिकार क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों के साथ-साथ हिमालय में गहन अनुसंधान और विकास कार्य करना है। इन क्षेत्रों में यह संस्थान कार्योन्मुखी पारि-विकास अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है।

शिवालिक पहाड़ियों में काण्डी क्षेत्र की पारिस्थितिकीय बहाली के लिए 187.58 करोड़ रुपए की लागत पर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में विश्व बैंक की सहायता से एक समवित जलसंभर विकास परियोजना (पहाड़ियाँ) क्रियान्वित की जा रही है। जैम्मू तथा कश्मीर राज्य सरकार ने विदेशी सहायता की मांग हेतु 202.67 करोड़ रुपए की लागत पर शिवालिक पहाड़ियों के समन्वित पारि-विकास के लिए एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव की जांच के पश्चात राज्य सरकार से इस परियोजना को परिशोधित करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व सैनिकों का पारिस्थितिकीय कार्य दल भी शिवालिक पहाड़ियों के भागों में पारिस्थितीय बहाली कार्य-कलापों को करता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वनीकरण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

**सहरसा फारेस्ट डिवीजन संबंधी विज्ञापन**

**203. श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जुलाई 1995 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में सहरसा फारेस्ट डिवीजन शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए निर्देश दिए हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार के सहरसा डिवीजन के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

**टिकट निरीक्षकों द्वारा अनियमितताएं**

**204. श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टिकट निरीक्षकों द्वारा बरती गई अनियमितताओं की जांच का दायित्व सौंपे गए अधिकारियों और एकर्कों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). टिकट जांच अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की मण्डल, मुख्यालय और बोर्ड स्तर पर आवधिक विवरणियों, जांच, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों आदि के जरिए नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के परिणामस्वरूप अधिकारियों के कार्य निष्पादन में, जहां कहीं कमी पाई जाती हैं, उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सतत चौकसी के परिणामस्वरूप, 1993-94 की तुलना में 1994-95 में टिकट जांच आमदनी में 23.2 प्रतिशत का सुधार दिखाई दिया है। अप्रैल-मई, 1995 के दौरान, पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में यह आमदनी 25.8 प्रतिशत अधिक है।

[अनुवाद]

**खार भूमि का विकास**

**205. श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में खार भूमि के अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल है;

(ख) क्या सरकार ने इस खार भूमि के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है और राज्य में अब तक इस तरह की कितनी भूमि को खेती के दायरे में लाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राज्य को कोई विशेष अनुदान प्रदान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) गुजरात राज्य में कुल खार भूमि क्षेत्र अनुमानतः 11.30 लाख हैक्टेयर है।

(ख) राज्य सरकार, गुजरात खार भूमि विकास बोर्ड के माध्यम से खार भूमि का विकास करती रही है। अभी तक, लगभग 9129 हैक्टेयर खार भूमि को खेती को अंतर्गत लाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

**दुर्लभ प्रजातियों का मारा जाना**

**206. श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर (दीपा)** :
**श्रीमती मडेन्द्र कुमारी** :
**श्री पी. कुमारासामी** :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जुलाई, 1995 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स'' में रेयर स्पीसीज किल्ड फॉर मार्क्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) जी हां।

(ख) और (ग). असम वन विभाग ने सूचित किया है कि सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने गुवाहटी विश्वविद्यालय के उप-कुलपति के साथ मामले को उठाया और उनसे अनुरोध किया कि महाविद्यालय के छात्रों से पशुओं की मशाला भरी हुई खाल स्वीकार न करें। वन्यजीव कर्मचारियों ने अरण्यक नेचर क्लब और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से गुवाहाटी के विभिन्न महाविद्यालयों में खोज कार्य भी किए। इस दल को केवल सामान्य कबूतर, बतख और मछलियों की मशाला भरी हुई वस्तुओं को छोड़कर अनुसूचित पशुओं का मशाले भरा हुआ कोई सामान नहीं मिला।

## रेलवे वैगन

**207. श्री अजय मुखोपाध्याय:**
**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ ने कोयला की ढुलाई के संबंध में रेल मालडिब्बों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकला है कि गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए कोयले के लदान में पिछले दो वर्षों के दौरान गिरावट आई है।

(ग) कोयले की सप्लाई के लिए ताप बिजलीघरों, सीमेंट, इस्पात संयंत्रों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अन्य उद्योगों को वरीयता दी जाती है। गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण उद्योगों को कोयले की सप्लाई पर भी नजर रखी जाती है और समय समय पर यथापेक्षित सहायता दी जाती है। क्षेत्रीय रेलों को गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र की मांग पूरी करने के प्रयास करने के अनुदेश दिए गए हैं।

## उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधन

**208. श्री शंकर सिंह वघेला** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में संशोधनों के बारे में 25 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3244 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार की अध्यक्षता में गठित अंतर-राज्य कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जाएगी?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के क्षेत्र का विस्तार करना; उपभोक्ता अदालतों को अधिक शक्तियां देना; प्रक्रियाओं को सरल बनाना, आदि हैं।

**[हिन्दी]**

## कागज के मूल्य

**209. श्री मदेश कनोडिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कागज के मूल्यों में बार-बार और अत्यधिक वृद्धि किए जाने के कारण छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकें और अभ्यास पुस्तिकाएं महंगी हो गई हैं;

(ख) क्या अभ्यास पुस्तिकाओं में प्रयुक्त कागज की गुणवत्ता में गिरावट आ गई है और कागज के मूल्यों में वृद्धि के कारण बहुत सी पुस्तकें बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा कम से कम छात्र समुदाय के लिए स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार कुल मिलाकर इस समय रा.शै.अ.प्र.प. राज्य सरकारों द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों की कीमतों में कोई नहीं / मामूली वृद्धि हुई है, हालांकि निजी प्रशासकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कीमतों में कुछ वृद्धि देखने में आई है। कागज के मूल्यों में वृद्धि के कारण कुछ स्थानों पर अभ्यास पुस्तिकाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ). उद्योग मंत्रालय ने सूचित किया है कि कोयला, बिजली, कास्टिक सोडा, आयातित लुगदी और अन्य कच्चे पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के कारण कागज के मूल्य में वृद्धि हुई है। कागज के मूल्य पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। बाजार की शक्तियों द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। छात्रों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, शिक्षा विभाग पाठ्य पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं के मूल्य पर निगरानी रखे हुए है।

**कुलियों के लिए विश्राम कक्ष**

**210. श्री जनार्दन मिश्रः**
**श्री अरविंद त्रिवेदी :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार रेलवे में कार्यरत कुलियों के लिए खाली समय में आराम करने हेतु विश्राम कक्ष बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां ये सुविधाएं अब तक प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या सरकार इस सुविधा को अन्य स्टेशनों पर भी उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो कब तक यह सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है;

(च) क्या यह सुविधा गुजरात स्थित स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) विश्राम सायबानों की व्यवस्था महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाइसेंसधारी भारिकों के लिए वहां की जाती है जहां इनकी संख्या अत्यधिक हो और जहां विश्राम करने की ऐसी सुविधाएं अपर्याप्त हों।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). लाइसेंसधारी भारिकों के लिए विश्राम सायबानों की व्यवस्था की समय समय पर समीक्षा की जाती है और जब औचित्य पाया जाता है, तब धन की उपलब्धता के अनुसार इसकी व्यवस्था/विस्तार किया जाता है।

(च) और (छ). गुजरात में सूरत स्टेशन पर विश्राम सायबान की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, अहमदाबाद में भी एक अस्थायी विश्राम सायबान की व्यवस्था की गई है।

**विवरण**

**उन स्टेशनों के नाम जहां लाइसेंसधारी भारिकों के लिए विश्राम सायबान उपलब्ध हैं निम्नलिखित हैं :**

| | | |
|---|---|---|
| बंबई वीटी | सियालदह | बीकानेर |
| दादर | हावड़ा | रतनगढ़ ज |
| थाणे | आसनसोल | चुरू |
| कल्याण | पटना जं. | सादुलपुर जं. |
| पुणे | मोकामा | रेवाड़ी |
| नागपुर | क्यूल | दिल्ली सराय रोहिल्ला |
| शोलापुर | मुगलसराय | जोधपुर |
| दौंड | गया | अम्बाला छावनी |
| भुसावल | माल्दा | शिमला |
| नासिक | भागलपुर | सहारनपुर |
| जलगांव | दिल्ली | गोरखपुर |
| अकोला | | |
| बड़नेरा | नई दिल्ली | लखनऊ जं. |
| जबलपुर | निजामुद्दीन | बस्ती |
| कटनी | मेरठ सिटी | गोण्डा |
| सतना | लुधियाना | कासगंज |
| सागर | जम्मु तवी | फर्रुखाबाद |
| ग्वालियर | अटारी | समस्तीपुर |
| भोपाल | इलाहाबाद जं. | सहरसा |
| इटारसी | कानपुर सैन्ट्रल | सोनपुर |
| बीना | फिरोजाबाद | बरौनी जं. |
| झांसी | टूण्डला | बरौनी |
| मथुरा | अलीगढ़ जं. | कटिहार |
| आगरा कैन्ट | हाथरस | न्यू जलपाईगुड़ी |
| गुलबर्गा | खुर्जा जं. | गुवाहाटी |
| मनमाड | लखनऊ | त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल |
| खंडवा | वाराणसी | |
| राजा की मंडी | बरेली | कोल्लम जं. |
| वर्धा | हरिद्वार | मद्रास सैन्ट्रल |
| कण्णनोर | देहरादून | मंगलौर |
| बाकुड़ी | कालीकट | भागा |
| कोयम्बटूर | हटिया | ईरोड जं. |
| रामटेक | बेंगलूर सिटी | भद्रक |
| बेंगलूर छावनी | मुरी | मैसूर |
| कटक | सलेम | खोरदा रोड |

| | | |
|---|---|---|
| मद्रास एवाम्पूर | पुरी | काटपाडि जं. |
| बहमपुर | मदुरै | पलासा |
| रामेश्वरम | रायगढ़ | तिरूनेलवेलि |
| बिलासपुर | तिरूचिरापल्ली | भाटपाड़ा दुर्ग |
| सिकंदराबाद | अनुपपुर | निजामाबाद |
| सादोल | मिरज् | टिटिलागढ़ |
| नेलौर | उसलापुर | काचेगुड़ा |
| चंपा | राजमुंद्री | खड़गपुर |
| सायलकोट जं. | कोलाघाट | विजयवाड़ा जं. |
| पासकुरा | गुण्टुर जं. | बालासोर |
| गुतंकल जं. | रूपसा | रेणिगुंटा जं. |
| गोंदिया | विशाखापटनम | विजयनगरम |
| इतवारी | | |
| बंबई सैन्ट्रल | रायगड़ | दादर टाटानगर |
| बोरिवली | झारसुगड़ा | सूरत |
| राजागेंगपुर | अहमदाबाद | रांची |
| रतलाम | आद्रा | उज्जैन |
| बोकारो स्टील सिटी | आगरा फोर्ट | पुरूलिया |
| अजमेर | जयपुर | |

[अनुवाद]

## शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना

**211. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत गुजरात में जिलावार कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सहायता प्रदान की गई;

(ख) क्या उर्दू में कोई कार्यक्रम बनाया गया है और इस योजना के अंतर्गत राज्य में कितने उर्दू विद्यालयों को सहायता दी गई;

(ग) इस प्रयोजनार्थ विद्यालयों का चयन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त विद्यालय भी सहायता के पात्र हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) वर्ष 1994-95 तक गुजरात राज्य सरकार को 7000 रेडियो-कम-कैसेट प्लेयर (आर. सी. सी. पी.) और 10420 रंगीन टेलीविजन (सी. टी. वी.) संस्वीकृत किए गये हैं। गुजरात सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, ऐसे स्कूलों की जिला वार संख्या की सूची जिन्हें रेडियो-कम-कैसेट प्लेयरों/रंगीन टेलीविजनों की आपूर्ति की गई है, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) गुजरात राज्य सरकार।

(घ) हालांकि सहायता प्राप्त स्कूल इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं, परन्तु गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

### विवरण

### ऐसे स्कूलों की जिला-वार संख्या जिन्हें रेडियो-कम-कैसेट प्लेयरों/रंगीन टेलीविजनों की आपूर्ति की गई थी

| क्रम सं. | जिला का नाम | ऐसे स्कूलों की संख्या जिन्हें रेडियो-कम-कैसेट प्लेयरों की आपूर्ति की गई थी | ऐसे स्कूलों की संख्या जिन्हें रंगीन टेलीविजनों की आपूर्ति की गई थी |
|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 518 | 565 |
| 2. | अमरेली | 182 | 197 |
| 3. | खेड़ा | 643 | 658 |
| 4. | पंचमहल | 662 | 758 |
| 5. | गांधी नगर | 44 | 63 |
| 6. | जाम नगर | 269 | 325 |
| 7. | जूनागढ़ | 322 | 419 |
| 8. | डांग | 88 | 30 |
| 9. | बनसकांठा | 409 | 419 |
| 10. | भरूच | 360 | 405 |
| 11. | भावनगर | 315 | 349 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | भुज | 282 | 285 |
| 13. | मेहसाणा | 401 | 438 |
| 14. | राजकोट | 336 | 361 |
| 15. | वेलसाद | 396 | 422 |
| 16. | वडोदरा | 544 | 577 |
| 17. | साबरकांठा | 512 | 523 |
| 18. | सूरत | 516 | 398 |
| 19. | सुरेन्द्र नगर | 201 | 228 |

[हिन्दी]

**आमान परिवर्तन**

**212. श्री उदय प्रताप सिंह:**
**श्री भोगेन्द्र झा:**
**मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समस्तीपुर और दरभंगा के बीच कुल कितनी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला जाएगा;

(ख) क्या पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-दरभंगा रेल लाइन को बदलने की जो कार्य जून 1995 के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना थी उसे अब दिसंबर, 1995 तक पूरा किया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या यह कार्य बढ़ी हुई अवधि तक पूरा कर लिया जायेगा; और

(घ) इस रेल मार्ग पर रेल चालन कब से शुरू किया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) 37.24 कि. मी.

(ख) 31.10.95 तक इसे बढ़ा दिया गया है।

(ग) पुल निर्माण संबंधी कार्यों में धीमी प्रगति के कारण कुछ विलंब हुआ था। यह कार्य संशोधित लक्ष्य तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा।

(घ) कार्य के पूरा होने के तुरंत बाद।

[अनुवाद]

**रिम्पिक राजाभीर वन में छापा**

**213. श्री के. प्रधानी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 3 और 4 मार्च, 1994 को सिरयालिला फारेस्ट रेंज के अंतर्गत रिम्पिक राजाभीर वन में जो एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, वन विभाग और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से मारे गए छापे में वन्य जीवों की खालों, सींगों आदि सहित अनेक बहुमूल्य वस्तुएं और साथ ही आग्नेयास्त्र भी बरामद हुए थे;

(ख) बरामद किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गये; और

(घ) ऐसे अवैध कार्यकलापों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) और (ख). जी, हां। इस संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस छापे में निम्नलिखित वन्यजीव संबंधी वस्तुएं पकड़ी गई थीं :

हिमालयी तहर के सींग सहित 3 सिर
काकड़ के सींग सहित 3 सिर
काकड़ के 2 सिर
याक की दो खालें
हिमालयी श्याम मृग की एक खाल

इस छापे के दौरान पुलिस ने कुछ आग्नेयास्त्र भी पकड़े थे।

(ग) इस संबंध में 5 मार्च, 1994 को दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और वन विभाग ने दो आपराधिक मामले दर्ज कराये तथा पुलिस विभाग ने भी आग्नेयास्त्र पकड़े जाने के संबंध में एक अलग से मामला दर्ज किया था।

(घ) इस घटना के बाद खबर मिली है कि वन विभाग ने गश्त की बारम्बारता, बेतार संचार नेटवर्क के तहत क्षेत्र का विस्तार सहित अपनी सुरक्षात्मक प्रवर्तन गतिविधियों को बढ़ा दिया है और गुप्त सूचना के संग्रहण के लिए पुरस्कार देने का एक प्रस्ताव भी बनाया गया है।

## आलू तथा प्याज का उत्पादन

214. **श्री हरिभाई पटेल :**
**डा० बाल बहादुर रावल :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार आलू तथा प्याज को कुल कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या आलू तथा प्याज के उत्पादन में गत कई वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है जिसके कारण उनका भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में आलू तथा प्याज का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान आलू तथा प्याज के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आलू और प्याज का कुल राज्य वार उत्पादन संलग्न विवरण दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) डी. जी. सी. आई. एस. की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए आलू और प्याज की मात्रा तथा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है :-

| वर्ष | निर्यात की गई मात्रा (लाख मीटरी टन) | | निर्यात की गई मात्रा का मूल्य (करोड़ रूपये में) | |
|---|---|---|---|---|
| | प्याज | आलू | प्याज | आलू |
| 1991-92 | 3.70 | 0.05 | 149.59 | 0.87 |
| 1992-93 | 3.90 | 0.06 | 172.96 | 1.21 |
| 1993-94 | 3.57 | 0.07 | 182.67 | 2.35 |

(घ) और (ङ). भारत सरकार 1995-96 के दौरान आलू और प्याज सहित सब्जियों के उत्पादन की बढ़ाने के लिए सब्जियों के बीजों के उत्पादन तथा आपूर्ति और जड़ तथा कन्द वाली फसलों के विकास संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं के अन्तर्गत, अच्छी क्वालिटी की रोपण सामग्री/बीज की सप्लाई करके और सब्जियों के आधारी बीजों तथा आलू के सही बीजों के उत्पादन से देश में सब्जियों की उत्पादकता और उत्पादन में सुधार के लिए सहायता दी जा रही है।

### विवरण

**1991-92 से 1993-94 के दौरान आलू का राज्य-वार उत्पादन**

(हजार मीटरी टन)

| राज्य | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 3.3 | 5.2 | 8.4 |
| अरुणाचल प्रदेश | 32.5 | 35.5 | 37.8 |
| असम | 473.3 | 387.5 | 506.9 |
| बिहार | 1525.8 | 1483.8 | 1609.1 |
| गुजरात | 532.9 | 444.3 | 455.0 |
| हरियाणा | 171.4 | 174.1 | 178.2 |
| हिमाचल प्रदेश | 150.9 | 144.7 | 169.9 |
| जम्मू व कश्मीर | 3.0 | 2.9 | 3.2 |
| कर्नाटक | 358.4 | 327.8 | 294.4 |
| मध्य प्रदेश | 433.6 | 378.2 | 487.8 |
| महाराष्ट्र | 64.8 | 63.1 | 67.2 |
| मणिपुर | 23.1 | 20.4 | 20.4 |
| मेघालय | 153.2 | 119.6 | 119.6 |
| मिजोरम | 0.9 | 1.1 | 2.5 |
| नागालैण्ड | 15.4 | 23.0 | 16.0 |
| उड़ीसा | 111.3 | 107.0 | 117.1 |
| पंजाब | 923.1 | 823.0 | 823.0 |
| राजस्थान | 21.3 | 24.6 | 19.7 |
| सिक्किम | 32.0 | 32.3 | 32.3 |
| तमिलनाडु | 113.6 | 125.1 | 126.3 |
| त्रिपुरा | 64.2 | 65.5 | 65.5 |
| उत्तर प्रदेश | 6236.4 | 5662.0 | 7704.0 |
| पश्चिम बंगाल | 4942.9 | 4779.1 | 5171.6 |
| दिल्ली | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| **समस्त भारत** | **16387.9** | **15230.4** | **18036.5** |

**1991-92 से 1993-94 के दौरान प्याज का राज्य-वार उत्पादन**

(हजार मीटरी टन)

| राज्य | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | 172.4 | 152.0 | 415.1 |
| असम | 12.0 | 12.7 | 15.1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| बिहार | 136.5 | 144.5 | 149.2 |
| गुजरात | 424.4 | 605.3 | 605.3 |
| हरियाणा | 48.0 | 64.2 | 41.6 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
| कर्नाटक | 522.8 | 425.7 | 445.0 |
| मध्य प्रदेश | 232.4 | 170.4 | 185.0 |
| महाराष्ट्र | 840.1 | 831.6 | 831.6 |
| नागालैण्ड | 0.3 | नगण्य | नगण्य |
| उड़ीसा | 335.0 | 306.4 | 306.4 |
| पंजाब | 34.3 | 13.9 | 10.3 |
| राजस्थान | 128.7 | 118.9 | 122.4 |
| तमिलनाडु | 212.1 | 185.4 | 217.0 |
| त्रिपुरा | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| उत्तर प्रदेश | 483.3 | 456.6 | 370.6 |
| दिल्ली | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
| पांडीचेरी | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| **समस्त भारत** | **3584.7** | **3490.8** | **3717.5** |

**प्रकाश टंडन समिति**

**215. श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के संगठनात्मक ढांचे और प्रबंधन में सुधार के संबंध में प्रकाश टंडन समिति की सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल को व्यापारोन्मुखी उद्यम की तरह कार्य करने में सहायता करने हेतु भारतीय रेल की सांगठनिक संरचना और उसके प्रबंधकीय स्वरूप का अध्ययन करने के लिए श्री प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में टंडन समिति नामक एक समिति की नियुक्ति की गई है। मार्च, 1994 में प्रस्तुत की गई समिति की वैचारिक प्रकृति की रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशों की कार्यान्वयनता पर विचार करने के लिए विभिन्न समितियों/कार्यबलों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। इस सुझाव को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय द्वारा विभिन्न समितियों/कार्यबलों की स्थापना निम्नलिखित कार्यों के लिए की गई है :

(एक) लागत और लाभ केन्द्रों की पहचान करना - हसन इकबाल, यह समिति 30.08.94 को स्थापित की गई थी। इसका कार्यकाल 30.9.95 तक है।

(दो) विश्व बैंक की सहायता से - कंप्यूटर पोषित व्यापक क्षमता निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने हेतु - कार्य बल का गठन किया गया। इसका कार्यकाल जनवरी, 1996 तक है।

(तीन) पूंजी पुनः संरचना के लिए ए. वी. पौलोश समिति 02.05.94 को स्थापित की गई। इसका कार्यकाल 31.12.95 तक है।

(चार) वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण हेतु संयोजक के रूप में वित्त सलाहकार सहित कार्यबल का गठन समय सीमा 2 वर्ष।

(पांच) साझा संवर्ग में विभिन्न रेल सेवाओं के एकीकरण की जांच करने हेतु 15.04.94 को गुप्ता नारायण समिति की स्थापना की गई थी। इसका कार्यकाल अक्तूबर, 1995 तक है।

समितियों/कार्यबलों द्वारा उसकी अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी शेष है।

**मदर डेयरी दूध की कीमतें**

**216. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेयरी दूध की कीमत 10 मई 1995 से और अधिक कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मदर डेयरी द्वारा गत बारह महीने के भीतर दूध की कीमतें तीन से अधिक बार बढ़ाई गई हैं तथा वर्तमान वृद्धि तीन महीने से कम की अवधि के दौरान में दूसरी बार की गई है;

(घ) यदि हां, तो गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष दूध की कीमतों में बहुत जल्दी जल्दी वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रख कर कि दूध की कीमतों में बार-बार होने वाली वृद्धि से समाज की नियत आय वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, सरकार का दूध की कीमत स्थिर करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (छ). दिनांक 16 मई 1995 से मदर डेयरी के दूध के मूल्यों में हुई वृद्धि इस प्रकार है :

| | |
|---|---|
| पूर्ण मलाई युक्त दूध | 14.00 रूपये प्रति लिटर |
| टोण्ड दूध | 9.00 प्रति लिटर |
| पोलिपैक में टोण्ड दूध | 10.00 प्रति लिटर |

दुग्ध उत्पादकों को अदा किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि होने के कारण दूध के मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था। पिछले 12 महीनों में मदर डेयरी द्वारा प्रभावित यह दूसरी मूल्य वृद्धि थी। देश में तरल दूध की उपलब्धता में वृद्धि के लिए जिसकी कमी से तरल दूध के मूल्य को स्थिर रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था सरकार ने दुग्ध चूर्ण तथा दुग्ध वसा जिसका उपयोग तरल दूध में पूर्णमिश्रण के लिए किया जाता है, का आयात खुला कर दिया।

## कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

**217. श्री हरिकिशोर सिंह :**
**श्री बलराज पासी :**
**श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरणविदों ने मंगलोर के नजदीक कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में कड़ी आपत्ति प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). हवा और पानी की गुणवत्ता, कृषि और वर्षा वनों सहित पर्यावरण पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव की आशंकाए व्यक्त की गई हैं।

(ग) प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय मामले की पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। इस परियोजना को अभी तक इस मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी गई है।.

**[हिन्दी]**

## आमान परिवर्तन

**218. डा. जाल बहादुर रावल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर-आगरा मीटर गेज रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) क्या सरकार का विचार इस रेल मार्ग को दोहरीकरण करने का है ताकि इस पर तेज गति वाली रेलगाड़ियां चलाई जा सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) नौवीं योजनाविधि में।

(ख) जी नहीं।

(ग) आमान परिवर्तन होने से खंड की क्षमता लगभग दुगुनी हो जाएगी क्योंकि यात्री तथा मालगाड़ियों दोनों के मामलें में ब. ला. गाड़ियों की क्षमता मी. ला. गाड़ियों से दुगुनी है। यातायात का औचित्य होने पर आगे दोहरीकरण के बारे में विचार किया जाएगा।

## विद्युत इंजन

**219. श्री पंकज चौधरी :**
**श्री रामपाल सिंह :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री में 5000 अश्व शक्ति के विद्युत इंजन विकसित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन इंजनों के विकास से रेल डिब्बों की संख्या और यात्री रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). अब तक चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा 5000 अश्व शक्ति वाले मालगाड़ियों के 63 रेल इंजनों और पैसेंजर गाड़ियों के 4 रेल इंजनों का निर्माण किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) 5000 अश्व शक्ति (डब्ल्यू. ए. पी. 4) वाला पैसेंजर रेल इंजन 19 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी को 140 कि. मी./घंटा की अधिकतम गति पर कर्षित करने में समर्थ है। यह मौजूदा 3900 अश्व शक्ति (डब्ल्यू. ए. पी.1) रेल इंजनों द्वारा 19 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी को 130 कि. मी./घंटा की गति पर कर्षित किए जाने की तुलना में 26 सवारी डिब्बों वाली गाड़ी को 130 कि. मी./घंटा की अधिकतम गति पर कर्षित कर सकता है।

5000 अश्व शक्ति (डब्ल्यू. ए. जी. 7) मालगाड़ी रेल इंजन 3900 अश्व शक्ति (डब्ल्यू. ए. जी. 5) रेल इंजन द्वारा 1:200 ढाल पर 3300 टन की गाड़ी को 30 कि. मी./घंटा की संतुलित गति पर कर्षित करने की समर्थता की तुलना में 1:200 ढाल पर 4700 टन की मालगाड़ी को 30 कि. मी./घंटा की संतुलित गति पर कर्षित करने में समर्थ है।

[अनुवाद]

**रेल लाइन का दोहरीकरण**

**220. श्री रमेश चेन्नितला :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'बी. ओ. एल. टी.' योजना के अन्तर्गत शोरूवण्णूर मंगलौर रेल लाइन का दोहरीकरण का कार्य कोंकण रेलवे निगम को सौंपने के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कुट्टीपुरम मंगलौर लाइन का कार्य ''बनाइए, स्वामी बनिए, पट्टे पर दीजिए और हस्तांतरित कीजिए'' (बोल्ट) योजना के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है। कोंकण रेल निगम भी इसके लिए बोली लगा सकता है।

**उचित दर की दुकानों में चीनी**

**221. श्री प्रकाश वी० पाटील** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू अवधि के दौरान लेवी प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरण हेतु कितनी चीनी प्राप्त की गई;

(ख) घरेलू उत्पादन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आशावादी घरेलू उत्पादन के आकलन के बावजूद एस० टी० सी० तथा एम० एस० टी० सी० द्वारा किन कारणों से चीनी का आयात किया जा रहा है ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) वर्तमान में प्रत्येक चीनी फैक्ट्री से उनके उत्पादन का 40 प्रतिशत विभिन्न प्रोत्साहन योजाओं के अंतर्गत अनुगत अतिरिक्त खुली बिक्री खाते में अखिल भारतीय औसत लगभग 33 प्रतिशत लेवी के रूप में प्राप्त किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए लेवी चीनी का मासिक आवंटन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों क लिए वर्तमान आवंटन स्तर 3.35 लाख टन है। उपरोक्त के अतिरिक्त सरकार पूरे देश के लिए प्रतिवर्ष एक लाख टन चीनी त्यौहार कोटे के रूप में जारी करती है।

(ख) 1.10.1994 तक देशी चीनी के 21.93 लाख टन के पर्वाशिष्ट स्टॉक के साथ चालू चीनी मौसम 1994-95 के दौरान लगभग 143 लाख टन चीनी के अनुमानित उत्पादन सहित देश में सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु लेवी चीनी की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी।

(ग) चालू मौसम 1994-95 की शुरूआत में जब निश्चित उत्पादन रुख का पता नहीं था, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से चालू मौसम 1994-95 के दौरान चीनी उत्पादन के अनुमानित स्तर तक न आ पाने के कारण एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० को चीनी आयात के लिए अग्रिम अनुबंध करने का निदेश दिया था। तथापि, अभी तक चीनी का वास्तविक आयात नहीं हो पाया है।

[हिन्दी]

**रेल इंजन**

**222. श्री सत्य देव सिंह :**
**श्री अमर पाल सिंह :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को रेल इंजनों के लिए कई देशों से निर्यात आदेश प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इंजनों हेतु निर्यात आदेश किन-किन देशों से प्राप्त हुए हैं और इनमें से प्रत्येक देश को कितने रेल इंजनों का निर्यात किए जाने की संभावना है; और

(ग) रेल इंजनों के निर्यात से सरकार द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). श्रीलंका (2 ब. ला. रेल इंजन), बांग्लादेश (10 मी. ला. रेल इंजन) और नेपाल (2 छो. ला. रेल इंजन) से आदेश प्राप्त हुए हैं।

(ग) अर्जित की जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा के बराबर रुपयों में राशि इस प्रकार है:

| | |
|---|---|
| श्रीलंका | 5 करोड़ रुपये |
| बांग्लादेश | 21 करोड़ रुपये |
| नेपाल | 1.58 करोड़ रुपये |

[अनुवाद]

## रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

**223. श्री एस. एम. लालजानवाशा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे ने वर्ष 1995-96 में प्रमुख रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 में दक्षिण मध्य रेलवे में स्टेशनों पर चालू कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) :** (क) जी हां।

(ख) प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर शुरू किए गए आधुनिकीकरण कार्य इस प्रकार हैं:

1. हैदराबाद स्टेशन इमारत के ढांचे में परिवर्तन; 2. खम्माम-बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था और पश्चिमी छोर पर ऊपरी पैदल पुल का विस्तार; 3. गुंटूर - बुकिंग कार्यालय की व्यवस्था; 4. श्रीकाला हस्ती प्रतीक्षाकक्षों की व्यवस्था; 5. येरागुंटला - प्रतीक्षालय की व्यवस्था; और (6) धर्मावरम् स्टेशन इमारत में सुधार करना।

(ग) 1995-96 के दौरान 55.40 लाख रुपये।

## ऋण वसूली

**224. श्री श्रीकान्त जेना:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1991-92 और 1992-93 में प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों में से कितने प्रतिशत ऋणों की वसूली हुई है;

(ख) कृषि क्षेत्र में कितनी प्रतिशत राशि अतिदेय है;

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भूमि विकास बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों में अतिदेय राशि की तुलनात्मक वृद्धि कितनी है; और

(घ) बैंकों ने अपने कृषि ऋणों की देनदारियों को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) देश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान ऋणों की वसूली का प्रतिशत क्रमशः 51 तथा 52 रहा।

(ख) और (ग). देश में 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान विभिन्न एजेन्सियों के कृषि ऋण के अधिशेष को ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| एजेन्सी | 1991-92 | 1992-93 |
|---|---|---|
| प्राथमिक कृषि ऋण समितियां | 49 | 48 |
| जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक | 34 | 32 |
| राज्य सहकारी बैंक | 27 | 13 |
| भूमि विकास बैंक | 50 | 48 |
| क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 60 | 59 |
| वाणिज्यिक बैंक | 46 | 44 |

(घ) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने में सुधार लाने के संबंध में विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) कृषि अग्रिम हेतु प्रतिभूति मानदण्डों में संशोधन;

(ख) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर तथा पुनर्वित्त को युक्तिसंगत बनाना;

(ग) राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को ऋण देने का दायरा बढ़ाना;

(घ) चूककर्ता राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता जारी करने में लचीली नीति अपनाना।

मत्स्यपालन, पुष्पोत्पादन, उत्तक संवर्द्धन आदि जैसी नवीन तथा उच्च प्रौद्योगिकी परियोजनाओं पर खासतौर से ध्यान देने के लिए बैंकों को विशेष कृषि शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है।

[हिन्दी]

**संयुक्त विकास कार्यक्रम**

**225. श्री बलराज पासीः**
**श्री बृज भूषण शरण सिंहः**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जंगल की आग को नियंत्रित करने हेतु संयुक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई परियोजना तैयार की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता रोक दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) और (ख). ''आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धतियां'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम वर्ष 1992-93 से 11 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रही है। राज्यों को बेतार सैट; हाथ के औजार, अग्निरोधक वस्त्र खरीदने, अग्नि रेखा बनाने, निगरानी टावरों के निर्माण, प्रशिक्षण और प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचार के लिए शतप्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**केन्द्रीय विद्यालयों में कथित अनियमितातयें**

**226. श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान कानपुर स्थित केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी अनियमितता के किसी मामले की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियमों का कठोरतापूर्वक पालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठायें गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने, कुछ शिकायतें प्राप्त होने पर, कानपुर के केन्द्रीय विद्यालय में दाखिलों में अनियमितता के संबंध में आरोप की जांच करने के आदेश पहले ही दे दिये हैं।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और प्रधानाचार्यों को निदेश दिया गया है कि वे दाखिले के नियमों का कठोरता से अनुपालन करें।

[हिन्दी]

**वनों के संबंध में एशियाई विकास बैंक की नई नीति**

**227. श्री राम पाल सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत सहित अनेक एशियाई देशों में 1980 से 1990 के बीच हुई वनों की कटाई के अपने अनुभवों को देखते हुए एक नई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एशियाई विकास बैंक की नई नीति में वनों, मृदा, जल और जैव-विविधता की सुरक्षा करना शामिल है जो वर्तमान और भावी पीढ़ियों; नवीकरणीय संसाधनों के सतत तरीके से उत्पादन और लाभार्जन; तथा नीति निर्माण और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें लकड़ी के विकल्पों और वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को बढ़ावा देकर ईंधन की लकड़ी की मांग कम करने की भी संकल्पना की गई है। एशियाई विकास बैंक की नई वन नीति का सार मोटे तौर पर राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुरूप है।

**पशुधन सैक्टर**

**228. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में पशुधन सैक्टर में हुए उत्पादन का मूल्य क्या है;

(ख) वर्ष 1991-92 में कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख). 1994-95 तथा 1991-92 के दौरान पशुधन क्षेत्र से प्राप्त उत्पादन मूल्य इस प्रकार है:-

करोड़ रुपयों में

| वर्ष | 1980-81 के स्थिर मूल्यों पर |
|---|---|
| 1994-95 | 19926* |
| 1991-92 | 17777 |

*अग्रिम प्राक्कलन

(ग) गोपशु तथा भैंस विकास के लिए विभिन्न राज्य योजनाओं के अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि हेतु आनुवंशिक सुधार, आहार एवं चारा तथा स्वास्थ्य की देख-रेख के क्षेत्रों में कुछ केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

**[अनुवाद]**

**रेल लाइन**

**229. श्री उद्धव बर्मन** : क्या **रेल मंत्री** 30 मई, 1995 के अतरांकित प्रश्न संख्या 7764 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका-सिलचर रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है;

(ख) क्या सरकार को यह सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चालू वित्त वर्ष के अंत तक।

**पूर्वोत्तर राज्यों में वन्य जीव**

**230. श्री जाईता उम्ब्रे** : क्या पर्यावरण एवं वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ियों में स्तुप्तप्रायः वन्य जीवों की कुछ दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीवद्ध दुर्लभ और संकटापन्न वन्य जीव जन्तुओं में से स्तनधारियों की 34 प्रजातियों, सरीसृपों की 7 प्रजातियों तथा पक्षियों की 17 प्रजातियों के साथ-साथ पक्षियों की एक संपूर्ण जाति उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। इन समस्त अनुसूचित प्रजातियों का शिकार करने और व्यापार अथवा खरीद फरोख्त के प्रति उन्हें वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत पूर्व सुरक्षा प्रदान की जाती है। दुर्लभ और संकटापन्न वन्य जीव जन्तुओं और उनके वास स्थलों की सुरक्षा के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में 11 राष्ट्रीय उद्यान और 32 अभ्यारण्य स्थापित किए गये हैं। गैंडा, बाघ और हाथी की सुरक्षा के लिए विशेष स्कीमें भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ग) और (घ). भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून ने अरुणाचल प्रदेश में ताकिन और त्रिपुरा में लीफ मंकी पर सर्वेक्षण और अध्ययन किए हैं। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण ने भी उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक प्राणिजातीय सर्वेक्षण किए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**सूखा**

**231. श्री के. जी. शिवप्पा :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**
**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
**डा. सत्य नारायण जटिया :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश के अधिकांश भागों में भीषण सूखे की स्थिति चल रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे जिलों के नाम क्या हैं जहां सूखे की स्थिति चल रही है;

(ग) इन जिलों में भूमि और फसलों आदि के नुकसान का कितना आकलन किया गया है;

(घ) क्या इनमें से कुछ जिलों में पिछले दो-तीन वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इन जिलों के नाम क्या है;

(च) क्या किसी केन्द्रीय दल ने स्थिति का आकलन करने हेतु इन जिलों का दौरा किया है;

(छ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ज) प्रभावित राज्य सरकारों ने कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है और इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार ने उन्हें वास्तव में कितनी धनराशि दी है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं होता।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं होता।

(ज) 8 जुलाई, 1995 तक की वर्षा की स्थिति के आधार पर कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत उपायों के लिए वित्तीय सहायतार्थ एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसकी लागत 256.23 करोड़ रुपये होने की आशा है। 1995-96 के दौरान भारत सरकार ने आपदा राहत कोष के केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य सरकार को 14.91 करोड़ रुपए की राशि की दो किस्तें निर्युक्त की हैं।

## यूनिसेफ सहायता

**232. श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में 'यूनिसेफ' की सहायता से शिक्षा के प्रसार हेतु चलायी जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को शुरू करने के समय क्या लक्ष्य तय किया गया था;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (घ). गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ की सहायता से शुरू की गई परियोजनाएं हैं : सब के लिए शिक्षा (इ एफ ए), विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा परियोजना (पी आई ई डी). सबके लिए शिक्षा (ई एफ ए)/प्राथमिक शिक्षा सर्वमुलभीकरण (यू पी इ) हेतु जिला आयोजना, समेकित बाल विकास सेवाएं (आइ सी डी एस) हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों में शिक्षा संबंधी राज्य कार्य योजना का विकास/कार्यान्वयन, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों (एम एल एल) को प्राप्त करने के लिए सक्षमता आधारित पाठ्यपुस्तकें तैयार करना, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों (एम एल एल) को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा क्षमता का निर्माण करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता का निर्माण जिसमें औपचारिक प्राथमिक शिक्षा में विकलांग बच्चों को संघटित करने के लिए समुदायों को प्रेरित करना तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रारंभिक शैशव देख रेख एवं शिक्षा (इ सी सी ई), आदि के लिए पाठ्यचर्या और सामग्रियों का विकास शामिल है।

ये कार्यकलाप कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। चूंकि ये प्रक्रिया उन्मुख कार्यकलाप हैं अतः कोई लक्ष्य निधारित नहीं है। इन कार्यकलापों पर 23.25 लाख रू. व्यय किए जा चुके हैं।

## कान्हा राष्ट्रीय उद्यान

**233. श्री पूरसराम भारद्वाज** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों और अन्य प्रमुख प्रजातियों के प्राणियों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने इस उद्यान में अवैध शिकार रोकने और इसका विकास करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी सहायता प्रदान की?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) 1994 में की गई गणनानुसार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों तथा कुछ मुख्य प्रजातियों की अनुमनित संख्या निम्नवत् है

| | | |
|---|---|---|
| 1. | बाघ | 100 |
| 2. | चीतल | 21717 |
| 3. | बारहसिंगा | 366 |
| 4. | गौर | 1230 |
| 5. | भालू | 53 |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | सांभर | 4346 |
| 7. | तेंदुए | 72 |

(ख) और (ग). इस उद्यान में शिकार पर रोक लगाने तथा उद्यान के विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(एक) राज्य सरकारों को सर्तकता सुदृढ़ करने और गस्त तेज करने के लिए कहा गया है।

(दो) विशेष प्रहारक बल गठित करने के लिए कदम उठाने शुरू किए गए हैं।

(तीन) भारत में मध्य प्रदेश, जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है, को 'बाघ राज्य' नामित किया गया है ताकि बाघ और उसके वासस्थल के संरक्षण पर ध्यान आकृष्ट हो सके।

(चार) मध्य प्रदेश सरकार ने अवैध शिकार के निवारण और उसका पता लगाने के लिए विभिन्न प्रवर्तन अभिकरणों के बीच तालमेल सुनिश्चित करने के लिए एक बाघ सेल स्थापित की है।

(पांच) उक्त उद्यान के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार नियमित रूप से सहायता प्रदान कर रही है। पिछले तीन वर्षों में दी गई सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

| | |
|---|---|
| 1992-93 | 61.061 लाख रुपये |
| 1993-94 | 75.301 लाख रुपये |
| 1994-95 | 74.349 लाख रुपये |

**[हिन्दी]**

## आपरेशन ब्लैक बोर्ड

**234. श्री राम निहोर राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के लिए राज्य वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) इस योजना का क्या परिणाम रहा और इन परिणामों के परिप्रेक्ष्य में क्या परिवर्तन किए जाने हैं तथा यह योजना कब तक जारी रहेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) यह सूचना इस मंत्रालय की वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट मे दी गई है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करना था। अब तक, इस योजना द्वारा कवर किए गए देश के सभी प्राथमिक स्कूलों को शिक्षण अध्ययन उपस्कर के लिए पूर्णतः केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है और आठवीं योजना के दौरान उच्च प्राथमिक स्कूलों को सम्मिलित करने के लिए इस योजना के क्षेत्र को बढ़ाया गया है।

**[अनुवाद]**

## पर्यावरणीय न्यायाधिकरण

**235. श्री राम प्रसाद सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरणीय न्यायाधिकरण कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या पर्यावरणीय प्रदूषण संबंधी आरोपों की जांच करने के लिए न्यायाधिकरणों के अन्तर्गत जांच प्रकोष्ठ स्थापित किए जायेंगे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेडियोधर्मी दुर्घटनाओं से पैदा होने वाले दायित्वों से किस प्रकार निपटा जायेगा?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में स्थापित की जाएगी। शुरू में इसकी अन्य पीठें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित की जाएंगी और धीरे-धीरे अधिकांश राज्यों की राजधानियों में भी स्थापित की जाएंगी।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की शक्तियाँ किसी परिसंटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय हुई किसी दुर्घटना से व्यक्तियों, सम्पति और पर्यावरण को हुई क्षति के लिए राहत और मुआवजा देने तक ही सीमित हैं। इसलिए पर्यावरणीय प्रदूषण के आरोपों की जांच करने के लिए जांच कक्ष की स्थापना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पर्यावरण न्यायाधिकरण रेडियो-धर्मी दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी दायिता का निपटारा नहीं करेगा।

**[हिन्दी]**

## जलाशयों में मत्स्यन

**236. श्री दत्ता मेघे :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जलाशयों में मत्स्यन के लिए केन्द्र सरकार को कोई योजना भेजी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होता।

**[अनुवाद]**

## पर्यावरण संबंधी शिक्षा

**237. डा. पी. वल्लल पेरूमान** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विद्यालय और महाविद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रम स्तर पर संसाधन और पर्यावरणीय प्रबंधन प्रशिक्षण संबंधी उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और समिति ने अब तक कितना कार्य किया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में पर्यावरण संबंधी शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए वातावरण का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) इस समिति के अध्यक्ष श्री बी. बी. ईश्वरन हैं तथा विशेषज्ञों के रूप में ग्यारह सदस्य हैं जो विभिन्न प्रख्यात संस्थाओं और प्रर्यावरणीय प्रबन्ध एवं शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं।

समिति की अनेक बैठकें हो चुकी हैं और उसने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पर्यावरणीय शिक्षा की वर्तमान स्थिति के संबंध में सुसंगत सूचना मांगी है। समिति अब अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने जा रही है।

(ग) सरकार शिक्षकों तथा अन्यों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण सहित स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय स्तरों पर शिक्षा की औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रणालियों में पर्यावरणीय अवधारणा को शामिल करने में सफल रही है। सरकार की विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के जरिए जनता के विभिन्न वर्गों में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा की जा रही है।

**[हिन्दी]**

## बीजों की कमी

**238. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में कपास, बाजरा इत्यादि के बीजों की अत्यधिक कमी है, जिसके कारण इनकी बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की जा रही है तथा कृषकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इनकी कालाबाजारी रोकने तथा किसानों को इन्हें आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) महाराष्ट्र में, किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी बीज संगठनों के माध्यम से कपास, कबन्न आदि सहित पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हैं।

(ख) महाराष्ट्र ने आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए भी प्रबन्ध किए हैं। राज्य सरकार ने बीज अधिनियम, 1966 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 में दी गई शर्तों के अनुसार बीज की गुणवत्ता पर नियंत्रण किया है जिसके फलस्वरूप सहज ही उचित दामों पर बीज वितरण हो रहा है।

**[अनुवाद]**

## मत्स्य पालन

**239. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने उद्योग मत्स्य पालन में लगे हुए हैं;

(ख) राज्य में मछली पालन पर आधारित उद्योग के लगाए जाने के संबंध में कितने आवेदन विचाराधीन हैं; और

(ग) सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने आवेदन स्वीकृत किए गए ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार)** : (क) भारत सरकार ने उड़ीसा में चार मत्स्य पालन इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी है।

(ख) इस मंत्रालय में उड़ीसा में मत्स्यपालन इकाइयां स्थापित करने के लिए कोई भी आवेदन पत्र बकाया नहीं है।

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए दो आवदेन पत्रों को स्वीकृति दी गई है।

**[हिन्दी]**

**चीनी उद्योग**

**240. श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी उद्योग के सह-उत्पादों को प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अनुसंधान के अनुसार अन्य किन-किन उत्पादों के लिए गन्ने का उपयोग किया जा सकता है ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) केन्द्र सरकार के पास चीनी उद्योग के सह-उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कोई निश्चित योजना नहीं है। इस तरह के प्रोजेक्ट पर कार्य करना चीनी फैक्ट्री संस्थानों की अपनी व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर ने चीनी उद्योग के सह-उत्पादों के संबंध में निम्नलिखित अनुसंधान कार्य किया है :-

(1) सल्फीटेशन प्रैस मड से गन्ना वैक्स का निर्माण तथा शोधन।

(2) शीरे के कम्प्रैस्ड बेकर्स यीस्ट

(3) खोई से पशु चारा।

(4) शीरे से ओक्सलिक एसिड

उपरोक्त के अतिरिक्त चीनी के निम्नलिखित सह उत्पादन बनाए जा रहे हैं:-

(एक) खोई से कागज तथा पार्टिकल बोर्ड

(दो) अतिरिक्त उर्जा की सह उत्पत्ति

अन्य सह उत्पाद जिस के लिए गन्ने का उपयोग किया जा सकता है और जैसा कि अनुसंधान किया गया है गन्ने के जूस से अल्कोहल का उत्पादन किया जा सकता है।

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति**

**241. श्री कांशीराम राणा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी से पूरा किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में प्राप्त प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अंतर्गत आने वाली विभिन्न योजनाओं को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.) 1986 के पैरा 10.9 और उसकी कार्य योजना (पी.ओ.ए.), 1992 में की गई घोषणा के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने (यू.ई.ई.), संपूर्ण प्रौढ़ साक्षरता, शिक्षा के व्यावसायीकरण, आदि के लिए विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठन सहयोग करने की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की सूची, जिन्हें काफी अनुदान दिए गए हैं, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दी गई हैं।

(ग) संपूर्ण साक्षरता अभियानों (टी.एल.सी.) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) और गैर औपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.) जैसे कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता और स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में वृहत् पैमाने पर सामुदायिक सहभागिता के लिए शिक्षा में विकेन्द्रीकृत प्रबंधन की स्थापना के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

**[अनुवाद]**

**मछली पकड़ने के क्षेत्रों का सीमांकन**

**242. श्री एन. डेनिस** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मछली पकड़ने के संबंध में बार-बार होने वाले झगड़ों को रोकने और इस कार्य को सुगम बनाने हेतु इसके तीन प्रमुख साधनों अर्थात् परम्परागत नौकाओं, यांत्रिक नौकाओं तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों के आधार पर इस कार्य को तीन क्षेत्रों में बांटकर इन तीन प्रमुख क्षेत्रों का सीमांकन करने हेतु एक व्यापक कानून बनाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). परम्परागत नौकाओं, यांत्रिक नावों तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के जलयानों जैसे मत्स्यन प्रचालनों के तीन मुख्य क्षेत्रों का सीमांकन करने हेतु व्यापक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, इस तथ्य के कारण कि इन मछली पकड़ने वाली नावों/जलयानों का मत्स्यन संबंधी प्रचालन राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न कानूनों के अंतर्गत नियंत्रित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंदर मछली पकड़ने तथा मात्स्यिकी का अधिकार राज्य का विषय है अतः प्रादेशिक जल क्षेत्र के अंदर मछली पकड़ने संबंधी विनियमन 1978 में इस मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर गुजरात राज्य के अलावा समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा बनाए गए समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय एकान्तिक क्षेत्र में प्रादेशिक जल से आगे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा मछली पकड़ने को मिलाकर मछली पकड़ने आदि से संबंधित मामले भारत सरकार (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) द्वारा देखे जा रहे हैं। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को पूर्व तथा पश्चिम दोनों तटों पर प्रादेशिक जल क्षेत्र (12 समुद्री मील) से आगे तक ही प्रचालित करने की अनुमति है। मछली पकड़ने वाली विदेशी जलयानों द्वारा भारतीय एकान्तिक क्षेत्र में मत्स्यन विनियम भारतीय समुद्रीय क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मछली पकड़ने का विनियमन) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत किया जाता है। विदेशी झंडे लगे जलयानों (चार्टर/पट्टे जैसे) के मामले में, मत्स्यन प्रचालन की अनुमति पूर्व तट में केवल 12 समुद्री मील से आगे तथा पश्चिमी तट में 24 समुद्री मील से आगे तक है। इसके अलावा, कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र भी हैं जहां विदेशी झंडों के तहत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को प्रचालित करने की अनुमति नहीं है।

**खाद्य मंत्रालय के अधिकारी**

**243. श्री राज नारायण** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के ''ए'' तथा ''बी'' ग्रुपों के अधिकारियों के विरूद्ध आर्थिक अपराधों आदि के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें की गई, श्रेणी-वार तथा कार्यालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार कुल कितने मुकदमें दायर किए गए और कितने मुकदमें दर्ज हुए;

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग को ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट की गई और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या कुछ संसद सदस्यों ने खाद्य मंत्रालय तथा इससे सम्बद्ध कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध आर्थिक पक्षपात के मामलों की रिपोर्ट वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्री अन्वेषण ब्यूरो को जांच हेतु की है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह)** : (क) से (ग). खाद्य मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों के ''ए'' ''बी'' ग्रुप के अधिकारियों के विरूद्ध आर्थिक अपराधों आदि के लिए गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों की श्रेणीवार संख्या और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान किसी संसद सदस्य ने खाद्य मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध आर्थिक पक्षपात के बारे में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सूचित नहीं किया है।

**विवरण**

| वर्ष | प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या (श्रेणी-वार) | | दायर किए मामले | | दर्ज किए गए मामले | | केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए मामले |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ''ए'' | ''बी'' | ''ए'' | ''बी'' | ''ए'' | ''बी'' | |
| **खाद्य मंत्रालय** | | | | | | | |
| 1992 | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 | 2* |
| 1993 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3** |
| **शर्करा निदेशालय** | | | | | | | |
| 1992 | 1 | - | 1 | - | - | | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - |

* 1992 के दौरान प्राप्त 4 शिकायतों में से दो मामले केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गए थे। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दो मामलों में प्रमुख दण्ड देने का परामर्श दिया था। श्रेणी ''बी'' का एक मामला प्रमुख दण्ड लागू करने के बाद बन्द कर दिया गया है। हाल ही में एक मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दूसरी बार परामर्श हेतु भेजा है।

** 1994 के दौरान प्राप्त तीन शिकायतें/मामले पहली बार परामर्श हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गये हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

**बीज निगम**

**244. श्री राम कृपाल यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बीज निगमों के कार्यकरण में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को इस संबंध में कितनी सफलता मिली है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) दो राष्ट्रीय और 10 राज्य बीज निगमों को 121.50 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। मार्जिन धनराशि साम्य पूंजी में अंशदान, संस्थागत वित्त के संग्रहण में योगदान करने वालों के हिस्से, सरकार और बैंकों को ऋण के पुनर्भुगतान के जरिए वित्तीय और प्रचालनात्मक पुनर्संरचना के लिए निगमों को सहायता दी जाती है।

(ख) निगमों को मुहैया की गई सहायता से इन निगमों की वित्तीय और कार्यकारी क्षमता में सुधार हुआ है और इससे ऋण भार में कमी, वित्तीय और भौतिक कारोबार में वृद्धि हुई है, संगठन की पुनःसंरचना करने, बुनियादी सुविधाओं के सृजन में मदद मिली है और वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

**उचित मूल्य की दुकानों पर घटिया किस्म की चीनी की आपूर्ति**

**245. डा० (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम** : क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य की दुकानों में आयातित चीनी की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) उचित मूल्य की दुकान में घटिया किस्म की चीनी की आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या नवम्बर तथा दिसम्बर, 1994 के लिए चीनी के कोटे के लिए पूर्णतः आयातित चीनी ही दी गई है;

(घ) क्या उचित मूल्य की दुकानों को आपूर्ति की जा रही चीनी का मूल्य पूरे देश में समान है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) से (ङ). सितम्बर, 1994 से मार्च, 1995 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी के आवंटन में आयातित तथा देशीय चीनी का मिश्रण था। उचित दर दुकानों को चीनी का वास्तविक वितरण करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल कार्य में यहाँ-वहाँ कुछ कमियों से पूर्णतः इंकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उचित दर दुकानों को घटिया आयातित चीनी की आपूर्ति किए जाने के बारे में शिकायतें केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से ही प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की जांच की गई थी और उचित दर दुकानों को सप्लाई की गई घटिया चीनी को बदल दिया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी देश भर में 9.05 रुपए प्रति किलोग्राम के एक समान खुदरा मूल्य पर वितरित की जाती है।

**गुजरात में मूंगफली को प्रोत्साहन**

**246. श्री हरिभाई ननजी पटेल**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में मूंगफली की पैदावार वाले क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई और ऐसी कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) राज्य में, जिला-वार, कुल कितने क्षेत्र को कृषि में शामिल किया गया;

(ग) इस योजना के अंतर्गत वास्तव में कितने किसानों को लाभ हुआ; और

(घ) राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान मूंगफली का वर्ष-वार कुल कितना उत्पादन हुआ और 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात राज्य के मूंगफली वाले क्षेत्रों सहित तिलहनों के सवंर्धन के लिए आवंटित और निर्मुक्त निधि निम्नानुसार है :-

(लाख रुपये में)

| वर्ष | आवंटित निधि | निर्मुक्त निधि |
|---|---|---|
| 1992-93 | 725.00 | 725.00 |
| 1993-94 | 1139.249 | 931.449 |
| 1994-95 | 948.750 | 500.00 |

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किसानों की कुल संख्या इस प्रकार है:

| वर्ष | किसानों की कुल संख्या |
|---|---|
| 1992-93 | उपलब्ध नहीं |
| 1993-94 | 316986 |
| 1994-95 | 215427 |

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में मूंगफली का कुल उत्पादन निम्नानुसार रहा :-

| वर्ष | उत्पादन (हजार मीटरी टन) |
|---|---|
| 1992-93 | 2068.4 |
| 1993-94 | 676.6 |
| 1994-95 | 2369.0 (अंतरिम) |

1995-96 के दौरान राज्य के लिए मूंगफली के वास्ते 1755.00 हजार मीटरी टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**विवरण**

क्षेत्र 00 हैक्टेयर में

| क्र.सं. जिला | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1. अहमदाबाद | 21 | 6 | 3 |
| 2. बनासकांठा | 26 | 28 | 21 |
| 3. बड़ौदा | 220 | 217 | 69 |
| 4. भरौच | 107 | 110 | 36 |
| 5. वलसाड़ | 16 | 12 | 5 |
| 6. डांग्स | 10 | 11 | 33 |
| 7. गांधीनगर | 2 | 2 | - |
| 8. कैरा | 145 | 139 | 24 |
| 9. मेहसाना | 23 | 32 | 23 |
| 10. पंचमहल | 189 | 186 | 67 |
| 11. साबरकांठा | 387 | 382 | 308 |
| 12. सूरत | 259 | 221 | 112 |
| 13. अमरेली | 2890 | 3276 | 3189 |
| 14. भावनगर | 2180 | 2488 | 2100 |
| 15. जामनगर | 3335 | 3936 | 3572 |
| 16. जूनागढ़ | 3816 | 4017 | 3927 |
| 17. कच्छ | 925 | 541 | 627 |
| 18. राजकोट | 3912 | 4632 | 4202 |
| 19. सुरेन्द्रनगर | 377 | 294 | 245 |
| **गुजरात राज्य** | **18840** | **20530** | **18563** |

**[हिन्दी]**

**दलहनों/तिलहनों का उत्पादन**

**247. श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य-वार अलग-अलग दलहनों और तिलहनों का कुल उत्पादन क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दलहनों और तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार और योजना-वार कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ग) क्या दलहनों और तिलहनों के मूल्य लगातार बढ़ रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 (संभावित) के दौरान दलहनों तथा तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) तिलहनों तथा दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदत्त केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) तिलहनों तथा दलहनों एवं अन्य जिन्सों की कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। तथापि, हाल ही में दालों की कीमतों में कुछ अधिक वृद्धि हुई है।

(घ) देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए दीर्घावधि उपायों के अलावा सरकार द्वारा दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए किए गए उपायों में दालों के आयात को सामान्य खुले लाइसेन्स के अन्तर्गत लाना, दालों के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना आदि शामिल है। हाल ही में दलहन, खाद्य तेल तथा खाद्य तेल (भंडारण नियंत्रण) आदेश, 1977 में संशोधन किया गया है एवं आयातित दालों को उपुर्यक्त आदेश के तहत निर्धारित भण्डारण सीमा से बाहर रखा गया है। इनके अलावा, दालों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्य व्यापार निगम तथा नेफेड जैसी एजेन्सियों को दालों की वांछित मात्रा का आयात करने की अनुमति दी गई है। सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों जैसे केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों द्वारा भी दालों की सप्लाई की जाती है।

**विवरण-I**

**1.8.95 तक दलहनों एवं तिलहनों का उत्पादन**

(000 टन)

| राज्य | कुल दलहन | | | कुल तिलहन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 (संभावित) | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 (संभावित) |
| आन्ध्र प्रदेश | 739.0 | 609.8 | 590 | 2312.7 | 2845.6 | 2354 |
| असम | 51.1 | 57.0 | 65 | 149.7 | 144.7 | 176 |
| बिहार | 693.3 | 754.8 | 940 | 117.6 | 151.4 | 251 |
| गुजरात | 648.1 | 537.9 | 541 | 3185.6 | 1572.4 | 3725 |
| हरियाणा | 330.2 | 469.6 | 485 | 588.4 | 869.7 | 908 |
| हिमाचल प्रदेश | 12.2 | 10.8 | 17 | 7.4 | 4.7 | 12 |
| जम्मू और कश्मीर | 18.1 | 18.1 | 21 | 47.7 | 47.7 | 49 |
| कर्नाटक | 562.6 | 599.6 | 638 | 1761.2 | 1940.5 | 1634 |
| केरल | 20.0 | 19.2 | 19 | 12.4 | 12.7 | 12 |
| मध्य प्रदेश | 2898.2 | 3362.7 | 3565 | 3583.4 | 4576.6 | 3587 |
| महाराष्ट्र | 1829.1 | 2013.4 | 1597 | 1771.5 | 2346.2 | 1920 |
| उड़ीसा | 362.4 | 387.4 | 855 | 240.8 | 255.1 | 608 |
| पंजाब | 74.6 | 73.6 | 91 | 231.2 | 232.2 | 271 |
| राजस्थान | 1457.9 | 1068.7 | 1315 | 2541.5 | 2402.8 | 2952 |
| तमिलनाडु | 342.7 | 397.1 | 446 | 1866.1 | 2025.5 | 1731 |
| उत्तर प्रदेश | 2526.9 | 2488.3 | 2441 | 1202.2 | 1532.9 | 1467 |
| पश्चिम बंगाल | 198.6 | 178.1 | 203 | 411.0 | 436.6 | 541 |
| अन्य | 49.5 | 53.5 | 49 | 76.1 | 81.9 | 78 |
| **अखिल भारत** | **12814.5** | **13099.6** | **13878** | **20106.5** | **21479.2** | **22276** |

विवरण-II

**राष्ट्रीय दलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 से 1994-95 के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशि**

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | राज्य | जारी धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 90.417 | 126.00 | 24.64 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 1.43 | 2.00 | 1.95 |
| 3. | असम | 14.51 | 8.00 | - |
| 4. | बिहार | 102.061 | 89.00 | 33.00 |
| 5. | गोवा | 1.43 | 2.00 | - |
| 6. | गुजरात | 95.949 | 51.50 | 78.41 |
| 7. | हरियाणा | 74.556 | 100.00 | - |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 12.505 | 7.00 | - |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 9.554 | 10.00 | - |
| 10. | कर्नाटक | 99.848 | 138.11 | 32.00 |
| 11. | केरल | 9.135 | 10.00 | 11.00 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 294.20 | 480.00 | 4.78 |
| 13. | महाराष्ट्र | 158.046 | 373.00 | 456.81 |
| 14. | मणिपुर | 4.564 | 4.16 | 4.97 |
| 15. | मेघालय | 4.564 | 5.00 | - |
| 16. | नागालैंड | 3.009 | 4.00 | 12.00 |
| 17. | उड़ीसा | 65.449 | 100.00 | - |
| 18. | पंजाब | 24.625 | 30.00 | 1.24 |
| 19. | राजस्थान | 166.319 | 261.45 | 311.44 |
| 20. | सिक्किम | 7.798 | 8.00 | 10.00 |
| 21. | तमिलनाडु | 80.269 | 110.00 | 137.43 |
| 22. | त्रिपुरा | 5.81 | 6.00 | 7.00 |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 233.099 | 405.00 | 413.87 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 28.359 | 35.00 | 20.15 |
| 25. | अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह | 0.50 | 2.00 | 1.00 |
| 26. | दिल्ली | - | 1.00 | 0.72 |
| | **उप जोड़** | **1588.0066** | **2368.22** | **1562.41** |
| 27. | एन.एम.सी./एफ.एफ.सी.आई. | 91.27 | 50.00 | 95.78 |
| 28. | ए.एफ.सी. | 15 00 | 29.65 | 35.55 |
| 29. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद | 100.00 | 60.00 | 163.00 |
| | **सकल योग** | **1794.276** | **2507.87** | **1856.74** |

विवरण-III

**राष्ट्रीय तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1993-94 से 1994-95 के दौरान राज्यों की जारी की गई धनराशि**

(लाख रुपए में)

| क्र.स. | राज्य | तिलहन जारी धनराशी | | | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 855.50 | 1436.66 | 1452.10 | 3744.150 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 6.75 | 29.891 | 28.52 | 65.161 |
| 3. | असम | 149.00 | 155.743 | 231.85 | 536.593 |
| 4. | बिहार | 153.00 | 69.12 | - | 222.120 |
| 5. | गुजरात | 725.50 | 931.449 | 500.00 | 2156.949 |
| 6. | हरियाणा | 215.00 | 160.81 | - | 375.810 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 30.00 | 14.43 | - | 44.430 |
| 8. | जम्मू-कश्मीर | 41.50 | 66.397 | - | 107.897 |
| 9. | कर्नाटक | 685.00 | 750.00 | 715.20 | 2150.200 |
| 10. | केरल | - | - | 67.50 | 67.500 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 730.35 | 1005.849 | 1379.04 | 3115.239 |
| 12. | महाराष्ट्र | 733.71 | 985.00 | 961.52 | 2680.230 |
| 13. | मणिपुर | 15.00 | 22.026 | 8.775 | 45.801 |
| 14. | मेघालय | 6.75 | 15.825 | 7.50 | 30.075 |
| 15. | उड़ीसा | 315.08 | 430.447 | 457.335 | 1202.862 |
| 16. | पंजाब | 128.50 | 187.50 | 64.00 | 380.00 |
| 17. | राजस्थान | 551.00 | 830.438 | 811.89 | 2193.328 |
| 18. | सिक्किम | 43.00 | 55.857 | 52.723 | 151.580 |
| 19. | तमिलनाडु | 653.00 | 1425.00 | 1337.785 | 3415.785 |
| 20. | त्रिपुरा | 15.47 | 67.276 | 11.50 | 94.246 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 459.63 | 193.24 | 511.90 | 1164.770 |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 125.17 | 224.792 | 225.00 | 574.962 |
| | **कुल :** | **6699.91** | **9048.00** | **8824.138** | **24519.688** |

## घटिया कीटनाशक

**248. श्री बृजभूषण शरण सिंह :**
**श्री अमर पाल सिंह:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में घटिया कीटनाशकों की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को पता लगे मामलों का ब्यौरा क्या है और इसमें दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में घटिया कीटनाशकों की बिक्री को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) राज्यों की कीटनाशी दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कीटनाशी दवा निरीक्षकों के द्वारा देश के विभिन्न भागों से एकत्र किए गए कीटनाशी दवा के नमूनों के विश्लेषण संबंधी आंकड़ों से पता चलता है कि कीटनाशी दवाओं के औसतन 3 से 5 प्रतिशत नमूनें अवमानक स्तर के/ गलत ब्राण्ड वाले होते है।

(ख) विवरण-I तथा II संलग्न हैं।

(ग) संबंधित राज्यों के कीटनाशी दवा निरीक्षक कीटनाशी दवा विनिर्माण कारखानों तथा थोक एवं खुदरा बिक्री केन्द्रों से नमूने लेते हैं।

भारत सरकार द्वारा 49 कीटनाशी दवा निरीक्षकों को नमूने लेने हेतु अधिसूचित किया गया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक और क्षेत्रीय कीटनाशी दवा परीक्षण प्रयोगशाला खोलने का निर्णय लिया गया है।

राज्यों की कीटनाशी दवा प्रयोगशालाओं के विश्लेषणों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के लिए कीटनाशी दवा उद्योग के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

राज्यों की कीटनाशी दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में 600 लाख रुपए के परिव्यय का प्रावधान रखा गया है।

**विवरण - I**

**राज्यों की कीटनाशी दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए प्राप्त कीटनाशी दवाओं के नमूनों के विश्लेषण से संबंधित आंकड़े**

| क्र.सं. | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | रा.की.द. प.प्र.की सं० | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | विश्लेषित नमूने | अवमानक | विश्लेषित नमूने | अवमानक |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 4 | 7583 | 508 (6.5) | 5513 | 138 (2.5) |
| 2. | असम | 1 | 26 | 2 (7.6) | 90 | - (0%) |
| 3. | बिहार | 1 | 110 | 6 (5.4) | - | - |
| 4. | गुजरात | 2 | 2821 | 173 (6.1) | 2348 | 175(7.45) |
| 5. | हरियाणा | 1 | 910 | 167 (18.3) | 360 | 48(13.3) |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 856 | - | - | - |
| 7. | कर्नाटक | 2 | 2224 | 117 (5.3) | 1116 | 68 (6.0) |
| 8. | केरल | 1 | 1467 | 15 (1.02) | - | - |
| 9. | मध्य प्रदेश | 1 | 832 | 21 (2.5) | 338 | 56 (16.5) |
| 10. | महाराष्ट्र | 4 | 3393 | 61 (1.8) | 391 | 5 (1.27) |
| 11. | मणिपुर | 1 | 12 | - | 18 | - (0.0) |
| 12. | उड़ीसा | 1 | 833 | 5 (0.6) | 762 | 8 (1.0) |
| 13. | पंजाब | 3 | 1033 | 148 (8.07) | 2711 | 149 (5.49) |
| 14. | राजस्थान | 2 | 578 | 113 (12.8) | 501 | 71 (14.0) |
| 15. | तमिलनाडु | 9 | 12569 | 197 (1.6) | 8899 | 122 (1.37) |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 3 | 3424 | 128 (3.7) | 1577 | 81 (1.37) |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 1 | 375 | - | - | - |
| 18. | पाण्डिचेरी | 1 | 467 | 6 (1.01) | 136 | - |
| 19. | मिजोरम | 1 | - | - | - | - |

रा.की.द.प.प्र. की संख्या राज्य कीटनाशी दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अवमानमक स्तर के/गलत ब्राण्ड वाले नमूनों का प्रतिशत दर्शाते हैं।

**विवरण-।।**

**की गई कार्रवाई संबंधी आंकड़े**

(अप्रैल 94 से दिसम्बर 94 तक)

| राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम | लाइसेंस | | अभियोजन | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | निलंबित | खारिज | चलाए गए | निर्णित | सजा दी गई |
| 1.आंध्र प्रदेश | 2 | – | 35 | 17 | 26 |
| 2.अरुणाचल प्रदेश | – | – | – | – | – |
| 3.असम | – | – | – | – | – |
| 4.बिहार | – | – | – | – | – |
| 5.गोवा | – | – | – | – | – |
| 6.गुजरात | – | – | 29 | 28 | 21 |
| 7.हरियाणा | – | 4 | 30 | – | – |
| 8.हिमाचल प्रदेश | – | – | – | – | – |
| 9.जम्मू और कश्मीर | – | – | 6 | – | – |
| 10. कर्नाटक | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 11. केरल | -समुचित कार्रवाई की जा रही है। | | | | |
| 12. मध्य प्रदेश | 64 | 3 | 20 | प्रतीक्षित | – |
| 13. महाराष्ट्र | – | 2 | 5 | – | – |
| 14. मणिपुर | – | – | – | – | – |
| 15. मेघालय | – | – | – | – | – |
| 16. मिजोरम | – | – | – | – | – |
| 17. नागालैण्ड | – | – | – | – | – |
| 18. उड़ीसा | – | – | – | – | – |
| 19. पंजाब | 2 | 26 | 135 | – | – |
| 20. राजस्थान | – | – | 1 | – | – |
| 21. सिक्किम | – | – | – | – | – |
| 22. तमिलनाडु | 33 | – | 14 | 25 | – |
| 23. त्रिपुरा | – | – | – | – | – |
| 24. उत्तर प्रदेश | – | – | 81 | 9 | – |
| 25. पश्चिम बंगाल | 2 | 2 | 6 | – | – |
| 26. अंडमान व निको. द्वी. समूह | – | – | – | – | – |
| 27. दादर व नगर हवेली | – | – | – | – | – |
| 28. चण्डीगढ़ | – | – | – | – | – |
| 29. दिल्ली | – | 1 | 15 | – | – |
| 30. दमन व दीव | – | 1 | 15 | – | – |
| 31. लक्षद्वीप | – | – | – | – | – |
| 32. पाण्डिचेरी | – | – | – | – | – |

**[अनुवाद]**

**जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय**

**249. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 21 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1080 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एन.ए.ए. कैम्पस के कर्मचारियों द्वारा कब्जा किए गए आवास को खाली कराने के मामले में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) से (ग). जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, एन.ए.ए. कैम्पस के 120 टाईप-I तथा 40 टाईप-II आवासीय क्वार्टर अभी भी विश्वविद्यालय के पास हैं। इन कर्मचारियों को देने के लिए बनाये जाने वाले मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यद्यपि अभी इन कर्मचारियों को वहां स्थानांतरित करना संभव नहीं हुआ है क्योंकि नगर निगम ने इन मकानों के लिए अतिरिक्त जल आपूर्ति की व्यवस्था अभी तक नहीं की है। सरकार ने इस मामले को निगम के साथ उठाया है।

## गुजरात में पर्यावरण और वनीय परियोजनाएं

**250. श्री अरविंद त्रिवेदी :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्य में पर्यावरण और वनीय विकास संबंधी कुछ परियोजनाएं आरंभ की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में अब तक हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान किन-किन परियोजनाओं के आरम्भ होने की संभावना है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) से (ग). गत तीन वर्षों, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में सरकार द्वारा चलाई जा रही पर्यावरणीय तथा वानिकी विकास परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

### विवरण

(लाख रुपयों में)

| क्र.सं. | स्कीम का नाम | मुख्य उद्देश्य | निधि की स्थिति | | गत तीन वर्षों के दौरान उपलब्धि | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 92.93 | 93.94 | 94.95 | | |
| | | | | | वित्तीय | | भौतिक | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास | राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास | 100% | जारी | 29.64 | 36.06 | 31.70 | 16 | राष्ट्रीय उद्यान शामिल |
| 2. | सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारिविकास | राष्ट्रीय उद्यानों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना। | 100% अनावर्ती 50% आवर्ती | जारी | 19.57 | 14.04 | - | 5 | राष्ट्रीय उद्यान शामिल |
| 3. | केन्द्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण | चिड़ियाघरों का दर्जा बढ़ाना | 100% | जारी | - | 14.08 | 3.75 | 3 | चिड़ियाघर शामिल |
| 4. | भागीदारी के आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरूद्धार में अनुसूचित जातियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना। | अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जातियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना | 100% | जारी | - | 10.36 | - | - | उपलब्ध नहीं। |
| 5. | आधुनिक दावानल पद्धतियां | वनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दावानल का नियंत्रण। | 100% | जारी | 5.00 | 8.00 | 3.40 | - | लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित |
| 6. | पर्यावरण वाहिनी स्कीम | जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना | 100% | जारी | 0.54 | 1.02 | - | - | चार जिलों में स्थापित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | वानस्पतिक उद्यानों को सहायता | वानस्पतिक उद्यानों का दर्जा बढ़ाना | 100% | जारी | - | 7.15 | 6.05 | 2 | बनस्पति उद्यान शामिल |
| 8. | प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता | तकनीकी जनशक्ति के जरिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मजबूत बनाना। | 100% | जारी | 8.08 | 6.84 | - | | लक्ष्य वित्तीय वंटनों के रूप में निर्धारित |
| 9. | राष्ट्रीय नदी संरक्षण स्कीम | साबरमती नदी का प्रदूषण उपशयन | 50% | साबरमती नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। | | | | | |
| 10. | औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज | औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज | 100% | जारी | 47.69 | 103.00 | 197.63 | | 1961 है0 क्षेत्र शामिल |
| 11. | बीज विकास स्कीम | क्वालिटी बीजों के लिए आधार भूत ढांचा तैयार करना। | 100% | जारी | 10.62 | 18.72 | 9.36 | | लक्ष्य वित्तीय वंटनों के रूप में निर्धारित |
| 12. | समेकित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना | वनीकरण और पारिविकास को वढ़ावा देना | 100% | जारी | - | - | 236.09 | | 3655 है0 क्षेत्र शामिल |
| 13. | क्षेत्रानुकूल ईंधन की लकड़ी और चारा स्कीम | अभिनिर्धारित ईंधन की कमी वाले जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना। | 50% | जारी | 120.85 | 84.87 | 60.00 | | 4876 है0 क्षेत्र शामिल |

**[हिन्दी]**

**खेलों को प्रोत्साहन देना**

**251. श्री डरिक्वेल प्रसाद** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई ठोस प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार युवाओं और छात्रों में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : (क) और (ख). जी, हाँ। सरकार प्राथमिक स्तर पर खेलों का संवर्धन करने के लिए कई योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :-

(एक) **ग्रामीण खेल कार्यक्रम** : इस योजना में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के जिला और राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता देना परिकल्पित है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण खेल क्लब/केन्द्र को 30,000/- रुपये तक का एक मुश्त अनुदान दिया जाता है, यदि ये खेल क्लब/केन्द्र गैर-जनजातीय ब्लाक में स्थित हों और जनजातीय ब्लाक में स्थित खेल क्लब/केन्द्र के लिए यह रकम 45,000/- रुपये है। ये अनुदान खेल उपस्करों के प्रयोजनार्थ हैं। तत्पश्चात् ऐसे क्लबों/केन्द्रों को दो वर्षों तक 5000/- रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है।

(दो) **ग्रामीण स्कूलों को खेल-मैदानों के विकास और गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए अनुदान** : ग्रामीण माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को खेल मैदानों के विकास और गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों की खरीद के लिए अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाती है।

(तीन) **खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां** : स्कूलों में पढ़ने वाले चुनिंदा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर क्रमशः 2700/-रुपये प्रति वर्ष और 4800/- रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं।

(चार) **राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा योजना**: इस योजना के तहत 9 से 12 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने का प्रयास किया जाता है। इन बच्चों के अपनाए गए केन्द्रों में दाखिल किया जाता है। जहां पर उनके भोजन, आवास, ट्यूशन फीस, पुस्तकों, खेल किटों, वर्दी इत्यादि का खर्च भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) वहन करता है। उन्हें चुनिंदा खेल विधाओं में कोचिंग और विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(पाँच) **विशेष क्षेत्र खेल योजना** : इस योजना के अंतर्गत ऐसे जनसंख्या समूहों और इलाकों की खोज की जाती है जहां किसी विशेष खेल के लिए प्राकृतिक प्रतिभा और रुझान विद्यमान होता है। होनहार युवा लड़कों और लड़कियों को विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) केन्द्रों में ऐसे पता लगाए गए विशेष खेलों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

(छः) **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप** : भारतीय खेल प्राधिकरण महिलाओं के लिए ब्लाक स्तर से राष्ट्रीय स्तर के वार्षिक खेल टूर्नामेंट आयोजित करता है।

(ग) और (घ). जी, हां। सरकार उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं के अलावा छात्रों में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के विचार से निम्नलिखित पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है :

(1) खेल मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करा कर खेलों में सामान्यतः भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(2) खेल और शारीरिक शिक्षा को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना।

(3) खेलों के विकास के लिए अपेक्षित वातावरण तैयार करने हेतु टेलीविजन मीडिया का लाभप्रद ढंग से प्रयोग करना।

(4) खेलों में सामूहिक पूंजी निवेश को बढ़ावा देना।

(5) कम लागत के खेल सामान की उपलब्धता को सुगम बनाना।

(6) प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार और उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में दाखिला देकर प्रोत्साहन देना।

इस प्रयोजनार्थ कोई अलग बजट आवंटन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

## टिकटों की बिक्री का गैर-सरकारीकरण

**252. श्री अन्ना जोशी:**
**प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे का विचार रेलगाड़ियों के टिकटों के आरक्षण का काम करने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के अन्य जोनों में भी ऐसी योजना लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ङ). किसी भी रेलवे पर गाड़ी में आरक्षण के लिए निजी पार्टियों द्वारा कंप्यूटर टर्मिनलों के परिचालन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

## ग्रुप ''डी'' के रिक्त पद

**253. श्री सोमजीभाई डामोर**: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे के रतलाम डिविजन में दनोद वर्क शाप सहित ग्रुप ''डी'' के कितने पद विभाग-वार रिक्त हैं;

(ख) क्या इन रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) रतलाम मंडल और दाहोद वर्कशाप में ''ग्रुप डी'' की रिक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :-

| विभाग | रिक्तियां रतलाम मंडल में | दाहोद कारखाना में |
|---|---|---|
| यांत्रिक | 35 | 138 |
| सिविल | 235 | - |
| बिजली | 6 | 24 |
| यातायात | 1 | - |
| वाणिज्य | 8 | - |
| सिगनल और दूर संचार | 21 | - |
| चिकित्सा | 21 | 21 |
| प्रशासन | 4 | - |
| भंडार | - | 36 |

(ख) और (ग). रिक्तियों का उत्पन्न होना तथा उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियां, पदोन्नतियों, त्यागपत्रों, सेवानिवृत्ति आदि के कारण उत्पन्न होती हैं तथा उन्हें पदोन्नतियों, खुले बाजार से सीधी भर्ती, फालतू हुए कर्मचारियों की पुनः तैनाती तथा नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों, आदि के माध्यम से भरा जाता है।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, कुछ अपवादों को छोड़कर, ग्रुप ''घ'' की सभी रिक्तियां वस्तुतः स्क्रीनिंग की आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों को समाहित करके भरी जा रही हैं। तदनुसार रेलवे ने ग्रुप ''घ'' की रिक्तियों को भरने के लिए नैमित्तिक श्रमिकों/एवजियों की सेवाओं का नियमन करने हेतु कार्रवाई शुरू की है।

## रेलवे पुल

**254. प्रो0 उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-मध्य में रेलवे कोव्वूर-राजमुंद्री में गोदावरी नदी पर तीसरा रेलवे पुल निर्माणधीन है;

(ख) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या इस पुल को सड़क-सह-रेल पुल में परिवर्तित करना संभव है;

(घ) क्या इस पुल को सड़क-सह-रेल पुल में परिवर्तित किए जाने की संभावना पर विचार करने हेतु कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस चरण में आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन कराये जाने का विचार है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)**: (क) जी, हाँ।

(ख) अगस्त, 1996।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## शिक्षा का प्रसार

**255. श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने देश में इस समय प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और पूर्ण साक्षरता के संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने संबंधी लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है; और

(घ) 1993 से आज तक केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को प्राथमिक शिक्षा देने हेतु कितनी धनराशि और क्या-क्या सुविधाएं राज्य-वार उपलब्ध कराई हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार ने प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इन कार्यक्रमों का विवरण, इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

(ग) और (घ). सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों में सभी सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया गया है। मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में नामांकन तथा पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों का राज्यवार विवरण दिया गया है। ये विवरण, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के मानदण्ड हैं। वार्षिक रिपोर्ट में, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी की गई निधियों का राज्यवार विवरण भी दिया गया है।

[अनुवाद]

**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति**

**256. कुमारी सुशीला तिरियाः**
**श्री गुरुदास कामत :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी के एयरोस्पेश इंजीनियरिंग के छात्रों ने एक अग्रणी संगठन से छात्रवृत्तियाँ लेने से इंकार कर दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के अन्तर्गत वैमानिकी अनुसंधान व विकास बोर्ड ने 1990-94 की अवधि के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों को 82 छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं, जिनमें से 30 का लाभ उठाया गया है। यह छात्रवृत्ति बंध-शर्त, प्रवीणता स्तर आदि जैसे विभिन्न कारणों से एरोस्पेस इंजीनियरी के छात्रों में लोकप्रिय नहीं है।

**उच्च शिक्षा का निजीकरण**

**257. श्री गुरुदास कामत** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). निजीकरण का अर्थ है राज्य द्वारा धारित किसी संस्था का नियंत्रण निजी क्षेत्र को सौंप देना। सरकार किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को निजी क्षेत्र में देने पर विचार नहीं कर रही है।

**गोलागरी की खरीद**

**258. श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**प्रो0 पी.जे. कुरियनः**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोलागरी के न्यूनतम मूल्य (फ्लोरप्राईस) की घोषणा कब की जायेगी तथा इसकी खरीद कब से शुरू की जायेगी;

(ख) क्या उपरोक्त दोनों तारीखों की घोषणा में अनावश्यक देरी हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो इसमें अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) केरल के नारियल की खेती करने वालों से गोलागरी की खरीद करने के लिए केरल को कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार की केरल की सरकार की ओर से ऐसे कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि यह आवंटन बहुत कम है और यह बाजार में नारियल के मूल्य बढ़ाने में सहायक नहीं होगा;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) अब तक नारियल की कितनी मात्रा में खरीद की गई है; और

(ज) क्या गोलागरी का प्रसंस्करण किया जायेगा और इसके तेल का उपयोग ''धारा'' तथा ''वनस्पति'' के उत्पादन में किया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) 1995 मौसम के लिये गोलागरी के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 23 मई, 1995 को की गई थी। नेफेड ने न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यक्रम के तहत 7 जुलाई, 1995 से गोलागरी की खरीद शुरू कर दी है।

(ख) और (ग). 1995 मौसम के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा तथा खरीद संबंधी प्रचालनों को शुरू करने में कुछ विलम्ब हुआ था। कुछ प्रशासनिक मुद्दों के कारण इन निर्णयों को लेने में विलम्ब हुआ है।

(घ) सरकार, गोलागरी की खरीद के लिये राज्य-वार कोई राशि आवंटित नहीं करती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं होता।

(छ) 24 जुलाई, 1995 तक नेफेड ने 1302 मीटरी टन मिलिंग गोलागरी की खरीद की है।

(ज) ''वनस्पति'' के उत्पादन में नारियल के तेल के उपप्रयोग को सरकार ने बिना किसी परिमाणात्मक प्रतिबंधों के अनुमति दे दी है।

**ईंधन की लकड़ी और चारा योजना**

**259. डा0 कृपासिंधु भोई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रोन्मुखी ईंधन लकड़ी और चारा योजना

को लिए आठवीं योजना के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: तेलोम्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजनाओं की स्कीम के लिए इवीं-योजना का परिव्यय 158 करोड़ रुपए है।

## तकनीकी संस्थान

**260. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार देश की तकनीकी संस्थाओं को मान्यता देने तथा मान्यता वापस लेने संबंधी प्रस्तावों की जांच शुरू की है; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक मान्यता देने तथा वापस लेने संबंधी कितने प्रस्ताव निपटाए गए है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) के उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हाँ।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अभी तक 1912 प्रस्तावों पर कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

## बांधों का निर्माण

**261. डा0 लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और मूल्यांकन संबंधी समिति ने यह सिफारिश की है कि देश में इस बड़े बांधों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इन बांधों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) नदी घाटी और जल विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए सरकार में गठित विशेषज्ञ समिति ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

## उपरिपुल

**262. श्री साइदुल सराकी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार के पास बिहार के पाकुड़ गोड्डा और साहिबगंज जिलों में रेल उपरि पुल के निर्माण के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए प्रस्तावित और निर्धारित लक्ष्य कितना-कितना है और इस संबंध में अनुमानित लागत कितनी होनी है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## चीनी की कमी

**263. श्री हरिसिंह चावड़ा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान चीनी की कमी रही है और उचित मूल्य की दुकानों को चीनी का पूरा कोटा नहीं दिया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नवम्बर और दिसम्बर, 1994 के दौरान विभिन्न राज्यों विशेष रूप से गुजरात को उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण हेतु चीनी का पूरा कोटा जारी कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समुचित मात्रा में चीनी उपलब्ध करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख). कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों से उचित दर दुकानों में चीनी की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जो चीनी उत्पादक राज्यों से लेवी चीनी की पर्याप्त मात्रा का संचलन न होने के कारण हुई थी।

(ग) गुजरात राज्य का मासिक लेवी चीनी कोटा 16194 मी0 टन है। केन्द्र सरकार ने गुजरात सहित विभिन्न राज्यों को नवम्बर, 1994 तथा दिसम्बर, 1994 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु लेवी चीनी का पूरा कोटा आवंटित किया था। जहाँ तक उचित दर दुकानों को आपूर्ति का संबंध है, यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

## सहकारी कम्पनियों का गठन

**264. श्री वी.वी.एस.मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सहकारी कंपनियों के गठन संबंधी 1991 के पुराने प्रस्ताव की समीक्षा करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में लिये गये अन्तिम निर्णय संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निर्णय आई.एफ.एफ.सी.ओ., के.आर.आई.बी.एच.सी.ओ. तथा एन.डी.डी.बी. के लिये समान आधार पर बड़े औद्योगिक घरानों के साथ प्रतिस्पर्धा में कहां तक सहायक होगा?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) :** (क) और (ख). वर्ष 1992 में कम्पनी कार्य विभाग से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में एक अध्याय जोड़कर सहकारी कम्पनियों के गठन को सुकर बनाए जाने के बारे में था। कृषि और सहकारिता विभाग ने अपने विचार सूचित कर दिए हैं। प्रस्तावित प्रावधानों को कम्पनी अधिनियम में कम्पनी कार्य विभाग द्वारा सम्मिलित किया जाना है।

(ग) यह प्रस्ताव केवल उन उत्पादक सदस्यों के लिए है जो कृषि अथवा इससे सम्बंध कार्यकलापों में लगे हैं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड एक सहकारी सोसायटी नहीं है।

## पर्यावरण की देखभाल

**265. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अलग ''पर्यावरण की देखभाल'' नामक अनुभाग की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुभाग के मुख्य कार्य क्या हैं; और

(ग) इसके द्वारा अब तक शुरू किए गए कार्यों का उनके परिणाम सहित ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख). ''केयर फार द इन्वायरनमेंट प्रतियोगिता'' परियोजना लागू करने के लिए किसी अलग विभाग की स्थापना नहीं की गई थी। प्रतियोगिता को संचालित करने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय को सीमित परियोजना स्टाफ की मंजूरी दी गई थी। परियोजना स्टॉफ की प्रतियोगिता से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप जैसे विज्ञापन, प्रतियोगिता संचालित करना, और उत्पादन किए गए सामान का अनुवर्ती प्रयोग आदि करने थे।

(ग) इस परियोजना में काफी बड़ी जनभागीदारी रही और 2 लाख से ज्यादा प्रविष्टियां की गईं। इस परियोजना द्वारा उत्पादित प्रचुर मात्रा में संसाधन सामान का प्रयोग स्कूलों, कालेजों, अध्यापकों और सामान्य जनता में पर्यावरणीय जागरूकता का प्रचार करने में ही रहा है।

## इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार

**266. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार उनके मंत्रालय द्वारा संस्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पुरस्कार को प्रदान करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) उन व्यक्तियों और एजेंसियों का कालानुसार क्रम क्या है जिन्हें ये पुरस्कार दिए गए हैं;

(घ) क्या इस पुरस्कार से वनीकरण को बढ़ावा मिला है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) जी, हाँ।

(ख) वनीकरण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के मान्यतास्वरूप इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार की वर्ष 1986 में स्थापना की गई थी। 12 पुरस्कार 6 श्रेणियों यथा : (एक) व्यक्ति, (दो) पंचायत/ग्राम संभाएं/ग्राम स्तरीय संस्थाएं, (तीन) शैक्षिक संस्थाएं (चार) स्वैच्छिक एजेंसियां, जिनमें महिला मंडल, युवक मंडल आदि शामिल हैं, (पांच) सरकारी एजेंसियां (जिला स्तर से ऊपर की नहीं) (छः) निगमित क्षेत्र (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां) में आने वाले व्यक्तियों/संस्थानों/संगठनों को दिए जाते हैं। वर्ष 1988 से प्रत्येक श्रेणी में दिए जाने वाले पुरस्कार की संख्या दो तक सीमित कर दी गई है। वर्ष 1993 से दिए जाने वाले पुरस्कारों में निगमित क्षेत्र की श्रेणी को शामिल किया गया है।

नामांकन पत्रों पर विचार करने के लिए जो मानदण्ड निर्धारित कि गए हैं उनमें वनीकरण और वृक्षारोपण के क्षेत्र में किए गए अग्रणी और नवीन कार्य, वनीकरण और पारि-विकास में ग्रामीण तथा आदिवासी लोगों, विशेषतः महिलाओं की भागीदारी, विस्तार कार्य, लोगों को जागरूक बनाना और प्रेरित करना, जन-पौधशालाएं स्थापित करना, सामुदायिक वनों/चरागाहों भूमि की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा

देना तथा स्थाई संस्थागत ढांचों जैसे वृक्ष उत्पादक सहकारिताओं, ग्राम वन विकास सुरक्षा समितियों का निर्माण करना और विशेषतः दुर्गम क्षेत्रों और कठिन कृषि जलवायु क्षेत्रों में किए गए कार्य शामिल हैं। नामांकन पत्रों पर विचार करते समय ऐसे कार्यों को महत्व दिया जाता है जिनकी दीर्घकाल तक व्यवहार्यता बनी रहने की सम्भावना हो।

(ग) 1986 से 1993 तक की अवधि में पुरस्कार विजेताओं की वर्षवार और श्रेणीवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पुरस्कारों से वनीकरण तथा परती भूमि विकास कार्यों से लोगों में जागरूकता पैदा होती है तथा प्रेरणा मिलती है।

**विवरण**

**इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार विजेता**

**1986**

**व्यक्ति**

1. श्री कारभारी काशीनाथ चव्हाण, पुणे, महाराष्ट्र
2. डा. विष्णु महादेव गोगटे, नासिक, महाराष्ट्र
3. श्री अन्ना साहेब हजारे, अहमदनगर, महाराष्ट्र
4. श्री मिथा लाल मेहता, गवरमेंट ऑफ राजस्थान, जयपुर, राजस्थान
5. श्री टी. गोविन्दन कुटी मेमन, इन्दौर, मध्य प्रदेश
6. श्री अनुपम मिश्रा, गांधी पीस फाउन्डेशन, नई दिल्ली
7. डॉ. सुरिन्दर महादेव मोहनोत, जोधपुर, राजस्थान
8. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, इटावा, उत्तर प्रदेश
9. श्री गोपाल कृष्ण पांथरी, चमोली, उत्तर प्रदेश
10. श्री विश्वेश्वर दत्त सकलानी, टिहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश
11. सुश्री सुगाथा कुमारी, त्रिवेन्द्रम, केरल

**स्वैच्छिक एजेंसियाँ**

1. भारतीय एग्रो-इंडस्ट्रीज फाउन्डेशन, पुणे, महाराष्ट्र
2. बुरूखी "औ" जीवरक्षी परिषद्, पुरी, उड़ीसा
3. सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन, एजल, मिजोरम
4. केरल सास्त्र साहित्य परिषद, त्रिवेन्द्रम, केरल
5. महिला मंगल दल, चमोली, उत्त प्रदेश
6. रामकृष्ण मिशन आश्रम, रांची, बिहार
7. स्कूल आफ फन्डामेन्टल रिसर्च, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

**ग्राम पंचायतें**

1. ग्राम पंचायत बुशतला, कुरूक्षेत्र, हरियाणा।
2. ग्राम पंचायत कोवीलुर, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु

**शैक्षिक संस्थाएं**

1. रव्वानी स्कूल, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

**सहकारी संगठन**

1. फेडवेल ट्री ग्रोअर्स को-आपेरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बल्सार, गुजरात
2. वृक्षमित्र सहयोग, सिंधु दुर्ग, महाराष्ट्र

**अन्य**

1. दि म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश।
2. दि कर्नाटक स्टेट को-आपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलप्मेंट बैंक लिमिटेड, बंगलौर
3. नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली, तमिलनाडु

**1987**

**व्यक्ति**

1. श्री किशोरी मोहन सिंह महापात्र, बांकुरा पश्चिम बंगाल
2. श्री बेन सोन्स, टुमकूर, कर्नाटक
3. श्री वी.एम. मनोहर प्रसाद, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश
4. श्री अरूण भीमराव निकास, जलगांव, महाराष्ट्र
5. श्री वसंतराव ठाकरे, धूले, महाराष्ट्र

**स्वैच्छिक एजेंसियां**

1. हलपती सेवा संघ, बारडोली, गुजरात
2. नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ रूरल इंटिग्रेटेड डिवेलपमेंट, बम्बई, महाराष्ट्र
3. तरलबूल रुरल डिवेलपमेंट फाउंडेशन, चित्रदुर्ग, कर्नाटक
4. श्री वैजनाथ भव दर्शन ट्रस्ट, बड़ोदरा, गुजरात
5. फारेस्ट्री बोर्ड केरल, त्रिवेन्द्रम

**पंचायतें**

1. सामाजिक वानिकी कमेटी, पनरूति ग्राम पंचायत, चिंगलपट, तमिलनाडु
2. इलेवन विलेजेज प्रोजेक्ट ऑफ अरावरी रेंज, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
3. भगवंतपुर सोशल फारेस्ट्री ग्रुप, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल

**सहकारी संगठन**

1. हरेकला लेंडलेस पुअर एंड मार्जिनल फार्म्स डिवेलपमेंट सोसाईटी, बंगलौर, कर्नाटक
2. महिला मंडल, जमखेण, अहमदनगर, महाराष्ट्र
3. भाल रीजन ट्री ग्रोवर्स कोआपरेटिव्स, गुजरात

**शैक्षिक संस्थाएं**

1. महात्मा गांधी विद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र
2. डालियों का दगड़िया, गढ़वाल, उत्तर प्रदेश
3. कृषि विज्ञान केन्द्र, रामकृष्ण मिशन आश्रम, निम्पिथा, पश्चिम बंगाल

**1988**

**व्यक्ति**

1. श्री मोहन धोरिया, पुणे, महाराष्ट्र
2. डा० पी.आर. मिश्रा, डाल्टनगज, बिहार

**स्वैच्छिक एजेंसियां**

1. मग्न मेवाड़ विकास संस्था, अजमेर, राजस्थान
2. काम्प्रिहेंसिव सोशल सर्विस सोसायटी, श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश

**ग्राम पंचायतें**

1. सीतारामपुर पंचायत, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल
2. प्रथावरमपुरम् पंचायत, तंजावुर, तमिलनाडु

**शैक्षिक संस्थाएं**

1. रेखाडे विद्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र
2. राजकीय इंटर कॉलेज, चमोली, उत्तर प्रदेश

**सहकारी एजेंसियां**

1. सामाजिक वानिकी प्रभाग, सूरत, गुजरात
2. ग्रीनबेल्ट डिवीजन, बंगलौर, कर्नाटक

**1989**

**व्यक्ति**

1. श्री सोना-उल्लाह बनीहाली, जिला डोडा, जम्मू और कश्मीर
2. श्री एम. पद्मनाभ रेड्डी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश

**स्वैच्छिक एजेंसियां**

1. रूरल एजूकेशन सोसाइटी, कोठापेटा, जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश
2. ए.एम.एम. मुरूगप्पा चेट्टियार अनुसंधान केन्द्र, मद्रास, तमिलनाडु

**ग्राम पंचायतें**

1. श्री रामपुर ग्राम सुरक्षा समिति, जिला पुरूलिया, पश्चिम बंगाल
2. जंगल सुरक्षा समिति, सुरूगुडा, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा

**शैक्षिक संस्थाएं**

ब्रह्मानन्द महाविद्यालय, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश

**सरकारी एजेंसियाँ**

1. 128 इनफेंट्री बटालियन (टीए) पारिस्थितिकी कार्यदल, राजस्थान
2. वन विभाग, उत्तर कन्नड़ जिला, कर्नाटक
3. हावड़ा सामाजिक वानिकी रेंज, पश्चिम बंगाल

**1990**

**व्यक्ति**

1. श्री विनायक पाटिल, नासिक, महाराष्ट्र
2. श्री ओ.पी. अग्रवाल, सरगुजा, मध्य प्रदेश
3. श्री ए.के. उपाध्याय, जैसलमेर, राजस्थान

**स्वैच्छिक एजेंसियां**

1. जनशिक्षा एवम् विकास संगठन, डुंगरपुर, राजस्थान
2. उबेश्वर विकास मण्डल, उदयपुर, राजस्थान

**ग्राम पंचायत**

1. ग्राम विकास मण्डल पिंगोट, जिला भड़ौच, गुजरात
2. रख्यावल प्राइमरी फार्म फोरेस्ट्री को-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान

**शैक्षिक संस्थाएं**

1. शिवगिरी श्री नारायण सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, श्रीनिवासपुरम, दरकला, केरल

**सरकारी एजेंसियाँ**

1. तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम्, आन्ध्र प्रदेश
2. सामाजिक वानिकी प्रभाग, सम्बलपुर, उड़ीसा

**1991**

**व्यक्ति**

1. श्री कृष्णचंद्र, रायगढ़, मध्य प्रदेश
2. श्री धोंडीराम महादेव मोहिते, सांगली, महाराष्ट्र

**स्वैच्छिक एजेंसियां**

1. विकास भारती, बिशुनपुर, गुमला, बिहार
2. रामकृष्ण मिशन आश्रम (लोक शिक्षा परिषद), दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल

**ग्राम पंचायत**

1. कूच बेहार-।। पंचायत समिति, कूच बेहार, पश्चिम बंगाल

**शैक्षिक संस्थाएं**

1. चन्द्रपुर कन्या उच्च विद्यालय (प्राथमिक इकाई) उदयपुर, दक्षिण त्रिपुरा
2. राजकीय उच्च विद्यालय, अय्यालूर, अन्ना, तमिलनाडु

**सरकारी एजेंसियां**

1. साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर, मध्य प्रदेश
2. विशाखापत्तनम् इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम्, आन्ध्र प्रदेश

**1992**

**व्यक्ति**

1. श्री बी. एम. सिंह राठौर, हरदा, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश
2. श्री आबासाहेब राजाराम मोरे, अहमदनगर, महाराष्ट्र

**स्वैच्छिक एजेंसियां**

1. संताल परगना ग्रामोद्योग समिति, वैद्यनाथ धाम, देवघर, बिहार
2. इरूला ट्राइबल वीमेन्स वेलफेयर सोसाइटी, चिंगलपट, तमिलनाडु

**पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थाएं**

1. सांगवा प्राइमरी फार्म फारेन्स्ट्री को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, उदयपुर, राजस्थान
2. ग्राम पंचायत, गावडेवाडी, पुणे, महाराष्ट्र

**शैक्षिक संस्थाएं**

1. महर्षि वाल्मीकि लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरैचा, देवरिया, उत्तर प्रदेश
2. संस्कृति सवर्धन मंडल, सगरोली, नांदेड़, महाराष्ट्र

**सरकारी एजेंसियां**

1. राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम प्रभाग, कृषि विभाग, झांसी, उत्तर प्रदेश

**1993**

**स्वैच्छिक एजेंसियाँ**

1. वीमेन संगम्स ऑफ द दक्कन डिवेलपमेंट सोसाइटी, गॉव अलगोले, मेडक, आन्ध्र प्रदेश

2. ग्रामीण विकास परिषद्, देवघर, बिहार

**पंचायत/ग्राम स्तरीय संस्थाएं**

1. मुदैयली फिशरमैन्स को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल

**शैक्षिक संस्थायां**

1. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र

**सरकारी एजेंसियाँ**

1. जम्मू सामाजिक वानिकी प्रभाग, जम्मू, जम्मू और कश्मीर

2. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (एफ.आर.एल.), 3, इन्फेन्ट्री डिवीजन मार्फ़्त 56 ए.पी.ओ.

**निगमित क्षेत्र**

1. टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड (टेलको), पिम्परी, पुणे, महाराष्ट्र।

**[हिन्दी]**

**रेलवे स्टेशन पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के ठहरने हेतु कक्ष**

**267. श्री छीतू भाई गामीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरत रेलवे स्टेशन पर अतिविशिष्ट व्यक्तियों के ठहरने हेतु कक्ष बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कक्ष का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). सूरत रेलवे स्टेशन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कक्ष की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य को एक लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पहले ही शुरू किया जा चुका है तथा इसे चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।

**[अनुवाद]**

**राज्य फार्म निगम**

**268. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राज्य फार्म निगम तथा केन्द्रीय राज्य फार्म मुनाफा कमा रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान फार्मवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी फार्म के बंद अथवा विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). भारतीय राज्य फार्म निगम को 1992-93 और 1993-94 के दौरान अपने प्रचालन में क्रमशः 603.88 लाख रुपए तथा 176.44 लाख रुपए तक की हानि हुई है। भारतीय राज्य फार्म निगम के केन्द्रीय राज्य फार्मों के वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के वित्तीय निष्पादन से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1994-95 के लिए लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

**विवरण**

लाभ (+)/हानि (-)

| क्र.सं. | केन्द्रीय राज्य फार्म | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | सूरतगढ़ | (-) 157.65 | (+) 69.97 |
| 2. | सरदारगढ़ | (-) 82.23 | (+) 16.0.9 |
| 3. | जेतसर | (-) 95.58 | (-) 111.43 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | हिसार | (+) 83.70 | (+) | 84.57 |
| 5. | लाढ़ोवाल | (-) 45.86 | (+) | 0.45 |
| 6. | बहराइच | (-) 10.64 | (+) | 31.14 |
| 7. | रायबरेली | (-) 15.58 | (-) | 22.05 |
| 8. | रायचूर | (-) 142.51 | (-) | 68.13 |
| 9. | चेंगम | (-) 120.99 | (-) | 94.95 |
| 10. | अरालम | (-) 33.12 | (-) | 86.22 |
| 11. | कोकिलाबाड़ी | (+) 4.21 | (+) | 10.95 |
| 12. | बारपेटा | (+) 0.31 | (+) | 0.66 |
| | कुल | (-) 615.94 | (-) | 168.95 |

**टिप्पणी** : प्रश्न के उत्तर में इंगित निगम की निवल हानि की गणना करते समय केन्द्रीय राज्य फार्म, सुरतगढ़ की एल.डी. यूनिट तथा नई दिल्ली स्थित एस.एफ.सी.आई. मुख्यालय के लाभ व हानि के खातों को ध्यान में रखा गया है।

[हिन्दी]

**तिलहनों-दलहनों के मामले में आत्मनिर्भरता**

**269. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश तिलहनों एवं दलहनों की घरेलू आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अभी भी अन्य देशों पर निर्भर है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों एवं दलहनों की कितनी मात्रा बाहर से आयात की गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान तिलहनों एवं दलहनों के आयात पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) तिलहनों एवं दलहनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) घरेलू खपत की आवश्यकता पूरी करने के लिए खाद्य तेल तथा दालों की कुछ मात्रा का आयात करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन 1989-90 से तिलहनों तथा इसके उत्पादों के निर्यात से अर्जित आय आयात की अपेक्षा अधिक रही है।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान तिलहनों का आयात नहीं किया गया। लेकिन दलहनों के आयात की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित है :-

| वर्ष | मात्रा (हजार मी.टन में) | मूल्य (रुपये करोड़ में) |
|---|---|---|
| 1992-93 | 382.62 | 334.37 |
| 1993-94 | 628.16 | 567.01 |
| 1994-95 (अनन्तिम) | 554.89 | 573.57 |

स्रोत - डी.जी.सी.आई. एण्ड पी. कलकत्ता

(घ) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसी प्रकार, दालों के लिये राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना चलाई जा रही है। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत, कृषकों को उनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिये बीजों के उत्पादन तथा वितरण, फार्म उपकरणों, राइजोबियम कल्चर, जिप्सम व पाइराइट्स, स्प्रिंकलरों आदि जैसे महत्वपूर्ण आदानों के लिये सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग नीति**

**270. श्री राम कापसे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग नीति निर्धारित करने के लिये किसी विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है जिसमें कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, वाणिज्य और विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है/किये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह समूह कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगा?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). जी हाँ। सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य नीति तैयार कराने के लिये विशेषज्ञों के एक दल का गठन किया था। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, संगठनों और विशेषज्ञों, जो कि देश के मत्स्य क्षेत्र के

विभिन्न क्रियाकलापों से संबंधित हैं, को इसमें शामिल किया गया है तथा विशेषज्ञ दल के सदस्यों तथा उनके विचारार्थ विषयों की सूची दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ). इस दल ने अपना काम पूरा कर लिया है और नीति का मसौदा तैयारी के अंतिम चरण में है।

**विवरण**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अपर सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (मात्स्यिकी के प्रभारी) | अध्यक्ष |
| 2. | संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी) कृषि एवं सहकारिता विभाग | सदस्य |
| 3. | भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 5. | खान संसाधन उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 6. | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | जैव प्रौद्योगिकी विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 8. | राजस्व विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 9. | बीमा विभाग का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. | केरल, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 11. | भारतीय मत्स्य उद्योग एसोसियेशन के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 12. | श्री जे.वी.एच. दिक्षितुलु, सम्पादक, "फिशिंग वाइस" | सदस्य |
| 13. | मत्स्य सहकारी परिसंघ (फिशकोपफेड) के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 14. | मात्स्यिकी विकास आयुक्त | सदस्य संयोजक |

**विचारार्थ विषय**

निम्नलिखित के माध्यम से मूर्त "राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति" तैयार करना

1. मत्स्य क्षेत्र के उत्पादन, विपणन, संसाधन और निर्यात संबंधी सभी पहलुओं को शामिल करना।
2. मात्स्यिकी से संबंध आर्थिकता और विभिन्न क्षेत्रों के सभी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
3. मछुआरों के कल्याण से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देना।
4. मत्स्य उत्पादन की कार्यनीति तैयार करना तथा साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।
5. पर्याप्त पर्यावरण परक सुरक्षा अपनाना जिससे कि उत्पादन में होने वाली वृद्धि और पारिस्थितिकी में संतुलन बना रहे।
6. खारा पानी जल कृषि की ओर विशेष ध्यान देना।
7. मत्स्य रोगों से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय करना।

**आमान परिवर्तन**

**271. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारबिसगंज और अररिया के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा; और

(ग) इस परियोजना पर कितनी लागत आने की संभावना है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

**रोहिणी में बुकिंग काउंटर**

**272. श्री वसुदेव आचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहिणी में रेलवे बुकिंग काउंटर खोले जाने के लिए काफी समय से अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी हाँ।

(ख) चूंकि रोहिणी में कोई रेलवे भूमि उपलब्ध नहीं है इसलिए अगले वित्त वर्ष में शकूरबस्ती और बादली स्टेशनों जो रोहिणी के निकट स्थित हैं, पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो। इससे रोहिणी क्षेत्र तथा इसके आस-पास रहने वाली जनता को लाभ होगा।

**अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा**

**273. श्री संत कुमार मंडल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा की गई सिफारिशों की समीक्षा करने हेतु सरकार द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यरत की रिपोर्ट सरकार के पास अंतिम निर्णय हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार 1986 की शिक्षा नीति तथा अल्पसंख्यकों की कल्याण के लिए बनाये गये 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत कब तक अल्पसंख्यकों की शिक्षा संबंधी नीति की घोषणा करेगी ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस कार्य बल की रिपोर्ट को प्रोग्राम आफ एक्शन (पी.ओ. ए.) 1992 में अध्याय 3 के रूप में जोड़ा गया था और जिसे अगस्त, 1992 में सभा पटल पर रखा गया है।

## रेल नेटवर्क

**274. श्री हाराधन राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के किन-किन पर्यटक स्थलों को अब तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया गया है;

(ख) पश्चिम बंगाल के किन-किन पर्यटन स्थलों को अब तक रेल नेटवर्क से नहीं जोड़ा गया है;

(ग) सरकार द्वारा उन स्थलों को रेल लाइन से जोड़ने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए पश्चिम बंगाल के पर्यटक स्थल निम्नलिखित हैं :- कलकत्ता (हावड़ा/सियालदह), मुर्शिदाबाद, पालाती, डायमंड हार्वर (सुंदरबन और गंगासागर के लिए), नाबाद्वीप बांध (इसकन मायापुर के लिए), बेल्लुर (बेल्लुर मठ के लिए), बोलपुर (शांति निकेतन के लिए), बंडेल, तारापीठ रोड़, रामपुर हाट, दुर्गापुर, मालदा, चंदनगर केनिग, अजीमगंज सिटी, बिशनुपर, वांकुरा, गरबेटा, बाराबूर, अनारा बर्नपुर, झालदा, पुरूलिया, झारग्राम, दार्जिलिंग, कुरसियोंग और कूचबिहार।

(ख) पश्चिम बंगाल के वे पर्यटक स्थल जो रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं निम्नलिखित हैं :- नामखाना, काकद्वीप, दीघा, मुकुटमनीपुर, कालिम्पोंग जलदापारा गेम सैंक्चुअरी।

(ग) और (घ). जबकि नामखाना ओर दीघा के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के लिए रेल लिंक का निर्माण कार्य पहले से ही प्रगति पर है वहीं मुकुटमनीपुर, कालीमपोंग, जलदापारा आदि जैसे पर्यटक केन्द्रों के लिए पर्यटक यातायात नजदीकी रेल शीर्षों और सुविधाजनक और पर्याप्त बस सेवाओं द्वारा सेवित है।

## कृषकों की वर्षा पर निर्भरता

**275. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी**: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि के लिए वर्षा के जल पर कुल कितने प्रतिशत कृषक निर्भर हैं;

(ख) इस प्रतिशतता को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस प्रतिशतता में कमी लाने हेतु गत दो वर्षों के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम)** : (क) कृषि संगणना 1985-96 के अनुसार पूर्णतया असिंचित तथा आंशिक असिंचित प्रचलन जातों की संख्या इस प्रकार है:-

(1) पूर्णतया असिंचित क्षेत्रों वाली प्रचालन जोतों की संख्या 51.3 (मिलियन)

(2) आंशिक असिंचित क्षेत्रों वाली प्रचनल जोतों की संख्या 16.6 (मिलियन)

चूंकि 1985-86 में कुल प्रचालन जातों की संख्या 94. 9 मिलियन है अतः पूर्णतया या अशंतया असिंचित प्रचालन जोतों की संख्या 71.58 मिलियन हो सकती है।

(ख) और (ग). 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रमुख/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 8.20 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित क्षेत्रों के अंतर्गत लाया गया है जब कि 37.50 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लघु सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

**[हिन्दी]**

## पान उत्पादक

**276. श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के जनजातीय जिलों में अच्छी किस्म का पान उगाया जाता है;

(ख) क्या गत अनेक वर्षों से पान की फसल में कीड़ा लगने के कारण किसानों को भारी नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने और ऐसे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में पान की फसल को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि दी गई और उससे विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के कितने किसान लाभान्वित हुए ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में पान की खेती नहीं होती है।

(ख) और (ग). गुजरात में पान की फसल को कीटनाशकों के कारण नुकसान पहुंचाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान भारत सरकार ने देश में पान की बेलों के विकास से संबंधित एक योजना शुरू की है जिसके तहत प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना, संरक्षण गृहों/जालों के निर्माण, जल स्रोतों के विकास तथा पौध रक्षण उपकरणों की खरीद के लिये सहायता दी जा रही है। यह योजना गुजरात में 1994-95 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिये उक्त वर्ष के दौरान 1.25 लाख रुपये निर्मुक्त किये गये हैं तथा 1995-96 के लिये 1.25 लाख रु0 की एक अन्य राशि आवंटित की गई है। आंवटित कोष का 14 प्रतिशत आदिवासियों के लाभ के लिये तथा 7 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लाभानुभोगियों के लिये निर्धारित किया गया है। इस संबंध में लाभानुभोगियों की संख्या की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**[अनुवाद]**

### रेल लाइन

**277. डा. जयन्त रंगपी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे में गुवाहाटी-लमडिंग सेक्शन के लेंका स्टेशन से असम के उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों से होते हुए बराक घाटी के कछार जिले तक रेल लाइन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). लंका से सिलचर तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण को अद्यतन करने का कार्य बिना बारी के कार्य के रूप में 1995-96 में शुरू किया गया है।

परियोजना पर आगे विचार करना सर्वेक्षण रिपोर्ट के उपलब्ध हो जाने पर संभव होगा।

### रेलवे स्टेशन

**278. श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अल्लेपी रेलवे स्टेशन और इसके आस-पास के क्षेत्र के सौन्दर्यकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस रेलवे स्टेशन के सौन्दर्यकरण के लिए क्या योजनाएं तैयार की गई हैं और इसके लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है; और

(ग) सौन्दर्यकरण का कार्य कब से शुरू किया जायेगा और यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). अलेप्पी रेलवे स्टेशन और इसके आस-पास के क्षेत्र का संतोषजनक अनुरक्षण किया जा रहा है। स्टेशन इमारत में समुचित रख-रखाव वाले परिचलन क्षेत्र और अच्छे पहुंच मार्गों सहित पर्याप्त सुविधाएं मुहैया करायी गई हैं। स्टेशन के और अधिक सौंदर्यीकरण के लिए कोई विशिष्ट योजना बनाना अपेक्षित नहीं है।

**[हिन्दी]**

### गन्ना उत्पादन

**279. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादन की लागत कम करने और इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ''जोत विकास'' (डेवलपमेंट ऑफ टिललिज) नामक कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय गन्ने का कुल कितना उत्पादन हो रहा है और आगामी वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने गन्ना उत्पादन के लक्ष्यों के अनुपात में इसकी पिराई के तरीकों में वृद्धि करने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख). गन्ने की उत्पादन लागत कम करने के लिए जोत विकास संबंधी कोई भी योजना तैयार नहीं की गई है।

तथापि गन्ने के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात 1995-96 से भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के वित्त पोषण की पद्धति के आधार पर 20 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना के अन्तर्गत नई विकसित उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन, गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन उन्नत उपकरणों के वितरण आदि पर बल दिया गया है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा इसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आयेगी।

(ग) 1994-95 के दौरान गन्ने का उत्पादन 259.38 मिलियन मी० टन होने की संभावना है तथा 1995-96 के लिये 255 मिलियन मी० टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ). जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

खाद्य मंत्रालय ने देश में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की प्राप्ति की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये हैं:

(1) नई चीनी मिलों के लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं। लाइसेंस प्राप्त/अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने के लिये विस्तार परियोजनाएँ मंजूर की गई हैं।

(2) प्रारम्भिक तथा बाद में गन्ने की पेराई अवधि के लिये अधिक फ्रीसेल कोटा के रूप में प्रोत्साहन दिये जाने की घोषणा की गई है।

(3) 10.3.93 को एक नई प्रोत्साहन योजना घोषित की गई है जिसके तहत उच्च वसूली क्षेत्र में नई चीनी मिलें 8 वर्षों के लिये 100 प्रतिशत के लिये तथा अन्य वसूली क्षेत्र की मिलें 9 वर्षों के लिये 100 प्रतिशत तथा 10वें वर्ष में 66 प्रतिशत फ्रीसेल की हकदार होंगी।

(4) चीनी मिलों द्वारा कृषकों को देय गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का तत्काल निपटान किये जाने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(5) 1994-95 के मौसम के लिये गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 39.10 रु० प्रति क्विंटल कर दिया गया है जो इस स्तर से अधिक की वसूली में 10 प्रतिशत तक प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिये 0.46 रु० की प्रीमियम तथा 10 प्रतिशत से अधिक की वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वृद्धि के लिये 0.60 रू० की प्रीमियम के अधीन 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जुड़ा हुआ है।

(6) 1995-96 के मौसम के लिये 42.50 रु० प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अग्रिम घोषणा कर दी गई है जो अधिक वसूली की स्थिति में प्रीमियम के अधीन 8.5% की मूल वसूली से जुड़ा हुआ है।

**मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं**

**280. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं पर्यावरण और वन की दृष्टि से स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार के पास भेजी हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई, अस्वीकार की गई और विचाराधीन परियोजनाओं का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी देगी?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) से (घ). मध्य प्रदेश सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी के लिए साठ सिंचाई स्कीमें भेजी है। इन परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इन साठ प्रस्तावों में से तैंतालीस को पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी दे दी गई है और एक प्रस्ताव को अपेक्षित पर्यावरणीय योजनाएं न भेजे जाने के कारण नामंजूर कर दिया गया था। शेष सोलह प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार ने अपेक्षित सूचना नहीं भेजी है। जरूरी सूचना उपलब्ध होने पर शीघ्र निर्णय किया जायेगा।

**विवरण**

लोक सभा के अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 280 के भाग (क)और(ख) में उल्लिखित पिछले तीन साल के दौरान पर्यावरणीय और वानिकी स्वीकृति के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त हुए सिंचाई प्रस्तावों के नामों को दर्शाने वाली सूची।

1. **स्वीकृत/सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत प्रस्तावों के नाम**

(क) **पर्यावरणी स्वीकृति**

1. बारगी दिक्परिवर्तन परियोजना

## काली मिर्च के निर्यात पर उपकर

**4673. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मिर्च के बाजार में अत्यधिक निष्क्रियता है ;

(ख) क्या काली मिर्च पर 2.5% यथामूल्य शुल्क निर्यात उपकर काली मिर्च निर्यातकों के लिये एक अतिरिक्त बाधा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) :** (क) जी, नहीं। पिछले एक वर्ष के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काली मिर्च की कीमतें बढ़ी हैं।

(ख) से (ङ) मसाला उपकरण अधिनियम, 1986 की शर्तों के अनुसार दिनांक 1.04.1992 से कालीमिर्च के निर्यात पर 2% यथामूल्य की दर से उपकर लगाया जा रहा था। भारतीय कालीमिर्च को और प्रतियोगी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 30 सितम्बर, 1994 तक कालीमिर्च के निर्यात पर उपकर लगाना स्थगित कर दिया है।

## हवाला व्यापार

**4674. श्री प्रकाश वी॰ पाटील :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने अनिवासी भारतीयों के हवाला करोबार में सम्बद्ध होने के संबंध में संदेह रखते हुए उनके इक्विटी इशुओं की छान-बीन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का उल्लंघन करके संवर्धकों द्वारा काला धन का उपयोग करने के संबंध में बहुत सी रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति) :** (क) से (घ) रिपोर्टों के आधार पर जिनमें कम्पनियों के पब्लिक निर्गमों में अनिवासी भारतीयों के कोटे में हवाला चैनलों के माध्यम से अंशदान भेजने की व्यवस्था की गई है, प्रवर्तन निदेशालय कुछ कम्पनियों के पब्लिक निर्गमों की प्रारम्भिक जांच कर रहा है अब तक की गई जांच से किसी प्रकार के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों का पता नहीं चला है।

## यूरो इशू के संबंध में मार्गनिर्देश

**4675. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एसोसिएटेट चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया ने सरकार से 11 मई, 1994 के यूरो इशू मार्गनिर्देशों पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है ताकि भारतीय निगमित क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों के बराबर दर्जा दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एसोसिएटेट चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया के इस अनुरोध पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)** : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) सरकार की प्रतिक्रिया यथासमय सूचित कर दी जाएगी।

## रबड़ की खेती

**4676. श्री प्रबीन डेका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में रबड़ की खेती के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद)** : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में समय-समय पर आवधिक रूप से सर्वेक्षण किए गए हैं और सर्वेक्षणों में यह पाया गया है कि इस क्षेत्र का बड़ा भाग रबड़ की सफल खेती के लिए उपयुक्त है।

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में रबड़ की खेती के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1984-85 से इस क्षेत्र में रबड़ बागानों के विकास को बढ़ावा देने की एक योजना विचाराधीन है। रबड़ बागान के विकास के लिए चल रही वर्तमान योजना के अंतर्गत रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सामग्री एवं वित्त संबंधी सहायता दी जा रही है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में संबद्ध अनुसंधान करने के लिए भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने गोहाटी में एक अनुसंधान परिसर की स्थापना की है। त्रिपुरा में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के अलावा मेघालय, आसाम और मिजोरम में भी इस परिसर के केन्द्र हैं। अनुसंधान परिसर के ये केन्द्र इस क्षेत्र में रबड़ की खेती के विस्तार के लिए उपयोगी तकनीकी सलाह, स्थान विशेष अनुसंधान और साथ ही इस क्षेत्र के लिए उपयोगी विकसित पौध सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में रबड़-उत्पादन के समग्र विकास के लिए जिसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं, वर्ल्ड बैंक ने 1993-94 से एक योजना चला रखी है।

49. चापी टैंक परियोजना

50. समलूर टैंक परियोजना

51. वेन गंगा परियोजना

52. पिपरखार टैंक परियोजना

53. पीटर टैंक परियोजना

54. इन्द्रा सागर परियोजना

55. सेमरखार परियोजना

56. केवई टैंक परियोजना

57. मिनी माटा बागी बांध परियोजना

58. झिकरी सिंचाई टैंक स्कीम

59. बाना बेल टैंक परियोजना

60. चारगांव टैंक परियोजना

**[अनुवाद]**

**दालों का उत्पादन**

**281. श्री तारा सिंह :**
**श्री वी० श्री निवास प्रसादः**
**श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दालों की उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि पर रोक लगाने के लिए विदेशों में अनेक दालों का संविदागत उत्पादन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दालों की मांग को पूरा करने के लिए इनका अपर्याप्त उत्पादन हो रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो विदेशों में संविदागत उत्पादन करने के बजाए देश में ही इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत कृषकों को बीजों के उत्पादन तथा वितरण, छिड़काव यंत्रों राइजोबियम एवं पी.एस.बी. कल्चर उन्नत कृषि उपकरणों, दाल प्रसंस्करण यंत्रों तथा भंडारण पात्रों आदि के लिए सहायता दी जाती है। इसके अलावा, बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार करने के लिए किसानों के खेत पर प्रदर्शन भी आयोजित किये जाते है।

**विश्व पर्यावरण सुविधा**

**282. श्री गोपी नाथ गजपति :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पर्यावरण परियोजनाओं को शुरू करने के लिए देश को विश्व पर्यावरण सुविधा से धनराशि प्राप्त होने की संभावना है;

(ख) इसका तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या विगत में विदेशी सहायता से ऐसी कोई परियोजना शुरू की गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनके अन्तर्गत कितना-कितना कार्य किया गया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). अपने प्रायोगिक चरण में विश्व पर्यावरण सुविधा को भारत में 5 परियोजनाओं की सहायता के लिए अनुमोदन मिल गया है। इन परियोजनाओं का ध्येय वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालियों और अधिक स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को कम अथवा सीमित करके पृथ्वी के गरम होने की समस्या पर ध्यान देना है। पृथ्वी के गरम होने के क्षेत्र में इन अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। साथ ही, ''भारत पारि-विकास परियोजना'' जिसका ध्येय जैव विविधता संरक्षण है, के लिए उक्त सुविधा से परियोजना तैयारी निधियां अनुमोदित हो गई है।

(ग) और (घ). विदेशी सहायता से इन परियोजनाओं को विगत में शुरू नहीं किया गया। तथापि, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव संबंधी ''एक परियोजना एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से 1993 में पूरी हुई थी। एशियाई विकास बैंक की सहायता से ''ग्रीन हाऊस गैस सूचियों की तैयारी, उपशमन विकल्पों का अभिनिर्धारण तथा प्रक्रिया कार्य नीति हेतु एशिया अति अल्प लागत ग्रीन हाऊस गैस उपशमन कार्यनीति परियोजना'' नामक एक परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है।

## विवरण

### अनुमोदित विश्व पर्यावरण सुविधा परियोजनाएं

| परियोजना का नाम | विभाग | क्रियान्वयी एजेंसी | विषय | भारतीय रुपये | आकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. वैकल्पिक उर्जा परियोजना | अपारंपरिक उर्जा स्रोत मंत्रालय | विश्व बैंक | पृथ्वी का गर्म होना | 94.5 करोड़ | 30 मिलियन डालर |
| 2. भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे पन-बिजली संसाधनों का ईस्टतम विकास | -वही- | यू.एन.डी.पी. | -वही- | 23.6 करोड़ | 7.5 मिलियन डालर |
| 3. ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों को कम करने के सघन के तौर पर उच्च बायोमीथेनेशन प्रसंस्करण दर का विकास | -वही- | यू.एन.डी.पी. | -वही- | 17 करोड़ | 5.4 मिलियन डालर |
| 4. ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों को सीमित करने के लिए लागत प्रभावी विकल्प | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | विश्व बैंक | -वही- | 4.7 करोड़ | 1.5 मिलियन डालर की तकनीकी सहायता अनुमोदित |
| 5. स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी केन्द्र और बागैसेस सह-उत्पादन | संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी/ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम/ अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय | संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास सह-वित्त पोषण | -वही- | 59.85 करोड़ | 7/94 में विश्व पर्यावरण सुविधा द्वारा अनुमोदित 19 मिलियन डालर |

### रेल लाइन

**283. श्रीमती चन्द्रप्रभा खर्से** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदुपी-गुरवायूर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). जी नहीं।

[हिन्दी]

### मध्य प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता

**284. श्री शिवराज सिंह चौहान**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को राज्य में सघन कृषि विकास हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सहायता से क्या मुख्य-मुख्य लाभ होंगे;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा इस संबंध में कोई शर्तें रखी गई थी; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) फिलहाल राज्य में गहन कृषि विकास हेतु मध्य प्रदेश सरकार को विश्व बैंक की सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

**[अनुवाद]**

## सुपर बाजार

**285. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई, 1995 के हिंदी के हिंदुस्तान में ''सुपर बाजार : कीमतों में आगे, गुणवत्ता में पीछे'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सुपर बाजार का केंद्रीय भंडार के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सुपर बाजार के सर्वत्र उजागर घृणित कार्यकलाप को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं करने का क्या औचित्य है?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री छोटा सिंह)** : (क) जी हाँ

(ख) और (ग). संदर्भित समाचार पत्र की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सुपर बाजार में केंद्रीय भंडार की तुलना में और कुछ मामलों में तो खुले बाजार तक की तुलना में किराना की विभिन्न वस्तुओं के मूल्य ऊंचे हैं और क्वालिटी घटिया है। यह रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं है; क्योंकि सुपर बाजार की उनके द्वारा बेची जाने वाली किराना की वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण की एक प्रणाली है। खुले बाजार, केंद्रीय भंडार तथा सुपर बाजार में किराना की वस्तुओं के मूल्यों की तुलना हमेशा सही तस्वीर नहीं बनाती है, क्योंकि प्रत्येक किराना मद की कई किस्में हो सकती हैं और यह विनिर्दिष्ट करना कठिन है कि क्या सामान क्वालिटी की वस्तु सुपर बाजार द्वारा ऊंचे मूल्य पर बेची जा रही है। तथापि, केंद्रीय सरकार ने सुपर बाजार को सलाह दी है कि वे गुणवत्ता आश्वासन की अपनी प्रक्रियाओं को और सुप्रवाही बनाएं और खुले बाजार, केंद्रीय भंडार तथा सुपर बाजार में विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों के अनुवीक्षण के लिए एक प्रणाली विकसित करें।

(घ) और (ङ). केंद्रीय भंडार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा गठित एक उपभोक्ता सहकारी भंडार है। केंद्रीय भंडार की सदस्यता केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों तक सीमित है। सुपर बाजार एक उपभोक्ता सहकारी भंडार है, जिसकी सदस्यता सबके लिए खुली है। सदस्यता आधार के अंतर को देखते हुए सुपर बाजार का केंद्रीय भंडार में विलय नहीं किया जा सकता है।

## मंत्रालय में रिक्त पद

**286. श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभागों में तथा अधीनस्थ कार्यालय में श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या क्या है तथा ये किस-किस तारीख से रिक्त पड़े हैं; और

(ख) इन पदों को रिक्त रखने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक भर दिये जाने की संभावना है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

## नये उद्योगों की मंजूरी

**287. डा0 के. वी. आर. चौधरी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए उद्योगों में उनके मंत्रालय की मंजूरी मिलने में विलम्ब के कारण उत्पादन में देरी हुई; और

(ख) सरकार द्वारा इस प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए विचाराधीन प्रस्तावों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). पर्यावरणीय मूल्यांकन के लिए एक सुस्थापित प्रक्रिया है। किसी परियोजना पर समय-बद्ध तरीके से निर्णय जहां कहीं आवश्यक होता है, आवश्यक पर्यावरण संबंधी आंकड़े और परियोजना अधिकारी व विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद लिया जाता

है और इस तरह प्रक्रिया के अनुसरण से पर्यावरणीय मंजूरी मिलने में देरी के कारण उत्पादन में होने वाली अनावश्यक देरी को टाला जाता है। इस मंत्रालय को सौपें गए परियोजना के प्रस्तावों की निश्चित समय में जांच करने के लिए इस प्रक्रिया को पुनः अधिसूचना स.एस. ओ. 60 (ई) दिनांक 27.1.94 द्वारा 4.5.94 को संशोधित रूप में और भी सरल बना दिया गया है।

## गोवा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाएँ

**288. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गोवा में उद्यान कृषि की क्षमता तथा मात्स्यिकी का उपयोग करने हेतु लागू की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए आंबटित राशि, वास्तव में उपयोग की गई राशि निर्धारित लक्ष्य तथा इसकी प्राप्ति, अतिरिक्त आय तथा प्रत्येक योजना के अंतर्गत उत्पन्न हुए रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान उपरोक्त तथ्यों सं संबंधित सूचनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) और (ख). गोवा में बागवानी और मत्स्यन संभाव्यता को काम में लाने के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पिछले चार वर्षों के दौरान निर्मुक्त धन राशि/उपभोग में लाई गई धन राशि तथा वर्तमान वर्ष के लिए किए गए आबंटन की जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है। इसी अवधि के दौरान वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में योजनावार सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है। फिर भी इन योजनाओं द्वारा होने वाली अतिरिक्त आय और रोजगार के संबंध में सूचना की मानिटिरिंग नहीं की जाती।

**विवरण - I**

| क्र.सं. योजना का नाम | 1991-92 | | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | नि० | उ० | नि० | उ० | नि० | उ० | नि० | उ० | आंबटन |
| **(क) बागवानी** | | | | | | | | | |
| 1. काजू विकास | 11.18 | 12.20 | 29.16 | 25.26 | 77.94 | 32.79 | 106.42 | 87.70 | 125.97 |
| 2. फलों का विकास | 0.90 | 0.92 | 3.10 | 0.94 | 14.55 | 1.15 | 46.27 | 8.30 | 43.00 |
| 3. नारियल का विकास | 1.96 | 1.96 | 11.65 | 0.93 | 1.00 | - | 2.82 | - | - |
| 4. मसालों का विकास | 1.15 | 0.71 | 1.83 | 1.33 | 1.34 | 0.49 | 0.90 | 1.62 | 1.50 |
| 5. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग | 5.00 | 0.94 | 5.00 | 10.83 | 9.82 | 2.39 | 6.92 | 917 | 18.00 |
| 6. खुंभी का विकास | - | - | 0.50 | - | - | - | 14.75 | 14.18 | 1.00 |
| 7. वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन का विकास | - | - | - | - | 1.00 | 0.45 | 1.00 | 0.38 | 2.50 |
| 8. मूल एवं कन्द फसलों का विकास | - | - | - | - | 0.80 | - | 0.25 | 1.05 | 0.85 |
| 9. सब्जियों का विकास | - | - | - | - | 3.00 | - | 1.50 | 2.26 | 1.50 |
| **(ख) मात्स्यिकी** | | | | | | | | | |
| 1. तटवर्ती और समुद्री मात्स्यिकी का विकास | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 5.45 | 5.45 | 3.00 | 3.00 | राज्यवार आवंटन पहले नहीं किया जाता है। |
| 2. समन्वित खाराजल मत्स्य फार्म का विकास | 50.75 | 6.66 | - | 2.73 | 2.00 | 4.32 | 1.00 | उपलब्ध नहीं | -तदैव- |
| 3. मछुआरों का कल्याण | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | -तदैव |

नि : निर्मुक्त निधि
उ० : उपयोग की गई निधि

**विवरण - II**

| क्र.सं.योजना का नाम | 1991-92 | | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1995-96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उप | लक्ष्य | उप | लक्ष्य | उप | लक्ष्य | उप | लक्ष्य |
| 1. 2. | 3 | 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| **(क) बागवानी** | | | | | | | | | |
| 1. काजू का विकास | | | | | | | | | |
| (क) पिछले वर्षों में लगाए गए बागानों का अनुरक्षण (है) | लागू नहीं | 3442 | 1075 | 1534 | 1472 | 3442 | 1900 | 2790 | |

| 1. 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (ख) निर्यात के लिए नए बगानों का विकास (है०) | लागू नहीं | 1800 | 555 | 600 | 555 | 1800 | 1304 | 1500 | |
| (ग) कृमि नियंत्रण उपाय को अपनाना (है०) | लागू नहीं | 4000 | 2200 | 5200 | 1571 | 4000 | 3300 | 4000 | |
| 2. फलों का विकास | | | | | | | | | |
| (क) बड़ी नर्सरी सं० | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| (ख) छोटी नर्सरी सं० | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| (ग) कृषक प्रशिक्षण सं० | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| (घ) क्षेत्र विस्तार (है०) | - | - | - | - | 100 | 80 | 300 | 123 | 100 |
| (ङ) पुनरूद्धारा (है०) | लागू नहीं | 350 | 100 | 612 | 190 | 762 | 790 | 762 | |
| 3. नारियल का विकास | | | | | | | | | |
| (क) क्षेत्र का विस्तार (है०) | लागू नहीं | 30 | 31 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | |
| (ख) उत्पादकता सुधार के लिए समेतिकृषि | | | | | | | | | |
| (i) रोग ग्रस्त और पुराने पाम (उन्मूल्लि सं.) | - | - | - | - | 500 | 429 | 500 | 500 | 500 |
| (ii) नए बागान (है०) | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 |
| 4. मसालों का विकास | | | | | | | | | |
| (क) पादप वितरण उपस्करों का | लागू नहीं | लागू नहीं | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 39 | 25 |
| (ख) पौधरोपण सामग्रियों का उत्पादन और वितरण | | | | | | | | | |
| (i) काली मिर्चजहदार कलमें | लागू नहीं | लागू नहीं | 50000 | 32500 | 50000 | 27000 | 5000 | 39000 | 50000 |
| (ii) लौंग की पौध | लागू नहीं | लागू नहीं | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 5. कृषि में प्लास्टिक का उपयोग | | | | | | | | | |
| (क) ड्रिप संस्थान (है०) | लागू नहीं | लागू नहीं | 33 | 84 | 50 | 34 | 20 | 16 | 44 |
| (ख) ड्रिप प्रदर्शन नं० | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 27 |
| (ग) पादप घर (है०) | - | - | - | - | - | - | 0.35 | 0.30 | 2.82 |
| (घ) मल्चिग (है०) | - | - | - | - | - | - | 7.0 | 7.1 | 60.00 |
| 6. खुभी का विकास | | | | | | | | | |
| (क) स्पाउन प्रयोगशाली की स्थापना (सं०) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 - |
| (ख) कृषक प्रशिक्षण (स०) | - | - | - | - | - | - | 200 | 1000 | 200 |
| 7. वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन | | | | | | | | | |
| (क) क्षेत्र विस्तार (है०) | - | - | - | - | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 |
| 8. मूल एवं कन्द फसलों का विकास | | | | | | | | | |
| (क) प्रदर्शन प्लाट (सं०) | - | - | - | - | - | - | 300 | लागू नहीं | 300 |
| (ख) मिनाकिट्टो का वितरण (सं) | - | - | - | - | - | - | 300 | लागू नहीं | 300 |
| 9. सब्जियों का विकास | | | | | | | | | |
| (क) मिनिकिटों का वितरण | - | - | - | - | - | 1000 | लागू नहीं | 1000 | |
| (ख) मत्स्य | | | | | | | | | |
| 1. तटवर्ती समुद्री मात्स्यकी का विकास मोटरीकरण के लिए मंजूर किए गए | - | 60 | - | 60 | - | 100 | - | 40 | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | समेकित खाराजल मछली फार्म का विकास | | | | | | | | | |
| | खारा जल कृषि के अंतर्गत लाया गया क्षेत्र | 50 | 14 | 50 | 46 | 50 | 52 | 50 | 15 | लागू नहीं |
| 3. | मछुआरों का कल्याण | | | | | | | | | |
| | बीमित मछुआरों की संख्या | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |

* राज्यवार वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है

## कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल

**289. श्री कुन्जी लाल :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टलों की संख्या कितनी है;

(ख) इस राज्य में ऐसे हॉस्टलों के निर्माणार्थ गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि का आवंटन किया गया; और

(घ) शेष बचे प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दी जायेगी?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजेश्वरी) :** (क) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्कीम के प्रारम्भ से अब तक राजस्थान में 1641 कामकाजी महिलाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए 35 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) तीन

(ग) भाग (ख) में उल्लिखित प्रस्तावों में से कोई नहीं। तथापि, पहले से प्राप्त प्रस्तावों में से 35 कामकाजी महिलाओं के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान एक नया होस्टल स्वीकृत किया गया था। होस्टल भवन के निर्माण के लिए स्वीकृत अनुमानित लागत 13.72 लाख रुपये है जिसमें से भारत सरकार का अनुमोदित हिस्सा 10.29 लाख रुपये है। राजस्थान में पहले से स्वीकृत तथा निर्माणाधीन होस्टलों के लिए वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कुल 24.65 लाख रुपये की अनुदान निर्मुक्त किया गया था।

(घ) राज्य सरकार की सिफारिश सहित हर दृष्टि से पूर्व प्रस्ताव प्राप्त होते ही कामकाजी महिला होस्टल स्वीकृत कर दिए जायेंगे।

## उर्वरकों पर राजसहायता

**290 श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
***श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
**श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के लिए किसानों को नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की बिक्री पर दी जाने वाली रियायत गत वर्ष की भांति जारी रहेगी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उत्पादकों तथा राज्य सरकारों को इस संबंध में सूचना भी भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय उर्वरक संघ ने वर्तमान योजना के कारण उर्वरक की खपत में गतिरोध आ जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है तथा इसकी तत्काल समीक्षा कर सुधार करने की मांग की है;

(ङ) यदि हाँ, तो उर्वरक उद्योग द्वारा की गई मुख्य मांगें क्या हैं; और

(च) इस पर सरकार की प्रक्रिया क्या है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) से (ग). जी, हां। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को इस आशय का एक पत्र भेजा गया था और उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों को इसकी प्रतियां दी गई थीं कि यह योजना 1995-96 के दौरान 1994-95 की पद्धति पर जारी रहेगी और 1 अप्रैल, 1995 से लागू होगी।

(घ) और (ङ). भारतीय उर्वरक संघ ने अपने अभ्यावदेन में सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को इस योजना के कार्यान्वयन में नहीं लगाना चाहिये और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित की गई धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिये।

(च) मौजूदा प्रणाली संतोषजनक रूप से काम कर रही है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मिली बिक्री संबंधी प्रमाणित रिपोर्टों के आधार पर 1994-95 के दौरान उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों को 514.02 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया गया था और 1995-96 के दौरान अगे भुगतान किया जा रहा है।

## चीनी का आयात

**291. श्री शिव शरण वर्मा :**
**श्री जगमीत सिंह बरार :**
**श्री नवल किशोर राय :**
**श्री राम विलास पासवान :**
**श्री चोल्ला बुल्ली रामय्या :**
**श्री राजेश कुमार :**
**डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**
**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी आयात के लिए कोई ठेका किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जाएगी;

(ग) क्या इस वर्ष अतिरिक्त घरेलू उत्पादन को देखते हुए चीनी आयात के नए समझौतों को रद्द करने हेतु अभ्यावेदन मिले हैं;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) इस वर्ष चीनी का कितना घरेलू उत्पादन हुआ और इसकी कितनी खपत हुई; और

(च) अतिरिक्त चीनी के निर्यात अथवा बफर स्टॉक के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख). भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० तथा भारतीय खनिज एवम् धातु व्यापार निगम लि० से प्राप्त सूचना के अनुसार आयातित चीनी की कुल अनुबंधित मात्रा उस तारीख को 2.91 लाख टन थी जिसकी कुल कीमत लगभग 1231.62 लाख अमेरिकी डालर थी।

(ग) और (घ). उद्योग के शीर्ष निकायों द्वारा एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चालू मौसम के उत्साहवर्द्धक उत्पादन रुख को देखते हुए अग्रिम अनुबंध के अन्तर्गत कुल मात्रा 4.09 लाख टन से घटाकर 2.91 लाख टन कर दी गई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक से अधिक चीनी को यथासंभव यथोचित मूल्य पर बेचने के प्रयास किए जा रहें है।

(ङ) लगभग 121.45 लाख टन की अनुमानित खपत की तुलना में चीनी मौसम 1994-95 के दौरान देशी चीनी का अनुमानित उत्पादन लगभग 143 लाख टन है।

(च) उत्साहवर्द्धक उत्पादन रुख पर विचार करते हुए सरकार ने इस मौसम (1994-95) के दौरान अधिशेष उपलब्ध चीनी में से निर्यात करने का निर्णय लिया है।

**[हिन्दी]**

## दलहन क्षेत्र में अनुसंधान

**292. श्री सूर्य नारायण यादव:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुसंधान कार्य कब से किया जा रहा है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). जी, हां। सुधरी किस्मों और उत्पादन-क्रियाओं के पैकेज के विकास द्वारा दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए सम्मिलित प्रयास किए जा रहे हैं। भा.कृ.अनु. परिषद ने 1966 में समेकित दलहन सुधार अनुसंधान प्रायोजना प्रारंभ की। तब से दालों की अनेक सुधरी किस्मों को पहचाना गया और उगाने के लिए उन्हें रिलीज किया गया। सुधरी कृषि-क्रियाओं में उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायनों के प्रयोग के साथ उपयुक्त फसल-पद्धति का विकास किया गया है।

## अनुसंधान कार्य के लिए आवंटन

**293. श्री जगमीत सिंह बरार :**
**श्री नवल किशोर राय:**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के लिए आवश्यकता से कम धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मार्च, 1995 तक इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि में से कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार)** : (क) वित्तीय स्थिति को देखते हुए कृषि में अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त बजट सहायता दी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कुल आवंटित 1300.00 करोड़ रुपये में से आठवीं योजना के दौरान मार्च, 1995 तक 680.48 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

## कृषि क्षेत्र में रोजगार

294. **श्री नीतीश कुमार :**
**श्री गुमान मल लोढा :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जून, 1995 के ''डेली टेलीग्राफ'' में ''फ्यूअर जौब्स इन फार्म सैक्टर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी के संबंध में तथ्य क्या हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार को कृषि में रोजगार बढ़ाने में आ रही समस्या की जानकारी है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 46वें दौर, 1990-91 के अनुसार ''सामान्य स्थिति'' के वर्गीकरण के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर पुरुषों में 0.7 प्रतिशत तथा महिलाओं में 0.1 प्रतिशत थी।

[अनुवाद]

## केरल में कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम

295. **प्रो० सावित्री अम्मगन** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज ऑफ वैटरिनरी एंड एनीमल साइंसिस, मन्नुती, केरल ने अंडे सेने के बेहतर तरीकों तथा उपयुक्त मुर्गीदाना अनुपात द्वारा अधिक अंडे देने वाली तथा शीघ्र विकसित होकर अधिक मांस देने वाली मुर्गियों के उत्पादन के लिए कोई कुक्कुट प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हाँ, तो केरल में कुक्कुट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सहायता देने के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने केरल में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई बेहतर कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हाँ तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) पशु चिकित्सा तथा पुश विज्ञान महाविद्यालय, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नूथी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन अनुसंधान प्रायोजना के तहत अधिक अण्डे देने वाली मुर्गी के उत्पादन के लिए मुर्गी प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है तथा इस केन्द्र से आई.एल.एम.-90 (अतुल्य) से संबंधित एक व्यावसायिक संकर किस्म जारी की गई है। केरल कृषि विश्वविद्यालय में जल्दी तैयार होने वाली मांस वाली मुर्गी के उत्पादन के लिए कोई अनुसंधान कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

(ख) केरल कृषि विश्वविद्यालय में अधिक अण्डे देने वाली मुर्गी को विकसित करने हेतु अखिल भारतीय समन्वित मुर्गी प्रजनन अनुसंधान प्रायोजना के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 124.92 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अंश 52.44 लाख रुपये है।

(ग) और (घ). भारत सरकार (पशु पालन तथा डेरी विभाग) इस समय कोई केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित मुर्गी पालन विकास योजना की कार्यान्वित नहीं कर रही जिसके अन्तर्गत केरल राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी जा सके।

## सुपर बाजार

296. **श्री हरिन पाठक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-नवम्बर, 1994 के दौरान सुपर बाजार के लाभ की वृद्धि दर 1993 के इन्हीं महीनों के दौरान की 28 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) सुपर बाजार व्यापार की लाभकारिता पूरे एक वर्ष के लिए निकालता है। यह माहवार लाभकारिता नहीं निकालता है।

गत तीन वर्षों के लिए लाभ और वृद्धि की दर निम्नवत है:-

| वर्ष | कुल लाभ (रु० लाख में) | वृद्धि दर (प्रतिशत वृद्धि) |
|---|---|---|
| 1991-92 | 9.33 | - |
| 1992-93 | 10.83 | 16.08% |
| 1993-94 | 41.65 | 204.58% |

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।.

[हिन्दी]

**डीजल इंजन**

**297. श्री राम सिंह कस्वां :**
**श्री पंकज चौधरी :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से डीजल इंजन आयात करने संबंधी कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण सहित 4000 अश्व शक्ति वाले 21 डीजल रेल इंजनों की खरीद के लिए मै० इलेक्ट्रोमोटिव डिवीजन, जनरल मोटर्स कारपोरेशन/यू.एस.ए. को अब स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है।

[अनुवाद]

**महिला न्यायालय**

**298. श्री धर्मण्णा मौडय्या सादुल** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों से निपटने के लिए एक महिला न्यायालय की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवाराजेश्वरी)** : (क) जी नहीं। जिला/अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासन सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः यह राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों के प्राधिकार में है कि वे ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित करें जिन्हें महिला न्यायालय कहा जायेगा। उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली में 31.8.94 से 4 महिला न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं, एक न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश है तथा तीन न्यायालयों में मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में भी वर्ष 1987 में एक महिला न्यायालय स्थापित किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**कृषि क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहायता**

**299. श्री शंकर सिंह वाघेला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य ने प्राप्त धनराशि का पूरी तरह उपयोग किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) जी, हाँ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को दी गई सहायता तथा परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

सहायता राशि का वर्षवार ब्यौरा (रु० लाख में)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | क्रम सं.1569-आई.एंव-।। राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना | समेकित पनधारा विकास (मैदानी) क्रम सं. 2131-आई.एन. |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रभावी होने की तारीख | 10.5.85 | 28.02.91 |
| 2. | समापन की तारीख | 31.03.93 | 31.03.98 |
| 3. | 1992-93 | 200.00 रु. | 191.48 रु० |
| 4. | 1993-94 | परियोजना | 172.66 रु० |
| 5. | 1994-95 | परियोजना काल समाप्त | 633.06 रु० |

(ग) जी, हाँ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**अवकृष्ट वन भूमि का विकास**

**300. श्री रवि राय:**
**श्री हरि किशोर सिंह :**
**श्री मोहन रावले :**
**श्रीमती भावना चिखलिया :**
**श्री प्रभू चव्हाण कठेरिया :**
**कुमारी क्रिडा तोपनो :**
**श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुरू में सरकार का विचार रक्षित बागानों के रूप में कागज और लुगदी उद्योग सहित उद्योगों को अवकृष्ट वन भूमि पट्टे पर देने या सौंपने का था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने अब उन प्रस्तावों को छोड़ दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अवकृष्ट वन भूमि/बंजर भूमि के विकास के लिए क्या वैकल्पिक प्रस्ताव है और क्या सरकार के पास प्रति हेक्टर ऐसी भूमि के विकास हेतु कोई अनन्तिम प्राक्कलन है;

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य-वार ऐसी भूमि को उपयोगी बनाने और विकसित करने में कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी;

(छ) क्या सरकार को अपने खर्च पर ऐसी भूमि के लिए विकास कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए उद्योगों/गैर-सरकारी उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) गत चार वर्षों के दौरान केप्टिव पौधरोपण के रूप में उद्योग को अवक्रमित वन भूमि पट्टे पर देने अथवा सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). देश में अवक्रमित वन भूमि पर भारी मात्रा में बढ़ते हुए अवैध कब्जों के खतरों को देखते हुए तथा हरे आवरण का विस्तार करने के लिए इसका शीघ्र वनीकरण करने, अवैध कब्जों को रोकने तथा मृदा क्षरण को रोकने के साथ-साथ ग्रामीण और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने और उसके द्वारा वर्तमान प्राकृतिक वनों और सुरक्षित क्षेत्रों पर दबाव को कम करने की दृष्टि से अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को वनीकरण के वर्तमान प्रयासों का विस्तार करने के लिए उद्योगों के संसाधनों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। अतः केन्द्र सरकार 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम के पैरामीटरों के भीतर इन प्रयासों में उद्योग के साथ सहयोग करने के लिए राज्यों के वन विकास निगमों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार कर रही है।

विचाराधीन स्कीम को इसमें अंतर्निहित विभिन्न मुद्दों के मूल्यांकन और ग्रामीण तथा आदिवासी समुदायों द्वारा भोगे जा रहे परंपरागत अधिकारों और रियायतों की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरणीय, वनवर्द्धन और सामाजिक आर्थिक कारकों का मूल्यांकन करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। जैसा कि स्पष्ट है कि इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जैवमास में वृद्धि करके पर्यावरण तथा ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाना और ग्रामीण रोजगार पैदा करने के लिए अवसर प्रदान करना भी है।

(छ) और (ज). कुछ वन विकास निगमों ने मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट लिमिटेड, मैसर्स बलारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स ओरिएन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, मैसर्स मंगलम टिम्बर लि० आदि जैसे कुछ उद्योगों के प्रस्ताव राज्य वन विकास निगमों के सहयोग से अवक्रमित वन भूमि पर वनीकरण के लिए भेजे हैं। इन प्रस्तावों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि दिशानिर्देश अभी तैयार किए जा रहे हैं।

**[हिन्दी]**

## कृषि उत्पादन

**301. श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री राजेश कुमार :**
**श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई किस्म के बीजों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में किस्मी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस किस्म के बीजों के प्रयोग से देश सन् 2000 तक खाद्यान्नों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो इन बीजों का सही उपयोग करने हेतु किसानों को शिक्षित करने के लिए अपनाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) :** (क) बीजों की नई किस्मों का उपयोग करने से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह 1966-67 के 74.20 मिलियन मी० टन की तुलना में 1933-94 में 182.1 मिलियन मी० टन हो गया है।

(ख) देश खाद्यान्नों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। वैसे विभिन्न फसलों की विकसित या/और विकसित की जा रही नई तथा/या संकर किस्मों का उपयोग करने से आशा है कि सन् 2000 ई० में खाद्यान्नों की आवश्यक मात्रा पूरी करने में मदद मिलेगी।

(ग) विभिन्न उत्पादनोन्मुखी फसल विकास योजनाओं के अन्तर्गत बीज मिनीकट प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों का वितरण तथा कृषक प्रशिक्षण जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता

वाले बीजों का सही समय पर उपयोग किये जाने का प्रचार-प्रसार किया जाता है। राज्य कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कई अन्य विस्तार एजेन्सियां किसानों में प्रौद्योगिकी अन्तरण के काम में नियमित रूप से जुड़ी हुई हैं।

[अनुवाद]

**उड़ीसा में झींगा मछली पालन**

**302. श्री रवि राय :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जुलाई, 1995 के द स्टेट्समैन, नई दिल्ली में ''प्रॉन कल्टिवेशन एट द कास्ट आफ फारेस्ट्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उड़ीसा के महानदी डेल्टा में झींगा मछली पालन के कारण हजारो एकड़ में स्थित मैनग्रोव का घना वन नष्ट हो गया है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में झींगा मछली पालन के लिए कई तालाबों का निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). महानदी डेल्टा में कच्छ वनों पर कृषि और झींगा मछली पालन का गम्भीर प्रभाव पड़ा है। महानदी डेल्टा में वन कानूनों का उल्लघंन करके लगभग 1600 हेक्टेयर कच्छ वन क्षेत्र में करीब 22 बडे झींगा मछली पालन फार्म बनाए गए हैं।

(ङ) उड़ीसा राज्य सरकार ने अवैध काबिजों के खिलाफ 70 वन मामलें चुक किए हैं। पुलिस और राजस्व अधिकारियों की सहायता से झींगा मछली के तालाबों को तोड़ने तथा अवैध काबिजों को बेदखल करने के लिए कदम उठाए गए हैं। तथापि अनेक झींका मछली पालकों ने हकदारी दावे दायर कर दिए हैं और कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किए गए हैं। इस समय इस प्रकार के 27 हकदारी दावे विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। उड़ीसा सरकार ने 1.38 हेक्टेयर भूमि को झींगा मछली पालन से छुड़ा लिया है और इस भूमि पर कच्छ वन पौधरोपण किया जा रहा है।

**शैक्षिक संस्थाओं को राजसहायता**

**303. श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शैक्षिक संस्थाओं को तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे या वित्त पोषित कार्यक्रमों को अब तक दी जा रही राज-सहायता में कटौती की जा रही है;

(ख) क्या राज-सहायता में ये कटौतियाँ पहले ही की जा चुकी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो किस हद तक और शिक्षा के किन स्तरों पर ये कटौतियां की गई हैं?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा):** (क) से (ग). संसाधनों के अभाव तथा प्रतियोगी प्राथमिकताओं के बावजूद, केन्द्र तथा राज्यों का शिक्षा पर निवेश वर्ष-दर-वर्ष लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा पर वित्त प्रबंध में सरकारी नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत नियंत्रित होती है जिसमें शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए सामान्यता सरकार एंव समुदाय द्वारा निधियों की व्यवस्था की परिकल्पना की गई हैं।

**गुजरात में पर्यटन विकास की परियोजनाएं**

**304. श्री हरिभाई पटेल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कुछ पर्यटन विकास परियोजनाएं पर्यावरण और वन विभाग की मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये परियोजनाएं किस स्तर पर लम्बित हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पर्यटन विकास की कोई परियोजना पर्यावरण और वानिकी की मंजूरी के लिए गुजरात में लम्बित नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन**

**305. श्री मुद्दी राम सैकिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रतिनियुक्त कुछ अधिकारियों को उन पर लोगों द्वारा लगाए गए कई आरोपों के बावजूद

भी हाल ही में उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि में विस्तार किया गया है/विस्तार की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक मामले में ऐसा किए जाने के क्या कारण हैं, ऐसा किन नियमों के अन्तर्गत किया गया है और ऐसा करने का क्या औचित्य है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**देश में किसान**

**306. श्री गामाजी मंगाजी ठाकुर :**
**श्री लाल बाबू राय :**

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश के प्रत्येक राज्य में कितने प्रतिशत छोटे, सीमांत और बड़े किसान हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य में गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक श्रेणी के किसानों ने विभिन्न बैंकों और सहकारी संस्थाओं से प्राप्त कितने प्रतिशत ऋण सुविधाओं का उपयोग किया है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण-II से V में दी गयी है।

**विवरण-I**

**कुल प्रचालन जोतों में सीमांत, लघु एंव दीर्घ प्रचालन जोतों की प्रतिशतता - 1990-91**

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | सीमांत (1.00 है. से कम) | लघु (1.00 है. से 2.00है.) | दीर्घ * 2.00है. तथा इससे अधिक | सभी आकार वाली |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| आन्ध्र प्रदेश | 56.1 | 21.2 | 22.7 | 100.0 |
| असम | 60.0 | 22.6 | 17.4 | 100.0 |
| बिहार | 76.6 | 11.3 | 12.0 | 100.0 |
| गुजरात | 26.3 | 26.0 | 47.7 | 100.0 |
| हरियाणा | 40.7 | 19.9 | 39.5 | 100.0 |
| हिमाचल प्रदेश | 63.7 | 19.9 | 16.4 | 100.0 |
| जम्मू व कश्मीर | 74.1 | 16.2 | 9.8 | 100.0 |
| कर्नाटक | 39.2 | 27.5 | 33.4 | 100.0 |
| केरल | 92.6 | 5.2 | 2.3 | 100.0 |
| मध्य प्रदेश | 37.3 | 22.8 | 39.9 | 100.0 |
| महाराष्ट्र | 34.6 | 28.8 | 36.6 | 100.0 |
| मणिपुर | 48.3 | 34.5 | 17.2 | 100.0 |
| मेघालय | 36.7 | 26.2 | 37.2 | 100.0 |
| नागालैंड | 9.4 | 15.1 | 75.5 | 100.0 |
| उड़ीसा | 53.7 | 26.2 | 20.1 | 100.0 |
| पंजाब | 26.5 | 18.2 | 55.3 | 100.0 |
| राजस्थान | 29.7 | 20.0 | 50.3 | 100.0 |
| सिक्किम | 49.6 | 21.2 | 29.3 | 100.0 |
| तमिलनाडु | 73.1 | 15.9 | 11.0 | 100.0 |
| त्रिपुरा | 68.1 | 21.8 | 10.1 | 100.0 |
| उत्तर प्रदेश | 73.8 | 15.5 | 10.6 | 100.0 |
| पश्चिम बंगाल | 73.8 | 17.6 | 8.6 | 100.0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 17.4 | 18.4 | 64.2 | 100.0 |
| चण्डीगढ़ | 66.2 | 16.0 | 17.7 | 100.0 |
| दादर व नागर हवेली | 46.7 | 30.7 | 22.6 | 100.0 |
| दिल्ली | 61.5 | 18.0 | 20.4 | 100.0 |
| गोवा | 80.4 | 11.6 | 8.0 | 100.0 |
| लक्षदीप | 91.2 | 5.9 | 2.8 | 100.0 |
| मिजोरम | 46.8 | 37.7 | 15.5 | 100.0 |
| पांडिचेरी | 74.6 | 14.3 | 11.1 | 100.0 |
| दमन व दीव | 78.7 | 14.8 | 6.5 | 100.0 |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 23.4 | 23.4 | 53.3 | 100.0 |
| अखिल भारत | 59.0 | 19.0 | 22.0 | 100.0 |

नोट : 1. असम और बिहार के आंकड़े 1985-86 के हैं।

* दीर्घ जोतों में अर्ध मध्यम (2 से 4 है0) मध्यम (4 से 10 है0) और बड़ी (10 है0 तथा इससे अधिक) की प्रचालन जोतें शामिल हैं।

विवरण-II

**1993-94 के दौरान नाबार्ड द्वारा किये जाने वाले पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से सहायता प्राप्त लघु कृषकों की प्रतिशतता**

(लाभ रुपये में)

| राज्य/ऋण का प्रकार | | नाबार्ड द्वारा किये जाने वाले पुनर्वित्त पोषण के तहत वितरित कुल धनराशि | लघु कृषकों को वितरित धनराशि | लघु कृषकों को वितरित ऋण की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | चण्डीगढ़ | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 3 | 2 | 70 |
| 2. | दिल्ली | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 94 | 81 | 86 |
| 3. | हरियाणा | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 9363 | 7489 | 80 |
| 4. | हिमाचल प्रदेश | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 1365 | 1139 | 83 |
| 5. | जम्मू व कश्मीर | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 288 | 261 | 91 |
| 6. | पंजाब | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 6.062 | 4766 | 79 |
| 7. | राजस्थान | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 8683 | 7531 | 87 |
| 8. | अरूणाचल प्रदेश | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 160 | 149 | 93 |
| 9. | असम | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 2594 | 2169 | 84 |
| 10. | मणीपुर | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 181 | 156 | 86 |
| 11. | मिजोरम | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 152 | 120 | 79 |
| 12. | मेघालय | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 213 | 196 | 92 |
| 13. | नागालैंड | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 100 | 87 | 87 |
| 14. | त्रिपुरा | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 447 | 408 | 91 |
| 15. | अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 68 | 65 | 96 |
| 16. | बिहार | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 6789 | 6624 | 98 |
| 17. | उड़ीसा | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 6410 | 5900 | 92 |
| 18. | सिक्किम | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 86 | 73 | 85 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 9220 | 8509 | 92 |
| 20. | उत्तर प्रदेश | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 33705 | 29089 | 86 |
| 21. | मध्य प्रदेश | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 7996 | 7301 | 91 |
| 22. | दादर नगर हवेली | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 26 | 23 | 90 |
| 23. | गोवा, दमन व दीव | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 367 | 294 | 80 |
| 24. | गुजरात | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 10331 | 8456 | 82 |
| 25. | महाराष्ट्र | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 26937 | 21411 | 79 |
| 26. | आन्ध्र प्रदेश | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 29109 | 22771 | 78 |
| 27. | कर्नाटक | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 17982 | 14344 | 80 |
| 28. | केरल | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 12096 | 9707 | 80 |
| 29. | पाण्डिचेरी | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 148 | 118 | 80 |
| 30. | तमिलनाडु | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 17141 | 14238 | 83 |
| 31. | लक्षद्वीप | | | |
| | एम.टी./एल.टी. | 7 | 7 | 100 |
| | योग | 208122 | 173485 | 83 |

## विवरण-III

1993-94 के दौरान राज्यवार प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी, समितियों द्वारा जारी किये जाने वाले अल्पावधिक ऋणों तथा उसमें लघु कृषकों को हिस्सा

उद्देश्य - 1993-94 के दौरान लघु/सीमांत कृषकों अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य को प्राथमिक कृषक सहकारी ऋण समितियों द्वारा जारी किया गया अल्पावधिक ऋण

(लाख रु० में)

| क्र.सं. | राज्य सह० बैंक का नाम | अप्रैल 1993 से मार्च 1994 तक जारी किये गये कुल अल्पावधि के ऋण | जिसमें से लघु/सीमांत कृषकों को वितरित किया गया | कुल जारी किये गये ऋणों में लघुकृषकों को जारी किये गये ऋण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 63539.00 | 49085.26 | 77 |
| 2. | असम | 54.00 | 48.34 | 89 |
| 3. | अण्डमान व निकोबार | लागू नहीं | 8.75 | - |
| 4. | अरूणाचल प्रदेश | लागू नहीं | 25.67 | - |
| 5. | बिहार | 8687.00 | 3393.12 | 39 |
| 6. | गोवा | 178.00 | 18.20 | 10 |
| 7. | गुजरात | 51254.00 | 16542.00 | 32 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 183.00 | 167.05 | 91 |
| 9. | हरियाणा | 75736.00 | 36045.43 | 48 |
| 10. | जम्मू एवं कश्मीर | 355.00 | 164.29 | 46 |
| 11. | कर्नाटक | 21619.00 | 8659.57 | 40 |
| 12. | केरल | 20498.00 | 16920.03 | 83 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 43044.00 | 16037.92 | 37 |
| 14. | महाराष्ट्र | 91715.00 | 7067.00 | 8 |
| 15. | मणिपुर | लागू नहीं | लागू नहीं | - |
| 16. | मेघालय | 55.00 | 54.83 | 100 |
| 17. | मिजोरम | लागू नहीं | लागू नहीं | - |
| 18. | नागालैण्ड | 175.00 | 174.34 | 100 |
| 19. | उड़ीसा | 7286.00 | 4930.33 | 68 |
| 20. | पंजाब | 75449.00 | 44277.32 | 59 |
| 21. | पाण्डिचेरी | 542.00 | - | - |
| 22. | राजस्थान | 28344.00 | 8361.48 | 29 |
| 23. | तमिलनाडु | 44545.00 | 25723.87 | 58 |
| 24. | त्रिपुरा | 24.00 | 22.00 | 92 |
| 25. | उत्तर प्रदेश | 80030.00 | 41260.20 | 52 |
| 26. | पश्चिम बंगाल | 14335.00 | 13999.00 | 98 |
| | योग | 627647.00 | 292986.00 | 47 |

## विवरण-IV

किसानों को सीधी वित्तीय सहायता-जून 1993 के अंतिम शुक्रवार एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वितरित की गयी राशि(अल्पावधिक ऋणों की) की राज्यवार प्रतिशतता

(प्रतिशत में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | सीमांत | लघु | बड़ा | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 34.5 | 36.5 | 28.9 | 100.0 |
| 2. अरूणाचल प्रदेश | 20.6 | 36.6 | 42.8 | 100.0 |
| 3. असम | 54.7 | 32.8 | 12.5 | 100.0 |
| 4. बिहार | 36.6 | 36.9 | 26.5 | 100.0 |
| 5. गोवा | 72.5 | 9.9 | 17.6 | 100.0 |
| 6. गुजरात | 9.7 | 23.8 | 66.6 | 100.0 |
| 7. हरियाणा | 10.7 | 19.4 | 69.6 | 100.0 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 54.0 | 30.7 | 15.3 | 100.0 |
| 9. जम्मू एवं कश्मीर | 4.9 | 41.0 | 54.1 | 100.0 |
| 10. कर्नाटक | 20.9 | 31.6 | 47.6 | 100.0 |
| 11. केरल | 80.2 | 14.4 | 5.4 | 100.0 |
| 12. मध्य प्रदेश | 16.5 | 25.5 | 58.0 | 100.0 |
| 13. महाराष्ट्र | 21.3 | 24.8 | 53.9 | 100.0 |
| 14. मणिपुर | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 |
| 15. मेघालय | 65.0 | 33.3 | 1.7 | 100.0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 16. मिजोरम | | | | |
| 17. नागालैण्ड | 53.0 | 26.7 | 20.3 | 100.0 |
| 18. उड़ीसा | 37.5 | 29.8 | 32.7 | 100.0 |
| 19. पंजाब | 5.6 | 20.9 | 73.6 | 100.0 |
| 20. राजस्थान | 13.6 | 19.1 | 67.4 | 100.0 |
| 21. सिक्किम | 24.5 | 41.7 | 33.7 | 100.0 |
| 22. तमिलनाडु | 36.3 | 34.8 | 29.0 | 100.0 |
| 23. त्रिपुरा | 70.8 | 21.4 | 7.9 | 100.0 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 25.1 | 34.5 | 40.4 | 100.0 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 44.9 | 34.8 | 20.3 | 100.0 |
| 26. अण्डमान | 0.0 | 48.1 | 51.9 | 100.0 |
| 27. चण्डीगढ़ | 34.4 | 19.7 | 46.0 | 100.0 |
| 28. दादर एवं नगर हवेली | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 29. दमन एवं दीव | | | | |
| 30. दिल्ली | 1.3 | 8.0 | 90.7 | 100.0 |
| 31. लक्षद्वीप | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 32 पाण्डिचेरी | 51.9 | 24.9 | 23.2 | 100.0 |
| अखिल भारत | 36.3 | 29.9 | 33.8 | 100.0 |

**विवरण-V**

जून, 1993 के अंतिम शुक्रवार तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वितरित की गयी राशि (सावधिक ऋणों की) की प्रतिशतता

(प्रतिशत में)

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | सीमांत | लघु | बड़ा | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 24.9 | 28.0 | 47.1 | 100.0 |
| 2. अरूणाचल प्रदेश | 16.5 | 37.7 | 45.7 | 100.0 |
| 3. असम | 56.0 | 19.6 | 24.4 | 100.0 |
| 4. बिहार | 31.4 | 21.9 | 46.7 | 100.0 |
| 5. गोवा | 21.8 | 7.5 | 70.7 | 100.0 |
| 6. गुजरात | 7.5 | 14.9 | 77.6 | 100.0 |
| 7. हरियाणा | 2.7 | 4.6 | 92.7 | 100.0 |
| 8. हिमाचल प्रदेश | 27.8 | 33.1 | 39.1 | 100.0 |
| 9. जम्मू एवं कश्मीर | 27.6 | 14.7 | 57.7 | 100.0 |
| 10. कर्नाटक | 15.5 | 18.1 | 66.4 | 100.0 |
| 11. केरल | 51.0 | 17.8 | 31.2 | 100.0 |
| 12. मध्य प्रदेश | 14.5 | 24.8 | 60.7 | 100.0 |
| 13. महाराष्ट्र | 19.3 | 19.6 | 61.2 | 100.0 |
| 14. मणिपुर | 14.6 | 27.0 | 58.4 | 100.0 |
| 15. मेघालय | 61.0 | 28.7 | 10.3 | 100.0 |
| 16. मिजोरम | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 17. नागालैण्ड | 20.3 | 25.4 | 54.3 | 100.0 |
| 18. उड़ीसा | 27.9 | 34.0 | 38.1 | 100.0 |
| 19. पंजाब | 1.2 | 6.9 | 91.9 | 100.0 |
| 20. राजस्थान | 8.4 | 9.7 | 82.0 | 100.0 |
| 21. सिक्किम | 44.7 | 32.6 | 22.7 | 100.0 |
| 22. तमिलनाडु | 28.4 | 26.9 | 44.7 | 100.0 |
| 23. त्रिपुरा | 85.6 | 11.7 | 2.7 | 100.0 |
| 24. उत्तर प्रदेश | 12.9 | 13.9 | 73.2 | 100.0 |
| 25. पश्चिम बंगाल | 22.7 | 23.5 | 53.8 | 100.0 |
| 26. अण्डमान | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 27. चण्डीगढ़ | 1.2 | 0.1 | 98.7 | 100.0 |
| 28. दादर एवं नगर हवेली | 12.8 | 57.6 | 29.6 | 100.0 |
| 29. दमन एवं दीव | 54.4 | 0.0 | 45.6 | 100.0 |
| 30. दिल्ली | 32.5 | 5.0 | 62.5 | 100.0 |
| 31. लक्षद्वीप | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| 32 पाण्डिचेरी | 56.5 | 15.3 | 28.2 | 100.0 |
| अखिल भारत | 16.2 | 17.2 | 66.6 | 100.0 |

**पांडुलिपि के पृष्ठों का गायब होना**

**307. श्री हरि किशोर सिंह :**
**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता के ग्रंथालय से एक हजार वर्ष पुरानी ''अष्टसहस्त्रिका प्रमापरामीता'' नामक नेपाली पांडुलिपि के दो बहुमूल्य पृष्ठ गायब थे;

(ख) मुख्य पांडुलिपि से सम्भवतः 1978 से दो पृष्ठों के गायब होने के संबंध में विभिन्न स्तरों पर पता लगाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं तथा अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले ही नहीं होने के क्या कारण हैं। तथा इनका पता लगाने हेतु अब तक क्या जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) इस ग्रंथालय तथा अन्य ग्रंथालयों तथा संग्रहालयों में रखी गई इससे पूर्व की पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां।

(ख) खोने की सूचना तब ही मिली जब मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयार्क के निदेशक ने इस दो खोये पृष्ठों की प्राप्ति की सूचना दी। प्रशासकीय लापरवाही के कारण, इनका पहले पता नहीं लगाया जा सका। एशियाटिक सोसायटी ने तो चोरी की जांच करने के लिए पहले ही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संपर्क कर लिया है।

(ग) भविष्य में, इस तरह होने वाली क्षति को रोकने के लिए एशियाटिक सोसायटी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किये गये हैं। इस समय सोसायटी की सुरक्षा व्यवस्था में भवन के बाहर चौबीस घंटे सुरक्षा प्रहरियों द्वारा पहरा देना शामिल है। इसके अतिरिक्त, भवन में प्रवेश करने वाले हरेक व्यक्ति की सुरक्षा जांच होती है। सोसायटी में आने वाले सभी आंगतुकों को अपने नाम एक रजिस्टर में दर्ज करने पड़ते हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य सुरक्षा अधिकारी को सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु और उपायों की सिफारिश करने हेतु कहा जायेगा।

जहां तक इस मंत्रालय के अंतर्गत पुस्तकालयों और संग्रहालयों का संबंध है उनके संबंधित प्रशासकीय व्यवस्थाओं में पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था है।

**[हिन्दी]**

**घटिया खाद्यान्न**

**308. डा० नाथ बहादुर रावत** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन माह के दौरान राशन कार्ड-धारकों को उचित मूल्य की दुकान से घटिया गेंहू तथा चावल के वितरण के कितने मामले रिपोर्ट किए गए हैं जबकि सरकार द्वारा बढ़िया किस्म के गेहूं तथा चावल की आपूर्ति की गई थी;

(ख) क्या केंद्रीय भंडार द्वारा चलाई जा रही उचित मूल्य की दुकानों की समय-समय पर आकस्मिक जांच की जाती है;

(ग) यदि हाँ, तो वर्ष 1994-95 के दौरान मारे गए छापों की संख्या कितनी है;

(घ) अब तक घटिया किस्म के खाद्यान्नों के वितरण में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए हैं; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौर क्या है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री भूटा सिंह)** : (क) से (ङ). सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेवारी है। केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित मानकों के अनुरूप थोक में आवंटित करती हैं। राज्य सरकार अथवा उनके नामितियों को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का उनकी सुपुर्दगी कर लेने से पहले निरीक्षण करने का अवसर दिया जाता है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे इतने विस्तृत आकार के कार्य में, जिसके अन्तर्गत सारे देश में चार लाख से अधिक उचित दर दुकानें शामिल हैं, यहाँ-वहाँ कुछ कमियों से पूर्णतः इन्कार नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है, जिसमें उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करना शामिल है। उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं ताकि वे उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें जो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियंत्रण आदेशों के उपलबन्धें का उल्लघंन करते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पास कदाचारों की जाँच करने के लिए उचित दर दुकानों पर अचानक छापा मारने की शक्तियां तथा प्रवर्तन कर्मचारी मौजूद हैं। ऐसे छापों का ब्यौरा केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि पिछले तीन महीनों के दौरान राशनकार्डधारियों को घटिया किस्म के चावल तथा गेहूं का वितरण किए जाने के बारे में किसी मामले की सूचना नहीं है। उन्होंने सूचित

किया है कि 1994-95 के दौरान केन्द्रीय भण्डार द्वारा चलाई जानेवाली उचित दर दुकानों पर दो छापे मारे गए थे और इन छापों में किसी भी व्यक्ति को घटिया किस्म का माल वितरित करते हुए नहीं पाया गया था।

## यूरो बांड

**309. श्री पंकज चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने अपनी आधुनिकीकरण और विकास योजनाओं के लिए विदेशी बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या रेलवे का विचार विदेशी बाजार में यूरो बांड जारी करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (घ). 1995-96 के दौरान 150 मिलियन अमरीका डालर के यूरो इश्यू के जरिए विदेशी ऋण के द्वारा धन जुटाने की संभावना का पता लगाने के लिए भारतीय रेल वित्त निगम, जो रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, को अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

## पशुपालन

**310. श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुपालन के विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1994-95 के लिए प्रत्येक योजना हेतु तय किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) पशुपालन एवं डेयरी राज्य का विषय है। फिर भी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत पशुपालन के विकास के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं की एक सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) से (घ). इन योजनाओं का उद्देश्य देश में दूध, अण्डा तथा ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना है। 1994-95 के लिए इन उत्पादों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं जिनके प्राप्त हो जाने की संभावना है।

### 1994-95 के लिए लक्ष्य

| | | |
|---|---|---|
| 1. | दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन) | 63.5 |
| 2. | अण्डा उत्पादन (बिलियन संख्या) | 26.1 |
| 3. | ऊन उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.) | 43.6 |

### विवरण

### केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की सूची

**क. पशुपालन**

1. डिंमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण केन्द्र का विस्तार
2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।
3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।
4. पशुप्लेग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।
5. व्यावसयिक दक्षता विकास।
6. बूचड़खानों के सुधार/पशुचर्म उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्त्वचन एककों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता।
7. राज्यों /केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रमुख पशुधन उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत सर्वेक्षण तथा मुख्यालय में पशुपालन सांख्यिकी कक्ष का सुदृढ़ीकरण।
8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।
9. राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास कार्यक्रम।
10. भारवाही पशुओ का विकास।
11. एकीकृत सुअर विकास के लिए राज्यों को सहायता।

**ख. डेयरी विकास**

1. उत्तर केरल में स्विस सहायता प्राप्त डेयरी विकास परियोजना।

**केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं**

**क. पशुपालन**

1. पशुपालन विस्तार कार्यक्रम

**ख. डेयरी विकास**

1. गैर-आपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

[अनुवाद]

## नारियल का मूल्य

311. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995 के मौसम हेतु नारियल के मूल्य निर्धारित कर लिए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नारियल की कीमतों में बहुत तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इसके मूल्यों में गिरावट को रोकने के हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 1995 के मौसम के लिये औसत उत्तम गुणवत्ता वाले मीलिंग खोपरा के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल तथा बाल खोपरा की औसत उत्तम गुणवत्ता वाली किस्म के लिए 2725 रु0 प्रति क्विंटल को न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान खोपरा के थोक मूल्य सूचकांक में थोड़ी गिरावट आई है जैसा कि नीचे दिया गया है :-

| माह | अप्रैल,95 | मई,95 | जून,95 |
|---|---|---|---|
| थोक मूल्य सूचकांक (औसत) | 235.1 | 234.3 | 231.6 |

(ङ) मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने नैफेड को खोपरा का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम हो जाने पर मूल्य समर्थन क्रियाकलाप करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है। इसके अलावा, सरकार ने खोपरा की मांग में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये हैं।

## भारतीय शिक्षा विकास बैंक

312. **श्री राजेश कुमार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संस्थानों को अपनी स्थापना और विकास के लिए आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए एक भारतीय शिक्षा विकास बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रस्तावित बैंक जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्तियां भी देगा; और

(ग) तकनीकी शिक्षा के अबाधित विकास हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एंव संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तकनीकी शिक्षा के लिए संसाधन जुटाने संबंधी एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई थी। समिति ने मई, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश, संस्थाओं की स्थापना के लिए और अपना-अपना अध्ययन पूरा कर रहे जरूरतमंद छात्रों के लिए, आसान ऋण देने के लिए एक भारतीय शैक्षिक विकास बैंक (ई.डी. बी.आई.) की स्थापना करना है। समिति की अन्य सिफारिश में ये शामिल हैं : दान तथा तथा अंशदान पर आय-कर में छूट, तकनीकी शिक्षा अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों के वित्त पोषण के लिए उद्योगों पर शैक्षिक कर लगाना; तकनीकी शिक्षा के लिए योजनागत आंबटन जो औद्योगिक और सेवा-क्षेत्रों पर आधारित होंगे और उपयुक्त उपायों के जरिए तकनीकी संस्थाओं द्वारा संसाधन उत्पन्न करना है। इन सिफारिशों में अनेक एजेन्सियों द्वारा की गई कार्रवाई शामिल है और इस पर विचार करने के लिए श्रमसाध्य प्रक्रिया अपेक्षित है।

## तम्बाकू की फसल

313. **श्री एस.एम. जाफर शरीफ** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने हाल ही के तम्बाकू मौसम में आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की फसल के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की प्रति एकड़ उत्पादकता संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या 1994-95 के दौरान तम्बाकू की प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उत्पादकता के क्षेत्र में स्थिरता के क्या कारण हैं ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) जी, हाँ।

(ख) सी.एम.-12 (के.ए.) हेमा, गोथामी तथा वी.टी.-1158 जैसी अधिक उपज देने वाली किस्मों को जारी करने के बाद 480-600 किलो/एकड़ के स्तर तक उत्पादकता बढ़ गयी है।

(ग) और (घ). उत्तरी क्षेत्र की काली तथा हल्की मिट्टियों तथा मध्यवर्ती क्षेत्र की काली मिट्टियों में प्रति एकड़ उत्पादकता में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। प्रोद्योगिकी के स्थानान्तरण द्वारा दक्षिणी क्षेत्र की काली तथा हल्की मिट्टियों की उत्पादकता के सुधार के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। उत्पादकता में कमी-बेशी मौसम की स्थितियों पर निर्भर है तथापि औसत उत्पादन करीब 560 किलो० प्रति एकड़ तक पहुंच गया है।

**[हिन्दी]**

**स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता**

**314. श्री लाल बाबू राय :**
**श्री रामकृपाल यादव :**
**श्री हरि केवल प्रसाद :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न उन स्वयंसेवी संगठनों को दी जा रही वित्तीय सहायता रोक देती है जो इस सहायता का समुचित उपयोग नहीं कर पाते; और

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) योजनाओं के लिए सामान्यतः गैर-सरकारी संगठनों की संस्वीकृति पूर्व जाचं की जाती है। केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों द्वारा जांच का प्रावधान है तथा नया अनुदान जारी करने से पहले पूर्व अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। जहाँ गैर-सरकारी संगठनों का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं पाया जाता, वहां वित्तीय सहायता बंद कर दी जाती है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**माल की चोरी**

**315. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
**श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान प्रत्येक जोन में रेलवे गोदामों में कितने मूल्य का माल चुक किया गया;

(ख) उसमें से कितने मूल्य का कितना माल चोरी हो गया;

(ग) चोरी हुए माल में से कितने मूल्य का माल बरामद किया गया और इस चोरी से रेलवे की कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार ने रेलवे गोदामों से ऐसी चोरी को रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

**[अनुवाद]**

**गंगा कार्य परियोजना**

**316. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा कार्य योजना के लिए आवंटित धनराशि की तुलना में 256.26 करोड़ रुपए की फालतू राशि खर्च की गई है जबकि 81 परियोजनाएं अभी भी लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो अनिश्चितता के क्या कारण हैं; और

(ग) सभी कार्यों के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है और उसमें कितनी लागत अंतर्निहित है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) जी, नहीं। गंगा कार्य योजना चरण-। के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के लिए 445.29 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत में से योजना में शामिल राज्यों को अब तक कुल 404.41 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। गंगा कार्य योजना के पहले चरण के अन्तर्गत संस्वीकृत 261 स्कीमों में से अब तक 242 स्कीमें पूरी हो चुकी हैं।

(ख) गंगा कार्य योजना के पहले चरण के कार्यान्वयन में, भूमि अधिग्रहण, ठेकेदारों द्वारा कम रुचि लेने, न्यायालय में मुकदमें बाजी तथा प्राप्त अनुभवों द्वारा कुछ स्कीमों के डिजाइन एवं कार्यक्षेत्र में परिवर्तन आवश्यक होने के कारण विलम्ब हुआ।

(ग) चल रही सभी स्कीमों के 445.25 करोड़ रुपए की संस्वीकृत लागत में दिनांक 31.3.96 तक पूरा होने की आशा है।

**[हिन्दी]**

**शिक्षा का स्तर**

**317. डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जम्मू कश्मीर में शिक्षा के स्तर में निरंतर आ रही गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ग). जम्मू एवं कश्मीर सहित सारे देश में शिक्षा का स्तर तथा गुणवत्ता को बनाये रखने का सरकार का प्रयत्न रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं को सुधारने के लिए 1987-88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की थी, हाल ही में यह योजना उच्च प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ा दी गई है। सभी स्तरों पर शिक्षा की विषय-वस्तु तथा प्रक्रिया को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किये गये हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं-पाठ्यक्रम का नवीकरण, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

**[अनुवाद]**

## स्कूली बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री

**318. श्री मोहन रावले** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश में सभी स्कूली बच्चों को सस्ती अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) ने बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए भौतिक विज्ञान की मंहगी पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और पाठ्य पुस्तकों के मूल्य कम करने हेतु क्या प्रयास किए गये हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि इस बात के लिए प्रयास किए जाएं कि सभी प्रकार के लोगों को पुस्तकें आसानी से मिल सकें तथा बच्चों के लिए गुणवत्ता वाली पुस्तकें प्रकाशित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा भौतिकी की पाठ्य पुस्तक भाग 1 के वर्तमान संस्करण में पृष्ठों की संख्या पहले से बहुत अधिक है, तथा यह बढ़िया किस्म के कागज पर मुद्रित की गई है ताकि उच्च स्तर के चित्रों को प्रतिकृति को सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार, न लाभ न हानि के सिद्धांत के आधार पर, जो कि मूल्य निर्धारण का अनुमोदित सूत्र है, पाठ्य पुस्तकों की कीमतें निर्धारित की गई हैं।

## मूल्यों पर निगरानी रखने संबंधी पैनल

**319. श्री पी. कुमारासामी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता, मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता उद्योग तथा व्यापार के बीच विचार विमर्श के मुद्दे की जाँच करने के लिये किसी कार्यदल का गठन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस दल द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों की बातें क्या है और उस पर विशेषरूप से मूल्य निगरानी आयोग स्थापित करने के संबंध में सरकार व केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्रस्तावित मूल्य निगरानी पैनल की शक्तियां क्या होंगी तथा यह गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में हेराफेरी करने पर किस हद तक रोक लगा पाएगी और मूल्यों को नियंत्रित कर पायेगी; और

(घ) इस आयोग की स्थापना को लिए क्या तरीके अपनाये गये हैं तथा विद्यमान उपभोक्ता शिकायत निवारक मशीनरी में सुधार लाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) कार्य दल ने उत्पादों की गुणवत्ता, स्व विनियमन, एकीकरण और विलय, उत्पादक संघ बनाने (कार्टलाइजेशन), पारिस्थितिकी अनुकूल उत्पादों और विज्ञापन संहिता के बारे में तथा साथ ही मूल्य अनुवीक्षण आयोग की स्थापना सम्बन्धी अनेक सिफारिशें की हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने इन सिफारिशों का ब्यौरा जानने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के तरीकों का सुझाव देने हेतु एक विषय निर्वाचन समिति गठित की है।

**प्लास्टिक बाजार में अग्निकांड**

**320. श्री के.जी. शिवप्पा :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजधानी स्थित प्लास्टिक बाजार में हुए हाल के अग्निकांड का पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उद्योगों को अलग स्थानों पर लगाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख). केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ज्वालापुरी, नई दिल्ली की प्लास्टिक मार्केट में हाल में हुई आग लगने की दुर्घटना की वैज्ञानिक जांच-पड़ताल की थी। रिपोर्ट के अनुसार ज्वालापुरी के पी.वी.सी. मार्केट में 6 जून, 1995 को आग लगी थी, इस आग से लगभग एक वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में फैला समूचा मार्केट भस्म हो गया जिसमें प्लास्टिक, पी.वी.सी. और प्लास्टिक की रद्दी की लगभग 2500 दुकानें थी। प्लास्टिक के सामान के जलने के कारण जो घना काला धुँआ निकला वह आस-पास की कालोनियों तथा हवा की दिशा में राजधानी के अन्य भागों में फैल गया। उस स्थल पर जलते हुए रद्दी के ढेरों से उत्पन्न उत्सर्जन में कार्बन मोनो-आक्साइड, क्लोरीन और विनायल क्लोराइड होने की रिपोर्ट दी गई है, परिवेशीय वायु में इन गैसों की मात्रा परिमेय स्तरों से बहुत अधिक थी। इस धुंए के शिकार लोगों की आंखों, नाक और गले में जलन हुई और कुछ समय तक रही।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने आग की घटना के ब्यौरों का पता लगाने, ऐसे बाजारों का पुनर्वास किसी अच्छी तरह से अभिनिर्धारित स्थान पर करने के मुद्दे की जाँच करने के लिए एक समिति गठित की है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**रेलवे स्टेशनों के लिए नए भवन**

**321. श्री वत्ता मेघे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों के लिए नए भवनों के निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन-किन रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया जायेगा ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) जी हाँ।

(ख) इससे संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है :

| स्टेशन | लागत (लाख रुपए में) |
|---|---|
| कल्याण | 242.00 |
| थाणे | 278.00 |
| मुंबरा | 23.86 |
| अंधेरी | 67.32 |
| बोरीवली | 69.30 |

(ग) महाराष्ट्र राज्य में निम्नलिखित स्टेशनों पर 1995-96 में नए आधुनिकीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं :

परभनी, बदनापुर, हिंगोली, नागरसोल, चिकलथाना, सरवारी, उस्मानपुर, हिमायतनगर, धनोरा, गंगाखेड़, औरंगाबाद, अमन, वाडी, किनवल, धर्मावाद, सेलू, मनवात रोड़, भोकर, उमरी, कोल्हापुर, कोपरगांव, बम्बई वी.टी., भुसावल, दौंड, नासिक रोड़, नेरल, चालीसगांव, दादर, मलाड, विरार, नल्लासोपारा, वसई रोड़, वनगांव, भायंदर, एलफिंस्टन रोड़, ग्रांट रोड़, सांताक्रुज, विले पार्ले, गोरेगांव, पालघर, दहानू रोड़, साफले, केलवे रोड़, कांडिवली, जोगेश्वरी, वनगांव, घोलवाड, खार रोड़, दहीसर, मीरा रोड़, नैगांव, मैरीन लाइन्स, लोअर परेल, माटुंगा रोड़, अमगांव, इटवारी और टिरोरा।

**[अनुवाद]**

**विदेशो में उच्च अध्ययन**

**322. डा0 पी0 वल्लभ पेरूमान :**
**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों और अध्येतावृत्तियों के साथ सरकारी खर्च पर विदेशों में भेजे जाने वाले अधिकांश छात्र भारत लौटने और देश की सेवा करने की अपेक्षा वहीं रहना पंसद करतें हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उच्च अध्ययन अथवा तकनीकी शिक्षा के लिए देशवार और वर्षवार कुल कितने छात्रों को विदेश भेजा गया; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विदेश योजना के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन के लिए प्रति छात्र पर प्रतिवर्ष औसतन कितना खर्च किया गया?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा प्रचालित अधिकतर छात्रवृत्तियाँ/अध्येतावृत्तियाँ पूर्णतः दाता देशों द्वारा वित्त-पोषित होती हैं। इनको प्राप्त करने वाले अधिकांश व्यक्ति अपने प्रस्थान के पूर्व रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और अपनी वापसी के पश्चात् नौकरियों में आमेलित कर लिये जाते हैं। छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने वालों के लिए उनके अध्ययन के समाप्त हो जाने के पश्चात् स्वदेश लौटना लाजिमी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही नेशनल ओवरसीज स्कीम के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी होने वाला औसत व्यय लगभग 7 लाख रुपये हैं।

**विवरण**

**1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग**

| क्र.सं. | देश/कार्यक्रम | विदेश भेजे गये विद्यार्थियों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | राष्ट्र मंडल छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों की योजना | | | |
| | (क) ब्रिटेन | 25 | 45 | 39 |
| | (ख) कनाडा | 19 | 7 | शून्य |
| | (ग) न्यूजीलैण्ड | शून्य | 3 | शून्य |
| 2. | नेहरू सेन्चुरी ब्रिटिश फेलोशिप/स्कालरशिप (यू.के.) | 13 | 11 | 9 |
| 3. | कनफेडरेशन आफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ओवरसीज स्कालरशिप(यू.के.) | 2 | 1 | 3 |
| 4. | जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट (यू.के.) स्कालरशिप | 2 | शून्य | शून्य |
| 5. | अगाथा हैरीसन मेमारियल फैलोशिप (यू.के.) | शून्य | 1 | शून्य |
| 6. | आस्ट्रेलियन डेवलपमेन्ट को-आपरेशन स्कालरशिप | 10 | 23 | 26 |
| 7. | जर्मन अकेदमिक एक्सचेंज सर्विस स्कालरशिप | 7 | 11 | 10 |
| 8. | जापान गर्वनमेंन्ट स्कालरशिप | 14 | 14 | 15 |
| 9. | नार्वे (नोराद) | 8 | 6 | 8 |
| | **सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्तियाँ** | | | |
| 1. | मिश्र | 1 | – | 2 |
| 2. | आस्ट्रिया | शून्य | 1 | 1 |
| 3. | चीन | 9 | 7 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | फ्रांस | 1 | 2 | 2 |
| 5. | इण्डोनेशिया | शून्य | शून्य | 1 |
| 6. | आयरलैण्ड | 2 | 3 | 4 |
| 7. | इजरायल | शून्य | शून्य | 2 |
| 8. | इटली | 11 | 3 | 2 |
| 9. | कोरिया (दक्षिण) | शून्य | 1 | 1 |
| 10. | मैक्सिको | शून्य | शून्य | 1 |
| 11. | पोलैण्ड | शून्य | 2 | 1 |
| 12. | रोमानिया | शून्य | 1 | शून्य |
| 13. | स्पेन | शून्य | शून्य | 6 |
| 14. | टर्की | शून्य | 2 | शून्य |
| 2. | **कल्याण मंत्रालय** | | | |
| **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि के उम्मीदवारों के लिए नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्तियां** | | | | |
| 1. | संयुक्त राज्य अमेरिका | 7 | 9 | 13 |
| 2. | ब्रिटेन | 11 | 8 | 3 |
| 3. | आस्ट्रेलिया | – | – | 3 |
| 4. | कनाडा | – | 1 | – |
| 5. | नीदरलैण्ड | 1 | – | 1 |
| 6. | स्विटजरलैण्ड | – | 1 | – |

**व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश**

**323. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1995 के दैनिक समाचार पत्र 'पैट्रिऑट' में ''ऑन मैरिट लिस्ट विद जस्ट फोर परसेंट मार्क्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने मेडीसन और इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के समान न्यूनतम स्तर को सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अर्ह-परीक्षाओं में प्रदर्शन का कोई बुनियादी न्यूनतम समान स्तर निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, एक सांविधिक निकाय ने, इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा तंत्र में दिये गये मानकों और स्तरों के उचित अनुरक्षण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद ने भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपेक्षित अर्हता व आयु संबंधी अपेक्षाओं का निर्धारण किया है।

**जैव-उर्वरक**

**324. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जैव-उर्वरकों का कुल वार्षिक उत्पादन और इनकी अनुमानित वार्षिक आवश्यकता कितनी-कितनी है;

(ख) आल इंडिया कॉआर्डीनेटिड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन बायोलोजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसन का ब्यौरा क्या है और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या उड़ीसा में ऐसा कोई केन्द्र नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उड़ीसा में ऐसा केन्द्र कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) जैव-उर्वरकों का कुल अनुमानित वार्षिक उत्पादन तथा आवश्यकता निम्नलिखित हैः-

(1) उत्पादन - 3900 मी. टन

(2) आवश्यकता 7.76 लाख मी. टन

(ख) जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण संबंधी अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं तथा उनके स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

(एक) इसका उद्देश्य प्रभावी जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण के संबंध में बुनियादी जानकारी प्राप्त करना है।

(दो) स्थानः

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान आधारित**

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली

(ख) केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक

**कृषि विश्वविद्यालय आधारित**

(क) अन्नासलय विश्वविद्यालय

अन्नामलयनगर-608002

(ख) हरियाणा कृषि विश्दविद्यालय, हिसार

(ग) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर

(घ) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर

(ङ) विधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर, जिला-नादिया, पश्चिम बंगाल

(च) मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभनी

(छ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बूटूर।

**सामान्य विश्वविद्यालय**

(क) एम.एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

(ग) से (ङ). उड़ीसा में जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण पर दो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनायें चल रही हैं एक केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक में तथा दूसरी उड़ीसा कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर में चल रही है।

**[हिन्दी]**

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

**325. श्री नरेश कुमार बालियानः** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितनी उचित दर की दुकानें खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग कितने लोगों के लाभान्वित होने की संभावना है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। जहां केन्द्रीय सरकार छः चुनी आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भंडारण, ढुलाई और थोक में आवंटन के लिए जिम्मेदार है वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणली के क्रियान्वयन हेतु प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी आवश्यकताओं के आधार पर उचित दर दुकानें खोलने जैसे परिचालन संबंधी निर्णय लेते हैं। केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में उचित दर दुकानें खोले जाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

[अनुवाद]

## केन्द्रीय विद्यालयों में शैक्षिक स्तर

**326. श्री एन. डेनिस** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्री महोदय को देश के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों में स्कूली शिक्षा स्तर में आ रही गिरावट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षा के उच्च स्तर को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन विद्यालयों में प्रवेश विलम्ब से होते हैं जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों को प्रवेश की अन्तिम सूची कब तक भेजी जाती है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों की पास प्रतिशतता, अखिल भारतीय औसत से अधिक है। तथापि शिक्षा की कोटि में आगे और सुधार लाने के लिए, संगठन, विषय समिति की बैठकों, विद्यालयों के नियमित निरीक्षण, शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रमों तथा विभिन्न स्तरों आदि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों के माध्यम से सतत प्रयास कर रहा है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय विद्यालयों में दाखिले विद्यालय स्तर पर किए जाते हैं। विशेष छूट के अन्तर्गत आने वाले दाखिलों को छोड़कर, चालू वर्ष के लिए दाखिलों की अन्तिम तिथि 31 जुलाई, 1995 थी।

[हिन्दी]

## भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद

**327. श्री राम निहोर राय** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ और चावल की विभिन्न किस्मों के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार निर्धारित किए गए खरीद मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गेंहू, चावल और चीनी पर भारतीय खाद्य निगम को वार्षिक आधार पर प्रति टन के हिसाब से कितनी राजसहायता प्रदान की गई;

(ग) इसी अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं, चावल और चीनी पर प्रति क्विंटल के हिसाब से कितनी राशि संभलाई प्रभारों के रूप में दी गई; और

(घ) बढ़ते हुए खर्च को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) यद्यपि चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी गई थी लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम को गेहूं और चावल पर दी गई प्रति मीटरी टन सब्सिडी निम्नानुसार थी :-

रुपये प्रति मीटरी टन

| | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 1391.10 | 2247.40 | 1761.50 |
| चावल | 1314.60 | 1428.70 | 1646.80 |

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं, चावल और लेवी चीनी पर खर्च किए गये प्रति मी० टन हैंडलिंग/वितरण प्रभार निम्नानुसार थे :-

दर/रुपये प्रति क्विंटल

| | 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| गेहूं | 91.90 | 120.02 | 117.44 |
| चावल | 91.90 | 120.02 | 124.45 |
| लेवी चीनी | 118.10 | 137.07 | 149.70 |

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भण्डारण क्षमता का अधिकतम इस्तेमाल करने, भण्डारण लागत में हो रही वृद्धि को कम करने के लिए गेहूं/चावल की खुली बिक्री का सहारा लेने, मार्गस्थ और भण्डारण हानियों की होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए खाद्यान्नों के संचलन पर पर्यवेक्षण करने, प्रवेश स्तर के पदों पर भर्ती पर प्रतिबंध लगाकर मानव शक्ति में कमी करने और त्यागपत्र, सेवनिवृत्ति आदि से उत्पन्न रिक्तियों को न भरने, कैप भण्डारण को खाली करने की सुव्यवस्थित नीति अपनाने, पुराना स्टाक जारी करने, 'सी' और 'डी' श्रेणी के स्टाक का निपटान करने और डमरेज प्रभारों आदि में कमी करने जैसे उपायों के जरिये अपनी हैंडलिंग लागत में कमी करने के निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

## विवरण

**वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के खरीफ मौसमों के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गये लेवी चावल और धान के वसूली मूल्य**

| क्र. सं. | चावल के वसूली मूल्य राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | | दर रुपये/क्विंटल में 1991-92 | 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | पंजाब | साधारण | 396.40 | 463.10 | 533.40 |
| | | बढ़िया | 424.90 | 493.55 | 582.90 |
| | | उत्तम | 444.80 | 514.10 | 620.90 |
| 2. | हरियाणा | साधारण | 396.65 | 463.45 | 529.20 |
| | | बढ़िया | 425.20 | 494.00 | 578.25 |
| | | उत्तम | 445.10 | 514.45 | 616.00 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | साधारण | 377.80 | 441.30 | 501.45 |
| | | बढ़िया | 393.00 | 456.50 | 531.75 |
| | | उत्तम | 417.45 | 482.35 | 574.75 |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश | साधारण | 387.55 | 454.15 | 518.90 |
| | | बढ़िया | 403.30 | 469.90 | 550.40 |
| | | उत्तम | 419.05 | 485.65 | 581.90 |
| 5. | मध्य प्रदेश | साधारण | 383.10 | 448.85 | 512.85 |
| | | बढ़िया | 398.65 | 464.40 | 543.95 |
| | | उत्तम | 414.20 | 479.95 | 575.10 |
| 6. | उड़ीसा | साधारण | 394.40 | 462.75 | 528.80 |
| | | बढ़िया | 411.00 | 478.80 | 560.90 |
| | | उत्तम | 427.05 | 494.90 | 593.05 |
| 7. | असम | साधारण | 384.45 | 450.50 | 514.70 |
| | | बढ़िया | 406.25 | 473.25 | 554.30 |
| | | उत्तम | 422.10 | 489.10 | 586.00 |
| 8. | पश्चिम बंगाल | साधारण | 370.25 | 433.80 | 488.25 |
| | | बढ़िया | 389.15 | 453.33 | 530.90 |
| | | उत्तम | 404.30 | 468.50 | 561.20 |
| 9. | महाराष्ट्र | साधारण | 377.90 | 442.55 | 501.65 |
| | | बढ़िया | 393.15 | 457.75 | 531.90 |
| | | उत्तम | 408.45 | 473.15 | 562.20 |
| 10. | गुजरात | साधारण | 358.55 | 419.95 | 484.45 |
| | | बढ़िया | 373.05 | 434.45 | 513.80 |
| | | उत्तम | 387.55 | 448.95 | 543.15 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | चण्डीगढ़ | साधारण | 393.00 | 459.15 | 524.25 |
| | संघ शासित प्रदेश | बढ़िया | 421.25 | 489.40 | 572.90 |
| | | उत्तम | 441.00 | 509.65 | 610.25 |
| 12. | पांडिचेरी | साधारण | 356.70 | 425.30 | 489.05 |
| | संघ शासित प्रदेश | बढ़िया | 371.50 | 440.05 | 518.70 |
| | | उत्तम | 386.30 | 454.75 | 548.30 |
| 13. | दिल्ली | साधारण | 396.65 | 463.45 | 529.20 |
| | | बढ़िया | 425.20 | 494.00 | 578.25 |
| | | उत्तम | 445.10 | 514.47 | 616.00 |
| 14. | बिहार | साधारण | 373.70 | 437.85 | 500.20 |
| | | बढ़िया | 392.80 | 457.60 | 535.90 |
| | | उत्तम | 408.10 | 472.90 | 566.50 |
| 15. | कर्नाटक | साधारण | 369.10 | 432.45 | 494.05 |
| | | बढ़िया | 384.05 | 447.45 | 524.00 |
| | | उत्तम | 399.05 | 462.40 | 553.95 |
| 16. | राजस्थान | साधारण | 389.45 | 455.20 | 521.30 |
| | | बढ़िया | 414.50 | 481.55 | 565.35 |
| | | उत्तम | 437.15 | 505.25 | 606.75 |
| 17. | तमिलनाडु | साधारण | – | – | 489.05 |
| | | बढ़िया | – | – | 518.70 |
| | | उत्तम | – | – | 548.30 |
| 2. | धान के वसूली मूल्य | | | | |
| | | साधारण | 230.00 | 270.00 | 310.00 |
| | | बढ़िया | 240.00 | 280.00 | 330.00 |
| | | उत्तम | 250.00 | 290.00 | 350.00 |
| 3. | गेहूं के वसूली मूल्य | | | | |
| | | | 225.00 | 275.00* | 330.00* |

* इसमें 25/- रुपये प्रति क्विंटल का बोनस शामिल है।

## सेबों का उत्पादन

328. **श्री चिन्मयानंद स्वामी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने सेब का उत्पादन हुआ;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य में इसकी उत्पादन एवं इसकी खेती के क्षेत्र में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के विशेषकर चमोली जिले में सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष सुविधा देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में सेब का कुल उत्पादन 2.01 लाख मी० टन था।

(ख) और (ग). पिछले वर्ष की तुलना में 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में सेब की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई है। फिर भी फलों के पकने के दौरान अधिक तापमान के कारण 1993-94 के दौरान उत्पादन में थोड़ी सी गिरावट आई। 1992-93 और 1993-94 के दौरान उ० प्र० में सेब का क्षेत्र और उत्पादन इस प्रकार था :-

| वर्ष | क्षेत्र (1000 है०) | उत्पादन (1000 मी० टन) |
|---|---|---|
| 1992-93 | 53.1 | 210.00 |
| 1993-94 | 53.9 | 201.00 |

(घ) और (ङ). सेब के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उ० प्र० के चमोली जिले के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है। फिर भी भारत सरकार ने सेब सहित फसलों के समेकित विकास के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के अधीन राज्य सरकार की योजना स्कीमों के अलावा सेब के बागानों की उत्पादकता सुधारने, नर्सरियों एवं प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना करने और कृषक प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जा रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कटाई पश्चात अवसंरचना हेतु सहायता दे रहा है जब कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इस संबंध में प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए सहायता दे रहा है।

[अनुवाद]

## विद्युत संयंत्र

329. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु राज्यवार कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है/अस्वीकृत किया है;

(ख) स्वीकृति हेतु अभी भी ऐसे जितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(ग) इनके लंबित होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)** : (क) पिछले तीन साल के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से 50 विद्युत परियोजनाएं मंजूर की गई हैं और 17 अस्वीकार की गईं। इनका राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). 1 जुलाई 1995 की स्थिति के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक अपेक्षित पर्यावरणीय आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने के कारण 17 विद्युत परियोजनाएं लम्बित हैं।

### विवरण

**पिछले तीन साल के दौरान स्वीकार और अस्वीकार की गई विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार विवरण**

| क्र.सं | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्वीकृत | अस्वीकृत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अण्डमान एवं निकोबार | 3 | - |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | - |
| 3. | असम | 1 | - |
| 4. | आन्ध्र प्रदेश | 9 | - |
| 5. | बिहार | 3 | 1 |
| 6. | दिल्ली | 1 | - |
| 7. | गुजरात | 3 | 2 |
| 8. | हरियाणा | 1 | - |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 10. | जम्मू व कश्मीर | – | 1 |
| 11. | कर्नाटक | 2 | 1 |
| 12. | केरल | 3 | 1 |
| 13. | मध्य प्रदेश | 3 | 1 |
| 14. | मणिपुर | 1 | – |
| 15. | महाराष्ट्र | 3 | 1 |
| 16. | नागालैण्ड | – | 1 |
| 17. | उड़ीसा | 1 | 3 |
| 18. | पंजाब | 1 | – |
| 19. | मिजोरम | 1 | – |
| 20. | राजस्थान | 4 | 1 |
| 21. | सिकिम्म | 1 | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 2 | – |
| 23. | उत्तर प्रदेश | 2 | 1 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 3 | 1 |
| | कुल | 50 | 17 |

## रियायती दरों पर उपभोक्ता वस्तुएं

**330. श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियायती दरों पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने संबंधी प्रधान मंत्री की योजना के अन्तर्गत गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में कतिपय पिछड़े खंडों/आदिवासी क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गए खंडों का ब्यौरा क्या है और कितनी वस्तुएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत इन राज्यों में ''लेवी'' चीनी और अन्य वस्तुओं की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार ने गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाने के लिए क्रमशः 97,122 और 114 खण्डों की पहचान की है। केन्द्रीय सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए केन्द्रीय निर्गम मूल्यों पर, जो सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों हेतु केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से 50/-रु प्रति क्विंटल कम होते हैं, चावल और गेहूं आवंटित करती है।

(ग) लेवी चीनी का आवंटन सामान्यतः 1.10.1986 की अनुमानित आबादी हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 425 ग्राम मात्रा उपलब्ध कराने के एक समान मानदण्ड पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल, गेहूं और आयातित खाद्य तेल जैसी अन्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों के मासिक आवंटन केन्द्रीय पूल में उपलब्धता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांगों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परस्पर आवश्यकताओं और मौसमजन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं। खाद्यान्नों के स्टॉक की आसान स्थिति को देखते हुए खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के लिए युक्तिसंगत अनुरोध स्वीकार किए गए हैं। विगत में लेवी चीनी के उत्पादन की बाधाओं के कारण किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को चीनी का अतिरिक्त आवंटन करना संभव नहीं था। अगस्त, 1991 से मार्च 1994 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी को आवंटन में 5% की तदर्थ वृद्धि की गई थी। केंद्रीय सरकार ने सितम्बर 1995 से इस तदर्थ वृद्धि को बहाल करने का निर्णय किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सुपीरियर मिट्टी के तेल का आवंटन भूतकालिक आधार पर किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु सुपीरियर मिट्टी के तेल के वार्षिक आवंटन में वृद्धि का निर्णय इस दृष्टि से किया जा रहा है ताकि सभी राज्यों को सुपीरियर मिट्टी के तेल के संबंध में प्रति व्यक्ति आवंटन के राष्ट्रीय औसत के स्तर के बराबर लाया जा सके।

**[हिन्दी]**

## भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

**331. श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदामों तथा किराये पर लिए गए गोदामों की भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इसके अपने गोदामों तथा किराये पर लिए गए गोदामों की कितने प्रतिशत भंडारण क्षमता का उपयोग किया गया ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध भण्डारण क्षमता (अपनी और किराए की) और इसकी प्रतिशतता उपयोग के ब्यौरे बताने वाला विवरण**

(क्षमता लाख मीटरी टन में)

| वर्ष | ढकी हुई क्षमता | प्रतिशतता उपयोग | कवर ओर प्लिंथ क्षमता (कैप) | प्रतिशतता उपयोग | कुल क्षमता | प्रतिशतता उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1992-93** | | | | | | |
| अपनी | 121.74 | 57 | 11.05 | 8 | 132.79 | 53 |
| किराए की | 58.44 | 83 | 3.36 | 45 | 61.80 | 81 |
| जोड़ | 180.18 | 65 | 14.41 | 17 | 194.59 | 62 |
| **1993-94** | | | | | | |
| अपनी | 122.50 | 80 | 13.18 | 23 | 135.68 | 75 |
| किराए की | 87.14 | 89 | 13.77 | 75 | 100.91 | 87 |
| जोड़ | 209.64 | 84 | 26.95 | 49 | 236.59 | 80 |
| **1994-95** | | | | | | |
| अपनी | 122.96 | 73 | 14.96 | 40 | 137.92 | 70 |
| किराए की | 103.83 | 87 | 32.21 | 71 | 136.04 | 83 |
| जोड़ | 226.79 | 83 | 47.17 | 61 | 273.96 | 77 |

**[अनुवाद]**

**उपनगरीय यातायात**

**332. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे उपनगरीय यातायात की देखरेख और इसके विकास के लिए कोई पृथक निदेशालय बनाएगा;

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे विजयवाड़ा-गुंटूर और अनकापल्ली-विशाखापत्तनम सेक्टरों में संभावित उपनगरीय यातायात की पर्याप्त रूप से देखरेख करने में असमर्थ है;

(ग) दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा उपनगरीय रेल यातायात के विकास हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या रेलवे का विचार 1996-97 में अनकापल्ली-विशाखापट्टनम सेक्टरों में उपनगरीय रेल सुविधाओं में सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) 1995-96 के दौरान गुंटूर-रेपल्ली, गुंटूर-मचेराला और तेनाली-विजयवाडा खंड पर डी एम यू/डीजल पुश-पुल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ). विशाखापत्तनम अनकापल्ली तुना और विशाखपत्तनम अनकापल्ली काकीनाडा खंड पर डीजल पुश-पुल गाड़ियां पहले ही शुरू कर दी गई हैं। खंड पर और ऐसी सेवाएं शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है बशर्ते कि परिचालनिक व्यावहारिकता हो और संसाधन उपलब्ध हों।

**ताजमहल**

**333. श्री गुरुदास कामत :**
**कुमारी सुशीला तिरिया :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्या सरकार ने ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए अमेरिका से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख). ताजमहल को बचाने के लिए अमरीका से कोई विशिष्ट सहायता नहीं मांगी गई है। तथापि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा यू. एस. नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से एक परियोजना प्रतिपादित की गई और ताजमहल सहित आगरा में स्मारकों के परिरक्षण के लिए अनेक अनुसंधान अध्ययन किए गए। इस परियोजना के तहत आगरा में वायु गुणवत्ता के संबंध में भी एक अध्ययन किया गया।

## बाघों का अनधिकृत शिकार

**334. कुमारी सुशीला तिरिया :**
**श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बाघों का अनधिकृत शिकार इस हद तक बढ़ गया है कि इस शताब्दि के अंत तक बाघों के अस्तित्व के समाप्त होने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) बाघ की हड्डियों और उसके शरीर के अन्य अंगों के अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए बाघों के शिकार की हाल ही में कुछ खबरें मिली हैं। तथापि सरकार ने ऐसी स्थिति पर काबू कर लिया है और चुनौती का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं तथा बाघ और उसके वास स्थल की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं :-

(एक) मंत्रालय में एक ''बाघ संकटसेल'' स्थापित किया गया है।

(दो) राज्य सरकारों को सतर्कता सुदृढ़ करने और गश्त तेज करने के लिए कहा गया है।

(तीन) बाघ परियोजना क्षेत्रों में ''विशेष प्रहारक बल'' गठित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं।

(चार) भारत में मध्य प्रदेश, जहां बाघों की सर्वाधिक संख्या है, को ''बाघ राज्य'' नामित किया गया है ताकि बाघ और उसके वास स्थल के संरक्षण पर ध्यान आकृष्ट हो सके।

(पांच) बाघों के शिकार की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों के समन्वय तथा बाघ की हड्डियों और उसके शरीर के अन्य अंगों की तस्करी और अवैध व्यापार का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त प्रयास हेतु चीन लोक गणराज्य सरकार के साथ एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(छः) बाघ के शिकार पर रोक लगाने तथा बाघ के संपूर्ण रेंज के देशों में बाघ और उसके वासस्थल के संरक्षण हेतु प्रयासों का समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार ने 'विश्व बाघ मंच' स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं।

## सांस्कृतिक समझौता

**335. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून 1994 में भारत और बेलीज के बीच किसी सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हां, तो समझौते के प्रमुख प्रावधान और उसकी अवधि क्या है और;

(ग) दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों में किस हद तक सुधार हुआ है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग). समझौते में संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलकूद और सूचना माध्यम के क्षेत्रों में भारत और बेलीज के बीच मेल-मिलाप बढ़ाने की व्यवस्था है।

समझौता 5 वर्षों के लिए वैध है और आगे के 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वतः ही इसका नवीकरण हो जायेगा। समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु भविष्य में पारस्परिक आदान-प्रदान के संबंध में विशिष्ट कार्यक्रमों के निरूपण हेतु पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

**[हिन्दी]**

## रेलवे पुल

**336. श्री राम पूजन पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में फाफामऊ में गंगा

नदी पर नए रेलवे पुल का निर्माण के बाद पुराने रेलवे पुल को गिराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो पुराने पुल को गिराए जाने के क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम**

**337. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षणिक सहायता प्रदान करने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा कितने जिलों को शैक्षणिक सहायता देने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के राष्ट्रीय संसाधन दल को शिक्षा शास्त्र एवं तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्रों में संपूर्ण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गठित किया गया है, न कि किन्हीं खास जिलों या राज्यों के लिए।

**[हिन्दी]**

**रेलवे वैगन**

**338. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**
**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी और मीटर गेज लाइन दोनों पर चार पहियों वाले रेलवे वैगनों की कमी के संबंध में अलग-अलग स्थिति क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने वैगनों की खरीद का लक्ष्य रखा गया है और क्या यह लक्ष्य हासिल किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या रेलवे वैगनों की कमी से यात्रियों को लाने ले जाने और माल की ढुलाई और इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे बजटीय संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रेलवे उद्योगों से वैगनों की मांग की पूर्ति करने में असमर्थ है;

(छ) क्या रेलवे की अपना वैगन योजना के प्रति उद्योगों की प्रतिक्रिया सफल और उत्साहवर्द्धक रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) वैगनों की कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) से (छ). बड़ी लाइन के चौपहिया मालडिब्बों को चरणबद्ध आधार पर हटा कर केवल 8 पहिया वात ब्रेक स्टाक को लगाने का निर्णय लिया गया है। मीटर लाइन प्रणाली पर यातायात की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त चौपहिया माल डिब्बे उपलब्ध हैं।

पिछले कुछ महीनों के दौरान अर्थव्यवस्था में आई मजबूती को देखते हुए मालडिब्बा प्रापण कार्यक्रम की समीक्षा की गई है और 1995-96 के लिए चल स्टाक कार्यक्रम में वृद्धि करके इसे 12000 चौपहिया मालडिब्बों से 19000 चौपहिया मालडिब्बे किया गया है। इसके अलावा पिछले बकाया आदेशों के अंतर्गत 1995-96 में 1925 अन्य चौपहिया माल डिब्बे भी सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा, चालू वर्ष के लिए ''अपने माल डिब्बे के स्वामी बनें'' योजना के अंतर्गत भी लगभग 4000 मालडिब्बों के लिए आदेश दिये गए हैं।

इन उपायों से माल यातायात के लदान का लक्ष्य पूरा करने के लिए माल डिब्बों की पर्याप्त अतिरिक्त संख्या की व्यवस्था हो जाएगी।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

**विज्ञान प्रयोगशालाएं**

**339. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों के विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु कुल कितनी राशि प्रदान की गई ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारी व सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए प्रदान की जाने वाली कुल राशि नीचे दी गई हैं :-

| वर्ष | राशि (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 1992-93 | 13.37 |
| 1993-94 | 12.73 |
| 1994-95 | 16.27 |

**तिरुपति और बम्बई के बीच रेलगाड़ी**

**340. श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति और बम्बई के बीच प्रस्तावित नई रेलगाड़ी शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस रेल गाड़ी में श्रेणी-वार उपलब्ध स्थानों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश के अन्य धार्मिक स्थलों को बम्बई से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). इस गाड़ी को 95-96 के दौरान शुरू किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित डिब्बे मुहैया किए जाने का प्रस्ताव है :-

दूसरा वातानुकूलित शयनयान (ए सी सी डब्ल्यू)

शयनयान दर्जा (जी एस सी एन)

अनारक्षित दूसरा दर्जा (जी एस) - 3 और

नामान और दूसरा दर्जा अनारक्षित डिब्बे (एस एल आर) - 2

(ग) और (घ). भारतीय रेलों पर महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली गाड़ियों सहित नई गाड़िया चलाया जाना एक सतत् प्रक्रिया है जो कि यातायात के औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

**फर्जी विश्वविद्यालय**

**341. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
**श्री रामचन्द्र घंगारे :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर फर्जी डिग्री और डिप्लोमा प्रदान कर रहा है;

(ख) क्या कुछ अन्य विश्वविद्यालय/संस्थाएं भी फर्जी डिग्रियाँ और डिप्लोमा प्रदान कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के क्या नाम हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे विश्वविद्यालयों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज न करने के क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ग). जी हां, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नागपुर एक जाली विश्वविद्यालय है। इस प्रकार के 20 जाली विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जानकारी में आए हैं। इन जाली विश्वविद्यालयों की एक सूची विवरण-I में संलग्न है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सूचित किया है कि ऐसे चार विदेशी विश्वविद्यालय हैं जो स्वयं उनके अपने देश में प्रत्यायित नहीं हैं और वे भारत में कार्य कर रहे हैं। (विवरण-II)

(घ) और (ङ). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए, कार्यरत किसी जाली विश्वविद्यालय पर नजर रखते हैं। जनता के किसी सदस्य, विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा किसी जाली विश्वविद्यालय की सूचना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसे अधिनियम के संबंद्ध प्रावधानों को इस प्रकार के स्वयंभू/जाली विश्वविद्यालयों के प्रवर्तकों/पदाधिकारियों की जानकारी में लाता है। उन्हें "विश्वविद्यालय" शब्द का इस्तेमाल करने और डिग्री डिप्लोमा नहीं प्रदान करने की सलाह दी जाती है। संबंधित राज्य सरकारों से

भी इस प्रकार के जाली विश्वविद्यालयों के प्रकार्य के संबंध में जांच करने का अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्रत्येक वर्ष जाली विश्वविद्यालयों की सूची का व्यापक प्रचार करता है ताकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस प्रकार के संस्थानों के प्रति सर्तक किया जा सके।

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग द्वारा महानिदेशक (आइ. एवं आर.) को एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग अधिनियम, 1969 के अंतर्गत तथाकथित जाली विश्वविद्यालयों के संबंध में जांच करने के लिए कहा गया है। आयोग द्वारा कमर्शियल यूनिवर्सिटी के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रगति पर है। आयोग ने गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयाग के विरुद्ध ''बंद करने और गतिविधियों पर रोक लगाने'' के आदेश जारी किए हैं। महानिदेशक (आई. एव. आर.) को दायर की गई याचिका और उस पर पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए, नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, होमियोपैथी के मामले को नए दृष्टिकोण से देखने का निदेश दिया गया है।

सरकार ने पहले ही दिनांक 2 जून, 1995 को संसद में विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 के लिए संशोधन विधेयक पुरः स्थापित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 और 23 के उपबंधों का उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक में कम से कम 6 महीने की अवधि की जेल, (जिसे बढ़ाकर 3 वर्ष किया जा सकता है) तथा कम से कम 1.00 लाख रु. के जुर्माने (जिसे बढ़ाकर 10.00 लाख रु. तक किया जा सकता है) का उपबंध किया गया है। ये प्रस्तावित दण्डात्मक उपबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने में जानबूझकर सहयोग देने वाले किसी भी संघ अथवा व्यक्तियों के निकाय अथवा इस प्रकार के संघ अथवा निकाय के प्रत्येक सदस्य पर भी लागू हो सकते हैं।

केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अनुरोध भी किया है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1959 और अन्य दण्डात्मक विधानों के मामलों के लिए इस प्रकार की संस्थाओं पर कड़ी निगरानी रखें।

**विवरण-I**

1. मैथिली विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार
2. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (महिला विश्वविद्यालय) प्रयाग/इलाहबाद (उ. प्र.)
3. वर्णासय /संस्कृत विश्वविद्यालय, बाराणसी (उ. प्र.)
4. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली।
5. इंडियन इजुकेशन कांउसिल ऑफ यू. पी. लखनऊ (यू. पी.)
6. गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयाग, इलाहबाद (उ. प्र.)
7. नेशनल यूनिवर्सिटी आफ इलैक्ट्रो काम्पलैक्स होम्योपैथी, कानपुर।
8. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपेन यूनिवर्सिटी) अचलाताल अलीगढ़ (उ. प्र.)
9. श्रीमती महादेवी वर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, मुगलसराय, यू.पी.।
10. डी. डी. वी. संस्कृत यूनिवर्सिटी, पुतर त्रिखी, तमिलनाडु।
11. भारतीय शिक्षा परिषद, (यू. पी.) ओपन विश्वविद्यालय लखनऊ (यू. पी.)
12. आर्य यूनिवर्सिटी श्रीनगर (जे. एंड के.)
13. सेंट जान्स यूनिवर्सिटी किज्ञमनत्तम, केरल।
14. नेशनल यूनिवर्सिटी, नागपुर।
15. यूनाइटेड नेशन्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
16. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली।
17. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसी कला (मथुरा) यू. पी.।
18. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (यू. पी.)
19. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर।
20. उर्दू यूनिवर्सिटी, मोतिया पार्क, भोपाल।

**विवरण-II**

1. इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मिसुरी
2. यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट जार्जिया
3. न्यू पोर्ट यूनिवर्सिटी
4. स्टैन्टन यूनिवर्सिटी

**अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वन क्षेत्र**

**342. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान तथा इस समय अंडमान और निकोबार

द्वीपसमूह में कुल कितना वन-क्षेत्र हैं; और

(ख) इस द्वीपसमूह में उष्णकटिबन्धीय वनों को संरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा 1985-87 और 1989-91 की मूल्यांकन अवधि के लिए क्रमशः वर्ष 1989 और 1993 में प्रकाशित स्टेट ऑफ फारेस्ट रिपोर्टो के आधार पर अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में वास्तविक वन आवरण में कोई परिवर्तन नहीं आया अर्थात् वह 7624 वर्ग कि. मी. ही रहा।

(ख) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के उष्णकटिबन्धीय वनों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गये :

(एक) केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना वनेछर प्रयोजनों के लिए वन भूति के इस्तेमाल को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 बनाया गया है।

(दो) भोगाधिकार में भागीदारी और लाभ वितरण के एक तंत्र के जरिए वनों की और पुनरुद्धार में ग्राम समुदायों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(तीन) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकार द्वारा इमारती लकड़ी के रोहन की मात्रा 1.15 लाख घन मीटर प्रति वर्ष तय की गई है।

(चार) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से काष्ठ प्रतिस्थापन एवं ईंधन संरक्षण संबंधी नीति सलाहकार दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है।

## संग्रहालय

**343. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालय कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के अधीन अन्य महत्वपूर्ण संग्रहालयों के रखरखाव के लिए कोई सहायता देती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों के लिए कितना बजट रखा गया और राज्य संग्रहालयों के लिए राज्य सरकारों को कितनी अनुदान सहायता दी गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धनराशि की कमी के कारण संग्रहालय कलाकृतियों के संरक्षण, परिरक्षण और उनके प्रदर्शन करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या संग्रहालयों के कार्यकरण में सुधार लाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) केन्द्रीय सरकार ने नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित संग्रहालय हैं :-

1. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली।
2. भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता।
3. सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद।
4. इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहबाद।

(ख) राज्य सरकारों के अधीन संग्रहालयों का रखरखाव राज्य की निधियों से किया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन संग्रहालयों का कुल वार्षिक बजट निम्नानुसार है :-

( हजार रुपयों में)

| 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|
| 20,99,90 | 27,66,75 | 30,80,24 |

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन संग्रहालय इन संग्रहालयों के दिशानिर्देशों के अनुसार कला कृतियों का संरक्षण, परिरक्षण और प्रदर्शन संबंधी कार्य कर रहे हैं। संस्कृति विभाग के समुचित बजट के भीतर उन्हें निधियां आवंटित की जाती हैं। संग्रहालय एवं उनके कार्यकरण की आवधिक रूप से विशेषज्ञ समिति के माध्यम से समीक्षा की जाती है और उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। संस्कृति पर मसौदा नीति के अंग के रूप में, इन संग्रहालयों का प्रभावकारी कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए संग्रहालयों संबंधी नीति भी इसमें शामिल की जा रही है।

## डड़प्पा संस्कृति

**344. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मई, 1995 के ''बिजनेस स्टेन्डर्ड'' में ''ट्रेसिज ऑफ हडप्पन कल्चर अनअर्थड इन राजस्थान'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिए गए उत्खनन के क्या परिणाम निकले; और

(घ) उत्खनन से निकले इस खण्डहरों से ताम्र प्रस्तर युग और प्रारम्भिक लौह युग से संबंधित हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की क्या जानकारी मिलती है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) और (ख). जी, हां। पुणे स्थित दक्कन कालेज स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान तथा राजस्थान अध्ययन संस्थान, राजस्थान, विद्यापीठ, उदयपुर द्वारा बेलाथल, जिला उदयपुर, राजस्थान में संयुक्त रूप से किए गये उत्खनन से ताम्र-प्रस्तर संस्कृति की जानकारी मिली है जिसका संबंध गुजरात की परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से है जो मृदुभांड के कुछ आकारों और उन पर चित्रित चिन्हों; ताम्र-औजारों; और मकानों के निर्माण के लिए पत्थर के उपयोग के रूप में है। किन्तु बेलाथल में पाई गई ईंटों का आकार हड़प्पा काल की ईंटों के अनुरूप नहीं है।

समाचार पत्र में छपी इस खबर का अभी अध्ययन किया जाना है कि कुछ हड़प्पा दल बेलाथल में जाकर बस गए यद्यपि परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का कुछ संबंध स्पष्ट है। तथापि विकसित हड़प्पाकाल के तत्व लुप्त हैं। रेडियों कार्बन तारीखों से भी बेलाथल की ताम्र-प्रस्तर संस्कृति के परवर्ती हड़प्पाकाल की पुष्टि होती है क्योंकि ये शताब्दी 2000 बी. सी. और 1000 बी. सी. के बीच के समय की हैं। इसके अतिरिक्त लौह युग के एक किलाबंदी की प्राप्ति पूर्व ऐतिहासिक अवधि में निर्धार्य है जिसका समय शताब्दी 500 बी. सी. - 200 ए.डी. दिया जा सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बेलाथल में उत्खनन से राजस्थान की ताम्र-प्रस्तर संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी मिली है जिसमें परवर्ती हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषताएं हैं और राजस्थान के आहर और गिलुन्द स्थलों से जो कुछ सूचना पहले एकत्र की गई है, उसमें इससे और अधिक अभिवृद्धि हुई है। स्थल से एक किलाबंदी का पता चला है जो पूर्व लौह युग की नहीं है बल्कि परवर्ती लौह युग की है जिसे भारतीय पुरातत्व में पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है।

## स्टेडियम का निर्माण

**345. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा स्टेडियम के निर्माण और खेल-कूद संबंधी अधिक सुविधाएं जुटाने हेतु प्रस्तावित सदृश अनुदान कितने संस्थानों/परिसंघों द्वारा उपयोग किया गया है;

(ख) क्या खेल कूद परिसंघों को अनुदान देने की शर्तें सख्त हैं जिससे देश में स्टेडियम के निर्माण और खेल कूद संबंधी अधिक सुविधाएं जुटाने संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान शर्तों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : (क) केन्द्रीय सरकार, खेल अवस्थापनाओं के सृजन के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अलावा खेल-कूद और शारीरिक संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय स्थानीय सांविधिक निकायों और पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को बराबर का अनुदान प्रदान करती है। ऐसे संगठनों से उनके द्वारा शुरू की गई खेल परियोजनाओं की प्रगति दर्शाने वाली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुदान की पहली किस्त जारी की जाती है और दूसरी तथा अंतिम किस्त उपयोगिता प्रमाणपत्र एवं समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जाती है। वर्ष 1994-95 के दौरान 43,62,820/- रुपये का केन्द्रीय अनुदान 16 पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं द्वारा तथा 6,34,13,430/- रुपये की राशि का 21 राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस्तेमाल किया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

## अल्लेपी और मंगलौर के बीच रेलगाड़ी

**346. श्री थाइल जॉन अंजलोज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्लेपी और मंगलौर के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

[हिन्दी]

**रेलवे स्टेशन**

**347. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश में हबीबगंज रेलवे स्टेशन के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और वर्ष 1995-96 के लिए इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान इस स्टेशन पर कितनी नई रेलगाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) ब्यौरा इस प्रकार है :-

| खर्च की गई कुल राशि लाख रुपये में | | परिव्यय लाख रुपये में |
|---|---|---|
| 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 |
| 155.84 | 202.40 | 15.08 |

(ख) हबीबगंज स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों के ठहराव की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**लेवी चीनी**

**348. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को लेवी चीनी 1 अक्तूबर, 1986 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर जारी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उसके बाद प्रत्येक राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पिछली जनगणना के आधार पर चीनी की आपूर्ति करने का है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987 में यह निर्णय किया गया था कि राज्यों को पहली अक्तूबर 1986 को स्थिति के अनुसार परियोजित जनसंख्या के आधार पर लेवी चीनी निर्युक्त की जाए। चूंकि बाद के वर्षों में चीनी का उत्पादन पर्याप्त नहीं हुआ था इसलिए इसे उसी स्तर पर ही बनाए रखा गया था। अगस्त 1991 में 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की अनुमति दी गई थी जिसे अप्रैल 1994 तक जारी रखा गया था।

(ग) और (घ). जी, हां। जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, देश में लेवी चीनी की वर्तमान उपलब्धता के अनुसार सरकार ने 1.9.1995 से लेवी चीनी कोटे में 5% की तदर्थ वृद्धि करने का निर्णय किया है।

[अनुवाद]

**प्राचीन स्मारक**

**349. श्री शिवराज सिंह चौहान** : **क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कितना खर्च हुआ है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्र.सं. | जिला | स्मारक का नाम जहां विशेष मरम्मत का कार्य 1992-93 से शुरू किया गया | वहाँ विशेष मरम्मत पर 1994-95 तक किया गया व्यय (लाख रुपये में) | काम कब तक पूरा किए जाने की संभावना है |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विदिशा | बोजामंडल मस्जिद परिसर, विदिशा | 4,82,075.22 रु. | मार्च 1997 |
| 2. | वही | उदयगिरी की गुफाऐं | 2,01,737.00 रु. | मार्च 1997 |
| 3. | रायसेन | सांची के बौद्ध स्मारक | 9,32,691.20 रु. | अक्तूबर 1996 |
| 4. | वही | सतोहारा के बौद्ध स्मारक | 1,57,577.70 रु. | अक्तूबर 1996 |
| 5. | वही | सविते मंदिर, भोजपुर | 5,56,990.00 रु. | मार्च 1997 |
| 6. | वही | भिमबेटका के प्रस्तर आश्रम स्थल | 1,87,440.00 रु. | मार्च 1996 |

[हिन्दी]

## सुपर बाजार

**350. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जुलाई 1995 के हिन्दी के हिन्दुस्तान में प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है जिसमें सुपर बाजार द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता और केन्द्रीय भंडार की तुलना में उपभोक्ताओं से ली जाने वाली कीमतों पर प्रश्न-चिन्ह लगाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इन गंभीर आरोपों की जांच करवाने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को सुपर बाजार में जालसाजी, भ्रष्टाचार और कुप्रबंध के बढ़ते मामलों के संबंध में संसद सदस्यों और सप्लायरों से पत्र प्राप्त हुए हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी हाँ।

(ख) जी, नहीं। समाचार पत्र की रिपोर्ट पूर्णतः सही नहीं है। गुणता आश्वासन हेतु सुपर बाजार के पास किराना मदों के प्रयोगवाला परीक्षण की एक प्रणाली है। चूंकि प्रत्येक किराना मद में अनेक क्वालिटी की मदें होती हैं, अतः सुपर बाजार केन्द्रीय भंडार और खुले बाजार के मूल्यों में तुलना से हमेशा सही तस्वीर सामने नहीं आती है। तथापि सरकार ने सुपर बाजार की गुणवत्ता आश्वासन के लिए अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक सुप्रवाही बनाने तथा खुले बाजार, केंद्रीय भंडार और सुपर बाजार में विभिन्न मदों के मूल्यों की अनुवीक्षा करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने की सलाह दी है।

(ग) सरकार को इस संबंध में सुपर बाजार के आपूर्तिकर्ताओं से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, इस संबंध में दो संसद सदस्यों से पत्र प्राप्त हुए हैं ?

[अनुवाद]

## गोवा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना

**351. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय गोवा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) गोवा सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचारार्थ भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत चार वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष गोवा में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कितना अनुदान मिला और चालू वर्ष के लिए गोवा को कितना कोटा दिए जाने का विचार है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :** (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पंचवर्षीय योजना अवधि में पात्र विश्वविद्यालयों को विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है और यह अनुदान वर्षवार आधार पर नहीं दिया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, इस आयोग ने पुस्तकों और पत्रिकाओं एवं उपस्कर को खरीदने के लिए आठवीं पचंवर्षीय योजना में गोवा विश्वविद्यालय को 75.00 लाख रु० की परिव्यय राशि का आवंटन किया है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| मद | आवंटित राशि (रु० लाखों में) |
|---|---|
| 1. पुस्तकें और पत्रिकाएं | 35.00 |
| 2. उपस्कर | 40.00 |
| कुल | 75.00 |

गोवा विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं को समेकित और सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया। इससे इस विश्वविद्यालय में शिक्षण और अनुसंधान के स्तर को उन्नत करने में सहायता मिलेगी।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान गोवा में विश्वविद्यालय और कालेजों को दिए गए अनुदान को दर्शाने वाला एक विवरण-। में संलग्न है।

गोवा के कालेजो में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित अनुदान को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण-।। संलग्न है।

विवरण - I

**वर्ष 1991-92 से 1994-95 के दौरान गोवा में विश्वविद्यालय और कालेजों को दिए गए अनुदानों का विवरण**

| क्र.सं. | वर्ष | विश्वविद्यालय | कालेज | कुल |
|---|---|---|---|---|
| | | (रु० लाखों में) | | |
| 1. | 1991-92 | 55.04 | 4.80 | 59.84 |
| 2. | 1992-93 | 29.33 | 8.01 | 37.34 |
| 3. | 1993-94 | 37.69 | 1.80 | 39.49 |
| 4. | 1994-95 | 59.21 | 29.21 | 88.42 |
| | कुल | 181.27 | 43.82 | 225.09 |

**कृषि उपकरण**

352. **श्री शिव शरण वर्मा:**
**श्री परसराम भारद्वाज:**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण दे रही है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रति वर्ष राज्यवार कितनी सहायता दी गई;

विवरण-II

**गोवा के कालेजों को व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित अनुदान का विवरण**

| क्र.सं. | कालेज का नाम | अनुमोदित व्यावसायिक विषय का नाम | अनुमोदित अनुदान (रु० लाखों में) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | आवर्ती | अनावर्ती | कुल |
| | **1994-95** | | | | |
| 1. | मुरगावं एजुकेशन सोसाइटी कालेज आफ आर्टस एण्ड कामर्स, जौरी नगर | 1. कर प्रक्रिया और व्यवहार | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | | 2. विदेश व्यापार व्यवहार और प्रक्रियाएं | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | | 3. पर्यटन और यात्रा प्रबंध | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | | **कुल** | **3.00** | **6.00** | **9.00** |
| 2. | श्रीमती पी.सी. कलचुरल फाउन्डेशन कालेज आफ आर्टस एण्ड सांइस, मुरगावं | 1. कम्प्यूटर अनुप्रयोग | 2.00 | 5.50 | 7.50 |
| | | 2. इलैक्ट्रानिक उपस्कर का रखरखाव | 2.00 | 5.50 | 7.50 |
| | | **कुल** | **4.00** | **11.00** | **15.00** |
| | **1995-96** | | | | |
| 3. | सेट जेवियर कालेज मपुसा | 1. कम्प्यूटर अनुप्रयोग | 2.00 | 7.00 | 9.00 |
| | | 2. कार्यालय प्रबन्ध और सचिवालय व्यवहार | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| | | **कुल** | **3.00** | **9.00** | **12.00** |

टिप्पणी: कार्यान्वयन के वर्ष से पांच वर्षों की अवधि के लिए यह आवर्ती अनुदान वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा।

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं से कितने किसान लाभान्वित हुए;

(ङ) क्या छोटे किसानों की भी यह सुविधा मिल रही है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न योजनाओं, जिसके अंतर्गत किसानों को कृषि उपस्कर की खरीद के लिए राजसहायता दी जाती है, का ब्यौरा विवरण-I संलग्न है।

(ग) वर्ष 1992-93, 93-94 और 94-95 के दौरान राज्यवार कृषि उपस्करों की खरीद के लिए दी गई सहायता विवरण-।। में संलग्न है।

(घ) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार छोटे किसानों के बीच मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 3546 किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके अलावा संलग्न विवरण-। में उल्लिखित फसलोन्मुख कार्यक्रमों के अधीन बहुत से किसानों को लाभ पहुंचा है।

(ङ) जी, हाँ।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण-I**

| क्र.सं. | योजना का नाम | कृषि उपस्करों के प्रकार जिन पर राजसहायता दी गई | लाभानुभोगी | प्रति उपस्कर राज सहायता की दर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (चावल) | बैल/विद्युत चालित कृषि उपस्कर | छोटे और सीमांत किसान | बैल वाहित लागत का 50 प्रतिशत, लेकिन प्रति किसान 1500/-रु0 तक सीमित। विद्युत चालित लागत का 25 प्रतिशत प्रति किसान लेकिन 5000/- रु0 तक सीमित |
| 2. | समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (गेहूँ) | " | " | " |
| 3. | समेकित अनाज विकास कार्यक्रम | " | " | " |
| 4. | गहन कपास विकास कार्यक्रम | इस्तचालित/विद्युत चालित पादप रक्षण उपस्कर | " | इस्तचालित पादप रक्षण उपस्कर लागत का 50 प्रतिशत लेकिन 600 रु. तक सीमित विद्युत चालित पादप रक्षण उपस्कर लागत का 50 प्रतिशत लेकिन 1500/- रु0 तक सीमित ट्रैक्टर चालित पादप रक्षण उपस्कर लागत का 25% लेकिन 4000/- रु0 तक सीमित |
| 5. | विशेष पिछले विकास कार्यक्रम | सीड ड्रील और वीडर | " | इस्त चालित लागत का 50 प्रतिशत लेकिन 250/-रु0 तक सीमित बैल वाहित लागत का 50 प्रतिशत लेकिन 1500/- रु0 तक सीमित |
| 6. | राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना | उन्नत कृषि उपस्कर पादव रक्षण उपसकर (93-94 तक) | सभी श्रेणी के किसान जिसमें छोटे किसान शामिल हैं | लागत का 50 प्रतिशत उन्नत औजारों के लिए अधिकतम 1500/- के अधीन इस्तचालित और विद्युत चालित पादप रक्षण उपस्करों के लागत का 50 प्रतिशत क्रमशः 600/- और 1500/-रु0 तक सीमित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. | तिलहन उत्पादन कार्यक्रम | " | " | लागत का 50 प्रतिशत उन्नत औजारों के लिए अधिकतम 1500/- के अधीन हस्तचालित और विद्युत चालित पादप रक्षण उपस्करा के लागत का 50 प्रतिशत क्रमशः 600/- और 1500/-रु० तक सीमित |
| 8. | छोटे किसानों के बीच कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देना | 18 पावर रेक आफ हार्स पावर से कम के छोटे ट्रैक्टर | एकल किसान या समूह में, जिनके पास 6 एकड़ और 8 एकड़ के बीच का इसके बराबर बारह मासी सिंचित भू-जोत हो | लागत का 50 प्रतिशत हेक्टर सैट अधिकतम 30,000/-रु० तक सीमित |
| 9. | मसालों का विकास | पादप रक्षण उपस्कर | सभी किसान | लागत का 50 प्रतिशत या 700/-रु०, जो भी कम हो |
| 10. | पान की बेल का विकास | " | " | लागत का 50 प्रतिशत या 500/-रु० जो भी कम हो। |
| 11. | सुपारी का विकास | " | " | प्रति स्प्रेयर 900/-रु० |

**विवरण-II**

**विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि उपस्करों की खरीद के लिए दी गई राज्यवार वित्तीय सहायता**

(लाख रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित प्रदेश | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 487.550 | 621.603 | 240.370 |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | 8.000 | 17.250 | 4.45 |
| 3. | असम | 153.860 | 211.914 | 57.700 |
| 4. | बिहार | 464.420 | 561.856 | 474.405 |
| 5. | गोवा | 10.610 | 8.890 | 0.625 |
| 6. | गुजरात | 311.428 | 404.090 | 209.425 |
| 7. | हरियाणा | 97.860 | 130.972 | 46.440 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 37.960 | 107.510 | 55.600 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 53.110 | 60.976 | 93.760 |
| 10. | कर्नाटक | 328.064 | 369.314 | 242.380 |
| 11. | केरल | 95.310 | 99.400 | 1.950 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 613.440 | 810.588 | 555.100 |
| 13. | महाराष्ट्र | 668.370 | 724.558 | 422.570 |
| 14. | मणिपुर | 19.600 | 12.564 | 3.695 |
| 15. | मेघालय | 2.880 | 8.436 | 2.466 |
| 16. | मिजोरम | 18.000 | 14.700 | 2.700 |
| 17. | नागालैंड | 33.000 | 24.200 | 6.200 |
| 18. | उड़ीसा | 196.420 | 251.644 | 206.670 |
| 19. | पंजाब | 177.440 | 338.029 | 380.315 |
| 20. | राजस्थान | 294.680 | 419.402 | 268.640 |
| 21. | सिक्किम | 19.110 | 8.280 | 9.080 |
| 22. | तमिलनाडु | 520.400 | 580.988 | 255.775 |
| 23. | त्रिपुरा | 35.610 | 36.226 | 5.362 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 24. | उत्तर प्रदेश | 753.960 | 709.295 | 399.412 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 230.730 | 396.736 | 210.870 |
| 26. | अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह | 1.500 | 3.000 | 0.800 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 1.500 | 3.000 | – |
| 28. | दादर व नगर हवेली | 1.500 | 3.000 | – |
| 29. | दमन व दीव | 1.500 | 2.000 | – |
| 30. | दिल्ली | 1.500 | 3.000 | 0.500 |
| 31. | लक्षद्वीप | 1.500 | 3.000 | – |
| 32. | पाण्डिचेरी | 7.870 | 8.400 | – |

[हिन्दी]

## चीनी का कोटा

**353. श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रति इकाई 800 ग्राम चीनी की पूर्ति की जा रही है जबकि उचित मूल्य की दुकान के डीलर प्रति इकाई 700 ग्राम चीनी की आपूर्ति कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, ता.सार्वजनिक वितरण प्रणाली में इस 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी का हिसाब किस प्रकार से रखा जाता है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह) :** (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को इस समय लेवी चीनी की 9921 मी.टन मात्रा आवंटित कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि इस समय उनके पास पंजीकृत चीनी की इकाइयों की संख्या 14389210 है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लेवी चीनी इकाइयों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता प्रति माह लगभग 690 ग्राम बैठती है। लेवी चीनी की हकदारी का पैमाना नियत करना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता कार्डों पर पहले आओ पहले पाओ आधार पर प्रतिमाह प्रति इकाई 800 ग्राम की दर पर लेवी चीनी लेने की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

## चावल का उत्पादन

**354. श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के उत्पादन में उड़ीसा अनेक राज्यों में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य में चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या व्यापक नीति अपनाई गई है ?

**कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :** (क) उड़ीसा में प्रति यूनिट क्षेत्र चावल का उत्पादन कम है तथा यह राज्य कई राज्यों से पीछे है।

(ख) उड़ीसा में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं अब स्थिति विशिष्ट अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि, उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रचार आदि। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य में चावल उत्पादन कार्यक्रम, नामतः (1) उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी सहित चावल का बीज मिनिकिट कार्यक्रम और चावल आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

(ग) चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई गई कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(एक) उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए खेतों पर प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण का आयोजन,

(दो) पोषक तत्वों के उपयोग की क्षमता सुधारने के लिए कार्बनिकों के उपयोग को बढ़ावा देना,

(तीन) मृदा की स्थिति को सुधारने के लिए मृदा सुधारकों के उपयोग को बढ़ावा देना।

(चार) पुरानी किस्मों के स्थान पर नई किस्म जो कीटों, कृमियों तथा रोगों की प्रतिरोधी/सहय हों, का प्रयोग करना तथा उन्नत जर्मप्लाज्म का प्रचार करना।

(पांच) कुशल जल प्रबंध और समय पर तथा प्रभावी क्षेत्र प्रचालनों हेतु किसानों के संसाधन आधार में सुधार लाना।

(छः) उत्पादकता को अधिकतम बनाने के लिए किसानों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना आदि।

[हिन्दी]

## चीनी का भंडार

**355. श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
**श्री गुमान मल लोढ़ा :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान चीनी के कुल भंडार और खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1994-95 के दौरान चीनी की कुल कितनी मात्रा में खपत होने की संभावना है; और

(ग) अगले पेराई वर्ष की शुरूआत में चीनी का कुल अनुमानित भंडार कितना होगा ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार से हैं :-

(आंकड़े लाख टन में)

| क्र.सं. | ब्यौरा | चीनी मौसम (अक्टूबर-सितंबर) 1992-93 | 1993-94 |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 अक्टूबर को मौसम की शुरूआत में चीनी का स्टॉक | 49.06 | 31.13 |
| 2. | घरेलू खपत (अनंतिम) | 120.05 | 11.29* |

* खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत निजी पार्टियों द्वारा आयातित चीनी की खपत को छोड़कर।

(ख) चालू चीनी मौसम 1994-95 के दौरान घरेलू खपत के लिए अनुमानित आवश्यकता लगभग 121.5 लाख टन होगी।

(ग) अगले पेराई मौसम 1995-96 की शुरूआत में चीनी का स्टॉक लगभग 48.25 लाख टन होने की आशा है।

[अनुवाद]

## पशुचारा

**356. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाह्डे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 2000 तक प्रति व्यक्ति दूध की खपत का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस समय कुल कितने पशु चारे का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) सन् 2000 तक कितने पशु चारे की आवश्यकता होगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) सन् 2000 तक प्रति व्यक्ति दूध की खपत का लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) पशुओं को खिलाएं गए कुल आहार की जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है। फिर भी, भारतीय पशुधन आहार मिश्रण विनिर्माता संघ से उपलब्ध जानकारी के अनुसार संगठित क्षेत्र द्वारा देश में पैदा किया जा रहा कुल मिश्रित पशु आहार 3 मिलियन टन है। इसके अलावा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय की एकीकृत चराई नीति के नीति परामर्शी दल की 1993 की रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार सान्द्रण की उपलब्धता, जो इस प्रकार खिलाया जाता है अथवा मिश्रण के बाद गोपशु, भैंस, कुक्कुट आदि सहित पशुधन के मिश्रित आहार उत्पादन के लिए प्रमुख अवयवों के रूप में उपयोग में लाया जाता है, 41.98 मिलियन टन है।

(ग) सन् 2000 तक आहार की संभावित आवश्यकता की जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की 1993 की रिपोर्ट के प्रारूप के अनुसार सन् 2000 तक सान्द्रण की संभावित आवश्यकता 88.05 मिलियन टन है।

पशु आहार की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :-

(एक) विगत कुछ वर्षों के दौरान डेयरी सहकारी क्षेत्र में चारा कारखानों के संतुलित पशु आहार उत्पादन में वृद्धि कर दी गई है।

(दो) डेयरी सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चारा मिलों की कुल संस्थापित क्षमता का विस्तार करने का प्रस्ताव किया गया है।

(तीन) यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि पशु आहार के विनिर्माण के लिए अपेक्षित विभिन्न अवयव उचित मूल्य पर पूरे वर्ष भर उपलब्ध रहें।

## हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड

**357. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन्** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लिमिटेड सार्वजनिक-वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु वनस्पति, नाश्ते हेतु खाद्य पदार्थों के निर्माण, खाद्य तेलों के शोधन और डिब्बा बंद करने के कार्य में लगा हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निगम ने केरल में अपना कोई एकक खोला है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश के किसी भाग में ऐसा कोई एकक खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एकक-कहां-कहां खोले जाएंगे ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) देश में कोई नया एकक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

## सुपर बाजार

**358. श्री हरिन पाठक** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार ठेकेदारों को दिए गए ग्रपु ठेके पर हजारों रुपए खर्च कर रहा है जबकि यह कार्य कर्मचारियों द्वारा कम लागत पर भी किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे ठेके सुपर बाजार के अधिकारियों के अवैध कमाई का प्रमुख जरिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

**[हिन्दी]**

## वनों की कटाई

**359. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनों की अन्धाधुन्ध और अवैध कटाई के कारण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने वनों की कटाई रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) राज्यों से अंधाधुंध और अवैध वन नाशन की कोई रिपोर्टें इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार वास्तव में, वननाशन की प्रवृति को रोक दिया गया है और उपग्रह से प्राप्त रेखा चित्रों के आधार पर स्थिति इसके विपरीत है।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

- वन और वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को लागू किया गया है।
- वन संरक्षण को तेज कर दिया गया है और स्टाफ को आधुनिक हथियार, वेतार संचार सेटों और तेज चलने वाले वाहनों से लैश किया गया है।
- वृक्षों की अवैध कटाई, वन्यजीवों की तस्करी और उनके शिकार पर रोक लगाने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में उड़नदस्ते तैनात किए जाते हैं।
- केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमानित के बिना वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया है।
- दुर्लभ और संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों और उनके वास स्थलों के संरक्षण के लिए वाघ परियोजना, हाथी परियोजना आदि जैसे विशेष कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं।
- लकड़ी के विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा देने, खपत को कम करने और बरबादी को रोकने के लिए लकड़ी के विकल्पों और ईंधन की बचत के उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- वन क्षेत्रों पर दबाव को कम करने के लिए अवक्रमित वनों तथा आस-पास की भूमि के वनीकरण और विकास के लिए राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के अधीन विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं।
- भोगाधिकार और लाभों में भागीदारी की एक क्रियाविधि के जरिए अवक्रमित वनों की सुरक्षा और पुनरुद्धार के लिए संयुक्त वन प्रबंध प्रणाली के तहत ग्राम एवं वन समुदायों तथा स्वैच्छिक ऐजेंसियों को शामिल किया जा रहा है।

[अनुवाद]

## कृषि क्षेत्र में निवेश

**360. श्री चोल्ला पुल्ली रामय्या** : क्या **कृषि मंत्री** 14 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के अध्ययन से यह पता चला है कि कृषि के उत्पादन में अवरुद्धता का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में निवेश में गिरावट है;

(ख) क्या अध्ययन दल ने सरकार से कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने हेतु कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या अध्ययन दल के अनुसार कृषि क्षेत्र में कुल निवेश जो कि वर्ष 1980-81 में 4636 करोड़ रुपये था से घटकर वर्ष 1991-92 में 4580 करोड़ रुपये हो गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार हैं ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) पूंजीसृजन में आ रही कमी के बावजूद उपलब्ध आंकड़ों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है जिससे कृषि उत्पादन में ठहराव की प्रवृत्ति का पता चलता हो।

(ख) से (ङ). उपलब्ध जानकारी से यह प्रकट होता है कि कृषि में सकल पूंजी निर्माण 1980-81 के 4636 करोड़ रुपये से कम होकर 1991-92 में 4581 करोड़ रुपये हो गया। भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उठाये गये/उठाने के लिए प्रस्तावित कदम निम्नलिखित हैं :-

(एक) फार्म उपष्करों/मशीनों तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य क्रियाकलापों में लगी लीजिंग और वित्त को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता को बढ़ाना।

(दो) ऐसी कम्पनियों को अपनी सहायता के लिये राज्य वित्त निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों को पुनर्वित्त पोषक की सुविधा प्रदान करना।

(तीन) सिंचाई, मृदा संरक्षण, पनधारा प्रबन्ध में सार्वजनिक निवेश को समर्थन देने के उद्देश्य से नाबार्ड के अंतर्गत एक ''ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि'' की स्थापना करना।

(चार) कृषि में अग्रिम धनराशि देने के लिये स्थापित प्रतिभूति मानकों को उदार बनाना।

(पांच) ऋण और पुनर्वित्तपोषण की ब्याज दरों को न्याय संगत बनाना।

(छः) राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से व्यक्तियों को वित्त पोषित करने की संभावनाओं को बढ़ाना।

(सात) कृषि पुष्पोत्पादन, टिशू कल्चर आदि के क्षेत्र में केवल नवीन और उच्च प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए विशिष्ट शाखाएं खोलना।

(आठ) स्वायत्तशासी निगम के रूप में स्माल फार्मर्स एग्री बिजनेस कन्जीर्टिमय की स्थापना करना जिसका कार्य उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर तथा समुचित संसाधन और विपणन नेटवर्क की स्थापना करके कृषि तथा इससे सम्बद्ध क्षेत्रों में रोजगार एंव आय का सृजन करना होगा।

## अग्निशमन उपकरण

**361. श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी वन रक्षकों को संचार सुविधाएं और अग्निशमन उपकरण प्रदान नहीं किए जा रहे हैं और अग्निशमन के प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पर्वतीय वन क्षेत्र में आग पर निगरानी रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम/खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई विमानों और हेलीकाप्टरों की पेशकश को स्वीकार नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) हिमालय के निचले पहाड़ी क्षेत्रों में अग्निशमन के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धित जो एक जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, के अन्तर्गत 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, तथा उत्तर प्रदेश में वन कर्मियों को दूर संचार सुविधाएं, अग्निशमन उपकरण प्रदान करने और अग्निशमन में प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था है।

(ग) देश के पहाड़ी तथा अन्य भागों के वन क्षेत्रों में वनों में लगी आग का जायजा लेने के लिए इस मंत्रालय ने यू.एन.डी.पी. से एक

वायुयान और एक हैलीकॉप्टर लेना स्वीकार किया है।

(घ) ''आधुनिक दावानल नियंत्रण पद्धित'' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 1992-93 से चल रही है। हाथ के औजार, अग्नि रोधी कपड़े, बेतार संचार सेट, फायर फाइन्डर्स, फायर टेंडर प्राप्त करने, अग्नि रेखाओं के सृजन, निगरानी टावन के निर्माण प्रशिक्षण और प्रदर्शन, अनुसंधान और प्रचा के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**[हिन्दी]**

**दुग्ध उत्पादन**

**362. डा0 लाल बहादुर रावल** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दुग्ध उत्पादों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो किन उत्पादों का आयात हो रहा है और उससे होने वाले मुनाफे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश इस समय दुग्ध उत्पादों के लिए इनके आयात पर निर्भर है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (घ). जहाँ तक डेयरी उत्पादों का संबंध है, घरेलू दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप देश इस समय डेयरी उत्पादों के आयात पर आश्रित नहीं है। तथापि, बहुत कम मात्रा में डेयरी उत्पादों का आयात किया जा रहा है। 1994-95 के दौरान किए गए आयात में स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल का आयात शामिल है। आयात के लिए कोई एकल सरणीकरण एजेंसी नहीं है तथा विभिन्न आयातकों द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली**

**363. श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी वार्षिक प्रशासकीय लागत कितनी है; और

(ख) क्या सरकार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर बनाने हेतु कोई प्रस्ताव है जिसमे सार्वजनिक वितरण से सम्बद्ध सरकारी एंजेसियों की सख्या घटाने का प्रावधान है और इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर और अधिक बोझ पड़ेगा?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री चूटा सिंह)** : (क) और (ख). सार्वजनिक वितरण प्रणाली, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार, राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को थोक में चावल, गेहूं, चीनी, सुपीरियर मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक/सी.आई.एल.कोक तथा खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेवार है, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रचालनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को राज्य, जिला तथा ग्राम स्तरों पर चलाने के कार्य में अनेक सरकारी, सहकारी, अर्धसरकारी और गैर-सरकारी अभिकरण शामिल है। अतः सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर हर वर्ष लगने वाली कुल प्रशासकीय लागत का परिमाण बताना सम्भव नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने का कार्य एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसके स्वरूप के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित की जाने वाली वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के कार्य में अनेक अभिकरणों को शामिल करना होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यकरण में सुधार करने से संबंधित बातों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की बैठकों में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। किसी भी राज्य सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगे सरकारी अभिकरणों की संख्या में कमी करने के संबंध में कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान**

**364. श्री एस.एस. लालजान बाशा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 में राजामुंदरी स्थित केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान में प्रयोगशाला से खेत तक की गई गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1994-95 में केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा कितने तम्बाकू कृषक लाभान्वित हुए;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान के लिये कितने वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान तम्बाकू कृषकों के लिये कोई गहन कार्यक्रम चलाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) और (ख). अब भा.कृ.अ. परिषद पद्धति के अन्तर्गत प्रयोगशाला से खेत तक

के कार्यक्रम स्वतंत्र कार्यक्रमों के रूप में नहीं हैं। इन्हें वर्ष 1992-93 से ही कृषि विज्ञान केन्द्रों के एक कार्यकलापों के रूप में उनमें शामिल कर लिया गया है। सी.टी.आर.आई., राजामुन्द्री में वर्ष 1994-95 के दौरान 126 किसानों को प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत चुना गया था। पशु विज्ञान उत्पादन कार्यक्रम, बागवानी, नारियल की पौध, उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों के आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश और ग्रामीण दस्तकारी कार्यकलापों के अन्तर्गत नारियल-जटाओं की कताई के यंत्र लाभ भोगियों को उपलब्ध कराए गए।

(ग) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अन्तर्गत इस अवधि का जो कुल परिव्यय 10,000/-रु० था।

(घ) और (ङ). जी हाँ, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने 1656 किसानों के लिए तम्बाकू उत्पादन प्रोद्यौगिकी में 73 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 388 ग्रामीण युवकों के लिए 30 पाठ्यक्रम और 411 विस्तार-कार्यकर्ताओं के लिए 13 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है।

## रेल परियोजनाएं

**365. श्री एन. जे. राठवा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक केन्द्र सरकार के पास किन-किन राज्यों ने अपने संबंधित राज्य में आमान परिवर्तन करने, बंद की गई गाड़ियों को पुनः चलाने और क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण हेतु कुल कितने प्रस्ताव भेजे हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : गत तीन वर्षों से आज तक आमान परिवर्तन और क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के संबंध में राज्यों के नाम तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की संख्या निम्नलिखित है। जहां तक गाड़ियों की बहाली का संबंध है, राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

| राज्य का नाम | प्राप्त प्रस्तावों की संख्या | |
|---|---|---|
| | आमान परिवर्तन | पुलों का पुनर्निर्माण |
| बिहार | 5 | – |
| उत्तर प्रदेश | 1 | 1 |
| असम | 1 | 3 |
| त्रिपुरा | 1 | – |
| राजस्थान | 2 | 1 |
| गुजरात | 13 | 4 |
| मध्य प्रदेश | 3 | – |
| महाराष्ट्र | 8 | – |
| कर्नाटक | 4 | – |
| तमिलनाडु | 3 | – |
| पश्चिम बंगाल | – | 2 |

[अनुवाद]

## खाद्यान्न भंडारण

**366. श्री राम कापसे :**
**श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्यान्न का बहुत बड़ा आरक्षित भंडार है और यदि हाँ, तो इस समय प्रत्येक खाद्यान्न राज्य-वार कितनी मात्रा में है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इन भंडारों का उपयोग किस प्रकार करने का है?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) जी, हाँ। 1.7.1995 को स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में गेहूं और चावल की राज्यवार मात्राओं को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) सार्वजनिक विवरण प्रणाली के लिए नियमित निर्मुक्तियों के अलावा भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार में गेहूं और चावल भारतीय खाद्य निगम की इक्नामिक लागत से कम मूल्यों पर बेच रहा है। इसके अलावा, ब्रेड बनाने और घटी हुई दर पर ब्रेड की बिक्री करने के लिए माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इ०) लि० और इसकी फ्रंचाइज्ड यूनिटों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम दर पर गेहूं आवंटित किया जा रहा है और गेहूं और चावल केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से कम दरों पर (1) देश में उन होस्टलों, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी से संबंधित आवासीय विद्यार्थियों की संख्या दो तिहाई से अधिक है; और (2) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों द्वारा ब्रेड, बन, पापड़ आदि जैसे खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए भी आवंटित किए जा रहे हैं। इनके अलावा, सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को 1995-96 के दौरान 25 लाख मीटरी टन तक गेहूं और 20 लाख मीटरी टन तक चावल निर्यात करने/निर्यात के प्रयोजन के लिए बिक्री करने हेतु प्राधिकृत किया है;

## विवरण

### 1.7.1995 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय एजेंसियों के पास खाद्यान्नों के स्टाक की स्थिति

(अ0) (हजार मीटरी टन में)

(21.7.95 को तैयार किया गया)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शा० प्रदेश | चावल | गेहूंमोटे | अनाज | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1890.22 | 310.40 | 0.00 | 2200.62 |
| 2. | जे.एम.(पी.ओ.) विजाग | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 28.64 |
| 3. | असम | 91.01 | 28.29 | 0.00 | 119.30 |
| 4. | बिहार | 105.68 | 200.09 | 0.00 | 305.77 |
| 5. | दिल्ली | 61.14 | 159.94 | 0.00 | 221.08 |
| 6. | गोवा | 6.24 | 0.78 | 0.00 | 7.02 |
| 7. | गुजरात | 293.92 | 517.22 | 0.00 | 811.14 |
| 8. | जे.एम.(पी.ओ.) कान्डला | 53.68 | 124.36 | 0.00 | 178.04 |
| 9. | हरियाणा | 1291.06 | 3447.12 | 0.00 | 4738.18 |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | 3.18 | 10.90 | 0.00 | 14.08 |
| 11. | जम्मू व कश्मीर | 34.64 | 22.68 | 0.00 | 57.32 |
| 12. | कर्नाटक | 151.94 | 61.94 | 0.00 | 213.88 |
| 13. | केरल | 334.40 | 20.63 | 0.00 | 355.03 |
| 14. | मध्य प्रदेश | 1037.27 | 552.32 | 0.00 | 1589.59 |
| 15. | महाराष्ट्र | 790.52 | 547.10 | 0.00 | 1337.62 |
| 16. | मणिपुर | 1.28 | 0.17 | 0.00 | 1.45 |
| 17. | मेघालय | 4.55 | 1.84 | 0.00 | 6.39 |
| 18. | मिजोरम | 6.84 | 0.66 | 0.00 | 7.50 |
| 19. | नागालैंड | 2.59 | 0.34 | 0.00 | 2.93 |
| 20. | उड़ीसा | 161.60 | 46.07 | न.ग. | 207.67 |
| 21. | पंजाब | 7478.37 | 9374.35 | 0.00 | 16852.72 |
| 22. | राजस्थान | 440.51 | 1420.43 | 0.00 | 1860.94 |
| 23. | तमिलनाडु | 380.13 | 33.85 | 0.00 | 413.98 |
| 24. | जे.एम. (पी.ओ.) मद्रास | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 4.61 |
| 25. | त्रिपुरा | 6.16 | 5.88 | 0.00 | 12.04 |
| 26. | उत्तर प्रदेश | 1298.31 | 1966.14 | नग. | 3264.45 |
| 27. | पश्चिम बंगाल | 121.56 | 109.60 | 0.00 | 231.16 |
| 28. | जे.एम.(पी.ओ.) कलकत्ता | 193.52 | 50.06 | 0.00 | 243.58 |
| 29. | चण्डीगढ़ | 6.59 | नग. | 0.00 | 6.59 |
| | मार्गस्थ स्टाक | 163.05 | 160.55 | 0.00 | 323.60 |
| | सकल जोड़ (अखिल भारतीय) | 16443.21 | 19173.71 | नग. | 35616. |

(अ0) अनन्तिम

(नग0) 50 मीटरी टन से कम

### सब्जी एवं फल अनुसंधान केन्द्र

**367. श्री पी. कुमारासामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्य कर रहे सब्जी एंव फल अनुसंधान केन्द्रों के स्थान-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान देश के कुछ अन्य भागों में कुछ और फल एवं सब्जी अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ अब तक राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) उन्हें जल्दी शुरू करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) सब्जियों और फलों के लिए अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा जो वर्तमान समय में देश में भा० कृ० अनु० परिषद के अधीन कार्य कर रहे हैं, विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

**विवरण – I**

**बागवानी प्रभाग**

भा० कृ० अनु० परिषद के अधीन वर्तमान समय में देश में सब्जियों और फलों से संबंधित कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/प्रायोजना निदेशालयों का विवरण

| क्र. सं. | संस्थान/रा.अनु.के./प्रा.नि. का नाम |
|---|---|
| | **1. फल** |
| 1. | भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बैंगलोर (कर्नाटक) |
| 2. | केन्द्रीय उप-ऊष्णकटिबंधी बागवानी संस्थान, लखनऊ (उ.प्र) |
| 3. | केन्द्रीय संतुलित बागवानी संस्थान, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) |
| 4. | भा० कृ० अनु० परिषद का अनुसंधान परिसर, गोवा (गोवा) |
| 5. | राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र, बीकानेर (राजस्थान) |
| 6. | राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र, त्रिची (तमिलनाडु) |
| 7. | राष्ट्रीय निम्न वर्गीय फल अनुसंधान केन्द्र, नागपुर (महाराष्ट्र) |
| 8. | राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र, पुणे (महाराष्ट्र) |
| | **2. सब्जियां** |
| 1. | केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि.प्र.) |
| 2. | केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, त्रिवेन्द्रम (केरल) |
| 3. | सब्जी अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, वाराणसी (उ.प्र.) |
| 4. | राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान केन्द्र, नासिक (महाराष्ट्र) |
| 5. | राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सोलन (हिमाचल प्रदेश) |

**विवरण – II**

**बागवानी प्रभाग**

सब्जियों और फलों पर वर्तमान समय में देश में कार्यरत भा० कृ० अ० परिषद के अनुसंधान केन्द्रों का ब्यौरा

| क्र.सं. | प्रायोजना का नाम | राज्य | | |
|---|---|---|---|---|
| | | आन्ध्र प्रदेश | अरूणाचल प्रदेश | असम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **1. फल** | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | 1. कौवूर | – | 1. जौरहट |
| | | 2. त्रिस्पति | – | 2. तिनसुखिया |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | 1. हैदराबाद | – | 2. संगरेड्डी |
| 3. | शुष्क फल | अनंतपुर | – | – |
| 4. | पी.एच.टी. | हैदराबाद | – | – |
| 5. | सेब स्कैब | – | बसर | – |
| | **2. सब्जियां** | | | |
| 1. | सब्जियां | 1. हैदराबाद | – | जोरहट |
| | | 2. लम | – | – |
| 2. | आलू | – | – | जोरहट |
| 3. | कंद फसलें | हैदराबाद | – | जोरहट |
| 4. | खुम्बी | – | – | – |
| 5. | एन.एस.सी. लम | – | – | |

| | | तमिलनाडु | उत्तर प्रदेश | पश्चिमी बंगाल |
|---|---|---|---|---|
| | **1. फल** | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | 1. कोयम्बटूर | – | पिऑग |
| | | 2. पेरियाकुलम | | |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | कोयम्बटूर | पंतनगर | मालदा |
| 3. | शुष्क फलअररूप्पुक्कोट्टाई | फैजाबाद | – | – |
| 4. | पी.एच.टी. पेरियाकुलम | – | कल्यानी | |
| 5. | सेब स्कैब | – | रानीचौरी | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | 2. सब्जियां | | | |
| 1. | सब्जियां | कोयम्बटूर | 1. फैजाबाद | |
| | | | 2. कानपुर | कल्याणी |
| | | | 3. पंतनगर | |
| | | | 4. वाराणसी | |
| 2. | आलू | ऊंटी (सीपीआरआई) | 1. फैजाबाद | कल्याणी |
| | | | 2. पंतनगर | |
| 3. | कंद फसलें | कोयम्बटूर | फैजाबाद | कल्याणी |
| 4. | खुम्बी | कोयम्बटूर | 1. पंतनगर | - |
| | | | 2. फैजाबाद | |
| 5. | एन.एस.सी. | कोयम्बटूर | 1. पंतनगर | - |
| | | | 2. कानपुर | |
| | | | 3. वाराणसी | |

| | | पंजाब | राजस्थान | सिक्किम |
|---|---|---|---|---|
| | 1. फल | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | लुधियाना | - | - |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | लुधियाना | उदयपुर | - |
| 3. | शुष्क फल | अबोहर | 1. बीकानेर | |
| | | | 2. भोजका | |
| | | | 3. जोबनेर | |
| | | | 4. जोधपुर | |
| 4. | पी.एच.टी. | - | जोबनेर | - |
| | 2. सब्जियां | | | |
| 1. | सब्जियां | लुधियाना | दुर्गापुर | - |
| 2. | आलू | जालंधर (सीपीआरआई) | कोटा | - |
| 3. | कंद फसलें | - | - | - |
| 4. | खुम्बी | लुधियाना | उदयपुर | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. | एन.एस.सी. | लुधियाना | - | - |

| | | बिहार | दिल्ली | गुजरात |
|---|---|---|---|---|
| | 1. फल | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | पूसा | - | गंडेवी |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | 1. सबौर | नई दिल्ली | पारिया |
| | | 2. पूसा | आई.ए.आर.आई. | |
| 3. | शुष्क फल - | - | 1. सरदार कृषी नगर | |
| | | | 2. मुंद्रा | |
| 4. | पी.एच.टी. पूसा | - | - | |
| 5. | सेब स्कैब - | - | - | |
| | 2. सब्जियां | | | |
| 1. | सब्जियां | सबौर | नई दिल्ली | जूनागढ़ |
| | | भा.कृ.अनु.संस्थान | | |
| 2. | आलू | 1. पटना | - | देसा |
| | | (सी.पी.आर.एस.) | | |
| | | 2. धौली | | |
| 3. | कंद फसलें | 1. धौली | - | नवसरी |
| | | 2. रांची | | |
| 4. | खुम्बी | - | - | - |
| 5. | एन.एस.सी. | - | - | - |

| | | हरियाणा | हिमाचल प्रदेश | जम्मू एवं कश्मीर |
|---|---|---|---|---|
| | 1. फल | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | - | - | - |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | - | - | - |
| 3. | शुष्क फल बवाल | - | - | - |
| 4. | पी.एच.टी. | हिसार | सोलन | - |
| 5. | सेब स्कैब | - | सोलन | श्रीनगर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | **2. सब्जियां** | | | |
| 1. | सब्जियां | हिसार | 1. कटराईन | श्रीनगर |
| | | | 2. सोलन | |
| 2. | आलू | हिसार | पालमपुर | श्रीगर |
| 3. | कंद फसलें | - | - | - |
| 4. | खुम्बी | - | - | - |
| 5. | एन.एस.पी. | करनाल | 1. शिमला | - |
| | | | 2. सोलन | |
| | | | 3. कटराईन | |
| | | **कर्नाटक** | **केरल** | **मध्यप्रदेश** |
| | **1. फल** | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | 1. चेयाल्ली | कन्नारा | - |
| | | 2. धारवाड़ | | |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | - | - | रेवा |
| 3. | शुष्क फल - | - | - | |
| 4. | पी.एच.टी. - | - | - | |
| 5. | सेब स्कैब | - | | |
| | **2. सब्जियां** | | | |
| 1. | सब्जियां | 1. हेसरघट्टा | वेल्लानिक्कारा | 1. जबलपुर |
| | | 2. धारवाड़ | | 2. रायपुर |
| 2. | आलू छिन्दवाड़ा | | 1. धारवाड़ | - |
| | | 2. इस्तन | | |
| 3. | कंद फसलें | - | - | जगदलपुर |
| 4. | खुम्बी | - | - | रायपुर |
| 5. | एन.एस.पी. | हेसरघट्टा | - | 1. जबलपुर |
| | | | | 2. रायपुर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | **महाराष्ट्र** | **मेघालय** | **उड़ीसा** |
| | **1. फल** | | | |
| 1. | उष्णकटिबंधीय फल | 1. अकोला | - | - |
| | | 2. पूणे (भा.कृ.अ.सं.) | | |
| | | 3. राहुरी | | |
| 2. | उप-उष्णकटिबंधीय फल | 1. जलगावं | - | - |
| | | 2. राहुरी | | |
| | | 3. बेंगुरला | | |
| 3. | शुष्क फल | 1. पूणे (एम.ए.सी.एस.)- | | |
| | | 2. राहुरी | | - |
| 4. | पी.एच.टी. | 1. डपोली | - | - |
| | | 2. राहुरी | | |
| 5. | सेब स्कैब | - | - | - |
| | **2. सब्जियां** | | | |
| 1. | सब्जियां | 1. राहुरी | - | भुवनेश्वर |
| | | 2. अम्बाजोगई | | |
| 2. | आलू | राजगुरूनगर | शिलांग | भुवनेश्वर |
| | | | (सी.पी.आर.आई.) | |
| 3. | कंद फसलें | डपोली | शिलांग | - |
| | | (आई.सी.ए.आर.सी.) | | |
| 4. | खुम्बी | पुणे | - | - |
| 5. | एन.एस.पी. | राहुरी | - | भुवनेश्वर |

## आर्थिक सुधार

**368. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सुधारों से कृषि क्षेत्र के लाभ नहीं हुआ है;

(ख) क्या कृषि मूल्य आयोग के भूतपूर्व आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में उस विकृति को उजागर किया है जिससे कृषि विकास पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस बात को कहां तक स्वीकार किया है कि आर्थिक सुधारों से कृषि को लाभ नहीं पहुंचा है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) आर्थिक सुधारों से कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलने की संभावना है।

(ख) कृषि लागत एंव मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में आर्थिक सुधारों से पैदा होने वाले किसी भी ऐसे विकास की ओर संकेत नहीं किया है जिससे कृषि की वृद्धि और विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## पोलीपैक में टोंड मिल्क

**369. श्री वत्ता मेघे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मदर डेरी द्वारा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर सप्लाई किया जा रहा पेस्चुरीकृत टोंड दूध डेरी के नई दिल्ली स्थित किसी भी बूथ पर उपलब्ध नहीं है जबकि इसका प्रचार अत्यधिक किया जा रहा है और इसके स्थान पर पूरी क्रीम वाला दूध 14 रुपये प्रति किलों की दर पर सप्लाई किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मदर डेरी के प्रत्येक बूथ पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर पेस्चुरीकृत टोन्ड मिल्क पौलिपैक में उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (ग). मदर डेयरी के बूथ टोण्ड दूध की आपूर्ति अपने थोक विक्रय केन्द्रों के माध्यम से करते हैं जबकि टोण्ड दूध थैलियों में उन अन्य दुकानों के माध्यम से बेचा जाता है जहां मदर डेयरी का खुला दूध उपलब्ध नहीं होता। मदर डयेरी के दुग्ध बूथों से भी पौलीपैक थैलियों में टोण्ड दूध की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**[अनुवाद]**

## सलीम अली पक्षिविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र

**370. डा० पी० वल्लाल पेरुमान** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कोयम्बतूर स्थित सलीम अली पक्षिविज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केन्द्र की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए केन्द्र को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि में इस केन्द्र द्वारा कौन-कौन सी अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ की गईं; और

(ग) उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में कोयम्बतूर में स्थित सलीम अली पक्षिविज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान केन्द्र को इसकी विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 29.13 लाख रुपये की राशि विर्मुक्त की गई है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | प्रगति |
|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कतिपय दुर्लभ और देशी पक्षी प्राणिजात की पारिस्थितिकी; स्थिति और संरक्षण संभावनों पर एक अध्ययन | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पक्षी प्राणिजातों का सामान्य सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। इस अध्ययन के आधार पर द्वीप की पक्षी प्राणिजात का एक संरक्षण कार्यक्रम तैयार किया जायेगा। |
| 2. | दूर संवेदी और जीआईएस के माध्यम से मेढाओ अभयारण्य निशनी डिला, अरूणाचल प्रदेश में जैव विविधता का एक त्वरित मूल्यांकन | एन.आर.एस.ए. से आई.आर.एस., एल.आई.एस.एस. 11, जियो कोडेड इमजरी प्रापत की गई हैं, और उनकी दृश्य व्याख्या की गई । फील्ड आंकड़ा एकत्र किया जा रहा है। |
| 3. | केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान पारि-प्रणाली : माडलिंग और अनुरूपम अध्ययन | एक पारि-प्रणाली गतिकी माडल तैयार किया गया है। पारिस्थितिकीय परिवर्तनों और प्रबंध पहलुओं की भविष्यवाणी करने के लिए इस माडल की उपयुक्तता को पूरा किया जाना है। |

| 1. | 2. | 3. |
|---|---|---|
| 4. | सिरूवनी में आर्द्र पतझड़ी वन में पक्षियों के प्रजनन की योजना | सिरूवनी में 250 है० आई पतझड़ी वनों में अध्ययन किए जा रहे हैं यह अध्ययन प्रजातियों के संरक्षण के लिए अपेक्षित पारिस्थितिकीय सुचना प्रदान करेगा। |
| 5. | नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व में पौध और पक्षी समुदायों पर मानव हस्तक्षेप का प्रभाव | अवक्रमित और उपेक्षाकृत कम अस्तव्यस्त क्षेत्रों में पक्षियों पर अध्ययन किया गया है। प्राथमिक परिणामों से संकेत मिला कि माप पक्षी परिवर्तित वासस्थल में प्रजनन नहीं करती हैं। |
| 6. | चुनिन्दा पक्षी प्राणिजात के विशेष संदर्भ में नीलगिरि जिले में कीटनाशकों द्वारा संदूषण | कीटनाशकों के विश्लेषण के लिए अपेक्षित उपकरण लगा दिए गए हैं और कीटनाशकों के विश्लेषण के लिए प्रणाली का मानकीकरण किया गया। प्रथम चरण के दौरान चुने स्थलों से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। |
| 7. | छोटे स्तनधारियों के विशेष संदर्भ में प्राणिजात के संरक्षण के लिए पश्चिमी घाटों के विखंडित वर्षा वनों के प्रबंध का एक अध्ययन | इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में विखंडित वर्षा वन की शिनाख्त की गई और वृक्षों पर रहने वाले स्तनधारियों से संबंधि सर्वेक्षण किया गया। सभी विखंडनों में छोटे मांसाहारियों की बहुतायत पर अध्ययन शुरू किए गए। |
| 8. | नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व में औषधीय पौधों की मानव पारिस्थितिकी और फाइटो रासायनिकी | आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त 162 पौध प्रजातियों में से 26 प्रजातियों का वाणिज्यिक लाभ के लिए दोहन किया गया। उनके वासस्थल पारिस्थितिकी और पुनर्जनन पर आंकड़े एकत्र किए गए। |
| 9. | अंडमान और निकोबार तट की समुद्री घास वासस्थलों की स्थिति | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की समुद्री घास की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं, अंतिम तकनीकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। |
| 10. | नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व में लघु मांसाहारियों के वितरण, पारिस्थितिकी और संरक्षण पर एक अध्ययन | गंध, विलाव, छोटी बिल्लियों, नीलगिरि पार्टेन आदि जैसे मांसाहारियों के बारे में बारह प्रतिनिधि वन किस्मों में से आठ का सर्वेक्षण किया गया। रेडियो टेलीमेट्रिक अध्ययन शुरू किए जा रहे हैं। |
| 11. | नीलगिरि जीवमंडल रिजर्व में चुनिन्दा संकटापन्न स्तनधारियों के विशेष संदर्भ में वन्यजीव कारीडोरों और स्तनधारियों द्वारा उनके प्रयोग की स्थिति | प्राथमिक परिणामों से संकेत मिलता है कि अभिनिधारित बारह में से पांच पशु कारीडोरों में भारी चराई और ईंधन की लकड़ी का संग्रहण हुआ जिससे वनस्पति को भारी क्षति पहुंचाई और फलस्वरूप वन्य जीव जन्तुओं को कम लाभ पहुंचा। शेष कारीडोरों का अध्ययन किया जा रहा है। |
| 12. | बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक की वासस्थल निगरानी | विभिन्न अस्तव्यस्त और ठीक वनस्पति प्रकारों से तुलना हेतु अद्यतन फील्ड डाटा एकत्र किया जा रहा है। प्राप्त उपग्रह रेखाचित्रों का विश्लेषण किया जा रहा है। भविष्य में निगरानी के लिए स्थाई प्लाट्स निर्धारित किए जा रहे हैं। |
| 13. | नीलगिरि जीवमंडल की दुर्लभ और देशी मछलियों के स्थिति और संरक्षण पर अध्ययन | इस क्षेत्र, में जहां कि देशी और दुर्लभ मछलियों की अधिकता है, में गहन अध्ययन करने हेतु मछली वासस्थलों का पता लगाने के लिए टोही सर्वेक्षण किए गए। वासस्थल सूची प्रोटोकोल तैयार की गई जिसमें स्ट्रीम आर्डर तत्व परिवर्तनीय जल गुणवत्ता तथा अन्तः धार कवर जैसे कारकों को ध्यान में रखा जायेगा। |
| 14. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में जंगली हाथियों की स्थिति | अध्ययनों से पता चलता है कि 1962 में इमारती लकड़ी ढोने के लिए इन्टरव्यू द्वीपसमूहों में लाए गए हाथियों जिनको बाद में काम समाप्त होने पर छोड़ दिया गया, उनकी आबादी बढ़कर 70 हो गई। ये वनस्पति और फसल को काफी क्षति पहुंचा रहे हैं। चुने हुए क्षेत्रों में आवधिक निगरानी और विद्युत तारबाड़ की सिफारिश की गई। |
| 15. | मुधमलाई वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु में हाथी वासस्थल की दीर्घकालीन निगरानी | हाथियों द्वारा क्षतिग्रस्त वृक्षों की मृत्यु का मूल्यांकन करने के लिए स्थाई प्लाटों से आर्द्र और शुष्क मौसमों के आंकड़े एकत्र किए गए हैं। प्राथमिक अध्ययनों से प्रतीत होता है कि अन्य प्रकार के वनों की तुलना में कंटीले वनों में हाथियों द्वारा कम वृक्षों का क्षतिग्रस्त किया गया। |
| 16. | पश्चिमी ट्रेगोपैन की स्थिति और उनका फैलाव | हिमाचल प्रदेश में शिमला और किन्नौर की सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी जिले के हिस्सों में पश्चिमी ट्रेगोपेन पाए जाने की पुष्टि हुई है। निधियों की कमी के कारण परियोजना को निलम्बित रखना पड़ा। |
| 17. | उत्तर प्रदेश के इटावा और मैनपुरी जिलों में नमभूमि का सर्वेक्षण | एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने और नम भूमि का वर्गीकरण करने हेतु प्रणालियां ईजाद करने के लिए इस परियोजना को शुरू किया गया था। इटावा और मैनपुरी जिलों में 16 प्रकार की नमभूमियां पाई गई। |

## चन्दन के वनों की अवैध कटाई

371. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान अब तक दक्षिण भारत के चन्दन वनों की चन्द्रप्पन गिरोह और अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई अवैध कटाई की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वनों की अवैध कटाई और वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) चन्द्रप्पन गिरोह तथा अन्य द्वारा चंदन के वनों में चालू वर्ष के दौरान अब तक की गई किसी लूटपाट के बारे में केन्द्र सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वनों द्वारा वन्य जीवों की लूट पाट को रोकने के लिए केन्द्र और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- वन एवं वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 लागू किए गए हैं।
- चंदन की लकड़ी और अनुसूचित इमारती लकड़ी वाले वन अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।
- उड़न दस्तों का गठन किया गया है और उनको आधुनिक संचार सैटों, अस्त्र-शस्त्रों तथा वाहन से सुसज्जित किया गया है ताकि वे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभावी गश्त लगा सकें।
- संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिए दूरस्थ वन क्षेत्रों को वेतार सैटों से जोड़ा गया है।
- सामरिक महत्व के स्थलों पर वन चैक पोस्ट (स्थिर और चलते-फिरते) बनाए गए हैं।

**[हिन्दी]**

## रेलवे स्टेशन

372. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सलेमपुर रेलवे स्टेशन और इसके आस-पास के क्षेत्र को सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) सौन्दर्यकरण संबंधी कार्य कब से शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जाएगा?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). सलेमपुर रेलवे स्टेशन की इमारत और इसके आस-पास के क्षेत्र का संतोषजनक ढंग से अनुरक्षण किया जा रहा है। बहरलाल, आगे और विकास करने के उपाय के रूप में एक लाख रु. की लागत से परिचलन क्षेत्र में सुधार करने और एक पार्क बनाने आदि जैसे कार्यों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस संबंध में कार्य इस क्षेत्र में दुकानें हटाने सहित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शुरू किया जायेगा और यह कार्य चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

**[अनुवाद]**

## तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को राजसहायता

373. **प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की खेती करने वाले किसानों को तम्बाकू के नए पौधों को अपनाने के लिए गत दो वर्षों के दौरान कोई राजसहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय प्रोत्साहनों पर आधारित इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तम्बाकू के नए बीजों तथा खेती की नई तकनीक को अपनाने हेतु किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान द्वारा क्या प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है?

**अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार)** : (क) से (ख). केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री तम्बाकू उगाने वाले किसानों को सीधे कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहा है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश में निर्यात वाले तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु उनके खेतों में क्षेत्र विस्तार परीक्षण चलाने के लिए प्रोत्साहन के रूप में तम्बाकू उगाने वाले किसानों को मुफ्त में तम्बाकू की नई किस्मों की पौध संस्थान द्वारा सप्लाई की जा रही है। पिछले दो वर्षों के दौरान खेतों में सात विस्तार परीक्षण किये गये थे।

(ग) तम्बाकू बोर्ड के जरिए उचित कीमत पर किसानों की संस्थान द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले तम्बाकू के बीज प्रत्येक वर्ष सप्लाई किये जा रहे हैं।

**राजसहायता प्रदत्त खाद्य योजना**

**374. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 रुपये प्रति किलों के हिसाब से चावल देने संबंधी आन्ध्र प्रदेश की योजना को धन प्रदान करने संबंधी निवेदन को अस्वीकार करके अब केन्द्र स्वंय गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे व्यक्तियों को अत्यधिक कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र की नवीकृत सार्वजनिक विवरण प्रणाली के क्षेत्रों का और विस्तार करने और इस प्रणाली के माध्यम से पूर्ति किए गए खाद्यान्नों पर और अधिक राजसहायता प्रदान करने की योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या खाद्य योजना पर राजसहायता प्रदान करने संबंधी अंतिम निर्णय पर अंतिम रूप से कोई सहमति हो गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो यह योजना पूरे देश में कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) :** (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत आनेवाले सभी ब्लाकों में करने और संपुष्ट सार्वजनिक वितररण प्रणाली के लिए चावल तथा गेहूँ के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को कम करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इन प्रस्तावों के विभिन्न निहितार्थों की अभी जांच की जा रही है और इसलिए इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नियत नहीं की जा सकती है।

**वृन्दावन एक्सप्रैस**

**375. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृन्दावन एक्सप्रैस को मैसूर तक चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

**मुफ्त रेल पास**

**376. श्री के. जी. शिवप्पा :**
**श्री ए. वेंकटेश नायक :**

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों विशेषकर अशोक चक्र, परमवीर चक्र इत्यादि वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों को रेल का केवल द्वितीय श्रेणी का मुफ्त पास उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) यहि हां, तो क्या उन लोगों को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित एवं प्रथम श्रेणी के रेल पास जारी करने तथा उनकी पत्नियों को भी उनके साथ मुफ्त रेल यात्रा करने की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री श्री (सी. के. जाफर शरीफ) :** (क) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को कोई निःशुल्क पास नहीं दिए जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**राजस्थान में पर्यावरणीय और वानिकी परियोजनाएं**

**377. श्री कुन्जी लाल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राजस्थान में पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार और विदेशी एजेंसियों की सहायता से आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में आज की तिथि तक क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) से (ग). पर्यावरण और वनों के संरक्षण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा उनकी वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(घ) ये परियोजनाएं अनवरत स्वरूप की हैं।

विवरण

| क्र.सं. | स्कीम/परियोजना का नाम | मुख्य उद्देश्य | निधिकरण की मात्रा | स्थिति | पिछले तीन सालों के दौरान उपलब्धि 1992-93 1993-94 1994-95 वित्तीय | भौतिक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास | राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास | 100 % | चालू | 213.38 | 14 राष्ट्रीय उद्यान शामिल |
| 2. | सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास पारि-विकास | सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना | 100% अनावर्ती 50% आवर्ती | चालू | 19.33 | 2 राष्ट्रीय उद्यान शामिल |
| 3. | बाघ परियोजना | बाघों की जीवनक्षम आबादी सुनिश्चित करना | 100% अनावर्ती 50% आवर्ती | चालू | 289.79 | 2 बाघ रिजर्व शामिल |
| 4. | बाघ रिजर्वों के आसपास पारि-विकास | बाघ रिजर्वों के आसपास रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना | 100% अनावर्ती 50% आवर्ती | चालू | 85.48 | 2 बाघ रिजर्व शामिल |
| 5. | पर्यावरण वाहिनी स्कीम | जनता की सक्रिय भागीदारी के जरिए पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना | 100% | चालू | 3.88 | 6 पर्यावरण वाहिनिया गठित |
| 6. | औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद | औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद | 100% | चालू | 71.11 | 1450 है. क्षेत्र शामिल |
| 7. | समन्वित वनीकरण एवं पारि-विकास परियोजना स्कीम | वनीकरण और पारि विकास को बढ़ावा देना | 100% | चालू | 1939.69 | 30030 है0 क्षेत्र शामिल |
| 8. | क्षेत्रीय-मुख ईंधन की लकड़ी और चारा स्कीम | ईंधन की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति का विस्तार करना | 50% | चालू | 542.18 | 12400 है0 क्षेत्र शामिल |
| 9. | अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों का भोगाधिकार आधार पर सहयोग | अवक्रमित वनों के वनीकरण में अनुसूचित जनजातियों और ग्रामीण निर्धनों को संबद्ध करना। | 100% | चालू | 48.00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना | चम्बल नदी के प्रदूषण का उपशमन | 50% | चम्बल नदी को 13.94 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। इसमें कोटा और केशोरायपत्तनम शहरों को भी शामिल किया जायेगा। | | |
| **विदेशी सहायता प्राप्त** | | | | | | |
| 1. | समेकित परती भूमी विकास परियोजना, डूंगरपुर सीडा की सहायता प्राप्त एक परियोजना | समेकित भूमि उपयोग को बढ़ावा देना | इस परियोजना को गैर-सरकारी संगठनों के घनिष्ठ सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। सहायता घटक 80.00 मिलियन सेक है। 4.48 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है और मार्च, 1995 तक 4133 हैक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है। | | | |
| 2. | इंदिरा गांधी नहर के किनारे वनीकरण और चरागाह - ओईसीएफ जापान की सहायता प्राप्त परियोजना | मरू वायु से नहर, कृषि फील्डों की सुरक्षा करना, ईंधन की लकड़ी और चारा की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा रोजगार का सृजन | 107 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से इस परियोजना को 1991 में शुरू किया गया था। मार्च, 1995 तक 39.87 करोड़ रुपये खर्च कि गए तथा 28739 है0 को कवर किया गया। | | | |
| 3. | अरावली पहाड़ियों के लिए वनीकरण परियोजना-ओईसीएफ जापान की सहायता प्राप्त परियोजना | मरुस्थलीकरण को रोकना और वनीकरण द्वारा पारिस्थितिकीय स्थितियों को रोकना | परियोजना के कार्यान्वयन को अप्रैल 1992 में शुरू किया गया था। इसके लिए कुल सहायता घटक 8093.00 मिलियन येन है। दिसम्बर, 1994 तक 86.67 करोड़ रुपये का व्यय किया गया और 65.00 हैक्टेयर शामिल किया गया। | | | |
| 4. | राजस्थान वानिकी विकास परियोजना-ओईसीएफ, जापान की सहायता प्राप्त परियोजना | वनीकरण से संबंधित परियोजना गतिविधियों के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए ग्राम और परियोजना स्तर पर मानव और संस्थागत संसाधन विकसित करना। | इस परियोजना को वर्ष 1995-96 में 140 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू किया गया था। | | | |
| 5. | औद्योगिक प्रदूषण परियोजना (चरण-2) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक परियोजना | राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का संस्थागत विकास | राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में से एक है जिसे परियोजना के अन्तर्गत लिया गया है। परियोजना की कुल लागत 330 मि0 अमरीकी डालर है जिसमें से 168 मि0 अमरीकी डालर विश्व बैंक से हैं। | | | |

[अनुवाद]

## विलुप्त प्राय प्रजातियों द्वारा प्रजनन

**378. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलुप्त प्राय प्रजातियों को कैद करने से उनके प्रजनन का संकट और अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान सरकारी प्राणी उद्यानों की कैद में बच्चे देने वाली विलुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विलुप्त प्राय प्रजातियों के प्रजनन के संबंध में प्राणी उद्यान और प्राधिकारियों की सहायता हेतु कोई विशेष योजना शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) जी नहीं। संकटापन्न प्रजातियों की बन्दी अवस्था में उचित देखभाल, स्वास्थ्य सेवा और प्रवर्तकों की पर्याप्त संख्या के साथ सफलतापूर्वक प्रजनन होता है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी चिड़ियाघरों में बन्दी अवस्था में पैदा हुए संकटापन्न प्रजातियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) और (घ). सरकार द्वारा स्थापित भारतीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चुनिन्दा संकटापन्न प्रजातियों के बन्दी अवस्था में प्रजनन के चिड़ियाघरों की शिनाख़्त की है। इसने ऐसी प्रजातियों के प्रजनन के लिए प्रजाति समन्वयक और चिड़ियाघरों की शिनाख़्त की है जोकि संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## विवरण

### प्रजाति समन्वयक और प्रतिभागी चिड़ियाघरों की सूची

| क्र.सं. | प्रजाति का नाम | प्रजाति समन्वयक | प्रतिभागी चिड़ियाघर |
|---|---|---|---|
| 1. | रॉकी अजगर (पाइथन मोलुरस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन तमिलनाडु | मद्रास स्नेक पार्क मद्रास जू, और मद्रास क्रोकोडाइल बैंक |
| 2. | भारतीय धनेश (इसेरोस बाइकॉर्निस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन पश्चिम बंगाल | कलकत्ता जू गुवाहाटी जू |
| 3. | चित्रल ट्रैगोपन (स्ट्रेगोपन चित्री) | मुख्य वन्यजीव वार्डन नागालैंड | गंगटोक जू दार्जिलिंग जू दीमापुर जू |
| 4. | वेस्टर्न ट्रैगोपन (मेलानोलेफुलस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन हिमाचल प्रदेश | कुफरी जू, नैनीताल जू चीनेट्री पीक, सिरडन चीनेट्री और मनाली चीनेट्री |
| 5. | चीड़ चीनेट (कट्रियस वालिची) | मुख्य वन्यजीव वार्डन हिमाचल प्रदेश | वही |
| 6. | मोनाल पक्षी (लोफोफोरस इम्पेजेनस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन हिमाचल प्रदेश | दार्जिलिंग जू कुफरी जू |
| 7. | श्वेत पंख जंगली बतख (सिरिना स्कुटलाटा) | मुख्य वन्यजीव वार्डन अरुणाचल प्रदेश | मिओ अवेयरी |
| 8. | इंसावर (फोइनिकोप्टेरस रोसियस) | निदेशक अहमदाबाद जू | अहमदाबाद जू कानपुर और पटना जू |
| 9. | भारतीय मोहन पक्षी (सोरिओटिस नाइग्रीसेप्स) | मुख्य वन्यजीव वार्डन मध्यप्रदेश | भोपाल, हैदराबाद और अहमदाबाद जू |
| 10. | लेसर फ्लोरिकन (सीफेजोटोडेस इंडिका) | वही | वही |
| 11. | निकोबारी कबूतर (मेगापोडियस फ्रेंसिनेट) | मुख्य वन्यजीव वार्डन गुजरात | अहमदाबाद जू |
| 12. | हूलॉक गिब्बन (हिलोबेट्स हूलॉक) | मुख्य वन्यजीव वार्डन असम | गुवाहाटी जू कलकत्ता जू |
| 13. | हनुमान लंगूर (प्रेसबिटिस ची) | वही | वही |
| 14. | नीलगिरी लंगूर (प्रेसबिटिस जोनी) | मुख्य वन्यजीव वार्डन तमिलनाडु | मद्रास, त्रिवेन्द्रम और हैदराबाद जू |
| 15. | सिंहपुच्छी बंदर (मैकाका सिलेनस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन कर्नाटक | मद्रास, मैसूर, हैदराबाद त्रिवेन्द्रम, कानपुर, नन्दनकानन जू और नैशनल पार्क |
| 16. | स्लो लोरिस (निक्टीसेबस कान्हांग) | मुख्य वन्यजीव वार्डन असम | गुवाहाटी जू |
| 17. | एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) | मुख्य वन्यजीव वार्डन गुजरात | जूनागढ़, अहमदाबाद जू, और नेशनल जूलोजिकल पार्क दिल्ली, भोपाल जू, चंडीगढ़, कानपुर, मद्रास, मैसूर, कलकत्ता और नन्दनकानन जू |
| 18. | हिम तेंदुआ (पैंथेरा अनसिया) | मुख्य वन्यजीव वार्डन पश्चिम बंगाल/निदेशक पी एन एच जैड पी, दार्जिलिंग | दार्जिलिंग जू नैनीताल जू और कुफरी जू |
| 19. | बादली तेंदुआ (नियोफेलिस नेबुलोसा) | मुख्य वन्यजीव वार्डन पश्चिम बंगाल सरकार | पटना जू, कलकत्ता जू, और गुवाहाटी जू |
| 20. | फिशिंग कैट (फेलिस विवेरिना) | मुख्य वन्यजीव वार्डन पश्चिम बंगाल | कलकत्ता जू, गुवाहाटी जू और जूनागढ़ जू |
| 21. | कैटाकल (फेलिस कैटाकल) | मुख्य वन्यजीव वार्डन मध्य प्रदेश | भोपाल, अहमदाबाद और जूनागढ़ जू |
| 22. | रस्टी स्पारेड कैट (फेलिस रेविजिनोसा) | मुख्य वन्यजीव वार्डन गुजरात और निदेशक, अहमदाबाद जू | अहमदाबाद जू |
| 23. | लाल पांडा (ऐलुरस फलजेंस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन पश्चिम बंगाल | दार्जिलिंग जू |
| 24. | जंगली कुत्ता (कुआन अल्पीनस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन आंध्र प्रदेश, हैदराबाद | हैदराबाद, मद्रास और विशाखपटनम जू |
| 25. | एशियाई भेड़िया (कैनिस लुपस पालीपस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन कर्नाटक | मद्रास, नन्दनकानन, विशाखापटनम, हैदराबाद अहमदाबाद और जूनागढ़ जू |
| 26. | स्वाम्प हिरण (सेरवस डुवासेली) | मुख्य वन्यजीव वार्डन उत्तर प्रदेश | लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़ जू और नेशनल जू पार्क, दिल्ली |
| 27. | स्वाम्प हिरण (सेरवस डुवासली ब्रान्डरी) | निदेशक, वन विहार नेशनल पार्क/मुख्य वन्य जीव वार्डन, मध्य प्रदेश | वन विहार नेशनल पार्क भोपाल |
| 28. | थ्रो-एन्ऐलर्ड हिरण (सेरवस एलफी एलफी) | निदेशक डब्लयू आई आई | कलकत्ता चिड़ियाघर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और मणिपुर चिड़ियाघर |
| 29. | थीमिंगा (टेट्रासेरोस क्वाड्रिकोर्निस) | निदेशक | मैसूर जू, हैदराबाद जू नन्दनकानन जू |
| 30. | मुष्क हिरण (ट्रागुलस मेमिन्ना) | मुख्य वन्यजीव वार्डन आंध्र प्रदेश | अहमदाबाद, विशाखपटनम हैदराबाद और नन्दनकानन जू |
| 31. | चिंकारा (गजेला गजेला) | मुख्य वन्यजीव वार्डन राजस्थान | अहमदाबाद, जयपुर चंडीगढ़, कानपुर जू और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32. | गौर<br>(बोस गौरस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन<br>कर्नाटक, बंगलौर | नन्दनकानन, मैसूर<br>वन्दलूर, हैदराबाद |
| 33. | भारतीय जंगली गधा<br>(इक्वस हेमिओनस खुर) | मुख्य वन्यजीव वार्डन<br>गुजरात | जूनागढ़, अहमदाबाद जू<br>और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान<br>दिल्ली |
| 34. | नीलगिरि थार<br>(हेमिट्रागस हीलोक्रियस) | मुख्य वन्यजीव वार्डन<br>तमिलनाडु, मद्रास | डीयर पार्क, ऊटी |
| 35. | भारतीय गैंडा<br>(रेनोसेरोस यूनिकोर्निस) | सहायक वन महानिरीक्षक<br>वन्यजीव | गुवाहटी, कानपुर<br>कलकत्ता और पटना |

## खनन कार्य के लिए वन भूमि का उपयोग

**379. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में खनन कार्य के लिए वन भूमि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश स्थित छिन्दवाड़ा, सरगुजा, बिलासपुर और सीधी में लगभग 3000 हेक्टेयर वन भूमि का खनन कार्य में उपयोग किया गया है;

(घ) क्या सरकार की स्वीकृति से यह उपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस तरह से वन भूमि के अन्य कार्य में उपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) और (ख). विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त वन भूमि पर खनन प्रस्तावों के संबंध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत औपचारिक मंजूरी प्रदान की जाती है। इस प्रकार की मंजूरियों से वन भूमि के ऐसे इश्तेमाल के वनस्पतिजात और प्राणीजात सहित पर्यावरण पर पड़ने वाले सम्भावित प्रतिकूल प्रभावों के साथ-साथ सभी संगत सूचना की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उपबंधें के अनुरूप दी जाती है। उइसके अलावा, जहां लागू हो क्षतिपूरक वनरोपण सहित उपयुक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं ताकि इस प्रकार के वनेत्तर इश्तेमाल के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

(ग) से (ङ). पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान (जब से अधिनियम बना है) छिन्दवाड़ा सरगुजा, बिलासपुर और सिधी जिलों में क्रमशः लगभग 1407 हे. 1063 हे., 472 हे., और 2465 हे. वन भूमि पर खनन प्रयोजनों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुमोदित किए गए प्रस्ताव मुख्य रूप से साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लि०, वेस्टर्न कोल फील्ड लि० आदि जैसी विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला एजेंसियों से सम्बन्धित हैं और इनमें भूमिगत खनन के क्षेत्र शामिल हैं। ये मंजूरियां उन सभी संगत पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्रदान की गई हैं जिनसे वनस्पतिजात और प्राणिजात सहित पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, जहां लागू हो, क्षतिपूरक वनरोपण सहित उपयुक्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गये हैं ताकि वन भूमि के इस प्रकार के इस्तेमाल के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

**[हिन्दी]**

## सांस्कृतिक संगठनों को सहायता

**380. श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संगठनों से वित्तीय सहायता हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गये हैं और कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ग) क्या सरकार ने मांगी गई धनराशि जारी कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी अनुदान कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**[अनुवाद]**

## यात्री सुविधाएं

**381. श्री ईश्वरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंबी दूरी की अनेक सुपरफास्ट/मेल/एक्सप्रैस/पैसेंजर गाड़ियों में भोजन तथा समान बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो भोजनयान तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं रहित

गाड़ियां कौन-कौन सी हैं तथा इस प्रकार के विभेद के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लंबी दूरी की सुपरफास्ट/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए समान यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) और (ख). यात्रियों की खान-पान संबंधी आवश्यकताएं प्रायः मार्ग में आने वाली स्थैतिक खान-पान इकाइयों से पूरी की जाती हैं। पैन्ट्री यान की व्यवस्था कतिपय चुनिंदा लंबी दूरी की मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में की जाती हैं जहां गाड़ियों की समय अनुसूचियों, ठहरावों आदि के कारण स्थैतिक इकाइयों से खान-पान सेवा व्यवहार्य नहीं होती हैं अथवा स्थैतिक इकाइयों में सुविधाएं अपर्याप्त होती हैं। पैन्ट्री यान/चल खान-पान सेवाएं 121 जोड़ी गाड़ियों में मुहैया कराई गई है। शेष मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों में मार्ग में आने वाली स्थैतिक खानपान इकाइयों से खानपान सेवाएं पर्याप्त रूप से मुहैया कराई जाती हैं तथा इस मामले में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

(ग) से (ङ). यात्री सुविधा समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी सवारी डिब्बों में यात्री सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इस समिति द्वारा सुविधा संबंधी मदों की व्यवस्था की आवधिक रूप से जांच की जाती है। यात्री सुविधा समिति द्वारा सुविधाओं के संबंध में बताए गए किसी भी आशोधन को सभी क्षेत्रीय रेलों पर एक समान रूप से लागू किया जाता है।

[हिन्दी]

**शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां**

382. **श्री सूर्यनारायण यादव** :
**श्री प्रेम चन्द राम** :
**श्रीमती सरोज दुबे** :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली से इलाहाबाद, भोपाल और पटना के लिए नई शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाने का काई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**

383. **श्री गोपीनाथ गजपति** :
**श्री दिलीप भाई संघाणी** :
**श्री प्रभु दयाल कठेरिया** :
**श्री बृजभूषण शरण सिंह** :
**डा. सत्यनारायण जटिया** :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्य योजना को कब से लागू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) विभिन्न राज्यों की किन-किन नदियों और शहरों में इस कार्य योजना को लागू किये जाने का विचार है; और

(घ) इसके लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और इसमें राज्यों का राज्य-वार योगदान कितना है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) जी हां, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना का अनुमोदन कर दिया है।

(ख) इस कार्य योजना के अन्तर्गत कार्यों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों एवं कार्यों के अनुमान तैयार करने तथा प्रस्तुत करने एवं केन्द्र सरकार द्वारा इसे अनुमोदित कर दिए जाने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। अल्प-लागत स्वच्छता, शवदाहगृह, नदी तटाग्र विकास, वनीकरण आदि जैसे अपेक्षाकृत छोटी स्कीमों के लिए विस्तृत अनुमानों की मंजूरी में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लगभग एक माह का समय लगेगा। अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन तथा उपचार कार्यों जैसी बड़ी स्कीमों को तैयार करने एवं विस्तृत अनुमानों की मंजूरी में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रदूषण निवारण का कार्य 10 राज्यों में 18 नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों के किनारे स्थित 46 नगरों में किया जाना है। राष्ट्रीय नदी कार्य योजना की अनुमोदित लागत लगभग 772 करोड़ रुपये है। कार्य की पूंजीगत लागत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच बराबर की हिस्सेदारी होगी। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

## विवरण

### राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत स्कीमों की अनुमोदित लागत

| क्र.सं. | नगर | नदी | अ.ए.द.प. | सी.ड.स. | रा.गृ. | न.त.वि. | अ.ला.ख. | वाविध | उपयोग | भूमि लागत | परसेन्टेज | कुल लागत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| (क) | आन्ध्र प्रदेश | | | | | | | | | | | |
| 1 | मंचरियाल | गोदावरी | 227.46 | 84.00 | 10.00 | | 10.00 | 49.00 | 380.46 | 45.00 | 53.26 | 479.00 |
| 2. | भद्राचलम | गोदावरी | 164.82 | 60.00 | | | 15.00 | 15.50 | 255.32 | 17.05 | 35.63 | 308.00 |
| 3. | राजामुंदरी | गोदावरी | 937.68 | 877.00 | 42.40 | 34.00 | 164.00 | 65.00 | 2120.00 | 100.00 | 296.00 | 2516.00 |
| 4. | रामगुंडम | गोदावरी | 590.00 | 1088.50 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 1723.50 | 97.50 | 255.00 | 2076.00 |
| | | | 1919.00 | 2109.50 | 52.40 | 44.00 | 204.00 | 149.50 | 4479.28 | 259.55 | 639.89 | 5379.00 |
| (ख) | बिहार | | | | | | | | | | | |
| 5. | रांची | सुवर्णरेखा | 154.80 | 355.00 | 54.50 | 44.70 | 28.00 | 256.60 | 887.60 | 203.20 | 124.26 | 1215.06 |
| 6. | जमशेदपुर | सुवर्णरेखा | 112.79 | 1225.00 | 52.00 | 85.64 | 31.50 | 48.50 | 1562.63 | 18.00 | 218.64 | 1799.17 |
| 7. | घाटशिला | सुवर्णरेखा | 13.10 | 90.00 | 4.50 | 61.18 | 10.50 | 3.00 | 182.28 | | 25.52 | 207.80 |
| | | | 280.69 | 1670.00 | 111.00 | 191.52 | 77.00 | 302.10 | 2632.31 | 221.20 | 368.52 | 3222.03 |
| (ग) | गुजरात | | | | | | | | | | | |
| 8. | अहमदाबाद | साबरमती | 4135.36 | 4273.00 | 40.00 | | 10.00 | 24.00 | 8482.36 | 200.00 | 1187.00 | 9869.89 |
| (घ) | कर्नाटक | | | | | | | | | | | |
| 9. | शिमोगा | तुंगा (कृष्णा) | 187.99 | 324.45 | 2.40 | 6.00 | 120.00 | 4.80 | 644.84 | 12.50 | 90.28 | -747.62 |
| 10. | हरिहरा | तुंगभद्रा | 64.71 | 59.90 | 1.20 | 12.00 | 30.00 | 17.09 | 184.90 | 49.90 | 25.89 | 260.69 |
| 11. | भद्रावती | भद्रा (कृष्णा) | 81.32 | 63.05 | 1.20 | 6.00 | 225.00 | 12.03 | 388.60 | 39.80 | 54.40 | 282.80 |
| 12. | दवनगेर | तुंगभद्रा (कृष्णा) | 176.54 | 204.38 | | | 69.00 | 28.39 | 478.31 | 127.90 | 66.96 | 673.17 |
| 13. | के.आर. नगर | कावेरी | 45.34 | 14.64 | | 5.00 | 3.00 | 2.05 | 70.03 | 4.73 | 9.80 | 84.36 |
| 14. | कौल्लेगल | कावेरी | 33.54 | 8.75 | 1.20 | 5.00 | 15.00 | 0.31 | 63.80 | 1.75 | 8.93 | 74.48 |
| 15. | नानजंगुद | कावेरी | 72.35 | 37.60 | | | 30.00 | 5.63 | 145.58 | 18.00 | 20.38 | 183.96 |
| 16. | श्रीरंगपट्टन | कावेरी | 95.60 | 19.55 | 1.20 | 10.00 | 30.00 | 5.80 | 162.23 | 8.77 | 21.71 | 192.71 |
| | | | 757.47 | 732.32 | 7.20 | 44.00 | 522.00 | 75.30 | 2138.29 | 263.35 | 298.35 | 2699.79 |
| (ङ) | मध्य प्रदेश | | | | | | | | | | | |
| 17. | इन्दौर | खान | 584.60 | 2567.30 | 80.00 | 11.20 | 250.00 | 296.00 | 3789.30 | 120.00 | 530.46 | 4439.76 |
| 18. | उज्जैन | शिप्रा | 704.22 | 1028.60 | 11.20 | 263.22 | 191.67 | 90.00 | 2288.91 | 20.00 | 320.45 | 2629.36 |
| 19. | बुरहानपुर | ताप्ती | 151.75 | 180.00 | 6.00 | 50.00 | 50.00 | 38.30 | 476.05 | 10.00 | 66.65 | 552.70 |
| 20 | मण्डीदीप | बेतवा | | 90.00 | | 15.00 | 34.00 | 14.00 | 153.00 | | 21.42 | 174.42 |
| 21. | भोपाल | बेतवा | 60.00 | 60.00 | | | 32.00 | 37.60 | 189.60 | 30.00 | 26.54 | 246.14 |
| 22. | विदिशा | बेतवा | 225.00 | 110.40 | 4.00 | 24.00 | 30.70 | 33.90 | 428.00 | | 59.92 | -487.92 |
| 23. | जबलपुर | नर्मदा | 1011.00 | 104.21 | 3.00 | 45.88 | 41.40 | 65.00 | 1270.49 | 8.64 | 177.86 | 1456.99 |
| 24. | सेनाई | वैनगंगा | 42.61 | 35.57 | 0.80 | 8.21 | 15.00 | 17.46 | 119.65 | | 16.75 | 136.40 |
| 25. | छपरा | वैनगंगा | 21.00 | 4.77 | 0.60 | 7.50 | 12.42 | 8.07 | 54.36 | | 7.61 | 61.97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | केवलारी | वैनगंगा | 13.46 | 6.87 | 0.60 | 14.88 | 8.28 | 27.73 | 71.82 | | 10.05 | 81.87 |
| 27. | नागपुर | वम्बल | 220.15 | 66.00 | 2.50 | | 30.00 | 32.00 | 330.65 | 15.00 | 46.29 | 391.94 |
| | | | 3033.79 | 4253.92 | 108.70 | 439.89 | 675.47 | 660.06 | 9171.83 | 203.64 | 1284.00 | 10659.47 |
| (घ) महाराष्ट्र | | | | | | | | | | | | |
| 28. | कराड | कृष्णा | 742.50 | 373.00 | 10.00 | | 45.00 | | 1170.50 | 66.50 | 163.87 | 1400.87 |
| 29. | सांगली | कृष्णा | 318.84 | 960.96 | | | | | 1279.80 | 101.55 | 179.17 | 1560.52 |
| 30. | नासिक | गोदावरी | 3109.33 | 2231.25 | 25.00 | 241.00 | 156.45 | 114.00 | 5877.03 | 542.00 | 822.78 | 7241.81 |
| 31. | नान्देड़ | गोदावरी | 828.68 | 505.40 | 6.00 | | | | 1340.00 | 2.50 | 187.61 | 1530.19 |
| | | | 4999.35 | 4070.61 | 41.00 | 241.00 | 201.45 | 114.00 | 9667.41 | 712.55 | 1353.45 | 11733.39 |
| (ङ) उड़ीसा | | | | | | | | | | | | |
| 32. | कटक | महानदी लागत चौरे की प्रतीक्षा | | | | | | | 1330.00 | | 169.00 | 1469.00 |
| 33. | तालचर | ब्राह्मिणी | 38.00 | 276.00 | 40.00 | 25.00 | 40.00 | 207.50 | 626.50 | | 45.00 | 671.50 |
| 34. | चाँदबाली | ब्राह्मिणी | 40.15 | | 10.00 | 10.00 | 30.00 | | 90.15 | | 12.62 | 102.77 |
| 35. | खरशला | ब्राह्मिणी | 29.50 | | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 139.50 | 203.50 | | 38.00 | 241.50 |
| | | | 107.65 | 276.00 | 60.00 | 45.00 | 85.00 | 347.00 | 2220.00 | | 264.62 | 2484.77 |
| (च) पंजाब | | | | | | | | | | | | |
| 36. | लुधियाना | सतलज | 3150.11 | 7861.45 | 59.20 | | 720.00 | 171.64 | 11962.40 | 2785.00 | 1674.74 | 16422.14 |
| 37. | जालंधर | सतलज | 1366.39 | 2588.88 | 6.00 | | 300.00 | 14.80 | 4276.07 | 819.00 | 598.65 | 5684.72 |
| 38. | पशावाड़ | सतलज | 263.39 | 248.25 | 1.20 | | 96.00 | 5.72 | 614.56 | 52.00 | 86.25 | 752.60 |
| 39. | फिल्लौर | सतलज | 13.07 | 13.85 | 0.60 | | 24.00 | 1.24 | 52.76 | 18.00 | 7.39 | 78.15 |
| | | | 4792.96 | 10712.43 | 67.00 | | 1140.00 | 193.40 | 16905.79 | 3665.00 | 2366.82 | 22937.61 |
| (छ) राजस्थान | | | | | | | | | | | | |
| 40. | कोटा | वम्बल | 153.47 | 846.00 | 3.00 | 20.00 | 88.00 | 35.00 | 1145.47 | 7.50 | 160.36 | 1313.33 |
| 41. | केशवरायपट्टन | वम्बल | 19.40 | 18.00 | 1.20 | 5.00 | 10.00 | 12.50 | 66.10 | 5.00 | 9.25 | 80.35 |
| | | | 172.87 | 864.00 | 4.20 | 25.00 | 98.00 | 47.50 | 1211.57 | 12.50 | 169.61 | 1393.68 |
| (ट) तमिलनाडु | | | | | | | | | | | | |
| 42. | कुमारपलयम् | कावेरी | 134.80 | 343.00 | 1.00 | 12.00 | 19.50 | 10.75 | 521.05 | 30.00 | 72.95 | 624.00 |
| 43. | भवानी | कावेरी | 132.70 | 87.78 | 1.00 | 42.00 | 20.00 | 30.56 | 314.04 | 10.00 | 43.96 | 368.00 |
| 44. | इरोड | कावेरी | 818.18 | 491.16 | 1.00 | 12.00 | 20.00 | 19.94 | 1362.28 | 16.00 | 190.72 | 1569.00 |
| 45. | त्रिची | कावेरी | 355.00 | 156.00 | 1.00 | 35.00 | 40.00 | 13.00 | 600.00 | 6.00 | 84.00 | 690.00 |
| 46. | पालीपलयम् | कावेरी | 128.45 | 307.80 | 1.00 | 12.00 | 18.00 | 10.82 | 478.07 | 24.00 | 66.93 | 569.00 |
| | | | 1569.13 | 1385.74 | 5.00 | 113.00 | 117.50 | 85.07 | 3275.44 | 86.00 | 458.56 | 3820.00 |
| | कुल योग | | 21769.15 | 30347.52 | 496.50 | 1143.41 | 3130.42 | 1997.93 | 60184.43 | 5623.19 | 8391.41 | 74199.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| अ० एवं दि० | अवरोधन एवं दिशापरिवर्तन | स्थापना अनुसंधान एवं विकास और निगरानी कार्यों पर व्यय के लिए 5% जोड़े | 3009.22 |
| सी० उ० सं० | सीवेज उपचार संयंत्र | | |
| श० गृ० | शवदाहगृह | | |
| न० त० वि० | नदी तटाग्र विकास | कुल अनुमानित लागत | 77208.85 |
| अ० ला० स्व० | अल्प लागत स्वच्छता | (74199.63 +3009.22) | |
| विविध | वृक्षारोपण, ठोस अपशोध प्रबंध और जन-भागीदारी आदि | 50:50 के आधार पर राज्य का हिस्सा | 37099.82 |
| | | केन्द्र का हिस्सा | 40109.03 |

[हिन्दी]

## चीनी का आयात

**384. श्री जगमीत सिंह बराड़ :**
**श्री शिवशरण वर्मा :**
**श्री नवल किशोर राय :**
**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के पिराई के मौसम के दौरान और आज तक कितनी चीनी का आयात किया गया है;

(ख) प्रत्येक सरकारी उपक्रम के माध्यम से आयात की गई चीनी का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीनी के इस आयात से देश में चीनी की कीमतों पर नियंत्रण पाने हेतु कुछ सहायता मिली है;

(घ) यदि हां, तो यह सहायता किस सीमा तक मिली है;

(ङ) क्या सरकार के पास 1995-96 के दौरान चीनी के आयात हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो कितनी चीनी का आयात किए जाने की संभावना है ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह )** : (क) और (ख). भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० तथा भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० द्वारा 1994-95 के पेराई मौसम के दौरान आयातित चीनी की मात्रा निम्न प्रकार से है :-

मात्रा लाख टन में

| संस्था | मौसम | आयातित मात्रा |
|---|---|---|
| एस०टी०सी० | 1994-95 | 2.55 |
| एम०एम०टी०सी० | 1994-95 | 2.62 |
| | कुल | 5.17 |

(ग) और (घ). घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा चीनी के आयात से मूल्यों पर मामूली प्रभाव पड़ा।

(ङ) और (च). चालू मौसम की शुरूआत में जब निश्चित उत्पादन रुख का पता नहीं था, सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से चालू मौसम के दौरान चीनी उत्पादन के अनुमानित स्तर तक न आ पाने के कारण एस०टी०सी० तथा एम०एम०टी०सी० को चीनी आयात के लिए अग्रिम अनुबंध करने का निदेश दिया था। तथापि, उत्साहवर्द्धक उत्पादन रुख के संकेत को देखते हुए उच्चतर उत्पादन स्तर प्राप्त होने से सरकार ने अनुबंधित चीनी की अधिक से अधिक मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यथोचित मूल्य पर बेचने का फैसला किया है।

[अनुवाद]

## स्वयंसेवी संगठन

**385. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में संगठनात्मक सहायता से कितने स्वयंसेवी संगठन लाभान्वित हुए हैं;

(ख) वर्ष 1994 और 1995 में ऐसे संगठनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास कोई आवेदन मंजूरी के लिए लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इनकी मंजूरी में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## वनों में आग लगने की घटनाएं

**386. श्री संतोष कुमार गंगवार :**
**श्री बलराज पासी :**
**श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
**प्रो. प्रेम धूमल**
**डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
**श्री देवी बक्श सिंह**
**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
**श्री श्रीकान्त जेना :**
**श्री श्रवण कुमार पटेल :**
**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल से जून 1995 के दौरान उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पर्वतीय जिलों के जंगलों में असामान्य रूप से लगातार लगने वाली आग की घटनाओं का ब्यौरा क्या है और

इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो वनों और वन्य जीवों को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है, इनके कारण कितनी अनुमनित हानि हुई और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में चुने गए जनप्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ)**: (क) उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार क्रमशः 931 वर्ग कि. मी. 305 वर्ग कि. मी., 2.16 वर्ग कि. मी. और 47.5 वर्ग कि. मी. क्षेत्र में आग लगी है। आग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के चीड़ के वनों में लगीं। वनों में गिरी हुई चीड़ की पत्तियां अत्यधिक ज्वलनशील होती हैं क्योंकि उनमें लीसे की मात्रा होती है। स्थानीय लोग अपने मवेशियों के लिए ताजा घास प्राप्त करने के लिए चीड़ की पत्तियों में आग लगा देते हैं। आग उन ग्रामीणों और यात्रियों के कारण भी लग सकती हैं जो जलती हुई सिगरेट और बीड़ी के टुकड़ों को फेंक देते हैं। मंत्रालय के पास उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार आग वनों के भू-आवरण तक ही सीमित थी और उससे वन्यजीवों को कोई क्षति नहीं पहुँची। तथापि, क्षति का विस्तृत अनुमान वर्षा का मौसम समाप्त हो जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ख) से (ङ). सरकार ने 11-7-1995 को एक दो सदस्यीय दल नियुक्त किया है जिसमें श्री आर. पी. खोसला, भा. प्र. से. मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त) और श्री एस. परमेश्वरप्पा, भा.व.से., प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सेवानिवृत्त) शामिल हैं। यह दल वनों में लगी आग के कारणों, वन सम्पदा को पहुँची क्षति की मात्रा की जाँच करेगा और उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में भविष्य में वनों में आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कार्यनीति तैयार करेगा। इस दल से एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इस संबंध में माननीय संसद सदस्य लोक सभा श्री मानवेन्द्र शाह से एक अभ्यावेदन और अनुच्छेद 184/193 के तहत एक विशेष प्रस्ताव का नोटिस प्राप्त हुआ है।

## शिक्षण पद्धति

**387. श्री घोल्ला बुल्ली रामदास**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों द्वारा अपनायी गई शिक्षण पद्धति और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की संभावित योग्यता में व्यापक अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे में यथा सम्मिलित शैक्षिक लक्ष्यों द्वारा स्कूलों में शिक्षण के लिए अपनाई गई शिक्षा पद्धति निर्धारित की गई है तथा किसी विशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा के लिए रूप रेखा तैयार नहीं की गई है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

## कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

**388. श्रीमती सरोज दुबे :**
**श्री अमृतलाल कालिदास पटेल :**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंप्यूटरों द्वारा कुल कितने प्रतिशत आरक्षण किया जाता हैं;

(ख) देश के विभिन्न भागों में इस समय कार्यरत कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सह-बुकिंग कार्यालयों का स्थानवार और डिवीजनवार ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्य करने का समय क्या है;

(ग) 1995-96 और 1996-97 के दौरान खोले जाने वाले कंप्यूटरीकृत आरक्षण सह-बुकिंग कार्यालयों का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा;

(ङ) उन कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जहां वापसी और आगे की यात्रा के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है;

(च) सरकार द्वारा कंप्यूटरीकृत आरक्षण के लिए स्टेशनों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गये हैं;

(छ) क्या दक्षिण-मध्य रेलवे में सभी स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण शुरू किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ज) सरकार ने देश में सभी यात्रियों को कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा तथा तत्काल रेलवे बुकिंग प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

**रेल मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ)** : (क) लगभग 92%

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) लगभग 270.88 लाख रुपये।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) सामान्यतः ये सुविधाएं उन स्टेशनों पर मुहैया करायी जाती हैं जहां आरक्षण कार्यभार प्रतिदिन 300 या अधिक है। कुछ मामलों मे कतिपय अन्य कारकों को भी ध्यान में रखा जाता है जैसे नगर का राज्य की राजधानी होना, तीर्थयात्री या पर्यटक महत्व के प्रसिद्ध स्थान, बड़े औद्योगिक क्षेत्र आदि।

(छ) और (ज). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**विवरण**

(ख) देश के विभिन्न भागों में वर्तमान में कार्यरत कंप्यूटरीकृत आरक्षण और बुकिंग कार्यालय, स्थान-वार और मण्डलवार कार्य करने के उनके समय का विवरण :

**मध्य रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| भोपाल | भोपाल |
| इदीवगंज (सैट भोपाल) | भुसावल |
| भुसावल | भुसावल |
| नासिक | |
| नासिक सी.वी.ओ. (सैट नासिक) | |
| जलगांव | |
| खंडवा | |
| इटारसी | |
| अकोला | |
| मनमाड | |
| अमरावती | |
| बंबई वी.टी. | बम्बई |
| लोनालवा | |
| पुणे | |
| पुणे सी.वी.ओ. (सैट) | |
| कुर्ला टर्मिनस (सैट बंबई) | |
| थाणे (सैट बंबई) | |
| कल्याण (सैट बंबई) | |
| बलापुर (सैट बंबई) | |
| जबलपुर | जबलपुर |
| कटनी | |
| सतना | |
| झांसी | झांसी |
| ग्वालियर | |
| आगरा कैंट | |
| मुरैना | |
| मथुरा | |
| फरीदाबार | |
| नागपुर | नागपुर |
| शोलापुर | शोलापुर |
| गुलवग | |

**पूर्व रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| आसनसोल | आसनसोल |
| रानीगंज | |
| दुर्गापुर | |
| पटना | दानापुर |
| मडेन्द्रघाट (सैट पी.एन.वी.ई.) | |
| दानापुर | |
| धनबाद | धनबाद |
| न्यू कोयलाघाट | हवड़ा |
| ओल्ड कोयलाघाट (सैट हवड़ा) | |
| फेयरली प्लेस (सैट हवड़ा) | |
| हवड़ा (सैट) | |
| वाली (सैट हवड़ा) | |
| बोलपुर | |
| मालदा टाउन | माल्दा |
| भागलपुर | |

| | |
|---|---|
| जमालपुर | |
| मुगलसराय | मुगलसराय |
| गया | |
| सियालदह (सैट) | सियालदह |
| रवीन्द्रसदन (सैट हवड़ा) | |
| दम दम (सैट हवड़ा) | |
| विधाननगर (सैट हवड़ा) | |
| माजेरहाट (सैट हवड़ा) | |
| टालीगंज (-वही-) | |
| बालीगंज (-वही-) | |

**पूर्वोत्तर रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| मुजफ्फरपुर | सोनपुर |
| बरौनी | |
| समस्तीपुर | समस्तीपुर |
| गोरखपुर | गोरखपुर |
| काठगोदाम | इज्जतनगर |
| बस्ती | लखनऊ |
| गोंडा | |
| बादशाहनगर | |
| सीवान | वाराणसी |
| माऊ | |
| देवरिया सदर | |
| छपरा | |

**पूर्वोत्तर सीमा रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| न्यू अलीपुरद्वार | अलीपुरद्वार |
| न्यू कूच बिहार | |
| सिलीगुड़ी | |
| कटिहार | कटिहार |
| गुवाहाटी | लमडिंग |
| सिलचर | |
| डिब्रूगढ़ | |
| तिनसुकिया | तिनसुकिया |
| दीमापुर | |

**उत्तर रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| इलाहाबाद | इलाहाबाद |
| अलीगंज | |
| अम्बाला | अम्बाला |
| चंडीगढ़ | |
| कालका | |
| शिमला | |
| भटिंडा | |
| सहारनपुर | |
| बीकानेर | बीकानेर |
| दिल्ली कैंट (सैट) | |
| श्रीगंगानगर | |
| भिवानी | |
| हिसार | |
| नई दिल्ली आई.आर.सी.ए. | दिल्ली |
| दिल्ली मेन (सैट) | |
| निजामुद्दीन (सैट) | |
| सरोजनी नगर (सैट) | |
| कीर्तिनगर (सैट) | |
| शाहदरा (सैट) | |
| कड़कड़डुमा (सैट) | |
| नया आजादपुर (सैट नई दिल्ली) | |
| संसद भवन (सैट) | |
| आई.टी.बी. (सैट नई दिल्ली) | |
| मेरठ सिटी | |
| बड़ौदा हाऊस | |
| रेलवे बोर्ड | |
| गाजियाबाद (सैट नई दिल्ली) | |
| ओखला (सैट) | |
| फिरोजपुर | फिरोजपुर |
| जम्मू तवी | |
| लुधियाना | |
| अमृतसर | |
| जालधंर सिटी | |
| पठानकोट | |

| | |
|---|---|
| श्रीनगर | |
| जोधपुर | जोधपुर |
| लखनऊ | लखनऊ |
| वाराणसी | |
| कानपुर | |
| फैजाबाद | |
| रायबरेली | |
| मुरादाबाद | मुरादाबाद |
| हरिद्वार | |
| देहरादून | |
| बरेली | |

**दक्षिण मध्य रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| गुंतकल | गुंतकल |
| तिरूपति | |
| तिरूपति हिल्स (सैट तिरूपति) | |
| रायचूर | |
| हुबली | हुबली |
| मडगांव | |
| वास्को-दि-गामा | |
| मिरज | |
| सांगली | |
| कोल्हापुर | |
| बेल्लारी | |
| नंदिड | हैदराबाद |
| औरंगाबाद | |
| जालूना | |
| परभनी | |
| सिकन्दराबाद | सिकन्दराबाद |
| हैदराबाद (सैट एस.सी.) | |
| कांचीगुडा (-वही-) | |
| अमीरमेंट (-वहीं-) | |
| दारूल सफा (-वही-) | |
| बोई गुडा (-वही-) | |
| कुकटपल्ली (-वही-) | |
| डा. ए. एस. रोड़ (-वही-) | |
| सकरनगर (-वही-) | |
| काजीपेट | |
| खम्पाम | |
| वारंगल | |
| विजयवाड़ा | विजयवाड़ा |
| काकीनाडा टाऊन | |
| गुंतूर | |
| लेनाली | |
| नेल्लोर | |
| नरसापुर | |
| भीमावरम टाऊन | |
| ओंगोल | |
| राजामुन्द्री | |

**दक्षिण पूर्व रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| बोकारो | आद्रा |
| पुरूलिया | आद्रा |
| रांची | |
| विलासपुर | विलासपुर |
| दुर्ग | |
| रायपुर | |
| टाटानगर | |
| राउरकेला | |
| चक्रधरपुर | चक्रधरपुर |
| खड़गपुर | खड़गपुर |
| भुवनेश्वर | खोरधा रोड़ |
| कटक | |
| पुरी | |
| ब्रह्मपुर | |
| संबलपुर | संवलपुर |
| वाल्तेरू | विशाखपत्तनम |

**दक्षिण रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| बेंगलूर सिटी | बेंगलूरू |

| | |
|---|---|
| बेंगलूरू कैंट (सैट) | |
| मद्रास मूर मार्किट | मद्रास |
| एग्मूर (सैट मद्रास) | |
| मम्बलम (-वही-) | |
| मद्रास बीच (-वही-) | |
| ताम्बरम (-वही-) | |
| आवड़ी (-वही-) | |
| चिदम्बरम | |
| काटपाडि/वेल्लूर टाउन | |
| मदुरै | मदुरै |
| तिरूनेलवेली/तूतीकोरिन | |
| विंडीगुल | |
| रामेश्वरम | |
| विरूदुनगर | |
| मैसूर | मैसूर |
| पालघाट | पालघाट |
| मंगलौर | |
| कण्णानोर | |
| कालीकट | |
| कोल्लन | |
| कोयम्बतूर | |
| कोयम्बतूर नार्थ (सैट) | |
| सेलम | |
| इरोड़ | |
| तेल्लीचेरी | |
| तिरूप्पुर | |
| त्रिची | त्रिची |
| पांडिचेरी | |
| कुंभकोणम | |
| मयिलादुतुरै | |
| नागपटिनम/नागौर | |
| तंजावुर | |
| तिरूवनन्तपुरम | तिरूवनन्तपुरम |
| एर्णाकुलम | |
| त्रिचूर | |
| अलवाय | |
| कोट्टायम | |
| चेंगानूर | |

**पश्चिम रेलवे**

| स्थान | मंडल |
|---|---|
| अजमेर | अजमेर |
| न्यू भुज | |
| गांधी धाम | |
| आबू रोड़ | |
| उदयपुर सिटी | |
| फालना | |
| राजकोट | राजकोट |
| जामनगर | |
| भावनगर | भावनगर |
| चर्च गैट (सैट बंबई) | बम्बई |
| बम्बई सैन्ट्रल (-वही-) | |
| अन्धेरी (-वही-) | |
| बोरीवली (-वही-) | |
| सूरत (-वही-) | |
| जयपुर | जयपुर |
| अलवर | |
| कोटा | कोटा |
| आगरा फोर्ट | |
| रतलाम | रतलाम |
| उज्जैन | |
| इन्दौर | |
| बडोदरा | बड़ोदरा |
| पद्मावती सी.बी.ओ. (सैट बी.आर.सी.) | |
| प्रतापनगर (-वही-) | |
| अहमदाबाद | |
| गांधी नगर (सैट अहमदाबाद) | |
| मनीनगर (-वही-) | |
| गांधीग्राम (-वही-) | |
| आणंद | |

सामान्यतः भारतीय रेलों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय सोमवार से शनिवार तक सुबह 8.00 बजे से सांय 8.00 तक और रविवार को सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक कार्य करते

हैं। बहरहाल, कुछ स्थानों पर ये समय स्थानीय स्थितियों के अनुकूल आशोधित किए गए हैं।

(ग) 1995-96 और 1996-97 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित कंप्यूटरीकृत आरक्षण-और-बुकिंग कार्यालयों का स्थानवार और राज्य-वार ब्यौरा ।

1996-97 के लिए किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है; 1995-96 की वार्षिक योजना में अनुमोदित किए गए कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों का विवरण नीचे दिया गया है :

**मध्य रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| राजा की मण्डी यात्री आरक्षण प्रणाली (सैट) | उत्तर प्रदेश |
| मदन महल या.आ.प्र. (सैट) | मध्य प्रदेश |
| चिचंवाड या.आ.प्र. (सैट) | महाराष्ट्र |
| बेलापुर या.आ.प्र. (सैट) | महाराष्ट्र |
| बंबई हवाई अड्डे पर या.आ.प्र. | महाराष्ट्र |

**पूर्व रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| कलकत्ता हवाई अड्डे पर या.आ.प्र. | पश्चिम बंगाल |
| कलकत्ता में 5 सेटेलाइट स्थानों पर या.आ.प्र. | |
| (शेवड़फूली, चौरंगी, जादवपुर, बाग बाजार, साल्ट लेक) | |
| दो पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में | |
| या.आ.प्र. टर्मिनल | मेघालय |
| (शिलांग, पोर्ट ब्लेयर) | अंडमान निकोबार |

**पूर्वोत्तर रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| मण्डुआडीह में या.आ.प्र. | उत्तर प्रदेश |

**उत्तर रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| पटियाला में या.आ.प्र. | पंजाब |
| मसुरी सी.बी.ओ. में या.आ.प्र. | उत्तर प्रदेश |
| दिल्ली हवाई अड्डे पर या.आ.प्र. | दिल्ली |
| श्रीनगर में या.आ.प्र. | जम्मू और कश्मीर |

**दक्षिण मध्य रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| थिरूमाला हिल्स सी.बी.ओ. में या आ. प्र. | आन्ध्र प्रदेश |
| एक अतिरिक्त सी.बी.ओ. में या आ. प्र. | |
| काकीनाडा सी.बी.ओ. में या.आ.प्र. | |
| हैदरराबाद हवाई अड्डे पर या.आ.प्र. की व्यवस्था। | |

* इनमें से कुछ कार्यों की समीक्षा होने की आशा है जो कि व्यवहार्यता और अन्य संबंधित पहलुओं पर निर्भर करेगा।

**दक्षिण रेलवे**

| स्थान | राज्य |
|---|---|
| मद्रास हवाई अड्डे पर टर्मिनल की व्यवस्था | तमिलनाडु |
| मद्रास में सेटेलाइट स्थान (3) | -वहीं- |
| सलेम टाऊन या.आ.प्र0 (सैट) | -वहीं- |
| गुरूवायुर में या.आ.प्र. की व्यवस्था | केरल |
| कोचीन हार्बर टर्मिनल या.आ.प्र. (सैट) | -वहीं- |
| 2 बंगलौर में सैटेलाइट स्थान | कर्नाटक |

(ङ) उन कार्यालयों के ब्यौरे जहां पर वापसी और आगे की यात्रा आरक्षण सुविधा उपलब्ध है :-

किसी विशेष कंप्यूटर प्रणाली (दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास आर सिंकदराबाद प्रणालियों में से) से जुड़े स्थानों पर उसी आरक्षण प्रणाली से जुड़े किसी भी स्टेशन से वापसी और आगे की यात्रा आरक्षण प्राप्त करने की सुवधिा उपलब्ध है। दूसरी प्रणालियों से वापसी और आगे का यात्रा आरक्षण मुहैया कराने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं विद्यमान हैं:

(1) वे स्थान जहाँ कंप्यूटरीकृत वापसी और आगे की यात्रा आरक्षण सुविधा उपलब्ध है :-

| स्थान/स्टेशन | वह प्रणाली जहां से कुछ कंप्यूटर टर्मिनलों पर सुविधा उपलब्ध है |
|---|---|
| मद्रास मूर मार्केट | बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सिंकदराबार |
| बेंगलूरू सिटी | -वही- |
| त्रिवेन्द्रम | -वही- |
| एणांकुलम | बंबई |
| न्यू कोइलाघाट | दिल्ली, बंबई, मद्रास, सिंकदराबाद |
| ओल्ड कोइलाघाट | -वहीं- |
| फेअरली प्लेस | दिल्ली, बंबई |

| | |
|---|---|
| पटना | मद्रास, दिल्ली |
| विशाखापट्टनम | मद्रास, सिकन्दराबाद |
| भुवनेश्वर | मद्रास, बंबई, दिल्ली |
| बंबई सैण्ट्रल | दिल्ली, मद्रास, सिकंदराबाद |
| चर्चगेट | दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता |
| पुणे | दिल्ली, मद्रास, सिंकदराबाद |
| बम्बई वी.टी. | हवड़ा, दिल्ली, मद्रास और सिकन्दराबाद |
| अहमदाबाद | -यथोक्त- |
| गुवाहाटी | बम्बई, मद्रास, दिल्ली |
| सिंकदराबाद | मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता |
| हैदराबाद | -यथोवत- |
| काचेगुड़ा | मद्रास, बम्बई |
| आई.आर.सी.ए. | बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सिंकदराबाद |
| लखनऊ | -यथोक्त- |
| दिल्ली मेन | बम्बई, कलकत्ता, मद्रास |
| सरोजनी नगर | -यथोक्त- |
| वाराणसी | -यथोक्त- |
| जम्मूतवी | कलकत्ता और मद्रास |
| इलाहाबाद | बम्बई, कलकत्ता, मद्रास |
| गोरखपुर | बम्बई, सिकन्दराबाद |
| देहरादून | बम्बई, |
| जयपुर | बम्बई |
| भोपाल | बम्बई |
| सुरत | मद्रास |
| बड़ौदरा | दिल्ली |
| इन्दौर | -यथोक्त- |
| थाणे | -यथोक्त- |
| बोरीवली | -यथोक्त- |
| भुसावल | -यथोक्त- |
| कल्याण | -यथोक्त- |
| जबलपुर | -यथोक्त- |
| नागपुर | दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, सिकन्दराबाद |
| कोल्हापुर | बम्बई |
| वास्को-डि-गामा | -यथोक्त- |
| मड़गाव | -यथोक्त- |
| सांगली | -यथोक्त- |
| मिरज | -यथोक्त- |
| नांदेड़ | -यथोक्त- |
| औरंगाबाद | -यथोक्त- |
| गुंतकल | -यथोक्त- |
| रायचूर | -यथोक्त- |
| तिरूपति | मद्रास |
| विजयवाड़ा | बम्बई, मद्रास, कलकत्ता |
| हुबली | बम्बई, मद्रास |

(2) वे स्थान जहां पर यह सुविधा ऑन-लाइन कंप्यूटरीकृत डाटा स्विचिंग टर्मिनल के जरिए मुहैया कराई जाती है और आरक्षण स्थिति को कोरी टिकट पर्ची पर रिकार्ड किया जाता है:-

| | |
|---|---|
| मदुरै | बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, सिंकदराबाद, बी.पी.टी. पर |
| तिरूचिरापल्ली | -यथोक्त- |
| कालीकट | -यथोक्त- |
| कण्णनोर | -यथोक्त- |
| कोयम्बटूर | -यथोक्त- |
| मैसूर | -यथोक्त- |
| त्रिचूर | -यथोक्त- |

(3) भारतीय रेलों पर ऑटोमैक्स सुविधा वाले स्थानों की सूची :

| | |
|---|---|
| पालघाट | गुंतकल |
| काजीपेट | गुंतूर |
| मिरज | वास्को-डि-गामा |
| आसनसोल | विलुपुरम |
| एर्णाकुलम | धनबाद |
| मंगलौर | दानापुर |
| कोयम्बतूर | सियालदह |
| तिरूवनन्तपुरम | हवड़ा |
| कोटा | रतलाम |
| मुगलसराय | झोरधा रोड़ |
| माल्दा टाउन | आद्रा |
| राजकोट | नागपुर |
| विजयवाड़ा | चक्रधरपुर |
| हुबली | विलासपुर |
| विशाखापत्तनम | भुसावल |
| राजामुन्द्री | झांसी |

| | |
|---|---|
| नेल्लोर | शोलापुर |
| अजमेर | मनमाडी |
| भरूच | जबलपुर |
| औरगाबाद | देवलक्ली |
| पोरबंदर | नासिक |
| जयपुर | भावनगर |
| गोधरा | इन्दौरा |

## इन्दौर शहर और शिप्रा नदी

**389. श्री फूलचन्द वर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्दौर पर्यावरण सुधार परियोजना तथा शिप्रा नदी प्रदूषण नियंत्रण योजना सरकार को भेजी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में देरी के क्या कारण हैं?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) से (ग). जी, हाँ। इन्दौर में सान तथा उज्जैन में शिप्रा नदियों के प्रदूषण निवारण के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार से परामर्श करके इनकी जांच करने के बाद इन्हें राष्ट्रीय नदी संरक्षण योनजा में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा 3 जुलाई, 1995 को अनुमोदित कर दी गई। इन्दौर में 183 गन्दी बस्तियों में आधारभूत प्राथमिक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ओरसीज डेवपलमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ.डी.ए.) यू.के. के सहयोग मे हैबिटेट इम्प्रूवमेंट प्राजेक्ट नामक एक अन्य परियोजना वर्ष 1989-90 से लागू की जा रही है। यह परियोजना इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

**[अनुवाद]**

## आन्ध्र प्रदेश में वन संरक्षण

**390. श्री एस.एस. लालजान बाशा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 और 1996-97 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में वनीय क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु कुछ कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कुछ विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):** (क) और (ख). केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की स्कीमों के तहत् प्रतिवर्ष वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं। केन्द्र और राज्य योजनाओं में उपलब्ध समग्र धनराशियों को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सहित देश में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों में तेजी लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये कार्यकलाप राज्य वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की विभिन्न स्कीमों तथा केन्द्र सरकार की स्कीमों के अन्तर्गत चलाए जाते हैं। इनमें पर्यावरण और वन मंत्रालय की एकीकृत वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम, ईधन लकड़ी तथा चारा परियोजना स्कीम, इमारती लकड़ी से इतर वनोपज स्कीम तथा हवाई बीजारोपण स्कीम; ग्रामीण विकास मंत्रालय की एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम तथा सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम; कृषि मंत्रालय की नदी घाटी परियोजना के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की स्कीम आदि शामिल हैं। इसी तरह राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत् भी वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

(ग) और (घ). उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत् केन्द्र और राज्य योजनाओं में प्रत्येक वर्ष उपलब्ध धनराशि के आधार पर प्रतिवर्ष लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 में आन्ध्र प्रदेश के लिए 45000 हैक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण कार्य पूरा किए जाने और 1100 लाख पौद का वितरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1996-97 के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

**[हिन्दी]**

## भारतीय खाद्य निगम एकक

**391. श्री एन.जे. राठवा :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय खाद्य निगम के राज्य वार और स्थान-वार तथा विशेषरूप से गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में वर्तमान समय में कुल कितने एकक है;

(ख) क्या इन एककों की दशा बदतर होती जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके राज्य-वार कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन एककों की स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)** : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 1.6.1995 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध अपने और किराये के विभिन्न प्रकार के गोदामों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का स्थानवार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

| क्रम सं. | स्थान | राजस्व जिला | गोदामों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | भौमैया | पंचमहल | 1 |
| 2. | गोधरा | पंचमहल | 1 |
| 3. | वलसाड | वलसाड | 1 |
| 4. | सुरेन्द्र नगर (बढ़वान) | सुरेन्द्र नगर | 1 |
| 5. | पालनपुर | बनासकांठा | 1 |
| | **जोड़ :** | | **5** |

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गोदामों की स्थिति का जायजा लेने के लिए भारतीय खाद्य निगम के इंजीनियरी कार्मिकों द्वारा नियमित आवधिक निरीक्षण किए जाते हैं। गोदामों को जहां कहीं आवश्यक होता है वहां समय पर मरम्मत और अनुरक्षण कर भण्डारण योग्य बनाए रखा जाता है।

**विवरण**

**भारतीय खाद्य निगम के पास 1.6.95 को स्थिति के अनुसार उपलब्ध विभिन्न प्रकार के गोदामों (अपने और किराये सहित) के राज्यवार ब्यौरे**

| क्र.स. | राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम | गोदामों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1. | बिहार | 66 |
| 2. | उड़ीसा | 46 |
| 3. | पश्चिम बंगाल | 79 |
| 4. | सिक्किम | 3 |
| 5. | असम | 43 |
| 6. | अरूणाचल प्रदेश | 3 |
| 7. | त्रिपुरा | 7 |
| 8. | मणिपुर | 3 |
| 9. | नागालैण्ड | 5 |
| 10. | मिजोरम | 5 |
| 11. | मेघालय | 6 |
| 12. | दिल्ली | 10 |
| 13. | हरियाणा | 142 |
| 14. | हिमाचल प्रदेश | 17 |
| 15. | जम्मू और कश्मीर | 16 |
| 16. | पंजाब | 544 |
| 17. | चण्डीगढ़ | 17 |
| 18. | राजस्थान | 125 |
| 19. | उत्तर प्रदेश | 292 |
| 20. | आन्ध्र प्रदेश | 172 |
| 21. | केरल | 32 |
| 22. | कर्नाटक | 40 |
| 23. | तमिलनाडु | 32 |
| 24. | पांडिचेरी | 3 |
| 25. | गुजरात | 55 |
| 26. | महाराष्ट्र | 67 |
| 27. | गोवा | 1 |
| 28. | मध्य प्रदेश | 177 |
| | **जोड़ :** | **2008** |

[अनुवाद]

**राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर उपरिपुल**

**392. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर खगरा, किशन गंज के पास रेलवे उपरिपुल परियोजना के कार्य में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना की नवीनतम आंकलित लागत क्या है तथा इसमें से रेलवे, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार कितना-कितना हिस्सा वहन करेगी;

(घ) क्या परियोजना को चालू वर्ष की कार्ययोजना में शामिल किया गया है अथवा शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) से (ग). जी नहीं, ''सामान्य व्यवस्था'' को अंतिम रूप दिए जाने पर किशनगंज में एक ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के कार्य के लिए 7.57 करोड़ रु0 राशि का, जिसमें से रेलवे का भाग 3.78 करोड़ रु0 है, आरेखण अनुमान राज्य सरकार को जुलाई, 1995 में भेज दिया गया है।

(घ) और (ङ). पूर्वापेक्षित औपचारिकताओं जैसे कि अनुमान की स्वीकृति, संपर्क-मार्गों के लिए भूमि का अधिग्रहण आदि.को राज्य सरकार द्वारा पूरा कर लिए जाने के बाद, इस कार्य को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण**

**393. श्री डी. वेंकटेश्वर राव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए वैधानिक दायित्व के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण कोटा निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस दस में से नौ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने इन सिफारिशों को समुचित ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उच्च अधिकार प्राप्त समिति की अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा)** : (क) से (घ). उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

**दुग्ध पाउडर का निर्यात**

**394. श्री दत्ता मेघे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दुग्ध पाउडर का निर्यात करता है;

(ख) यदि हाँ, तो गत दो वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में दुग्ध पाउडर का निर्यात किया गया; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई ?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : (क) से (ग). अप्रैल, 1993 से जनवरी 1995 के दौरान निर्यात किए गए दूध की मात्रा तथा क्रीम युक्त चूर्ण दाने अथवा अन्य ठोस रूप में युकत शक्कर सहित अथवा शक्कर युक्त अन्य मीठे पदार्थ को दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है :-

| मात्रा मीटरी टन में (अनन्तिम) | मूल्य (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|
| 8101 | 32.80 |

[अनुवाद]

**पंचवर्षीय ''टैक्स होलिडे स्कीम''**

**395. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पत्तनों और राजमार्गों की तरह विभिन्न परिवहन क्षेत्र परियोजनाओं में लागू पंचवर्षीय टैक्स होलिडे स्कीम को लागू करने की मांग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या ठोस निर्णय लिया गया है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ.)** : (क) और (ख). जी हॉ0 वित्त विधेयक, 1995 के अनुसार पंचवर्षीय कर मुक्त योजना रेलों में किए जाने वाले निवेशों पर भी लागू है।

**माल ढुलाई और यात्री यातायात**

**396. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के राजस्व में माल ढुलाई और यात्री यातायात का क्रमशः कितना-कितना योगदान है;

(ख) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए लगातार समीक्षा की जा रही है;

(ग) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के गुन्टूर नामक स्थान पर केवल माल कारगो और इसकी ढुलाई के लिए ही एक पृथक निदेशालयों स्थापित किया जायेगा; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ)** : (क) पिछले तीन वर्षो के दौरान दक्षिण मध्य रेलवे के राजस्व में माल और यात्री यातायात के अंशदान का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये में)

| वर्ष | यात्री आमदनी | माल यातायात से आमदनी |
|---|---|---|
| 1992-93 | 402.07 | 1047.76 |
| 1993-94 | 438.43 | 1246.60 |
| 1994-95 | 488.31 | 1324.63 |

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहु-माडल माल यातायात के लिए गुंटूर में अनेक वर्षो से भारतीय कंटेनर निगम, जो रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, का एक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो कार्य कर रहा है।

**सुपर बाजार**

**397. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री सुपर बाजार के बारे में 9 अगस्त, 1994 और 20 दिसम्बर, 1994 के अतरांकित प्रश्न संख्या क्रमशः 2357 और 2048 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण ने इस बीच इस मामले के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुपर बाजार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण की राय प्राप्त होने पर कानून के तहत यथा अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।

---

**12.00 मध्यान्ह**

**[अनुवाद]**

## कैदियों को चिकित्सा सहायता देने के बारे में

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि हम एक के बाद एक मामला उठा सकते हैं। कल श्री चेन्नित्तला बोल रहे थे। मैं अब उन्हें बोलने की अनुमति दूँगा।

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री कालका दास (करोलबाग)** : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली रेंट कंट्रोल बिल के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : हम इन्हें एक के बाद एक उठायें।

**..... (व्यवधान)**

**श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम)** : अध्यक्ष महोदय, श्री राजन पिल्लई की अचानक हुई मौत से सारा देश स्तब्ध रह गया है, श्री राजन पिल्लई हमारे देश के एक युवा और उदीयमान व्यवसायी थे। उन्होंने भारत में कोई अपराध नहीं किया था। यदि उन्होंने कोई

अपराध किया भी था तो यह कोई आपराधिक प्रकृति का नहीं था परन्तु यह एक आर्थिक अपराध था और वह भी देश के बाहर किया गया था अर्थात सिंगापुर में। वह न्याय पाने के लिए भारत आए थे। उन्हें लीवर की बीमारी थी और वह उचित चिकित्सा के लिए बार-बार अनुरोध कर रहे थे। मैं हमारी न्यायपालिका पर कोई आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। **

**अध्यक्ष महोदय** : यह रिकार्ड का भाग नहीं बनेगा।

**श्री रमेश चेन्नित्तला** : महोदय, हर व्यक्ति चिकित्सा पाने का हकदार है और हमारे देश के सभी लोगों को प्राकृतिक न्याय दिया जाना चाहिए। लेकिन उन्हें चिकित्सा नहीं दी गई और उनके साथ तिहाड़ जेल में अमानवीय व्यवहार किया गया। तिहाड़ जेल में क्या हो रहा है ? तिहाड़ जेल भारत के मध्य में एक जंगल बन गया है। श्री राजन पिल्लई की मृत्यु के बाद वहाँ तीन कैदियों की मृत्यु हो गई थी। एक औरत जो वहां गर्भवती हो गई थी उसने पिछले एक साल से अपने पति को नहीं देखा था। इस तिहाड़ जेल में यह भी हुआ था। तिहाड़ जेल की दशा बड़ी खराब है और वहाँ अनेक घटनाएं हो रही हैं। तिहाड़ जेल के अधिकारी कैदियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव कर रहे हैं।

इसलिए मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले श्री राजन पिल्लई की अचानक मृत्यु के बारे में गृह मंत्री जी एक वक्तव्य दें, दूसरा, गृह मंत्रालय की स्थाई समिति की एक उप-समिति को तिहाड़ जेल में व्याप्त शोचनीय दशा देखने के लिए वहां जाना चाहिए और वहां की स्थिति का आकलन करना चाहिए जिसमें कैदियों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है ताकि इस तरह की घटनाएं भारत की राजधानी में स्थिति तिहाड़ जेल जैसे जेल में न हों।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूँ कि हम कुछ मामलों में चर्चा कर सकेगें। हम उन्हें एक के बाद एक उठायें, मैं अब श्री कुरियन को अनुमति दे रहा हूँ।

**श्री पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा)**: मानवीय अध्यक्ष महोदय, मैं, बड़े दुख के साथ इस मामले को उठा रहा हूँ। भारत के संविधान में हमारे नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए है। 'जीने का हक' एक ऐसा मौलिक अधिकार है और इसलिए चिकित्सा सहायता का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया है। चिकित्सा सहायता न देना 'जीने के हक' से वंचित करना है और इसलिए यह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। मैं इसी संदर्भ में मामले को उठा रहा हूँ।

महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री रमेश चेन्नित्तला ने श्री राजन पिल्लई के मामले पर चर्चा की थी इसलिए मैं इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ। श्री राजन पिल्ले ने इस देश में कोई अपराध नहीं किया था। उसने एक छोटा अपराध भी नहीं किया था। उसने कुछ ऐसा काम किसी अन्य देश में किया था जो वहां के कानून के अनुसार अपराध था। वह इस देश में आये तो उन्होंने उसे वापस उस देश में भेजने के लिए कहा था। हमें ऐसा करना चाहिए था। मैं उससे सहमत हूँ। प्रत्यार्पण न्यायालय की स्थापना की गई थी और वहां उस पर मुकद्मा चला था। मैं न्यायालय की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँग। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि न्यायालय अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है कि उसे वापस उस देश में वापस भेजा जाए या नहीं.....**

**अध्यक्ष महोदय** : इसको उठाया नहीं जा सकता है, अन्यथा इससे अन्य बातें उठानी शुरू हो जाएंगी।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : महोदय....**

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी सभी बातें जो कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जा सकती, उन्हें नहीं लिया जाएगा।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : महोदय, मैं आपसे सहमत हूँ, मुझे सुनने के बाद यदि कोई और बात है.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह आपको सुनने के बाद कह रहा हूँ।

**प्रो० पी.जे. कुरियन** : महोदय, जो असंसदीय है, उसे आप हटा सकते हैं। परन्तु मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि एक न्यायालय भी इस मामले में विधि विरुद्ध कार्य कर सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : मैं यही कर रहा हूँ। इसलिए में देश के सर्वोच्च मंच पर अपनी बात कर रहा हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : यह अपीलीय न्यायालय नहीं है।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : महोदय, यह देश का सर्वोच्च मंच है जहां मैं अपनी शिकायतों को रख सकता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप इसके परिणामों को समझिए।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : महोदय, मैं तर्क देने में नहीं पड़ना चाहता। कृपया मुझे अपनी बात कहने दें। यहाँ प्रश्न चिकित्सा सहायता का है जो उन्हें नहीं दी गई जबकि इसके लिए उनके वकील और पत्नी ने बहुत अनुरोध किया था और न्यायालय में रिकॉर्ड भी दिखाए गए थे कि इस व्यक्ति को लीवर की बीमारी है। इन सबके बावजूद उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं दी गई जो कि एक अविश्वसनीय और अकल्पनीय बात है। मैं नहीं समझ सकता कि यह कैसा संवेदनाशून्य कार्य है। इसलिए मैं इस मामले को उठा रहा हूँ।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

महोदय, तिहाड़ जेल के प्राधिकारियों ने बहुत ही निर्दयता से व्यवहार किया। उन्होंने ऐसे व्यक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया जो लीवर की बीमारी से मर रहा है। श्री राजन पिल्लई की पत्नी और उसके वकील के अनेक अनुरोधों के बावजूद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उनकी जांच के लिए डाक्टर तक को बुलाने की परवाह नहीं की। क्या ऐसे कृत्य के लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए?

महोदय, और केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उनके प्रत्यर्पण में अति उत्साह दिखाया। विभिन्न देशों में हमारे अनेक दुर्दान्त आंतकवादी हैं। हम उनके प्रत्यर्पण के लिए कह रहें हैं। लेकिन हमें नहीं मिल रहे हैं। जब सिंगापुर ने उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा तो उनका प्रत्यर्पण करने में अति उत्साह दिखाया गया। यह उत्साह कहां से आया? मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई निहित स्वार्थ कार्य कर रहा था और निहित हितों के बीच कोई टकराव है, हो सकता है ऐसा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के कारण हो; मैं नहीं जानता। यह गृह मंत्री महोदय पर है - वह यहां बैठे हैं - कि वह यह पता लगाएं कि निहित स्वार्थ क्या है और उनके प्रत्यर्पण में ऐसी जल्दबाजी और गलत ढंग से कार्य करने के क्या कारण हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जब ऐसे मामलों को बहुत अधिक प्रचार दिया जाता है तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। हमें यह बात समझनी चाहिए।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : यह प्रचार का प्रश्न नहीं है, यह हर भारतीय नागरिक को आन्दोलित कर रहा है। मैं केरल से आ रहा हूँ और इस मामले पर वहाँ हर कोई उत्तेजित है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने जो कुछ कहा है आप उसे समझे नहीं हैं। आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

**प्रो. पी.जी. कुरियन** : महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊँ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना वक्तव्य समाप्त करें।

**प्रो. पी.जे. कुरियन** : ठीक है, महोदय, मैं ऐसा करूँगा । मैं आपके माध्यम से सरकार और गृह मंत्री से केवल अनुरोध कर रहा हूँ कि कार्यवाही की जानी चाहिए और उन सबको कड़ा दंड दिया जाना चाहिए जिन्होंने गलती की है और जिन्होंने इस मामले में सांठ-गांठ से काम किया है। मैं आपसे अनुरोध भी कर रहा हूँ कि ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे ऐसी घटनाएं फिर नह हों।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने यह बातें पहले ही कह दी हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)** : अध्यक्ष महोदय, इस पर बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था।

**[अनुवाद]**

**श्री ई. अहमद (मंजेरी)** : महोदय, जनता के मन में कुछ संदेह है। राजन पिल्लई की मौत के बारे में लोगों के मन में संदेहों को दूर करना होगा।

**[हिन्दी]**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : इस सारे दुर्भाग्यपूर्ण मामले को यह उत्तर और दक्षिण का रूप नहीं दिया जाना चाहिये। केरल के सदस्यों की भावनायें हम समझते हैं और हम भी उसमें भागीदार हैं। श्री राजेन्द्र पिल्लई की जिस तरह से मृत्यु हुई, उससे सारे देश को धक्का लगा है। हमारी व्यवस्था में जो विसंगतियां हैं, वे मानो उद्भासित होकर वहाँ प्रकट हो गई। एक विसंगति का आपने उल्लेख किया है कि समाचार पत्रों के द्वारा जो प्रचार हुआ वह भी असर करता है। संसद के सदस्य किसी मामले को जिस तरह से लेते हैं वह भी तो प्रभाव छोड़ता है। विसंगतियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि पता नहीं किसके खिलाफ आरोप थे। वह कोई अभियुक्त तो नहीं था। कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। आरोप थे। उन आरोपों के कारण, आरोप आर्थिक थे, वह जमानत नहीं पा सका....**(व्यवधान)** उसका ठीक तरह से इलाज नहीं हुआ और दूसरी तरफ विसंगतियों का यह नतीजा है कि जिस पर हत्या का आरोप है, वह अदालत से जमानत पाने में सफल हो गया। दो ध्रुवों पर मानो हमारा यह देश खड़ा हुआ है। दोनों ध्रुव ऐसे हैं, जो सारे सदन के लिए चिन्ता का विषय होने चाहिए। हम केरल के मित्रों की भावनाओं के साथ अपने को सहभागी बनाना चाहते हैं। हमें मालूम है, केरल में इस बात को लेकर बहुत व्यापक जन-भावनायें तीव्र हो गई है। हम जरा व्यवस्था में गहराई से जाकर देखें कि इस तरह की घटनायें फिर से न होने पायें। इस दिशा में अगर कदम उठा सकें, तो फिर मैं समझूगां कि शायद हमने कोई सही फैसला किया है .. ...**(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री कोड़ीकुन्नील सुरेश (अडूर)** : मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ....**(व्यवधान)**

**श्री ई० अहमद** : मैं एक बात कहना चाहता था। मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को इसे एक साधारण मामला नहीं समझना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : यह आपका मामला है जिसका समर्थन अन्य दलों के नेता कर रहे हैं। आपको इस पर प्रसन्नता होनी चाहिए। कृपया इस बारे में केवल कहानी में ही आनन्द नहीं लेना चाहिए। आपको समर्थन लेने में आनन्द लेना चाहिए.... **(व्यवधान)**

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ हुआ वह एक दुःखद घटना है - स्वभावतः यह हिरासत में रहते हुए इलाज न मिलने के कारण हुई मौत है - और इस बारे में कोई संदेह नहीं है। ऐसी सही धारणा है कि उसे उचित डाक्टरी चिकित्सा नहीं दी गई । यह ऐसी बात है जिसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह हिरासत में कैदियों को सभी आवश्यक डाक्टरी चिकित्सा उपलब्ध कराए। श्री पिल्लई के मामले में उन्हें प्रत्यर्पण कार्यवाही चलने के कारण हिरासत में रखा हुआ था।

महोदय, जैसा कि वाजपेयी जी ने सही कहा है कि अनेक मामलों में हम जानते हैं कि अमीर लोग नर्सिंग होम में रहते हैं जबकि उन्हें जेल में होना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि न्यायाधीशों के पास कोई तंत्र होना चाहिए। इस मामले में, मैं महसूस करता हूँ कि घटनाओं ने यह सिद्ध किया है कि एक गलत आर्डर दिया गया था, हमें इसके लिए किसी न्यायिक अधिकारी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। स्पष्टतः घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह गलत आर्डर था; उन्होंने बीमारी की गंभीरता का सही आकलन नहीं किया। इसलिए हम समझते हैं कम से कम मैं समझता हूँ कि जो रोगी अथवा कैदी ऐसा इलाज करने के लिए कहता है तो इसकी जांच के लिए इलाज तुरन्त उपलब्ध करना चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि क्या बीमारी का प्रमाणपत्र वास्तविक है। क्या किसी अच्छे डाक्टर, विशेषज्ञ ने किसी अस्पताल में तुरन्त इलाज या इस तरह का कोई अन्य कार्य करने के लिए समुचित सिफारिश की है परन्तु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता; हमें अवश्य इसकी निन्दा करनी चाहिए - जब इलाज के लिए या अस्पताल में भरती करने के लिए कोई आवेदनपत्र आता है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि अनेक लोग इसका अनुचित लाभ उठायेंगे, हमें यह बातें नहीं कहनी चाहिएं। आखिर संसद में जो कहा जाता है उसका कुछ प्रभाव होता है। परन्तु स्वभावतः जब ऐसा आवेदन पत्र दिया जाता है तो उन पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए और कैदी की तुरन्त जांच करने के लिए कोई तंत्र होना चाहिए ताकि भविष्य में संबंधित न्यायाधीश द्वारा ऐसे गलत आर्डर जारी करने या गलत आकलन करने का मौका न आए। परन्तु हमें डाक्टरी इलाज अथवा अस्पताल में भरती करने के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर सीधा लिखित आर्डर नहीं देना चाहिए, यदि आप कहते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए तो समस्याएं उठनी शुरू हो जाएंगी।

हम निश्चय ही केरल के अपने मित्रों की भावनाओं की कद्र करते हैं। यह केवल केरल का मामला नहीं है। हम सबका इस घटना से अत्यधिक ताल्लुक है क्योंकि यहाँ एक नागरिक है जिसकी इस देश में बिना उचित इलाज के दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत हुई है। इसलिए हमारी हर एक के साथ सहानुभूति है चाहे वे उसके परिवार के सदस्य हों, छोटे बच्चे हों जिन्हें वह अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन्हें किसी अपराध का दोषी नहीं पाया गया था। प्रोफेसर कुरियन ने ठीक ही कहा है कि वह अब तक किसी अपराध के दोषी नहीं पाए गए थे। इसलिए वह अब भी निरपराध हैं और उन्हें निरपराध समझा जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति की बहुत ही दुखद परिस्थितियों में मौत हुई है लेकिन हमें अतिरेक प्रतिक्रिया भी जाहिर नहीं करनी चाहिए जिसका बाद में गलत अर्थ लिया जा सकता है।

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं, उसके न्यायिक पहलू को छोड़क, शेष प्रशासनिक मामलों पर मैं विचार करूँगा और यह पता लगाने की कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की कोताही के लिए कौन जिम्मेदार है जिसके कारण उनकी मौत हुई है, चाहे वह हवालत में बंद है या वह अपराधी है, दोनों डाक्टरी चिकित्सा के लिए बराबर के हकदार हैं। यदि यह नहीं दिया गया तो मैं इसको देखूगाँ।

**अध्यक्ष महोदय** : एक बहुत अच्छी बात कही गई है। ऐसे मामलों में दोनों तरफ से देने और न देने में गलतियाँ होने की संभावना है। क्या हम ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं कि ऐसे मामले न हों ? क्या ऐसा संभव है कि कोई इस पर विचार करे ?

**श्री एस.बी. चव्हाण** : मुझे अपने अधिकारियों से इस बारे में सलाह लेनी होगी कि किस तरह का तंत्र विकसित किया जा सकता है जो वस्तुतः न्यायिक प्राधिकार की सहायता करे। लेकिन न्यायिक प्राधिकार को सहायता मांगनी चाहिए बिना उनके मांगे हम अपनी सेवाएं नहीं दे सकते हैं - निश्चय ही हम ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं और वह न्यायिक प्राधिकार मांगे जाने पर उन्हें दिया जा सके.... **(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : जहाँ तक आपराधिक पहलू का संबंध है, मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इसको देख रहे हैं, जहाँ तक सुधारात्मक पहलू का संबंध है, वह इस बारे में अपने सहयोगियों से सलाह मशविरा करेंगे।

---

**श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर)** : इस अवसर से पूर्व पहले भी अनेक अवसर आए हैं। जब हमने उन निर्णयों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की है जिन्हें सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लिया था और ऐसे निर्णय संसद को अथवा राष्ट्र को नहीं बताए थे, मैं आज एक ऐसा मामला उठा रही हूँ।

विश्व व्यापार संगठन ने सेवाओं में व्यापार का उदारीकरण विषय पर वार्ता हाल में समाप्त की है। कुछ समय के लिए अमरीका के मनमानीपूर्ण रवैये के कारण वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था जिसने कहा था कि वे विदेशी वित्तीय सेवाओं के लिए सम्पर्क रीति को सुधारने, अतिरिक्त संपर्क का मौका देने के लिए विशेषकर कुछ विकासशील देशों द्वारा दिए जा रहे प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए वे बहुपक्षीय वार्ता से हट जाना चाहते हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि वे अब से पूरी तरह से द्विपक्षीय आधार पर वार्ता करेंगे। इसके बावजूद यूरोपीय देशों की पहल पर कुछ विकासशील

देशों ने कुछ सुधरे प्रस्ताव दिए हैं और इन सुधरे प्रस्तावों के आधार पर अभी वार्ता समाप्त हुई है। हमारे पास यह सोचने का कारण है कि भारत की ओर से दिए गए सुधरे प्रस्ताव हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकर हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष मामला कम्प्यूटर साफ्टवेयर क्षेत्र को विदेशी अधिकारियों के लिए खोलना है। वह ऐसा प्रस्ताव है जिससे विकसित देश सहमत नहीं हुए हैं, तब भारत ने इस क्षेत्र में ऐसे प्रस्ताव क्यों दिए हैं? इसके अतिरिक्त, समाप्त हुई वार्ता विकसित देशों के पक्ष में है क्योंकि उन्होंने व्यवसायिक अपेक्षा से संबंधित अपने अप्रवास नियम और प्रक्रिया में अब तक कोई परिवर्तन नहीं किए हैं। इससे नैसर्गिक व्यक्तियों का इन देशों में आसानी से आना-जाना हो सकेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे अधिकारियों का ऐसे विकसित देशों में अतिरिक्त संपर्क स्थापित करना बहुत ही सीमित हो जाएगा।

इन परिस्थितियों में, मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को एक सुस्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए कि सेवाओं में व्यापार पर हुई वार्ता में क्या निर्णय लिए गए। उन्हें सभा में वक्तव्य देना चाहिए और उन्हें राष्ट्र को बताना चाहिए कि इन वार्ताओं में क्या शर्तें निर्धारित की गईं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सरकार संसद में इस विषय पर वक्तव्य देगी। सरकार परामर्श नहीं करेगी परन्तु सरकार संसद में वक्तव्य देगी।

[हिन्दी]

**श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस सवाल को यहां पर उठा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस बात के लिए सारी पार्लियामेंट इजाजत देगी क्योंकि मैं सारी पार्लियामेंट की तरफ से आंग सन सू की को बधाई देना चाहता हूँ, जो बर्मा की जननेत्री हैं, जिनको फिलहाल जेल से रिहा कर दिया गया है। यह खुशी की बात है कि उनकी रिहाई हो गई है। वे बर्मा के राष्ट्रपति आंग सन की लड़की हैं और संसदीय प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अभी भी लड़ रही हैं। मैं उनकी तुलना नेल्सन मंडेला जी से करना चाहूंगा, जिन्होंने गांधी जी के रास्ते पर चल कर अपरथीड के खिलाफ लड़ाई की और साउथ अफ्रीका को अपरथीड से मुक्ति दिलाई। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि आंग सन सू की की रिहाई तो हो गई, लेकिन बर्मा में एकछत्रवादी राज है और संसद को इस बात का इंतजार है कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से जुंटा पर इस तरह का दबाव डाले, ताकि वहां पर लोगों को बुनियादी अधिकार मिल सकें। आंग सन सू की की पार्टी चुनाव जीत गई थी, लेकिन उनको प्रधान मंत्री बनने से वंचित कर दिया गया। उनकी रिहाई पर बधाई देने के साथ-साथ मैं भारत सरकार से चाहूंगा कि बर्मा की मौजूदा स्थिति के बारे में सदन को बताए और वहां की जनता का बुनियादी अधिकार दिलवाने तथा संसदीय प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है या नहीं, इसके बारे में जानकारी दें। इतना ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, धन्यवाद।

**श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़)** : अध्यक्ष महोदय, जम्मू-कश्मीर की हालत दिनोंदिन खराब होती चली जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आतंकवाद से ग्रस्त उस क्षेत्र में और सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां बढ़ गई हैं और स्थिति बहुत चिंताजनक हो रही है। कल राजोरी और पुंछ के इलाके में 3 गांवों पर 20 राकेट फेंके गए, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई और कई जानवर मारे गए। राकेट फेंकने की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि कई महीनों से सीमा पार से इस तरह से राकेट फेंके जा रहे हैं। यह उस पृष्ठभूमि में हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान दूसरे देशों से न्यूक्लियर मिसाइल्स और राकेट प्राप्त कर रहा है और अपनी शक्ति बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाल ही में चीन के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जिसके अनुसार पाकिस्तान को एम-11 न्यूक्लियर मिसाइल्स हासिल हुई हैं और ऐसा लगता है कि यह बस उसका पूर्वाभ्यास हो रहा है, जिस तरह से इस क्षेत्र में राकेट फेंके जा रहे हैं। आज राजोरी, पुंछ और डोडा जिले की स्थिति भयानक हो रही है। डोडा तो ऐसा लगता है कि अफगान मिलीटेंट्स के कब्जे में है और वहाँ के लोगों के मन में भयंकर डर है और वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। खासतौर पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तथा इस तरह की घटनाओं को पाकिस्तान की तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, स्थिति और गंभीर हो जाती है। अफसोस की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति के नाम पर चौधराहट करने वाले देश पाकिस्तान पर दबाव डालने के बजाए पाकिस्तान को हथियार देने पर अमरीका द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया था, उसको हटाने का निश्चय कर लिया गया है। इस सब का अर्थ यह होता है कि हमारी सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव की स्थिति बढ़ रही है, आर्म्स रेस की स्थिति जान-बूझकर पैदा की जा रही है और यह स्थिति एक भयंकर रूप ले सकती है।

इसलिए गृहमंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो आश्वासन इस सदन में दिया था - दो बार आश्वासन आपने इस सदन में दिया था कि जम्मू-कश्मीर के ऊपर एक सर्वदलीय सलाहकार समिति का निर्माण करेंगे, लोगों का विश्वास में लेकर, लोगों की सलाह से कार्य करेंगे। यह किसी एक दल की समस्या नहीं है, यह तो राष्ट्र की समस्या है। इसकी चिंता सारे देश को है और इसका संबंध सारे राष्ट्र की सुरक्षा से है।

अभी कल पैंथर पार्टी के अध्यक्ष भीमसिंह जी को मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। उनका लगातार सहयोग इस बात में रहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार हो। उन्होंने इस बात की ओर ध्यान खींचा है कि वहां का स्थानीय प्रशासन जन-भावनाओं को ध्यान में नहीं रख रहा है। जन-प्रतिनिधियों को समस्या के समाधान के लिए जोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए स्थिति बदतर हो रही है। एक बार आप चुनाव कराने की घोषणा करते हैं लेकिन नहीं करा पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि हम जो

घोषणा करते हैं उसे पूरा नहीं करा पाते हैं। इससे हमारी क्रैडेबिलिटी विश्वसनीयता को धक्का लगता है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की तरफ से जो राकेट दागे गये हैं और वहां जो मौतें हुई हैं और जो हालत वहां पैदा हुए हैं, उनके ऊपर एक वक्तव्य आप दें और जो स्थिति पैदा हुई उसकी जानकारी सदन को दें।

---

## दिल्ली किराया नियत्रंण विधेयक

**श्री कालका दास (करोलबाग)** : अध्यक्ष जी, दिल्ली किराया एक्ट के खिलाफ आज सारी दिल्ली बंद है। जब बिल 30 जून को आया तो मैंने सुझाव दिया था कि यह बिल दिल्ली के लिए है इसलिए इसे दिल्ली असेम्बली को भेज दिया जाए तो उपयुक्त होगा। लेकिन यह बिल जल्दी में पास हुआ। यहाँ तक कि शीला कौल जी को लोगों की राय थी उसके विषय में अपनी राय भी नहीं दे पाई थी। अभी तक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर इस पर नहीं हुए हैं दिल्ली में जो लोग व्यापार चलाते हैं उनमें 90 प्रतिशत किरायेदार हैं। एक्ट की जो लिखित धाराएं हैं उनके हिसाब से दिल्ली के किराएदारों को बहुत कष्ट होगा और दिल्ली का व्यापार ठप्प हो जाएगा। आज दिल्ली के व्यापारी संसद की तरफ आने वाले थे लेकिन उनको रोक दिया गया। वे जंतर-मंतर पर धरने पर बैठे हैं। हम लोग वहां जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास होने से पहले दिल्ली की असेम्बली को, जहां पर दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, रैफर कर दिया जाए और उसकी राय मांग ली जाए तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली का व्यापार बंद हो जाएगा। मेरी बात का मेरे बहुत से मित्रों ने समर्थन किया था जिसमें रूपचंद पाल जी भी थे और अन्य लोग भी थे। मेरा निवेदन यह है कि अगर यह पास कर दिया गया तो दिल्ली की जनता के साथ यह अन्याय होगा, व्यापार समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा और इतने केसिज बनेंगे कि दिल्ली के लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज यहां से ऐसी बात जाए कि दिल्ली की असेम्बली में जब तक यह पास न हो पाए तब तक इसे पास न किया जाए।

**[अनुवाद]**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ)** : अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जल्दबाजी में कानून बनाना और खाली समय में उस पर पछताना।

**[हिन्दी]**

जल्दबाजी में कानून बनाओ और फिर पछताओ। कम से कम दिल्ली रेंट एक्ट के बारे में ऐसा ही हुआ है। उसके लिए हम सब उत्तरदायी हैं। सरकार पर हमने दबाव डाला है कि वह रेंट कंट्रोल बिल लाए। हमने कहा है कि ज्यादा लम्बी चर्चा की जरूरत नहीं है हम बिना चर्चा के पास कर देंगे। वर्षों से यह मामला लटक रहा है और वह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया। अब वह राष्ट्रपति महोदय के पास हस्ताक्षर के लिए पड़ा है। लेकिन यह बात भी सच है कि उससे व्यापक जन असन्तोष पैदा हुआ है। दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल खुराना जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिला था। प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया कि वह देख रहे हैं कि वह इस बिल में क्या संशोधन हो सकता है, क्या परिवर्तन किया जा सकता है। मैं नहीं जानता कि परिवर्तन कैसे होगा, लेकिन परिवर्तन होना चाहिये, यह मांग हो रही है। जो किरायेदार हैं, उनके हितों की जितनी रक्षा होनी चाहिये थी, विधेयक में वह शामिल नहीं हुई है। संतुलन बनाये रखना जरूरी था। मैं चाहूंगा कि सरकार और प्रतिपक्ष मिल कर इस बारे में विचार करें और रास्ता निकाले। यह एक पार्टी का मामला नहीं है। ऐसा मत समझिये कि दिल्ली में हम मुसीबत में फंस गये और आप मुसीबत से बच गये हैं। कुछ मामले ऐसे हैं कि अगर हम और आप फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, निकल नहीं सकेंगे। यह सर्वसम्मति से पास किया हुआ विधेयक है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप सभी विरोधी दलों से सलाह करके कोई फैसला करें और कैसे रास्ता निकाला जा सकता है, संशोधन कैसे हो सकता है, इसके बारे में सोचें।

**श्री शरद यादव (मधेपुरा)** : अध्यक्ष जी, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या मालिक और किरायेदार की है। इस बिल के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसको भी आपने ठीक से देखा नहीं। हम नहीं जानते कि इसमें क्या झंझट है? जब हम सौदा लेने और सब्जी वगैरह लेने बाजार में जाते हैं तो दुकानदार हमें पकड़ लेते हैं। वे हमें छोड़ते ही नहीं....**(व्यवधान)** वे हमें यह भी कहते हैं कि जिन के लिये हम जान दे रहे हैं, वे हमारे बारे में मुझे बोलते नहीं हैं। मैं आपको इसलिये यह बात कह रहा हूँ कि बहुत से व्यापारी हमारे घर में आये थे। हम को व्यापारी अच्छा आदमी मानते नहीं हैं क्योंकि हम उनकी समस्याओं से वाकिफ नहीं हैं। आप तो उनकी समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। दिल्ली की सीटें कई दिनों से इनके हाथ आती और जाती रही हैं। ये दोनों इससे जुड़े रहे हैं। इसलिये झंझट भी इन दोनों का है। मैं इसलिये इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं कि हम भी इस बिल को लेकर तंगी में हैं। हमारे यहाँ भी लोग पहुंच रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप हमें वोट तो देते नहीं हो। उन्होंने कहा कि जिन को हमने वोट दिया, उन्होंने हमारी चिन्ता नहीं की। मैंने उनसे कहा कि अब हम को वोट दो हम आपकी चिन्ता दूर कर देंगे।

मालिक से किरायेदार छोटा होता है और हम छोटे लोगों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। जिन्होंने बड़े-बड़े मकान बना कर खड़े किये हुए हैं, वे अपनी मनमानी करते हैं। चन्द्रशेखर जी बैठे-बैठे जब नाराज हो रहे थे तो मैं झिचक गया और समझा कि मैंने कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं की है। अगर आप खड़े होकर मेरी बात को सुधार दें तो अच्छा होगा। हम आज दुविधा में हैं। इस बिल को लेकर दिल्ली

के बाजार 4 दिन तक बंद रहे। सभी पार्टी के लोगों ने सर्वसम्मति से इसका विरोध किया था। इसको लेकर हम और बाकी लोग मिले भी थे। हम भी किरायेदार रहे हैं और मकान मालिक की ज्यादतियों से वाकिफ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि मकान बना कर फोकट में खाते हैं। मकान बना कर जो किराया खाते हैं, वे बगैर काम के बड़े फायदे में रहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ने इस बिल के बारे में जो रिपोर्ट दी, अगर उस पर गम्भीरता से विचार किया जाता और दिल्ली के जन प्रतिनिधियों से तथा दिल्ली की विधान सभा से इस बारे में सलाह ली होती तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। आप इसमें ऐसे संशोधन करें जिससे किसी को कोई नुकसान और दिक्कत न हो।

इस बिल में लिखा हुआ है कि अगर कोई किरायेदार मर गया तो यदि उसका बेटा नाबालिक है या उसकी विधवा है, किराया न देने पर उसे वह स्थान खाली करना पड़ेगा। आप यदि उन्हें कुछ वक्त दे देते और जब वह जवान हो जाता तब निकालते तो अच्छा रहता। आपको ऐसी कोई बात इसमें करनी चाहिये थी। एक आदमी जो कि दुकान चलाता है, सैल्फ एम्प्लायड है और यदि वह मर गया तो उसके घर से कमाने वाला कोई नहीं है, मालिक है तब उसको करना चाहिये और यदि उसकी विधवा रहती है, उसको उसका हक मिलना चाहिये। मैं विस्तार में इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन जो मेरी जानकारी है और जो मैंने उनसे सुना, वह मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह बिल समय के अभाव में बहुत जल्दबाजी में पास हुआ है, इसलिये इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये। बीजेपी के साथियों को जितना सावधान होना चाहिये था, वह सावधानी उन्होंने नहीं बरती है। यह ठीक नहीं है कि जो लोग इनके लिये जानें देतें....।

**श्री कालका दास** : हमने अपनी राय रखी थी, लेकिन वह सुनी नहीं गयी।

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : राज्यसभा में भी रखी है।

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, मुझे याद नहीं रहा, इन्होंने रखी होगी। मेरी गलती हो गयी। मैं तो यह कह रहा हूँ कि यह बिल राष्ट्रपति जी के पास दस्तखत होने के लिये गया हुआ है। सरकार चाहे तो इसे रोक सकती है और चन्द्रशेखर जी का विचार भी इसमें इनक्लूड कर लिया जाये। यदि सरकार इस बिल को एकाध दिन के लिये रोक देगी तो कोई हर्ज नहीं हो जायेगा

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)** : अध्यक्ष जी, जो लिस्ट है, उसमें यह नहीं है।

**श्री शरद यादव** : ठीक है, यदि आडवाणी जी ने कहा है, रोक दिया गया है लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि ये किरायेदार मालिक लोगों से थोड़े छोटे हैं। ये बड़ी दिक्कत में रहते हैं। ऐसा रेंट कंट्रोल एक्ट.....।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : शरद जी, आपने अपनी बात कह दी है।

**[हिन्दी]**

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, मेरा इतना ही कहना है कि यह बिल ठीक-ठाक और सोच-समझकर लाया जाये और इसको फिर से प्रस्तुत किया जाये ताकि गड़बड़ न हो।

**श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर)** : माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल जिस तरह से बीजेपी और शरद जी खड़ा कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत काम है। जो कानून इस पार्लियामेंट ने एक राय से पास कर दिया हो और फिर इनके साथी हड़ताल करें तथा यह कहें कि इस पर महामहिम राष्ट्रपति जी के दस्तखत न होने दें, अगर यह परम्परा बन जायेगी तो इस देश का सर्वसत्यानाश हो जायेगा। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिये। इस पर तो राष्ट्रपति जी के दस्तखत होने ही चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि

**[अनुवाद]**

श्री शरद यादव ने बात को समझा नहीं है।

**[हिन्दी]**

यह दिल्ली गावं का है और गावं के लोगों की यहां पर प्रापर्टीज हैं और ये बेचारे कई दिनों से पिस रहे हैं। इन लोगों ने उनके सारे मकान किराये पर ले लिये हैं और उनको कौड़ी तक बढ़ाने नहीं देते हैं तथा उनको तंग करते हैं। तब दबाव में आकर यह कानून बनाया। यह कानून ठीक बन गया। एक तो जिन लोगों के मकान और दुकानें किराये पर ले रखी हैं, उनको एक कौड़ी तक देते नहीं उल्टे वकालत कर रहे हैं। अब उनको कुछ पैसा मिलेगा **(व्यवधान)**... **

**श्री कालका दास (करोलबाग)** : चांदनी चौक और करौलबाग में कौन से गांव के लोग मालिक हैं जिन्होंने दुकाने दे रखी हैं ? शायद इनको पता नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : अभी जो कुछ कहा है, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

**श्री नाथूराम मिर्धा (नागौर)** : आप छः बार खड़े हो गये हैं। **(व्यवधान)**....

और ये करेंगे हड़तालें भी करेंगे।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

**श्री नाथूराम मिर्धा** : क्या नहीं जायेगा? मैंने कोई अनपार्लियमेंटरी रिमार्क नहीं कहा। मैंने कहा कि **(व्यवधान)**....**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : एक दूसरे के विरुद्ध आरोप।

**श्री नाथूराम मिर्धा** : मैंने कहा कि ..... **(व्यवधान)**

**श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर)** : नहीं, आप गलत कहते हैं।

**श्री नाथू राम मिर्धा** : मैं तुम्हारे कहने से मानूंगा थोड़े नां। मेरा यह कहना और निवेदन करना है कि कानून बन चुका है। इसको रीओपन करने का सवाल ही नहीं है। दिल्ली असेम्बली में भेजने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। पार्लियामेंट पर दबाव डालकर यह अच्छा कानून बनाया है। लोग खुश हैं। कुछ वैस्टेड इंट्रेस्ट के लोग नाराज हो गये तो हड़ताल कर रहे हैं। उन्हें करने दीजिये। पार्लियामेंट की परम्परा बन चुकी है, उनको कानून को हटाना नहीं चाहिये। मैं राष्ट्रपति जी और सरकार से अनुरोध करूँगा कि दस्तखत के लिये इतने दिन पैंडिग रहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है।

इस बिल पर दस्तखत होने चाहिए और इसको कानून का रूप दिया जाना चाहिए।

**श्री चन्द्र शेखर (बलिया)** : अध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर नहीं बोलता अगर शरद जी नहीं बोले होते। शरद जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो किराया से पैसा कमाते हैं, वह नये लोग हैं। जो नये मकान बनाते हैं और उसका अनाप-शनाप किराया लेते हैं, उन लोगों पर कोई रोक नहीं है पहले से भी रैण्ट-कण्ट्रोल के अंदर। जितने पुराने मकान हैं, मैं नहीं कहता कि सब किसानों के हैं, लेकिन पुराने लोगों ने मकान बनाए उस जमाने में और उन बड़े मकानों का किराया 50 रुपया, 180 रुपया या 150 रुपया है। मकान मालिक 150 रुपए या 200 रुपए महीने पाता है। और दुकानदार डेढ़ दो लाख रुपया महीना उससे कमाता है। एक दो नहीं, कई उदाहरण मैं ऐसे बता सकता हूँ। दिल्ली के कनाट प्लेस में मालिक साइकिल पर चढ़कर किराया वसूल करने जाता है और दुकान का मैनेजर उससे मिलने से इंकार करता है। 150 रुपए के लिए उसे दो-तीन घण्टे इंतजार करना पड़ता है। यह पूरी तरह से शोषण है। यह बिल अचानक ही यहां संसद में पास नहीं हो गया। यह पीड़ा बहुत दिनों से थी और उस पीड़ा का समझकर यह बिल लाया गया। मैं कानून की धाराओं को नहीं जानता कि क्या पास हुआ, लेकिन बुनियादी तौर पर यह शोषण के विरुद्ध एक कदम था। उसमें अगर कोई विकृति रह गई है, कोई गड़बड़ी रह गई है तो उसका कुछ सुझाव दें, लेकिन इस सारे बिल को वापस लेने की बात करना ठीक नहीं है। मिर्धा जी की भाषा से मैं सहमत नहीं हूँ लेकिन यह सिर्फ इच्छित स्वार्थों का पोषण करना है और इच्छित स्वार्थों का पोषण करने के लिए संसद अपने विचारों को नहीं बदल सकती।

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, मिर्धा साहब ने अपनी बात में जो खोपड़ी शब्द का प्रयोग किया था वह ठीक था। वह खराब बात नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : जिस बात को मैंने निकाल दिया उसको आप फिर वापस ला रहे हैं।

**श्री शरद यादव** : खोपड़ी का मतलब सिर होता है गांव में। यह बुरा शब्द नहीं है। दूसरी चीज यह है कि मैं इस बिल के बारे में और इस समस्या के बारे में इतनी गंभीरता से नहीं जानता और जो चन्द्रशेखर जी ने कहा कि सारी बातें जो लोगों ने मुझसे कहीं, वही सही नहीं हैं। सब बातों को ध्यान में रखते हुए कंप्रिहेन्सिव और सबके साथ न्यायसंगत बिल लाना चाहिए, इतना ही मेरा निवेदन था। निश्चिततौर पर मिर्धा जी ने जो कहा, हो सकता है कि गांव वालों. की कोई दिक्कत हो। गांव वाले लोगों का संपर्क मुझसे नहीं हुआ। इसलिए मैंने जो बात कही है, वह कोई बहुत अध्ययन करके नहीं कही है। मैंने आपसे भी निवेदन किया था कि इसको कंप्रिहेन्सिव तरीके से लाया जाए।

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, निस्संदेह यह हमारे लिए असाधारण बात है। विधेयक पारित करने के पश्चात हम इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं। लेकिन दोनों ओर से व्यक्ति किए गए विचारों के कारण - मेरा मतलब दोनों तरफ से है न केवल इस सभा में अपितु इस सभा के बाहर भी - कुछ लोग विधेयक के कतिपय प्रावधानों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ प्रावधानों का विरोध और यह कहा जा रहा है कि चूंकि यह अभी कानून नहीं बना है इसलिए यह अनुरोध किया जा रहा है कि कुछ प्रावधानों पर जो इसकी सही व्याख्या के सम्बन्ध में भ्रान्ति पैदा कर रहे हैं। विचार किया जाए क्योंकि इसमें अनेक लोग अन्तर्ग्रस्त हैं। अनेक लोग मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग के लोग हैं। वे हमारे पास आ रहे हैं और उन्होंने कुछ अभ्यावेदन दिए हैं। हम जानते हैं कि हमने विधेयक पहले ही पारित कर दिया है, हम इस स्थिति से अवगत हैं, इसलिए हमारा अनुराध है कि इसके कुछ प्रावधानों पर कुछ आर्थिक विस्तार से विचार किया जाए, सभी दल मिल कर बैठें और सरकार कोई पहल कर सकती है। निश्चय ही व्यक्ति की सभी विभिन्न रायों

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर विचार किया जा सकता है, किसी को भी इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि ऐसा बिना अधिक अध्ययन किए किया गया था जबकि इसका अध्ययन किया जाना चाहिए था। मैं अपने को भी दोषमुक्त नहीं कर रहा हूँ। हमें कुछ और अधिक चौकस रहना चाहिए था, यद्यपि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दिल्ली के लोग इस बारे में अधिक उत्तेजित हैं तो आप उनके साथ एक बैठक क्यों नहीं कर लेते हैं? यह थोड़े समय में किया जा सकता है। लोगों ने इस पर अपना अध्ययन कर लिया है। हम अपनी बात कह सकते हैं और इसके कुछ प्रावधानों के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है, माननीय राष्ट्रपति जी इस पर पुनर्विचार करने के लिए हमारे पास विधेयक वापस भेज सकते हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री चन्द्रजीत यादव** : अध्यक्ष जी, जो कानून यहां से पास हुआ, दिल्ली हाउस रेन्ट कंट्रोल बिल एक्ट बन गया, उस पर सारे दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा एजिटेटेड हैं, यह कहना गलत है। शरद जी के पास तो दुकानदारों के प्रतिनिधि आए। आप थोड़ा बी.जे.पी. के नजदीक बैठने लग गए हैं। इसलिए शायद उसका कुछ असर पड़ा हो। मेरे पास तो गांव के किसानों के प्रतिनिधि आए और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से जो एक्ट बन गया है इसमें संशोधन मत होने दीजिए। इसलिए, क्योंकि वह किसान आज नही, 50 साल, 100 साल पहले जब वे दिल्ली में थे और यहां उन्होंने छोटे-छोटे मकान बनाए, दुकान बनाई, उनको हटा दिया गया, वे दूर गांवों में बसे। उनकी जमीनें वहां से ली जा रही है और उनको 5 रुपया, 10 रुपया या 25 रुपया किराया मिलता है। चन्द्रशेखर जी ने ठीक कहा है, वे लोग उससे 50 हजार, एक लाख रुपया कमाते हैं। सबसे ज्यादा किसानों को तकलीफ इस बात से हो रही है कि वे लोग 5 लाख, 10 लाख रुपए की पगड़ी लेकर दूसरे दुकानदारों को दे देते हैं। किसानों को उसमें से एक पैसा भी नहीं मिलता है। उसे तो जो निर्धारित किराया है वही मिल रहा है। 10 हजार किसानों ने हाउसिंग मिनिस्टर के घर पर दो बार प्रदर्शन किया और उन्होंने यह मांग की कि इसमें परिवर्तन मत होने दीजिए, हमारे हितों का भी ध्यान रखिए।

इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि किसी प्रेसर में आकर या जल्दी में इसमें से कोई दूसरी बात मत सोचिए। यहां के किसान जो मालिक हैं, ये बड़े लोग नहीं हैं, अमीर लोग नहीं हैं। फिर अगर आज कोई मकान बनाता है, किराए पर इसलिए देता है क्योंकि दूसरे नहीं बना सकते। किराए पर देना कोई अपराध तो नहीं हैं। हर आदमी उससे कोई बड़ी भारी दौलत नहीं कमा रहा है। रेंट कंट्रोल एक्ट है, इसमें आप किराया निर्धारित कीजिए। लेकिन अगर इसमें परिवर्तन करेंगे तो यह किसानों का शोषण होगा।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)** : अध्यक्ष जी, मुझे एक ही बात कहनी है। वैसे तो वाजपयी जी व सोमनाथ जी ने बात कही कि इस पर पुनर्विचार किया जाए तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन महत्व की बात यह है कि जब तक यहाँ पर विधान सभा नहीं थी तब तक संसद ही सब कानून बनाती थी। लेकिन जब विधान सभा बन गई है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोई भी दिल्ली के सम्बन्ध का विधेयक अगर आप संसद में लाकर पास करेंगे तो शायद उतना ध्यान नहीं दिया जा सकेगा जितना कि विधान सभा और जन प्रतिनिधि दे सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं होता।

चन्द्रशेखर जी ने जो बात प्रकट की उसी से प्रेरित होकर हमारे यहाँ से भी मांग हुई कि यह दिल्ली रेन्ट कंट्रोल एक्ट बदला जाना चाहिए। पहले इस प्रकार की स्थिति रही है कि किसी ने आज से 20-25 या 50 साल पहले मकान बनाया और उस समय 50 रुपया किराया तय किया, लेकिन आज उसमें वे लाखों रुपया कमा रहे हैं। यह उचित नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ संशोधन करते हुए हमने व्यवस्था कर दी कि कोई कमर्शियल मकान होगा और वहां पर उसका जो मालिक है, जिसने आज से 50 साल पहले बनाया होगा, वह मर जाएगा तो उसके बाद उसके लड़के को वह ट्रांसफर नहीं होगा, उसकी पत्नी को ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसी कुछ चीजें हो गईं जिनके कारण से समस्याएँ पैदा हुई हैं।

**[अनुवाद]**

इसलिए इस मामले पर पुनः विचार करना बहुत आवश्यक है।

**[हिन्दी]**

मैं सरकार से दूसरा अनुरोध करूंगा कि दिल्ली के सम्बन्ध का मामला पहले विधान सभा में जाना चाहिए जिससे वहां के जन प्रतिनिधि उस पर विचार कर सकें। ..... **(व्यावधान)**

**[अनुवाद]**

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : महोदय, दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक के विषय पर दिल्ली के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान मंत्री के पास गया था और प्रधान मंत्री ने वह मामला मेरे को सौंप दिया था, मुझे उस पर विचार करना है और यह पता लगाने की कोशिश करनी है कि उसमें किसी तरह का परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है जिससे दोनों पक्षों का हित हो सके। मेरे पास अनेक प्रतिनिधिमंडल भी आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ माननीय सदस्य भी मेरे पास आए थे। एक सर्व दल का प्रतिनिधिमंडल भी आया था, एक और प्रतिनिधिमंडल भी आया था जो मकान मालिकों का था, वे भी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था कि विधेयक पारित कर दिया गया है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस विषय पर यह परस्पर विरोधी विचार हैं, मैं नहीं जानता कि राष्ट्रपति जी को यह कहना अच्छा उदाहरण होगा कि विधेयक पर हस्ताक्षर न किए जाएं जो कि इस सभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है, मुझे यह पता लगाने के लिए विधि मंत्रालय से परामर्श करना पड़ेगा कि यदि कोई परिवर्तन लाया जाना ही है

तो क्या किया जा सकता है जो दोनों को सर्वमान्य हो। मैं श्री आडवाणी जी के विशेषकर इस कथन से सहमत नहीं हो सकता कि सभी मामलों में दिल्ली प्रशासन से परामर्श किया जाना चाहिए। मैं इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता। हमें दिल्ली राजधानी क्षेत्र अधि नियम के अनुसार चलना है। उसमें जो प्रावधान हैं, हम उनका कड़ाई से पालन कर रहे हैं और हम दिल्ली प्रशासन को और अधिक रियायत दे रहे हैं लेकिन मैं निश्चय ही इस बात से सहमत नहीं हो सकता है कि हमें हर बात के लिए दिल्ली विधान सभा के पास जाना होगा जो भी दिल्ली से सम्बन्धित है। लेकिन इस किराया विधेयक के सम्बन्ध में मैं कुछ लोगों के साथ बातचीत करूँगा और पता लगाने का प्रयास करूँगा कि दोनों पक्षों के हितों को किस प्रकार इसमें शामिल किया जा सकता है और किस रूप में ऐसा किया जा सकता है। यह ऐसा विषय है जिस पर सरकार को सोचना होगा और इसका समाधान निकालना होगा।

[हिन्दी]

**श्री मदेश कनोडिया (पाटन)** : अध्यक्ष महोदय, भारत में एक बहुत महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी साहब हुए हैं, जिन्होंने 46,000 से भी ज्यादा गाने गाये। उनके गानों में कई गानें ऐसे हैं जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, भक्ति भाव पर आधारित हैं और कई प्रसिद्ध भजन भी शामिल हैं। उनके कई गाने भारत भर में उनकी यादगार के रूप में सदा याद किये जाते रहेंगे। उसी तरह से स्वर्गीय मुकेश साहब ने भी हजारों गाने गाये हैं। इन दोनों महान कलाकारों की आवाजें भारत में आज भी जिन्दा हैं लेकिन दुर्भाग्य से उनको कोई उचित पुरस्कार नहीं मिला। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती है, अनुरोध है कि इन दोनों महान कलाकारों के नाम पर, स्वर्गीय मोहम्मद रफी और स्वर्गीय मुकेज जी के नाम पर डाक-टिकट करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

**श्री विनय कटियार (फैजाबाद)** : अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय चन्द्रजीत जी ने जम्मू-कश्मीर के बारे में सदन में बहुत सामयिक विषय उठाया है और इस संबंध में मैंने भी एक नोटिस दिया था। कल भी यह विषय थोड़ा चर्चा में आया था। जम्मू-कश्मीर की स्थिति बड़ी गम्भीर होती जा रही है और वहां अघोषित युद्ध चल रहा है। माननीय चन्द्रजीत जी ने जो बातें यहां कहीं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता लेकिन जिस ढंग से वहां आंतकवाद बढ़ता चला जा रहा है, उसके कारण न केवल वहां के अल्पसंख्यक हिन्दू बल्कि बहुसंख्यक मुसलमान भी बहुत पीड़ित हैं। आतंकवाद के कारण पूरा कश्मीर और वहां के लोग बुरी तरह प्रभावित हैं।

वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा से वहां की राज्य सराकार को आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ होता है। शायद यह कहना अनुपयुक्त न होगा और भारत सरकार के पास इसकी रिपोर्ट भी होगी कि पूरे जम्मू-कश्मीर का खर्च, वहां के राज्य कर्मचारियों का लगभग दो महीने का वेतन केवल वैष्णो देवी देती है लेकिन आज आंतकवाद के कारण डोडा में स्थिति खराब हो गयी है। वहां से लोग भगाये जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। इसे देखते हुए अमरनाथ यात्रियों के लिए ठीक ढंग से व्यवस्था हो, ऐसा लगता है कि भारत सरकार इस मामले में पूरी तरह गम्भीर नहीं है। मैं कल ही अपेक्षा कर रहा था जब माननीय गृह मंत्री महोदय ने यहां कहा था कि हज के यात्रियों को हम सभी प्रकार की सुविधायें देंगे, उनको रोका नहीं जायेगा, तो मुझे लगता था कि ठीक उसी प्रकार गृह मंत्री जी यह आश्वासन भी देंगे कि अमरनाथ यात्रा पर जितने यात्री जा रहे हैं, उन्हें भी उसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हम प्रदान करेंगे लेकिन वैसा कुछ माननीय गृह राज्य मंत्री जी की तरफ से नहीं कहा गया।

आज सुबह ही मेरे पास जम्मू से फोन आया है और समाचार मिला है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान जो दुकानों की व्यवस्था की जाती है, इस बार वे दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। पैरा मिलिटरी फोर्सेज ने सुरक्षा की दृष्टि से वहा जमाव किया है जिसके कारण यात्रियों के खाने-पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पायेगी। आप जानते हैं कि काफी बूढ़े लोग उस यात्रा में जाते हैं लेकिन उनके लिए कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं, आवास की कोई सुविधा नहीं। भारत सरकार की ओर से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

मैं आपके माध्यम से उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे इस संबंध में आश्वास्त करें तथा जो यात्री वहां जा रहे हैं, उनको विशेष सुविधा मिले तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जा सके।

[अनुवाद]

**श्री एस.बी. चव्हाण** : महोदय, हमने सभी व्यवस्था की है जो अमरनाथ जाने वाले हर यात्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। यदि वहां जाने वाले यात्रियों के आशा के अनुरूप किसी बात की कमी है तो उसे मेरे ध्यान में लाइए और मैं तुरन्त उस पर विचार करूँगा। लेकिन जिस योजना पर हम सहमत हुए हैं उसे क्रियान्वित करना जम्मू और कश्मीर सरकार का काम है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएगें।

---

**12.56 म.प.**

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

### वोहरा समिति का प्रतिवेदन

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण)** : मैं वोहरा समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (केवल अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7925/95]

**आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं**

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)** : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) (दूसरा संशोधन) आदेश, 1995, जो 22 मई 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 459 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 502(अ), जो 5 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 6 अप्रैल, 1995 की अधिसूचना संख्या का.आ. 326(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(तीन) का.आ. 503(अ), जो 5 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 नवम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 977 (अ) में कतिपय संशोधन किए गये हैं।

(चार) का.आ. 572 (अ), जो 26 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु राज्यों में अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

**[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7926/95]**

**प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 1995 आदि**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : मैं कुमारी शैलेजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 1995, जो 5 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 383 (3) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[मंत्रालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7927/95]**

(2) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1993-95 के वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 7928/95]**

**12.56½ म.प.**

## विधेयकों पर अनुमति

**महासचिव** : गत सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखे क्योंकि उनसे संबंधित सूचना 25 अप्रैल, 1995 को सभा को दी गई थी -

1. विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1995

2. विनियोग (रेल) संख्यांक 3 विधेयक, 1995

3. वित्त विधेयक, 1995

4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1995

5. भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 1995

6. असम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1995

(दो) मैं दसवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा यथा अधिप्रमाणित प्रतियाँ भी सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. केबल दूरदर्शन नेटवर्क (विनियमन) विधयेक, 1995

2. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधयेक, 1995

3. कपास परिवहन निरसन विधेयक, 1995

4. राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 1995

5. राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण विधेयक, 1995

6 संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1995।

---

**12.57 म. प.**

## कार्य मंत्रणा समिति
### (बावनवां प्रतिवेदन)

**[अनुवाद]**

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बावनवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

**12.57½ म.प.**

## रेल संबंधी स्थायी समिति
### पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

**[हिन्दी]**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, मैं रेल लाइनों का विद्युतीकरण के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (1995-96) का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ।

---

**12.57½ म.प**

**[अनुवाद]**

## विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति
### (सत्ताईसवां तथा अट्ठाईसवां प्रतिवेदन)

**श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी)** : विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) रसायनों के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के संदर्भ में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1993-94) के संबंध में सत्ताईसवां प्रतिवेदन; और

(2) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क; इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ई.एच.टी.पी.एस.), महिलाओं, सहित कमजोर वर्गों के लिए इलेक्ट्रानिकी; इलेक्ट्रॉनिकी की राजगार संभाव्यता; और विशेषतः प्रौद्योगिकी विकास परिषद्, राष्ट्रीय राडार परिषद और औद्योगिकी संवर्धन के बारे में अनुसंधान तथा विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सहायता के संदर्भ में इलेक्ट्रानिकी विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (1993-94) के संबंध में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन)।

---

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : अनुदानों की अनूपूरक मांगें श्री चन्द्रशेखर मूर्ति।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)**: मैंने उसके लिए सूचना दी है.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस तरह की बात को ठीक नहीं समझता हूँ, आपने मुझे सभा में बजट प्रस्तुत करने की सूचना दी है और अब आप मुझे बजट न प्रस्तुत करने की सूचना दे रहे हैं। और वह भी जब मैं यहाँ बैठा हूँ।

**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : महोदय, बहुत अधिक महत्वपूर्ण आवंटन को छोड़ दिया गया है और मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा कि आपको इस तरह प्रक्रिया व्यक्त करने का अवसर न मिले।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको मुझे पहले कल सूचित कर देना चाहिए था तब हम इसे यहाँ शामिल नहीं करते। परन्तु बजट जैसे मामले में आप इसे सभा में प्रस्तुत करने के लिए मुझसे अनुमति मांग रहे हैं और आप इसे प्रस्ततु नहीं कर रहे हैं; और इसे न प्रस्तुत करने के लिए आपने मुझे पत्र तब दिया है जब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इसे ले सकूँ। कृपया ऐसे दुबारा न कीजिए।

**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : जी हाँ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

**12.58 म.प.**

**तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।**

---

**2.09 म.प.**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 9 मिनट पर पुनः समवेत हुई।**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

**[अनुवाद]**

## अतिरिक्त अनुदानों की मांगे (सामान्य) 1992-93

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा मद सं. 10 अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगी। श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)**: मैं वर्ष 1992-93 के बजट (सामान्य के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

2.11 म.प.

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमान सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

**श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट)** : पिछले दो वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडियन एयरलाइन्स की सेवा पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है। जिसके कारण आसानी से न पहुंच सकने वाले इस क्षेत्र में आने-जाने में भारी कठिनाई हो रही है। कुछ समय से स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि उड़ानों की संख्या कम कर दी गई है। असम में गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ में केवल दो ही विमानपत्तन हैं, जहाँ से इंडियन एयनलाइन्स के साथ निजी हवाई कंपनियां इम्फाल और अगरतला के लिए सीमित हवाई सेवाएं संचालित करती हैं।

जोरहाट और तेजपुर जैसे महत्वपूर्ण विमानपत्तन न केवल असम के लिए अपितु नागालैंड के पूर्वी भाग और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग के लिए हैं। सप्ताह में दो बार इन दो विमानपत्तनों का संपर्क कलकत्ता विमानपत्तन से रहता है। यद्यपि प्रायः उड़ानों को रद्द किया जाता है। तब तक इन दो विमानपत्तनों वस्तुतः सभी विमानपत्तनों का वायु संपर्क गुवाहाटी से नहीं किया जाता है, विमानों से यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा रहेगी।

असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के यात्रा करने वाले लोग निजी विमान कंपनियों द्वारा विमान संचालन के विरुद्ध नहीं हैं बशर्ते उड़ाने नियमित हों और किराया न बढ़ाया जाए। वास्तव में इस क्षेत्र के विमानपत्तन को गुवाहाटी से जोड़ने के लिए छोटे विमान एक प्रभावी वाहक सिद्ध होंगे। इस भूवेष्टित क्षेत्र में यात्रा करने वाली जनता को अनेक कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस समस्या का समाधान गंभीरता से करें।

[हिन्दी]

### (दो) ग्रामीण विद्युतीकरण नीति का पुनरीक्षण किए जाने और इस कार्य हेतु समुचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता

**श्री जनार्दन मिश्र (सीतापुर)** : आज ग्रामीणों के समक्ष जहाँ अनेक समस्यायें विद्यमान हैं वहां सबसे विकट समस्या बिजली की है। देश के ऐसे अनेक गांव हैं जहां पर अभी तक बिजली का नामोनिशान तक नहीं पहुंचा। यदि कहीं किसी गांव से दूर भी किसी ट्यूबवैल पर बिजली का बल्ब जलता है तो उस गावं की गिनती विद्युतीकृत ग्राम में कर ली जाती है जबकि पूरा गांव अंधेरे में डूबा रहता है। सरकार के इन्हीं नियमों के कारण आज ग्रामीण विद्युत की समस्या से परेशान नजर आते हैं। यदि कोई गांव ने इन नियमों से बच कर विद्युतीकरण का लाभ प्राप्त कर लिया है तो वहां बिजली की आपूर्ति ही नहीं होती है और वहां के लोगों को अपना सारा काम अंधेरे में रह कर करना पड़ता है। इन तमाम त्रुटियों को नजरअंदाज कर दिया जाये तो ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि यदि इसी गति से कार्य किया गया तो निश्चित रूप से ग्रामीणों को अभी बिजली के लिए काफी दिनों इंतजार करना पड़ेगा। विभागीय लोगों से जानकारी करने पर पता चलता है कि धन के अभाव में विद्युतीकरण कार्य ठप्प पड़ा हुआ है। इस प्रकार देश के अनेक भागों विषेशकर उत्तर प्रदेश में जहाँ एक ओर बिजली के अभाव में ग्रामीणों को अनेक कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है वहीं पर धन के अभाव में उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य के तेजी से कराने में अपने को असमर्थ पा रही है।

अतः मेरा केन्द्रीय विद्युत मंत्री से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के विद्युतहीन ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक धन मुहैया कराने का कष्ट करें ताकि ग्रामों का विद्युतीकरण हो सके और ग्रामीणों को इसका पूरा-पूरा लाभ उठाने का अवसर सुलभ हो जाये।

### (तीन) महाराष्ट्र के समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

**श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर)** : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 फरवरी, 1991 की अपनी अधिसूचना द्वारा सभी तटीय राज्यों को समुद्र तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनायें (कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान्स) तैयार करने के लिए कहा था। यद्यपि चार वर्ष से अधिक समय बीत चुका है किंतु मंत्रालय ने किसी भी राज्य की समुद्र तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना की स्वीकृति नहीं दी है। जिसके परिणामस्वरूप नगर निगमों, जिला योजना और विकास समितियों, जिला, तालुका और ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय अधिकरणों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को करने में गंभीर कठिनाइयां हो रही हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना को अविलम्ब स्वीकृति दी जाए।

जहाँ तक महाराष्ट्र का संबंध है राज्य सरकार ने समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को तीन भागों में प्रस्तुत किया है, अर्थातः-

(1) 17 जनवरी 1995 को मुम्बई नगर और नवी मुम्बई नगर निगम के लिए,

(2) 3 मार्च 1995 को सिन्धुदुर्ग जिला, रत्नागिरि जिला, थाणे जिले के उत्तरी भाग और दहानु म्युनिसिपल कौंसिल के लिए, और

(3) 12 मई, 1995, को वसई-विहार उपक्षेत्र, मीरा-भयंदर म्युनिसिपल कौंसिल, थाणे नगर निगम, कल्याण नगर निगम, मुम्बई महानगर क्षेत्र के उत्तरी भाग और रायगढ़ जिले के लिए राज्य सरकार ने समुद्रतटीय राज्यों की समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय सरकान को स्मरण कराया है। परन्तु उसका कोई सकारात्मक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबंध योजना को अविलम्ब स्वीकृत किया जाए और अन्य समुद्रतटीय राज्यों की समुद्रतटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजनाओं को प्रस्तुत करने और स्वीकृति देने के बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

**(चार) एक पृथक उत्तराखंड राज्य बनाए जाने की आवश्यकता**

**श्री मंजय लाल (समस्तीपुर)** : उपाध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड निर्माण हेतु वहां के लोग वहां की उत्तराखंड संयुक्त, संघर्ष समिति के तत्वावधान में अपनी मांग को लेकर मर मिटने को तैयार हैं। वे अपने खून से सांसदों के पास अनेकों पत्र भेज रहे हैं। उत्तराखंड के पिछड़ेपन को देखते हुए वहाँ के प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त कर इस क्षेत्र के विकास हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो बार प्रस्ताव पारित कर उत्तराखंड राज्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार को आगाह किया है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह संसद के इसी सत्र में उत्तराखंड राज्य के निर्माण हेतु विधेयक पारित कराये।

[अनुवाद]

**(पांच) तमिलनाडु की तट रेखा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृति किए जाने की आवश्यकता**

**श्री पी. कुमारसामी (पलानी)** : मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान तमिलनाडु को 12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की तत्कालिक आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूँ जिससे वह घुसपैठ से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों की रक्षा कर सके।

तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र एक संवेदनशील क्षेत्र है। जहाँ उग्रवादी, आतंकवादी और अन्य दुश्मन घुसपैठ करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्र के व्यापक हित में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र की सुरक्षा प्रबंध के लिए प्रशंसनीय कदम उठाया है।

चूंकि राज्य सरकार के पास संसाधन सीकित हैं इसलिए तमिलनाडु सरकार ने राज्य की 1000 कि.मी. लम्बी तटीय रेखा की घुसपैठ से रक्षा करने के लिए केन्द्र से 12 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता की मांग की है। तमिलनाडु सरकार अपने संसाधनों से तटीय क्षेत्र की रक्षा करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है। परन्तु केन्द्र को तमिलनाडु तटीय क्षेत्र की संवेदनशीलता महसुस करनी चाहिए ताकि त्रुटिरहित सुरक्षा प्रबंध किए जा सकें। केन्द्रीय सरकार को समुद्र में उग्रवादियों के पोतों और नौकाओं के कथित आवागमन को गंभीरता से नोट करना चाहिए ताकि हमारी तटीय सीमा सुरक्षित रह सके जैसा कि अब है।

इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु को 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए।

**(छः) मंगलौर और शोरनूर के बीच रेलवे लाइन को दोहरी किए जाने की आवश्यकता**

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर)** : मंगलौर-मद्रास रेलवे लाइन भारत में सबसे पुरानी रेलवे लाइन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 45 वर्षों के दौरान देश में अन्यत्र स्थानों पर रेलवे के विकास में भारी प्रगति हुई है। तथापि, मंगलौर-मद्रास रेलवे मार्ग पर शोरनूर और मंगलौर के बीच रेलवे लाइन का कोई सुधार नहीं हुआ है।

इस निष्क्रियता के कारण मालाबार क्षेत्र जिसमें केरल के छः बड़े जिले शामिल हैं, का पिछड़ापन बहुत बढ़ गया है। इस मामले को लेकर मालाबार के लोग काफी उत्तेजित हैं। जनता के प्रतिनिधियों ने और व्यापार तथा वाणिज्य, सामाजिक-सांस्कृति संगठनों, स्थानीय निकायों, विद्यार्थियों आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक संगठनों ने बार-बार मंगलौर और शोरनूर के बीच लाइन के दोहरीकरण के लिए एक के बाद एक आने वाली सरकारों के समक्ष इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को रखा।

लगातार विरोध और आंदोलन करने के परिणामस्वरूप लगभग दो वर्ष पूर्व रेलवे प्रशासन ने इस परियोजना के लिए अल्प राशि आवंटित की थी। परन्तु आज तक इस राशि का इस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं हुआ है। लोगों को यह डर है कि इस वर्ष भी इस राशि का उपयोग अन्य क्षेत्रों और अन्य परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

कोंकण रेलवे प्राधिकरण का प्रस्ताव मालाबार के लोगों के लिए आशा की किरण लेकर आया है। उन्होंने प्रस्ताव किया है कि यदि उन्हें परियोजना पर काम करने की अनुमति दी जाती है तो वह रेलवे प्रशासन की वित्तीय मदद के बिना भी एक साल के अंदर लाइन को दोहरी कर सकते हैं। तथापि कुछ कारणों से जो उन्हें ज्ञात हैं, रेलवे प्राधिकारियों ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है।

मेरा माननीय रेल मंत्री से हार्दिक अनुरोध है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। और कोंकण रेलवे प्राधिकरण को मंगलौर-शोरनूर लाइन को दोहरा करने का कार्य आरम्भ करने के लिए निदेश दें, तभी दक्षिणी राज्य कोंकण परियोजना से पूरी तरह से लाभान्वित होंगे।

**(सात) महाराष्ट्र के भूकम्पग्रस्त सतारा और सांगली जिलों में एकीकृत बाल विकास परियोजना आरंभ करने की आवश्यकता**

**श्री पृथ्वीराज डी.चव्हाण (कराड़)** : महोदय, पश्चिमी महाराष्ट्र के कोयना और वरना क्षेत्रों को बार-बार भूकंपों का सामना करना पड़ रहा है। 1967 में यहाँ एक बड़ा भूकंप आया था। इसके बाद अगस्त 1993 और फरवरी 1994 के बीच आए चार बड़े भूकम्पों ने क्षेत्र को तबाह कर दिया जिसके कारण 10,000 लोग बेघर हो गए। इससे उद्योगों में निवेश करने वाले संभावित लोग वहां नहीं गए। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट का भाग होने के कारण पहाड़ी इलाका है। यद्यपि यहां

पर्याप्त वर्षा होती है परन्तु पानी जमा करने के लिए भण्डारण टैंकों की कमी के कारण सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं होता है। गर्मियों में पेयजल की भी कमी बनी रहती है, इसके परिणामस्वरूप खेती का काम सारा साल नहीं होता है। लोगों को मजदूरी की तलाश में मुम्बई जाना पड़ता है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों को होता है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र में सतारा जिले की पाटन, जवाली और महाबलेश्वर तहसीलों और सांगली जिले की शिरला तहसील में एकीकृत बाल विकास योजना आरम्भ की जाए। यद्यपि ये ब्लाक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का मापदंड अथवा निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का मापदंड पूरा नहीं करते हैं, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह बार-बार भूकम्प आने के कारण इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए एक विशेष मामले के तौर पर इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करें।

मेरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से निवेदन है कि शीघ्र ही एक विशेष मामले के रूप में चार ब्लाकों में एकीकृत बाल विकास योजना आरम्भ की जाये।

---

## संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक – जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मद संख्या 12 और 13 चर्चा के लिए एक साथ लिए जाएंगे। इसके लिए दो घंटे का समय आवंटित किया गया है और 1 घंटा और 55 मिनट बीत गया है। 5 मिनट का समय शेष रह गया है।

**[हिन्दी]**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों के अधिकार का सवाल है, इसलिए इस बिल का समय दो घन्टे और बढ़ाया जाए।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें आवंटित समय के अन्दर ही चर्चा समाप्त करनी चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : बिल देखने में तो छोटा है, लेकिन देश की संघीय व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार राज्यों को संसाधन नहीं दे रही है। राज्यों का सवाल है। इसलिए इसका समय बढ़ाया जाए।

**[अनुवाद]**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एंव खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक)** : महोदय, श्री मोहन सिंह ने जो कुछ कहा है, मैं उसे स्वीकार करने कों तैयार हूँ, हमारी तरफ से भी कुछ सदस्य हैं जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, लेकिन इस बात को देखते हुए कि ऐसे अनेक और विधेयक हैं जिन पर हमें विचार करना है और सभा की कार्यवाही करनी है तो मैं समझता हूँ कि इन्हें यथासंभव सीमित करें और साथ ही साथ उन माननीय सदस्यों को मौका दें जो बोलना चाहते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सत्ता पक्ष वास्तव में बहुत उदार है.....

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : सत्ता पक्ष ने आपके विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है.....

**(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : उपाध्यक्ष महोदय, आप सब को थोड़-थीड़ा समय बोलने के लिए दीजिए, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है... ..**(व्यवधान)** यह तो आपकी क्षमता पर निर्भर है कि आप इसको कितनी जल्दी डिस्पोज-ऑफ कर सकते हैं।

**[अनुवाद]**

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री प्रभु दयाल, आपके सुझाव हमेशा स्वीकार किए जाएंगे, ठीक हैं, मैं श्री रमेश चेन्नित्तला को बुलाता हूँ। श्री रमेश चेनित्तला।

**श्री रमेश चेनित्तला (कोट्टायम)** : मैं वित्त राज्य मंत्री द्वारा पुरःस्थापित दो विधेयकों का समर्थन करता हूँ पहला विधेयक संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक है और दूसरा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व का माल) संशोधन विधेयक है।

भारतीय संविधान ने संसद को उत्पाद शुल्क लगाने का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 272 सातवीं अनूसूची में यह भी प्रावधान है कि राज्यों को भी इन शुल्कों का हिस्सा मिल सकता है यदि संसद वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून बना कर ऐसी व्यवस्था करे।

वित्त आयोग भी संविधान की देन है। दसवें वित्त आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है, मेरा विचार था कि वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा की जाए। दुर्भाग्यवश हमें इस पर संसद में चर्चा करने के लिए समय नहीं मिलेगा। केवल आठवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन इस सम्माननीय सभा में प्रस्तुत किया गया था और इस पर

विस्तार से चर्चा हुई थी और संसद सदस्यों ने राज्यों और केन्द्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। परन्तु दुर्भाग्यवश हमें इस सम्माननीय सभा में दसवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर नहीं मिला है।

नौवे वित्त आयोग ने अपने दूसरे प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि संघ उत्पाद शुल्क और विशेष अधिनियमों के अंतर्गत लगाए गए उपकर से प्राप्त वार्षिक शुद्ध आय का 45 प्रतिशत भाग, जो राज्यों के लिए निर्धारित किया गया है, राज्यों को दिया जाए और राज्यों को वितरित किया जाए जैसा कि नौवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी। दसवें वित्त आयोग ने भी यह सिफारिश की थी संघ उत्पाद शुलक में राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 47.5 प्रतिशत कर दिया जाए। वृद्धि केवल 2.5 प्रतिशत की है, आयोग ने 47.5 प्रतिशत में से 7.5 प्रतिशत भाग अलग से रखने का निर्णय किया है जिसे उन राज्यों में वितरित किया जाना है जिन्हें आयोग ने कम संसाधन वाला राज्य आकलित किया है।

हम इसका आकलन कैसे कर रहे हैं? इसके लिए वित्त आयोग ने दो मुख्य मापदंड अपनाए हैं। एक राज्य की जनसंख्या और दूसरा उसका पिछड़ापन है। इस संबंध में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम राज्य के पिछड़ेपन का आकलन कैसे कर रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के मामले में अनेक विवाद हैं, यदि राज्य शक्तिशाली है तब केन्द्र भी शक्तिशाली होगा। इसलिए राज्यों को अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए। उसे अधिक वित्तीय स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राज्यों के समक्ष धन की कमी की समस्या और शोचनीय स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान रखनो चाहिए।

कुछ दिन पहले हमारे अनेक साथियों ने राज्य के पिछड़ेपन के आकलन का मुद्दा उठाया था। इसलिए इस तरह एक तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे किसी विशेष राज्य के पिछड़ेपन का आकलन करने का वास्तविक प्रयास किया जा सके उदाहरण के लिए केरल, उड़ीसा, बिहार और ऐसे अन्य अनेक राज्य हैं जो औद्योगिक रूप से अविकसित हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए इन राज्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि इन राज्यों का कैसे ध्यान रखा जाएगा। सभी राज्यों में 40 प्रतिशत हिस्सा और कमी वाले राज्यों में 7.5 प्रतिशत हिस्सा वितरित किया जाएगा। इसलिए जैसा कि पहले कहा गया है, कमी के आधार पर 7.5 प्रतिशत वितरित किया जाता है। कुछ मामलों में यह बहुत स्पष्ट है कि कुछ विकसित राज्य भी अपने आपको कमी वाले राज्य दिखा रहे हैं। इससे अन्य राज्यों को जो वास्तव में कमी वाले राज्य हैं, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरा विधेयक विशेष रूप से उल्लिखित कुछ सामग्रियों विशेषकर अधिक खपत वाली सामग्रियों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बारे में है। 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह निर्णय किया था कि केन्द्र चीनी, तम्बाकू, सूती कपड़े, ऊनी कपड़े और मानव निर्मित सभी तरह के कपड़ों पर अतिरिक्त शुल्क लगाए और राज्यों को इन वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने के अधिकार का प्रयोग न करने दिया जाए। यह समझौता 1956 में केन्द्र और राज्यों ने किया था। इस समझौते के अन्तर्गत केन्द्र, अधिक खपत वाली सामग्रियों पर उत्पाद शुल्क लगा रहा है और उनका संग्रहण कर रहा है और उन्हें समय-समय पर वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों में वितरित कर रहा है।

दूसरे वित्त आयोग ने, जिसने इस विषय पर पहली बार विचार किया, जनसंख्या के साथ एक सर्वसम्मत खपत आंकड़े को ध्यान में रखा। इस विषय पर काफी चर्चा हुई। नौवें वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों का भाग इन वस्तुओं की खपत में उनके भाग के समान होना चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश इन वस्तुओं की राज्यवार खपत की संगत और प्रत्यक्ष जानकारी आयोग के पास नहीं थी। इसलिए वित्त आयोग ने राज्य घरेलू उत्पाद और राज्य की जनसंख्या आदि जैसे परोक्ष तरीके निर्धारित किए हैं। नौवें वित्त आयोग ने इन दो पहलुओं पर जोर दिया था और उन्होंने इसके लिए 1991 की जनगणना को लिया। परन्तु दसवें वित्त आयोग ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की और अधिक खपत वाली वस्तुओं और जनसंख्या पर इस फार्मूले में पर्याप्त जोर दिया गया। वस्तुओं के अलावा, हम इन वस्तुओं की अधिक खपत के एक पहलू को देख रह हैं। दसवें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि सिद्धान्त निर्धारित करने में जनसंख्या पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। दसवें वित्त आयोग के अनुसार 50 प्रतिशत जोर जनसंख्या पर 40 प्रतिशत जोर पिछले तीन वर्षों के राज्य उत्पाद के औतस पर और 10 प्रतिश जोर तीन वर्षों के राज्यों के बिक्री कर के औसत संग्रहण पर दिया जाना है। दसवें वित्त आयोग ने 1991 की जनसंख्या को आधार बनाया था। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार यह दो विधेयक लाई है। निश्चय ही यह स्वागतयोग्य कदम है।

केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में पहले काफी चर्चा हो चुकी है। दसवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर इन दो विधेयकों को पुरःस्थापित किया गया। मैं सरकार द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करता हूँ। परन्तु इस संबंध में कुछ और अधिक किया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या यह राज्यों और केन्द्र के बीच खत्म न होने वाली इस चर्चा को हल कर सकेगा कि विभाजक पूल का क्या प्रयोजन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यह चर्चा चलती रहेगी क्योंकि दसवें वित्त आयोग ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय सुझाये थे परन्तु केन्द्रीय सरकार दसवें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रही है।

आय कर और उत्पाद शुल्क की कुछ प्रतिशतता देने की वर्तमान व्यवस्था राज्यों को संतुष्ट करने में असफल रही है। केन्द्र के पास कुछ और अधिक कर वसूलने के वैकल्पिक तरीके, कराधन के तरीके हैं जो कि पूल के भाग नहीं हैं। परन्तु राज्यों के पास ऐसा करने का

अधिकार नहीं है। अब क्या हो रहा है ? प्रत्येक राज्य में संसाधन जुटाने की एक बड़ी समस्या है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक राज्य अब अधिकतम सीमा पर पहुंच गया है और वे अपने कल्याण उपायों को भी कम नहीं कर सकते। वे अधिक कर लगाने की स्थिति में नहीं हैं, अधिकांश राज्य अधिकतम सीमा के बिंदु तक पहुंच गए हैं। इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए और केन्द्रीय सरकार को इसे बहुत हल्के रूप में नहीं लेना चाहिए। राज्यों की शिकायतों को हलके तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए।

दसवें वित्त आयोग ने इस रिपोर्ट में दो गुना ऋण राहत योजना का बहुत अच्छे ढंग से उल्लेख किया है सबने इसका स्वागत किया है। राज्य इससे प्रसन्न थे। परन्तु केन्द्र इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। यह सब राज्यों के लिए दो गुना ऋण राहत योजना है। दूसरा यह ऋण के भार से दब रहे राज्य के लिए है। दुर्भाग्यवश केन्द्र उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे विशेष श्रेणी वाले राज्यों के लिए 5 प्रतिशत ऋण राहत देने के बारे में दसवें वित्त आयोग के इस सुझाव के बारे में मौन है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि संसाधनों के विभाजक पूल में निगम और सेवा कर और उत्पाद शुल्क शामिल करने के बारे में सरकार का क्या विचार है। इस मामले में भी काफी चर्चा हुई थी। यहाँ तक कि राज्य सरकारों ने वित्त आयोग के समक्ष इस मामले को उठाया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विभाजन पूल में निगम तथा सेवा कर और सीमा शुल्क शामिल करने के संबंध में सरकार का क्या विचार है।

महोदय, मैं अपने राज्य केरल के बारे में कहना चाहता हूं । केरल के बारे में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य चिन्तित है। राज्य को निधि अंतरण के पहले वर्ष के दौरान 25 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा। अन्त में 5 वर्ष के बाद भी केरल जैसे राजस्व कमी वाले राज्य को कोई ठोस लाभ नहीं होगा। केरल एक ऐसा राज्य है जहां हम पहले ही अनेक सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। इस मामले में हम अन्य राज्यों से आगे हैं। जिन्होंने ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की हैं अथवा आरम्भ कर रहे हैं। केरल ऐसा राज्य है जिसने इन सभी योजनाओं को क्रियान्वित किया है। परन्तु सरकार की स्थिति बहुत खराब है। हम अधिक कर वसुल करने अथवा लोगों पर अधिक कर लगाने की स्थिति में नहीं हैं। राज्य की वित्तीय व्यवस्था ऐसे चरण पर पहुंच गई है जहां हम राज्य के लोगों पर और अधिक कर नहीं लगा सकते। राज्य में संसाधनों का आन्तरिक सृजन बहुत कठिन है और जैसा कि मैंने कहा है कि हम उन कल्याणकारी उपायों को कम करने अथवा रोकने की स्थिति में नहीं है जो पिछली सरकारों द्वारा आरम्भ किए गए थे। इसलिए केन्द्रीय सरकार को केरल जैसे राज्य की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। जहां तक उद्योग का संबंध है केरल एक पिछड़ा राज्य है यहाँ कोई औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है। हमारे राज्य में कोई बड़ा उद्योग नहीं लग रहा है। बेरोजगारी समस्या अपनी चरण सीमा पर है। अधिक पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों की समस्या बड़ी गंभीर है और हमारे राज्य को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

दसवें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में यह कहा गया है कि पिछड़े राज्य को मिलने वाले हिस्से की प्रतिशतता उसकी जनसंख्या के अनुपात से कम नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापन में यह सुझाव दिया गया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जनसंख्या के अनुपात के साथ पिछड़ेपन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अनुपात निर्धारित करने में पिछड़ेपन और जनसंख्या अनुपात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यद्यपि वित्त आयोग को आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े राज्यों को सहायता करने के लिए कहा गया है। केरल को उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप हिस्सा नहीं मिला है। वित्त आयोग ने कुछ राज्यों को जो पिछड़े हुए हैं कुछ सहायता देने की सिफारिश की है। परन्तु दुर्भाग्यवश इस श्रेणी में भी मेरा राज्य केरल नहीं आता है।

महोदय, नवें और दसवें वित्त आयोग दोनों का रवैया केरल राज्य के प्रति उदार नहीं रहे हैं। केरल अंतरित निधि के हिस्से के आधार पर 7,722 करोड़ रुपये पाने का अधिकारी है जिसमें अकाल राहत व्यय के लिए 219 करोड़ रुपये और स्थानीय निकायों के लिए 204 करोड़ रुपये शामिल हैं। परन्तु उसे केवल 52 करोड़ रुपये 'विशेष समस्याएं' शीर्ष के अंतर्गत मिले हैं।

महोदय, गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान की अनुमति 15 राज्यों को मिली है, केरल, जिसके औद्योगिक और कृषि उत्पादन आंकड़े बहुत ही असंतोषजनक हैं, को महाराष्ट्र और गुजरात जो हमारे देश में औद्योगिक रूप से उन्नत राज्य हैं, के साथ रखा गया है। इसलिए हमारे राज्य की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और मैं समझता हूं कि केरल राज्य की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए जो कि औद्योगिक और कृषि उत्पादन के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हाल के वर्षों में केरल में हम बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देख रहे हैं जिसके कारण वहां आधारिक संरचनाएं वस्तुतः नष्ट हो गई हैं। जिन्हें पिछले अनेक वर्षों के दौरान बड़ी मेहनत से बनाया गया था। इसलिए केरल को केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि जनसंख्या और पिछड़ेपन दो पहलूओं को ध्यान में रखा जाता है तो केरल को अधिक सहायता दी जानी चाहिए।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। परन्तु मैं एक और बात पर जोर देना चाहता हूं। यह आम धारण है कि केन्द्र हमेशा कहता आया है कि यह राज्यों को अधिक संसाधन दे रहा है। परन्तु यह ऐसी नहीं कर रहा है। राज्य ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि वे लोगों की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा सकें। हमारी संघीय व्यवस्था है और यदि संघीय व्यवस्था को अधिक प्रभावी

होना है तो राज्यों को अधिक सक्षम होना होगा और केन्द्र को भी अधिक मजबूत बनना होगा। राज्यों को संसाधन आवंटित करते समय क्षेत्रीय असंतुलन, पिछड़ेपन और अनेक अन्य कारकों को ध्यान में रखना होगा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार दसवें वित्त आयोग के सुझावों को क्रियान्वित करेगी और क्या सरकार राज्यों के संसाधनों के वितरण की कानूनी व्यवस्था को देखेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों का अधिक ध्यान रखेगी जहाँ लोगों को बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, एक तरह से ये दो विधेयक निश्चय ही स्वागत योग्य हैं। मैं समझता हूँ कि यह कार्य राज्यों के साथ संसाधनों का उपयोग करने की शुरूआत है परन्तु भविष्य में केन्द्र को राज्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए जो कि औद्योगिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हुए हैं।

**श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि जैसी उसकी योजनाएं हैं इससे इस देश में यह भावना उठ रही है कि राज्यों की उपेक्षा की जा रही है और केन्द्र देश के वित्त पर नियंत्रण करके अधिक संसाधनों को बटोर रही है और इसके जरिए वह राज्यों पर नियंत्रण रखना चाहता है। यह एक साम्राज्यवादी देन है। वित्तीय संसाधनों में हिस्सा लेने की व्यवस्था अतीत की देन है अर्थात साम्राज्यवादी देन। उस समय, सरकार की व्यवस्था अत्यधिक केन्द्रीकृत थी और राज्यों के व्यय और आय दोनों पर नियंत्रण केन्द्र का था। यह हमें विरासत में मिला है। अब सारे देश में शिकायतें बढ़ रही हैं और आंदोलन हो रहे हैं जिनमें यह मांग की जा रही है कि वित्तीय अधिकार राज्यों को अंतरित किए जाने चाहिए और राज्यों के पास अपनी आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन होने चाहिए ताकि विकास कार्य को धक्का न लगे।

महोदय, एक ऐसी व्यवस्था में जो इस समय हमारे देश में प्रचलित है, कोई भी विकेन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती और इसलिए यह विषय लोगों के मन को शुरू से उद्वेलित कर रहा है। वित्त आयोग समय-समय पर राज्यों और केन्द्र के बीच संसाधनों के बंटवारे के तरीकों का सुझाव देता रहता है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। मैं केरल के अपने मित्र श्री चेन्नित्तला से सहमत हूँ कि देश की आय का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता राज्यों, जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, को नुकसान होता रहेगा।

महोदय, नई औद्योगिक नीति के लागू करने और हमारी अर्थव्यवस्था का तथाकथित खगोलीकरण करने और उद्योगों तथा अन्य संसाधनों का निजीकरण करने के बाद से मन में शंका उत्पन्न हो रही है। अब यह भावना पैदा हो रही है कि क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ेगा क्योंकि जब हम विकास का प्रतिरूप देखते हैं अथवा विदेशी फर्मों और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि देश का बड़ा भाग पूरी तरह से उपेक्षित है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अन्य पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह से उपेक्षित हैं। इस क्षेत्र में पूंजी का प्रवेश मुश्किल से होता है। इसलिए क्षेत्र की पहले ही असंतुलित अर्थव्यवस्था और बिगड़ जाएगी और सामाजिक तनाव बढ़ेगा। इसलिए महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि एक अधिक कामचलाऊ फार्मूला, एक अधिक उचित फार्मूला और एक अधिक युक्ति संगत फार्मूला बनाया जाए ताकि वित्तीय शक्तियों और संसाधनों का उचित अंतरण हो सके।

महोदय, इस संदर्भ में मैं यह भी सिफारिश करूँगा कि निगमित कर पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस समय निगमित कर में राज्यों का कोई भाग नहीं है। जब योजना बनाई गई थी तब निगमित कर से कोई अधिक आय नहीं होती थी। परन्तु धीरे-धीरे यह बढ़ी है और अब संविधान के अनुच्छेद 287 में संशोधन लाने की आवश्यकता है। सरकारिया आयोग ने भी यह सिफारिश की थी कि इसको किया जाना चाहिए। वास्तव में आठवें वित्त आयोग ने स्वयं यह सिफारिशें की थी कि राज्यों को निगमित कर में उसका उचित भाग मिलना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए संविधान का उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। सरकारिया आयोग ने इस पर विचार किया था और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि हम सिफारिश करते हैं। (पृष्ठ 274, खंड ।।) :

> ''कि संविधान में उपयुक्त संशोधन के द्वारा निगमित कर रही शुद्ध आय का अनुज्ञा से राज्यों के साथ हिस्सा किया जाए यदि और जैसा संसद विधि द्वारा इसका प्रावधान करे। इससे वितरण का आधार विस्तृत करने का लाभ होगा ताकि राज्यों की आय में भविष्य में अधिक स्थायित्व और पूर्वानुमेयता लाया जा सके। इसके अतिरिक्त स्थायी संसाधन होने के कारण राज्यों को अपने विकास में भी लाभ होगा''।

महोदय, मैं सिफारिश करता हूँ कि सरकारिया आयोग की सिफारिश पर गंभीरता से विचार किया जाए क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह पूर्वोत्तर राज्यों में असंतोष हैं, किस तरह जम्मू और कश्मीर में असंतोष है। अन्य समस्याओं के अलावा, आर्थिक विकास, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन उत्पन्न होने वाली समस्या ने उस क्षेत्र में अलगाववादी प्रवृत्ति को उग्र बना दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी यह समस्या है और हमें आशा है कि यह सारे देश में नहीं फैलेगा।

कुछ ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे हैं। मेरे राज्य बिहार में हर वर्ष नेपाल से बाढ़ आती है। जब नेपाल में स्थिति हिमालय में भारी वर्षा होती है तो उत्तरी बिहार में बाढ़ आती है और यह न केवल संसाधनों को बहा ले जाती है अपितु यह फसलों को प्रभावित करती है। यह मकानों, सड़कों तथा आधारभूत संरचनाओं को नष्ट करती है। हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जब तक दो देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं होता है और दो देशों के बीच उच्च स्तर पर कुछ ठोस उपाय नहीं लिए जाते हैं, उत्तरी

बिहार अथवा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता क्योंकि पानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार नेपाल से आता है। एक निर्धन राज्य किस तरह से किसानों को हुई हानि, सड़कों और अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मत आदि का खर्च कैसे पूरा कर सकेगा ? इसलिए इस क्षेत्र के लोगों की सहायता करने, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए एक निश्चित प्रबंध, पर्याप्त प्रबंध, वित्तीय प्रबंध करना चाहिए ताकि ये राज्य जब भी बाढ़ या सूखे की स्थिति आती है तो उसका सामना कर सकें।

बिहार के सोलह जिलों में उग्रवाद की समस्या है; यह एक सतत प्रक्रिया है; इसमें सैकड़ो लोग मरे हैं; उन्हें मार दिया गया है; लोगों में असंतोष है और विकास का कार्य रुका पड़ा है। इसलिए केन्द्र को संसाधन के बंटवारे की निरंतर व्यवस्था करनी चाहिए ताकि इन राज्यों को नुकसान न उठाना पड़े।

महोदय, क्षेत्रीय असंतुलन अथवा इन क्षेत्रों का अल्प विकास होने के बारे में मैं पहले ही आगाह करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य राज्य जो भी पैदा करें, बाजार उन क्षेत्रों में हैं; बाजार उत्तर प्रदेश में है, बाजार इन अविकसित क्षेत्रों में है। यदि इन क्षेत्रों के लोग वित्तीय, आर्थिक रूप से समर्थ नहीं होते हैं तो वे इन वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे और देश में मंदी की स्थिति आ जाएगी। इसलिए अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर शक्ति सुनिश्चित करने के लिए मैं सिफारिश करूँगा कि उत्पादन शुल्क का 73 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को देना चाहिए और 25 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र को अपने पास रखना चाहिए। मैं यह भी सिफारिश करूँगा कि अनुच्छेद 287 का संशोधन करने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि राज्य निगमित कर से भी पर्याप्त हिस्सा प्राप्त कर सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। यह एक अच्छी शुरूआत है; यह एक छोटी सी शुरूआत है। मैं आशा करता हूँ कि सरकार देश के विकास के सब पहलुओं को ध्यान में रखेगी और राज्यों के प्रति उदार रहेगी। राज्यों को नुकसान नहीं होने देना चाहिए। उनको देश की प्रगति में बराबरी का हिस्सेदार समझा जाना चाहिए।

**प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (डायड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, यह दो विधेयक संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण लाया गया है। पिछले नौ वित्त आयोगों की तरह दसवें वित्त आयोग ने भी संघीय वित्त की समस्याओं और संभावनाओं पर विचार किया है जो सार्वजनिक निधियों को जुटाने और उनका वितरण करने, कतिपय करों अर्थात संघ आय कर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि से होने वाली आय की व्यवस्था करने के बारे में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से और सहायता की आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को अनुदान देने के बारे में हैं। इसके अतिरिक्त वित्त के अन्य स्रोत हैं जैसे विवेकाधीन अंतरण और योजना आयोग द्वारा अंतरण।

महोदय, दसवें वित्त आयोग ने कहा है कि आय कर में राज्यों का हिस्सा 80 प्रतिशत से कम होकर 77.5 प्रतिशत हुआ है। लेकिन वित्त आयोग के अनुसार संघ उत्पाद शुल्क में उनका हिस्सा 45 प्रतिशत से बढ़कर 47.5 प्रतिशत हुआ है। इससे राज्य पहले से बेहतर स्थिति में हैं। परन्तु तथ्य तो यह है कि आय कर में राज्यों का हिस्सा कम करने के निर्णय से विशेषकर पश्चिमी बंगाल जैसे राज्य प्रभावित होंगे। पहले ही पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इस संबंध में तथ्यों को केन्द्रीय मंत्रालय के ध्यान में रखा है।

दूसरा, राज्यों के साथ संघ उत्पाद शुल्क से होने वाली आय में पश्चिम बंगाल का उसमें हिस्सा 45 प्रतिशत से कम होकर 40 प्रतिशत हुआ है। पश्चिम बंगाल को योजना घाटे का अनुदान भी मिलना बंद हो जाएग। यह योजना नौवें वित्त आयोग ने आरम्भ की थी। जबकि पश्चिम बंगाल को इस सुविधा से वंचित किया गया है, कुछ अन्य राज्यों को यह लाभ मिलता रहेगा।

तीसरा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के बारे में यह कहना है कि कुछ राज्य विशेषकर पूर्वी भारत के राज्य इससे वंचित हो जाएंगे। परन्तु अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और पश्चिम बंगाल का प्रतिशत हिस्सा कम हो जाएगा जबकि कुछ राज्यों, जहां घाटा नहीं है, जो कमजोर नहीं हैं, का हिस्सा बढ़ जाएगा। यह भेदभाव है जिसका मैं विरोध करता हूँ।

राज्यों की यह आम शिकायतें हैं कि दसवें वित्त आयोग का राज्यों को धन का बंटवारा पारदर्शी मापदंड पर आधारित नहीं है क्योंकि इसने अन्तर को भरने वाला दृष्टिकोण अपनाया है। उसका कोई संतुलित दृष्टिकोण नहीं है। इसके अतिरिक्त दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों में समस्तरी और ऊर्ध्वमुखी संतुलन का अभाव है।

चौथा, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की आवश्यकताओं का आकलन एकपक्षीय ढंग से किया है। यहां तक कि संसद को विश्वास में नहीं लिया गया और राज्यों की राय भी नहीं मांगी गई और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में इस मामले को नहीं उठाया गया। यद्यपि राष्ट्रीय विकास परिषद अपने सुझाव और सर्वसम्मत सिफारिशें देता है, वह भी वित्त आयोग की सिफारिशों में प्रतिबिम्बित नहीं होता है। यह वित्त आयोग का इतिहास है। यह 10वें वित्त आयोग के बारे में सच है।

पिछड़े राज्यों के मामले पर भी उचित रूप से विचार नहीं किया गया है।

सेवा शर्तों के विषय वस्तु के बारे में यह कहना है कि उन्हें पहले ही केन्द्रीय सरकार ने तय कर दिया है।

जहां तक इसके प्रारूप का सम्बन्ध है, केन्द्र द्वारा सेवा शर्तों में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 4 के विरुद्ध हैं जिसमें कहा गया है कि ''आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा'' परन्तु इस मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्देश बन गए हैं। पहले से तय निर्देश आधारित केन्द्रीयकरण करने के बाद भारत सरकार की यह प्रवृत्ति हो रही है कि आर्थिक शक्तियों का केन्द्रीयकरण किया जाए।

राज्यों के व्यय और प्राप्ति का आकलन करने में मापदंड दृष्टिकोण अपनाने की घोषणा की गई है। लेकिन घोषणा करने के बाद राज्यों के साथ स्पष्ट पत्राचार नहीं किया गया है कि ये मापदंड क्या होने चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार ने एकपक्षीय ढंग से निर्धारित किया है।

इन सबको कहने का मेरा तात्पर्य है कि इस बढ़ते हुए केन्द्रीयकरण से हमारे देश को किसी तरह से लाभ नहीं पहुंचेगा और इस बढ़ रहे केन्द्रीयकरण से राज्यों से विरोध हो रहा है और उनमें अलगाव की भावना पैदा रही है। सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे इस बात को ध्यान में रखें।

इसके अतिरिक्त सेवा शर्तों में दोहरा मापदंड अपनाया गया है। जबकि केन्द्र के व्यय का आकलन करते समय केन्द्र का प्रतिबद्ध व्यय और उसकी देनदारियों को ध्यान में रखा गया है, राज्यों के मामले में ऐसा नहीं किया गया है।

**3.00 म. प.**

यह दोहरा मापदण्ड नहीं चलना चाहिए। इस संदर्भ में क्या मैं पूछ सकता हूँ कि केन्द्रीय सरकार परेषण कर को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों कर रही है यद्यपि इस संबंध में मुख्य मंत्रियों द्वारा सर्वसम्मत निर्णय नौ वर्ष पहले लिया जा चुका है तथा बाद में संविधान में संशोधन किए गए हैं और औद्योगिक रूप से कम विकसित राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

राज्यों के साथ वित्तीय अन्याय जारी रहने का एक अन्य उदाहरण निगमित कर और अन्य आय कर को आय कर के विभाज्य पूल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखना है। इस मामले में भी राष्ट्रीय विकास आयोग की एक सर्वसम्मत सिफारिश है। यह आयोग की पिछले आयोगों की तरह आकलित मूल्य वृद्धि के द्वारा अतिरिक्त राजस्व उगाहने, जबकि राज्य ऐसा नहीं कर सकते, वे केन्द्रीय सरकार के हाल के तरीके की गलत बात पर अनुचित रूप से मौन हैं।

**3.01 म. प.**

**[प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं]**

केन्द्र अपने आप आकलित मूल्य तंत्र को द्वारा राजस्व उगाह सकता है। परन्तु राज्यों को इससे वंचित किया जा रहा है। यह इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देखा जा सकता है कि कतिपय वित्तीय भार, कतिपय वित्तीय जिम्मेदारी राज्यों पर निर्धारित कर दी गई हैं। राज्यों की जिम्मेदारियाँ बढ़ रही हैं, क्रमिक रूप से बढ़ रही हैं और फिर राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों में इतना अधिक लचीलापन नहीं है। हम अपने देश में भूमि की रचना के कारण, किसानों के मिले जुले रूप के कारण भूमि से राजस्व उगाहने की सोच नहीं सकते। इसलिए राज्य इन बातों पर निर्भर नहीं कर सकते। जबकि एक ओर आम राज्यों को उनके राजस्व से वंचित करते हैं। आप वित्त आयोग की सिफारिशों के द्वारा शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रित करते हैं। और आप राज्यों की आवश्यकताओं को नहीं देखते। इस पृष्ठभूमि में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा। कुछ वित्त आयोग के होने की वजह से और कुछ स्वंय वित्त आयोग के कार्य के कारण वित्त आयोग का क्षेत्र प्रत्येक राज्य के गैर योजना राजस्व के अंतर का केवल आकलन करने और उसे पूरा करने तक सीमित रह जाता है। मैं चाहता हूँ कि वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाए ताकि यह पूंजी और राजस्व बजट को अलग-अलग और एक साथ ले सके। निःसंदेह इसके लिए योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निरूपण करने और उनमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होगी। लेकिन ऐसा संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है।

मेरा दूसरा सुझाव है; केन्द्र की समूची सकल कर राजस्व की संरचना विभाज्य पूल के रूप में की जाए। तीसरा, हमें मापदंड के विभिन्न तत्वों के महत्व की व्यवस्था पुनः करनी होगी। उदाहरण के लिए, जबकि वित्त आयोग राज्यों की सकल आवश्यकताओं का आकलन राजस्व अंतर के आधार पर करता है, राज्यों को उनके हिस्सों के करों का बंटवारा इस आधार पर नहीं किया जाता है। तीसरा, आपको क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक धन देना होगा। चौथा, आपको मूल्य वृद्धि के प्रभाव की प्रतिपूर्ति करनी होगी। क्योंकि राज्य इस मूल्य वृद्धि के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपकी आर्थिक नीति के कारण आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्रमिक रूप से बढ़ रहे हैं। अतः राज्य इससे निबट नहीं सकते हैं। मंहगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग उठती है। वेतन तथा मजूरी बढ़ाने की मांग उठती है। इसलिए राज्यों की क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। वितरण फार्मूले में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें यह विचार समाविष्ट है कि विकास खाका इस प्रकार बनाया जाए जिससे विकास और क्षेत्रीय विषमताओं में कमी साथ-साथ हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

**[हिन्दी]**

**श्री काशीराम राणा (सूरत)** : सभापति जी, दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये वर्तमान एक्साइज ड्यूटी और एडीशनल एक्साइज ड्यूटी के ढांचे में संशोधन के लिये जो विधेयक सदन

में लाया गया है, मैं उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे तो ये दोनों विधेयक बहुत सिम्पल हैं लेकिन आवश्यक भी हैं क्योंकि देश भर के सभी प्रदेशों से आज यह मांग उठ रही है कि प्रदेशों के विकास के लिए उन्हें आर्थिक साधनों की जरूरत है। केन्द्र सरकार प्रदेशों को और अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करे। इतना ही नहीं, कई प्रदेशों से अभी आर्थिक प्रभुसत्ता के बारे में, इकोनोमिक सौवेरिनिटी के बारे में भी मांग उठी है। वित्त आयोग की सिफारिशों को इम्पलीमेंट करने के लिये, यह विधेयक लाकर सरकार ने बहुत अच्छा किया है क्योंकि इससे राज्यों को मिलने वाले शेयर में कुछ बढ़ोत्तरी होगी और इस विधेयक में उन्हीं बातों को रखा गया है।

जैसा अभी मेरे मित्र ने बताया कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में कई मुख्य बातों का जिक्र किया गया है और थोड़े से समय में, मैं उन सबका जिक्र यहां नहीं कर पाऊंगा लेकिन उन सभी मुद्दों पर यदि सदन में चर्चा होती तो वह चर्चा न केवल भारत सरकार के हित में बल्कि देश की उन्नति और विकास के हित में अच्छी साबित होती। मैं आशा रखता हूं कि सरकार इस दिशा में अवश्य सोचेगी। जो हिस्सा हमने प्रदेशों को देना तय किया है। उसके लिये वित्त आयोग ने कुछ नौर्म्स तय किये हैं, चाहे वे पोपूलेशन के आधार पर हों या उस राज्य की बैकवर्डनैस के आधार पर हों, उनके अलावा प्रदेशों को अधिक शेयर देने के बारे में हमें अन्य प्रकार से सोचना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि हम एक्साइज डयूटी के रूप में यह एडीशनल एक्साइज डयूटी के रूप में जितना रिवैन्यू इकट्ठा करते हैं, उसका प्रयोग हमें देश के हित में करना है। अब धीरे-धीरे इकौनोमिक सैन्ट्रेलाईजेशन होता जा रहा है। राज्यों के विकास के लिये जितने संसाधनों की आवश्यकता है, वर्तमान टैक्स स्ट्रक्टर के आधार पर वे राज्य अपनी योजनाओं को सही तरीके से इम्पलीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि भारत सरकार द्वारा लगाये जाने वाले टैक्सों का बर्डन प्रदेश के लोगों पर, वहाँ के उद्योग धंधों तथा व्यापार पर पड़ता है। जहां से स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के विकास के लिये साधन एक्सप्लॉयट करके पैसा इकट्ठा कर सकती है, उन साधनों को एक्साइज ड्यूटी या एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर भारत सरकार अपने अंतर्गत ले लेती है। इसलिये मेरा कहना है कि राज्यों को जो शेयर दिया गया है, वह उचित मात्रा में नहीं दिया गया है लेकिन फिर भी उचित मात्रा में देने की कोशिश होनी चाहिये, नहीं तो राज्यों की तरफ से अधिक आर्थिक स्वायत्तता की मांग बढ़ेगी, इकोनोमिक सौवेरिनिटी की मांग और तेजी से बुलन्द होगी। इससे अच्छा है कि प्रदेशों के विकास के लिये, उनकी बैकवर्डनैस को देखते हुये, उचित मात्रा में उन्हें शेयर देना चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम यहां केन्द्र में संसाधन इकट्ठे करते हैं, चाहे उत्पादन शुल्क के नाम से इकट्ठे करते हैं या एक्साइज ड्यूटी के माध्यम के इकट्ठे करत हैं, उन्हें चाहे किसी भी प्रकार से इकट्ठा करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एक्साइज ड्यूटी लगाकर न केवल हम प्रदेशों के साथ इनजस्टिस करते हैं बल्कि वहां के उद्योग धंधों और रोजगार को भी बर्बाद करते है। हम देखते नहीं कि इससे यह धंधा चलने वाला है कि नहीं।

मैं गुजरात से आता हूं। मैं महसूस करता हूं और कई बार हमने सरकार के सामने अपना दुख व्यक्त किया है कि किस प्रकार से एडीशनल एक्साइज ड्यूटी और ड्यूटी वसूल की जाती है। इससे धंधा बंद हो जाता है। कारखाना बन्द हो जाता है। इस प्रकार से छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर, होम इंडस्ट्रीज के ऊपर, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर इतनी भारी मात्रा में एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर भारत सरकार अपने संसाधन हासिल करती है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने बजट में उत्पाद शुल्क में कुछ छूट दी थी। जो यार्न इस्तेमाल किया जाता है उसमें हमने एक्साइज डयूटी में छूट दी थी और जिसकी छूट देते हुए सरकार ने साफ चेतावनी दी थी कि इस छूट का लाभ वीवर्स को पासआन होना चाहिए, लेकिन वह आज तक पासआन नहीं हुआ है। इसके बाद फिर सरकार ने चेतावनी दी कि यदि वीवर्स को यह सुविधा पासआन नहीं हुई, तो सरकार इस छूट को विथड्रा कर लेगी या रिवोक करेगी, लेकिन आज तक यह सुविधा रिवोक नहीं हुई। इस सुविधा से सिर्फ बड़े-बड़े स्पिनर्स को ही फायदा हुआ है। आज तक सरकार छोटे बुनकरों को लाभ देने के लिए कुछ नहीं कर पाई है।

महोदया, एक ओर तो हम प्रदेशों को संसाधन देने की बात करते हैं और दूसरी ओर छोटे-छोटे व्यवसाय हैं उनके ऊपर इस प्रकार से एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाकर वसूल करते हैं। जब इस बारे में ज्यादा शोर मचा, तो सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालकर कह दिया, उससे भी छोटे-छोटे वीवर्स को कोई फायदा नहीं हुआ बल्कि बड़े स्पिनर्स को ही फायदा मिला। आज देश में प्रदेशों की ओर से आर्थिक स्वायत्तता की मांग बढ़ती जा रही है। आज हमारे प्रदेशों में यदि बड़े-बड़े उद्योगों को ही बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी में उनको छूट देकर बढ़ावा दिया जाएगा, तो इससे रीजनल एम्बैलेंस और बढ़ेगा जिससे भविष्य में और खतरा आने वाला है।

महोदया, जब मैं यह बात बता रहा हूं तो मैं गुजरात का होने के नाते गुजरात की बात जरूर कहूंगा। सरकार के दिमाग में यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र तो जांइट इंडस्ट्रियल स्टेट हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि गुजरात का सिर्फ 1/5 हिस्सा ही विकसित है। शेष अविकसित है। इसलिए सरकार को यहीं ध्यान नहीं रखना चाहिए कि ये तो विकसित राज्य हैं और इनको इनका जितना शेयर बनता है उतना न देकर विकसित राज्य समझकर कम शेयर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड पापुलेशन को भी ध्यान में रखना चाहिए।

महोदया, मेरा निवेदन है कि जब भी हम वेतन आयोग का गठन करें और हमें टर्म्स एंड रैफरेंस तय करें तो हमें उसी समय यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन उद्योगों से एक्साइज ड्यूटी लेना चाहिए। छोटे लोगों को मारकर पैसा लेना और वह भी चाहे माडवेट के जरिए हो

या किसी और तरीके से ·म टैक्स लगाकर वसूल करते हैं, यह ठीक नहीं है। उसकी जितनी क्षमता हो, उतना ही उससे कर वसूल करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जरूर कहूंगा कि जब आप बजट में इस प्रकार से इस विधेयक के माध्यम से स्टेटों को अपना शेयर देने जा रहे हैं; तो यह बहुत अच्छी बात है, इसको हम एप्रीशिएट करते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ निवेदन करते हैं कि यह धन और भी अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। जिस प्रकार से हम एक्साइज ड्यूटी वसूल करते हैं। उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि इससे हम प्रदेशों के ऊपर बोझ तो नहीं डाल रहे हैं और इस प्रकार से आर्थिक संसाधन वापस तो नहीं ले रहे हैं और जो अभी तक हुआ है उसके बारे में भी सरकार गंभीरता से सोचे।

महोदया, बजट में जो कंसेशन्स दिए गए हैं और जिनको उन्हें पहुंचना चाहिए, अगर नहीं पहुंचाए, तो इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यह मेरा सरकार से निवेदन है। यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)** : सभापित महोदया, संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1995 जो सदन में आया है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि टैन्थ फाईनेंस कमीशन की रिकमैन्डेशन्स ने राज्यों के इंटरनल रिसोर्सेस का आधार माना है। 1957 में जो एक्ट बना था, उसमें चीनी, टोबैको, वूलन फेब्रिक्स, मैन मेड फैब्रिक्स आदि चीजों पर स्टेट का सेल्स टैक्स खत्म करके केन्द्र सरकार इंटरनल रिसोर्सेस के आधार पर जो ऐडीशनल ड्यूटी लगाएगी, यह उसके आधार पर दिया जाएगा। केन्द्र के द्वारा जो ऐलोकेशन फिक्स किया गया है, जो पिछड़े राज्य हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, ऐसे विधेयक से उनको बहुत नुकसान होगा। केन्द्र इसे ऑन दी बेसेस ऑफ नीड, पौपुलेशन, पावर्टी, बैकवर्डनैस न करके इंटरनल रिसोर्सेस के आधार पर कर रहा है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। इससे रीजनल इमबैलेंस बढ़ेगा। जब क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी तो देश टूटने का भी खतरा बढ़ेगा। आज क्षेत्रीय विषमता को लेकर जो आन्दोलन देश के सीमांचल इलाकों में हो रहे हैं, चाहे उत्तराखंड हो चाहे झारंखड हो, इससे राष्ट्रीय एकता पर घात होता है। आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्षेत्रीय विषमता की है। इस विधेयक के जरिए उसे और गहरा किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ।

10 करोड़ की आबादी वाले बिहार में नदियों का जाल बिछा हुआ है। नेपाल से नदियां आती हैं तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करके चली जाती हैं। आसाम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल साल में छः महीने बाढ़ में डूबा रहता है। जो बिल लाया गया है, उसमें ऐसे इलाकों का ध्यान नहीं रखा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यातायात की दृष्टि से, बिहार में बिजली की दृष्टि से जो भी स्थिति है, उससे आज मजदूरों का पलायन हो रहा है।

बिहार में रोजगार के अवसर नहीं हैं। बाढ़ आकर खेती समाप्त कर देती है तो फसल के कटने का वक्त ही नहीं आ पाता है। इसलिए खेतिहर मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं और वहां से पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में तथा अन्य दूसरे राज्यों में चले आते हैं। वहां श्रम का भी शोषण होता है। वहां बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण होता है। इसीलिए पलायन ही आज एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। ग्यारह लाख से ऊपर मजदूर आज बिहार से बाहर चले गये हैं। इसका कृषि पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। इसीलिए हमने इसके पिछड़ेपन का जिक्र किया। इतना ही नहीं, आज बिहार में जो बैंक चल रहे हैं, जो बैंकिंग सिस्टम है, आप उसका सी.डी. रेशियो मंगाकर देखिये कि क्या स्थिति है। जो भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाईन्स हैं, उनका अनुपालन नहीं होता है। पैसा बिहार में जमा होता है और खर्च होता है दूसरे राज्यों में, बड़े-बड़े शहरों में। गांव का पैसा, गरीब का पैसा, गरीब राज्यों का पैसा जिन राज्यों में खर्च होता है, उन राज्यों में कितना इन्वेस्ट होता है, यह देखना चाहिये। अतः सी.डी. रेशियो रेखने से स्पष्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है। एग्रीकल्चर सैक्टर के चालीस प्रतिशत का अनिवार्य रूप से खर्च होना चाहिये। वह भी नहीं होता। इसलिए भी बिहार देश में पिछड़ा बना हुआ है। पिछड़े राज्यों को और भी पिछड़ा बनाने वाला यह विधेयक है। इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। यह विधयेक पिछड़े राज्यों को ऊपर उठाने वाला नहीं है। सी.डी. रेशियों की जो स्थिति है, उसको आप देखिये। इतना ही नहीं जो खनिज सम्पदा है, उसे भी आप देखिये। पूरे देश में जितने कोयले का उत्पादन होता है, उसका चालीस प्रतिशत अकेले बिहार में ही होता है। लेकिन आज बिहार में खनिज सम्पदा रहते हुए भी बिहार कंगाल बना हुआ है। इसीलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि इस विधेयक से पिछड़े राज्यों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है और दसवें वित्त आयोग का आधार जो कि आंतरिक संसाधन है, उसके आधार पर ही दिया जायेगा तो इससे बहुत ही नुकसान होगा। वह आधार भौतिक होना चाहिये और जिन राज्यों में ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं, उसको आधार बनाना चाहिये। चाहे वह बिहार हो, उड़ीसा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे राज्यों का इस विधेयक से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इससे क्षेत्रीय विषमता और भी बढ़ेगी। मैं समझता हूँ कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पिछड़ा राज्य जब तक विकसित नहीं होगा, समुन्नत नहीं होगा, तब तक केन्द्र मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए केन्द्र में मजबूती लाने के लिए इन पिछड़े राज्यों के व्यापक हित के बारे में सोचना चाहिये। मैं इसीलिए इसका विरोध कर रहा हूँ और जो क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहे हैं, वह राष्ट्रीय संकट और राष्ट्रीय समस्याओं को और गति देने का काम होगा। इसीलिए हमने इस सवाल को उठाया और इसीलिए इस विधेयक का भी हम निश्चित रूप से और पूरी तरह से विरोध करना चाहते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन खत्म होना चाहिये और राज्यों को उनके पिछड़ेपन के आधार पर हिस्सा मिलना चाहिए न कि जो दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट है, इसके केवल इंटरनल संसाधन

को आधार बनाया जा रहा है। यह ही मौलिक सवाल होना चाहिये। जब तक इसके आधार को पूरी तरह से नहीं बदला जायेगा तब तक इन राज्यों को समुन्नत नहीं बनाया जा सकता है। इस राज्यों के हित में यह विधेयक नहीं है। यह विधेयक बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान के हित में नहीं है। जहाँ पर आंतरिक संसाधन कम हैं, ऐसे राज्यों के हित में नहीं है। मैं इसीलिए इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। ऐसे विधेयक को नहीं आना चाहिये। सरकार को एक कॉम्प्रीहेंसिव विधेयक लाना चाहिये। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के व्यापक हित को ध्यान में रखकर इस विधेयक को लाना चाहिये।

इस बिल के द्वारा आर्थिक विषमता की रेखा खिंचेगी और एक और खाई पैदा हो जाएगी। इस बिल के पास होने से जो गरीब राज्य है, वे और गरीब हो जायेंगे और रसातल में चले जायेंगे। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद)** : सभापति महोदया, सदन में जिन दो बिलों पर बहस चल रही है, उन पर मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ।

सबसे पहली बात तो यह है कि इन दोनों बिलों के पास होने से राजस्व केन्द्र को मिलेगा। उसके बाद फिर राज्यों को जो राजस्व देने की बात है, वह 40 प्रतिशत देने की बात कही गई है। भारत एक संघीय देश है और इस संघीय देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं। आर्थिक हालत में, सामाजिक हालत में और शैक्षणिक हालत में बहुत पिछड़े हुए हैं। वैसे जो राज्य बहुत पिछड़े हुए हैं, उनमें असंतोष बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसका नतीजा केन्द्र को मिल रहा है। आप उन सभी राज्यों में असंतोष को दबाने के लिए सुरक्षा के नाम पर, विधि-व्यवस्था के नाम पर दौलत खर्च करते हैं, लेकिन उस राज्य के विकास के लिए आप नहीं सोचते हैं। अगर आप उस राज्य को इतने दिनों में विकास किए हुए होते, तो आप जो सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के नाम पर इतनी दौलत खर्च करते हैं, वह आपको खर्च नहीं करनी पड़ती। आपने जो कार्रवाई शुरू से की है, वह सौतेलेपन की है। कहीं पर ज्यादा विकास हुआ है और कहीं पर कम विकास हुआ है। इसी का नतीजा है कि आपको यह सब देखने को मिल रहा है।

मैं आपको बिहार के बारे में बताता हूँ। बिहार में सारी खजिन सम्पदा है; इतना सब कुछ होने के बाद भी बिहार पिछड़ा हुआ हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? सारी चीजें हमारे यहाँ हैं, फिर भी हम पिछड़े हुए हैं। इस राज्य में अलगाववाद तेजी से बढ़ रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, वहाँ हत्यायें हो रही हैं। वहाँ अलग-अलग सेनायें नहीं हैं, इस असंतोष का कारण क्या है? अभी हाल ही में केन्द्रीय कल्याण मंत्री एक गांव में गए और 25-50 लाख रुपए बांट कर आए हैं। हम पूछते हैं, 50 लाख रुपए बांट कर क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? मैं कहता हूँ उससे काम चलने वाला नहीं है। हमें देखना होगा कि इसका कारण क्या है। यह राज्य क्यों इतना पिछड़ा हुआ है। केन्द्र को हर राज्य की स्थिति पर गौर करना चाहिए, लेकिन केन्द्र ने कभी इस पर गौर नहीं किया। अगर गौर किया होता, झारखण्ड परिषद का जो गठन हुआ है, उसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। जिस प्रकार झारखन्ड अलग राज्य बनाने की मांग कर रहा है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य से भी कुछ क्षेत्र अलग राज्य बनाने की मांग कर रहें हैं। यह स्थिति वहां किसी एक व्यक्ति के मंत्री या मुख्य मंत्री बनने के कारण नहीं हो रही है, बल्कि वहां पर सबसे ज्यादा पिछड़ापन है। इतना पिछड़ापन है कि वहां महिलायें अपनी पीठ पर दो-चार छः महीने के बच्चे को बांध कर काम करती है। वहां पर पिछड़ापन बहुत व्याप्त है और उसी पिछड़ेपन का यह नतीजा है।

आप जो राजस्व देते हैं उसको राज्यों के पिछड़ेपन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर तथा जहां शिक्षा बहुत कम है, इन सब को आधार मान कर बांटना चाहिए न कि हमको 40 प्रतिशत हर राज्य को देना है। अगर आप 40 प्रतिशत हर राज्य को देंगे तो जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है उनकी स्थिति और भी अच्छी होगी। लेकिन इनकी स्थिति क्या होगी यह कभी आपने सोचा है। हम यहाँ आपसे इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि आप यह जो धन इकट्ठा करते हैं, सारा आमदनी का स्रोत आपके यहाँ है राज्यों में तो सीमित स्रोत हैं इसलिए राज्य सीमित स्रोत में उतनी तरक्की, विकास नहीं कर पाते। राज्यों पर जितनी जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है उसको पूरा करना उसके लिए कठिन हो रहा है और साथ ही साथ उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए धन की जरूरत है और धन आपके पास है। इसलिए हम यह कहेंगे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है जहां की सारी आमदनी को आप अपने यहाँ लेते हैं और रायल्टी नहीं देते हैं आप सारी चीज अपने पास रखते हैं, जो उचित होता है वह भी आप नहीं देते है। ऐसी स्थिति में यह जो बिल आया है इससे बिहार को कितना फायदा होगा? अगर आप बराबरी की बांट करेंगे तो बिहार को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि दसवें वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसको आपने पढ़ा होगा। उसमें यह है कि यह जो राज्य घाटे में चल रहे हैं, पिछड़े हैं उनके ऊपर इस बंटवारे में ध्यान देना होगा।

आपके यहां 1971-72 की जनसंख्या के आंकड़े हैं, 1990-91 के भी आंकड़े मौजूद हैं तो फिर उसके आधार पर आप कुछ मानिए और उनको आधार मान कर आप पिछड़े हुए राज्यों की मदद करें, उनको अधिक हिस्सा दें जिससे कि वे अपने यहां की स्थिति को ठीक कर सकें, अलगाववाद और उग्रवाद को सदा के लिए हटा सकें, यही हमारा आपसे कहना है। इसलिए इस बात के लिए मैं आपको दोबारा सुझाव देता हूँ कि जो-जो राज्य आर्थिक व शैक्षणिक मामलों में पिछड़े हुए हैं उन सब को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश की जानी चाहिए जिससे अलगाववाद और उग्रवाद की पैदाइश न हो और अगर पैदाइश हुई हो तो उसको खत्म किया जाए, यही कर कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो आपने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लने का मुझे मौका दिया । मैं करीब-करीब उन्हीं भावनाओं को व्यक्त करना चाहता हूँ जो अभी हमारे मित्र देवेन्द्र यादव जी ने व्यक्त की हैं, क्योंकि राज्यों का पिछड़ापन इस देश की एकता को सबसे बड़ी चुनौती है इस देश के सभी राज्यों के भीतर जो विषमता है उसके ऊपर भारत सरकार का ध्यान कम है जिसके चलते इस देश में क्षेत्रीयता का आंदोलन और वह आंदोलन धीरे-धीरे इस देश की एकता के लिए एक चुनौती बन कर सामने आता है। वित्त विधेयक ने जो सिफारिश की है उसके अनुसार सभी पार्टियों के समर्थन से यह विधेयक हमारे सामने आया है इसमें मेरा कहना यह है कि राज्यों के वित्तीय संसाधन को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार का उत्पाद शुल्क इकट्ठा करने में जो प्रशासकीय व्यय होता है उसको काट कर संपूर्ण हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए। इसमें आपने प्रावधान किया है कि साढ़े 47 फीसदी राज्यों को दिया जाएगा। वित्त आयोग का काम है योजनाओं के लिए धन इकट्ठा करने का सुझाव देना और सादे 47 फीसदी राज्यों को उत्पाद कर का हिस्सा देना, 40 फीसदी सीधे और उसमें से भी साढ़े सात फीसदी जो पिछड़े राज्य हैं उनके लिए मद को इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। मेरा सुझाव है कि जो इस मद में प्रशासकीय व्यय होता है उसको छोड़ कर सारा हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए। उसी के साथ-साथ एक नया आयाम इस देश में आया है। आपने संवैधानिक व्यवस्था करके स्थानीय निकायों का इस देश में पूरा ढ़िढोरा पीटा है।

स्थानीय निकायों में आज पैसे का अभाव है, राज्य सरकारें उनके साथ सौतेला व्यवहार करती हैं। आपने संवैधानिक व्यवस्था करके स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिलवाया है तो उनके विकास के लिए, रख-रखाव के लिए, इंडिपेंडेट स्टेटस कायम रखने के लिए केन्द्र से धन भी मुहैय्या किया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ।

एक और तकलीफ है कि आयकर का 80 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार को दिया जाता है, लेकिन यदि उस संस्थान का हैडक्वार्टर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि में हो और उसकी बैलेंस शीट वहां पर तैयार हो तो उसके आयकर या उत्पादन कर का हिस्सा भी उसी राज्य को मिलेगा, जहाँ पर बैलेंस शीट तैयार हो रही है, न कि उस राज्य को जहाँ पर वह उद्योग लगा हुआ है। इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि जिस राज्य में कारखाना लगा हुआ है, उसका हैड-आफिस कहीं भी हो, बड़े मेट्रोपोलीटन टाउन में स्थापित हो, आयकर और उत्पाद कर का हिस्सा उसी राज्य को मिले, जिसमें वह कारखाना लगा हुआ है।

एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि राज्यों की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत बिक्री कर के बहुत सारे हिस्से को केन्द्र सरकार ने उत्पाद कर के जरिए अपने खाते में ले लिया। विभिन्न राज्यों में बिक्री कर मुखतलिफ तरह का है, जिसके चलते राज्यों में तस्करी को बढ़ावा मिलता है। बहुत दिनों से मांग हो रही है कि बिक्री कर में सभी राज्यों में संतुलन होना चाहिए, बिक्री कर का निर्धारण पूरे हिन्दुस्तान में एक जैसा होना चाहिए, लेकिन उसको आप नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बिक्री कर को समाप्त करने के लिए बहुत सारे राज्यों में आंदोलन हो रहा है। 1977 में जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि बिक्री कर व्यवस्था को खत्म किया जाए और उसके स्थान पर उत्पाद कर की व्यवस्था हो। मेरा सुझाव है कि बिक्री कर को खत्म कर के नए सिरे से सभी वस्तुओं पर उत्पाद कर का प्रावधान करें और उस उत्पाद कर का संपूर्ण हिस्सा प्रशासकीय व्यय काट कर राज्यों के मद में देने का कष्ट करें।

नई वित्तीय नीति और तथाकथित नई नीतियां इस देश में आई हैं तथा बहुत सारी चीजों में उत्पाद कर में छूट दी गई है। नतीजा क्या हुआ कि जो काम लघु उद्योग के विकास के लिए किया गया था, उसमें बेईमानी होने लग गई है। बहुत से मध्यम श्रेणी के कारखाने अपने को लघु उद्योग क्षेत्र में घोषित करवा रहे हैं। ऐसा करने से उत्पाद कर की चोरी का नया सिलसिला राज्यों में शुरू हो गया है। इस की ओर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

एक और बात कहना चाहता हूँ कि राज्यों के अंदर वित्तीय अनुशासन लाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरह का वित्तीय कुप्रबंधन राज्यों में हो रहा है, हर साल राज्य सरकारें घाटा दिखा रही हैं। इस वित्तीय कुप्रबंधन का कारण यह है कि वित्तीय कुप्रबंधन आज केन्द्र सरकार में भी हो रहा है। केन्द्र में वित्तीय अनुशासन नाम की चीज आज नहीं रह गई है। केवल नेताओं की सुरक्षा और मंत्रियों की दवा पर इस देश का बहुत सारा खर्च हो रहा है। आज लगता है कि यह कोई केबिनिट नहीं है राजनीतिक लोगों का नर्सिंग होम है । जब भी कोई कांग्रेसी बीमार होता है। नरसिंह राव जी उसको मंत्री परिषद में शोभा बढ़ाने के लिए रख लेते हैं। मैंने ऐसा दुनिया में कहीं नहीं देखा कि 2 साल से बिना किसी विभाग का काम संभाले, सिर्फ दवा के लिए कोई व्यक्ति भारत सरकार में मंत्री है। ऐसी सरकार से हम उम्मीद करें कि वह वित्तीय अनुशासन इस देश में लागू करेगी-मैं समझता हूँ मुश्किल है। इस सरकार के अधिकांश मंत्री या तो हार्ट-पेशेंट हैं या जो तंदुरूस्त हैं..... **(व्यवधान)**..**

इसके अलावा इस सरकार में और कोई है नहीं। इसलिए इस सरकार से उम्मीद करना कि वित्तीय अनुशासन कायम करेगी, मुश्किल है। मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ भारत सरकार एक वित्तीय अनुशासन लाने का काम अपने अंदर और राज्यों के भीतर लावे जिससे विकास कार्यों के लिए राज्यों में संसाधन इकट्ठा हो सकें। इस सुझाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**सभापति महोदया** : नैना से संबंधित रिमार्क्स को कार्यवाही से निकाल दीजिए।

---

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर)** : अभी जो सदस्य ने रिमार्क किया है उसे प्रोसीडिंग से निकाल दीजिएगा।

**सभापति महोदया** : निकाल दिया गया है।

**प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर)** : माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा लाए गए संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्त्व का माल) संशोधन विधेयक 1995 का आंशिक समर्थन करता हूँ क्योंकि नहीं करने से तो कुछ अच्छा है। ''अकरणातमंदकरणं श्रेयः''।

**[अनुवाद]**

कुछ नहीं होने से कुछ होना अच्छा है।

**[हिन्दी]**

इसलिए कम से कम सरकार के कदम तो वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर कुछ थोड़े से आगे बढ़े हैं और वित्तीय आयोग की अनुशंसाओं को इसमें समाहित किया है। इसलिए मैं इस बिल का थोड़ा-थोड़ा समर्थन करता हूँ। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आज केन्द्रीय सरकार यह समझ बैठी है कि अपने वित्तीय अधिकारों के बल पर वह तो दाता बन गई है और राज्यों को ऐसा मान लिया है कि वे तो याक हैं इसलिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों को वित्त-मंत्रियों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में, केन्द्रीय वित्त मंत्री के यहाँ या योजना आयोग के अंदर अथवा प्रधान मंत्री जी के यहाँ द्वार खटखटाने पड़ते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर देगें। कभी-कभी धौंस-डपट की नीति भी वित्तीय मामलों के अंदर अपनाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास की ओर यह सरकार ध्यान दे। यहां राजा टैक्स तो वसूले, शासन टैक्स तो ले ले लेकिन जैसे सूर्य अपनी किरणों के तेज से पानी को भाप बनाकर आकाश में बादल बनाकर ग्रहण तो करता है लेकिन सब जानते हैं कि वे बादल कई गुना बरसात के रूप में धरती का पोषण करते हैं। उसी प्रकार सरकार जो है वह उत्पाद शुल्क भी लगाए और अन्य टैक्स भी वसूल करे लेकिन टैक्सों को अपने पास ही न रखें। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। जो राजा होता है, शासन करने वाला वर्ग होता है वह मुख की तरह होना चाहिए। खाने-पीने का मतलब भ्रष्टाचार नहीं, शेयर-दलाली या बैंक दलाली नहीं, बैंक घौटाला नहीं जैसे हम भोजन करते हैं तो मुंह केवल एक होता है और केवल पेट ही अपना विकास नहीं करता है। पाले-पोस सकल अंग। एड़ी से चोटी तक का संपूर्ण विकास करता है। इसलिए केन्द्रीय सरकार का दायित्व है कि वह उत्पाद शुल्क लगाकर राज्यों का जो हिस्सा है वह तो उनको पूरा-पूरा दिया जाना चाहिए ताकि राज्यों का समग्र विकास हो सके। राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता की मांग क्यों करनी पड़ी? क्यों इस देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई? इसका एकमात्र कारण यह था कि उसने वित्तीय आयोग की सिफारिशों को अनदेखा करते हुए और अन्य जो स्रोत थे उन पर कुंडली मारकर बैठी रही और राज्यों के वित्तीय अधिकारों में कटौती करती रही।

आजकल कांग्रेस के लोग अखबारों में विज्ञापन दिखाकर चार वर्ष की उपलब्धियों को गिना रहे हैं कि हमने 73वां संशोधन किया, 74वां संशोधन किया, महिलाओं को रिप्रेजेटेशन दिया। बहुत अच्छा किया। सबने इसका समर्थन किया है।

महोदया, वित्तीय अधिकार के नाम पर आज राज्यों के सामने समस्या पैदा हो गई है कि ग्राम पंचायत को कौन से वित्तीय अधिकार दिये जायें, पंचायत समितियों को कौन से दिये जायें, नगरपालिका, नगर परिषद को कौन से दिये जायें? राज्यों ने वित्त आयोग बनाये क्यों कि बिल में व्यवस्था थी कि वित्त आयोग का निर्माण हर राज्य करेंगे और कुछ हिस्सा पंचायतों का, जिला परिषदों का, पंचायत समितियों का, नगर परिषदों का होगा। इसमें से कितना राज्यों का और केन्द्र का होगा? चाणक्य ने कहा था कि जिस शासन में ज्यादा टैक्स लिये जाते हैं, उसको अच्छा शासन नहीं माना जाता है। इस सरकार ने दुनिया भर की चीजों पर उत्पाद कर लगा दिया लेकिन उसका लाभ देश की जनता तक पहुंचे, यह नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से सरकार को याद दिलाना चाहता हूँ वित्त राज्य मंत्री बैठे हुए हैं, पिछले दिनों केन्द्रीय बजट की घोषणा करते समय उत्पाद कर में बहुत सी कमियों की घोषणा की थी लेकिन क्या सरकार ने इस बात की जांच की कि जिन वस्तुओं के ऊपर उत्पाद कर में कमी की गई, उसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? जो मूल्य उपभोक्ता सामग्रियों के ऊपर पहले लिखे थे, बाजार में वही मूल्य वसूल किये जा रहे हैं। उत्पाद शुल्क का करोड़ो-अरबों रुपया केन्द्र सरकार के पास जमा है। हम जानना चाहते हैं कि उत्पाद शुल्क के नाम पर जमा हुई राशि जो कि आपके पास जमा है, उसका अब क्या किया जा रहा है।.....**(व्यवधान)** महोदया में आपका संरक्षण चाहता हूँ आप घंटी धीरे बजायें। 2-3 बातें और कहना चाहता हूँ।

जो राज्य पिछड़े हुए हैं, जैसा कि कई राज्यों के अभी नाम गिनाये गये, वास्तव में जो भी राज्य पिछड़े हुए हैं, उनको जो आधार वित्तीय आयोग मानता है, वह स्पष्ट नहीं है। नौवें वित्त आयोग ने सिफारिश की और 10वें वित्त आयोग ने साढ़े 47 प्रतिशत वितरण की जो बात की थी वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है या योजना आयोग राज्यों के मुख्यमंत्रीयों को बुलाता है तो लम्बी-चौड़ी योजनाएं, लम्बे-चौड़े मसौदे, लम्बे-चौड़े बजट सब आ जाते हैं। लेकिन जब धन का प्रश्न आता है तो लिबरलाइजेशन के नाम पर वित्त मंत्री जी विदेश भाग जाते हैं। आज दुनिया का कितना कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है? वित्त आयोग जो सिफारिशें करता है, उन पर इस संसद में खुली चर्चा होनी चाहिये ताकि जनता द्वारा चुने गये सदस्यगण राज्यों की वस्तु स्थिति सामने रख सकें। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। सरकार उसकी सिफारिशों को मानने के लिये बाधित है। पिछड़ेपन को जो आधार

माना जाता है, इसमें कौन-सा पिछड़ापन आता है, सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन या शैक्षिक पिछड़ापन या प्राकृतिक पिछड़ा पन या कोई दूसरा पिछड़ापन। पिछड़ेपन का आध ार स्पष्ट होना चाहिये। कभी 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है और कभी 1991 की जनगणना को आधार माना जाता है। आज देश की आबादी बढ़ती जा रही है। उत्पादन 1-2-3-4-5-6-7 के हिसाब से बढ़ रहा है और आबादी 2-4-8-16-32-64-128 के हिसाब से बढ़ रही है। इससे असंतुलन पैदा हो रहा है। वर्तमान जनसंख्या को आधार मान कर राज्यों का पिछड़ापन दूर किया जाना चाहिये।

मैं राजस्थान का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ एक तरफ अरावली की पर्वत माला, थार का मरुस्थल है तो दूसरी तरफ कभी निरन्तर सूखा पड़ता रहता है और कभी इतनी वर्षा आ जाती है कि भंयकर बाढ़ आ जाती है। इससे राज्यों का बजट लड़खड़ा जाता है। राज्यों के मुख्यमंत्री जब केन्द्रीय सर्वेक्षण दल भेजने के लिये प्रार्थना करते हैं तो केन्द्र कहता है कि हमने राज्यों को हिस्सा दे दिया है, अब हमारे पास पैसा नहीं है। इसलिये इस सरकार को वित्तीय अधिकारों में विकेन्द्रीकरण की प्रणाली बंद करनी चाहिये और सरकारिया आयोग ने भी कहा है कि राज्यों को अधिकाधिक स्वायत्तता देनी चाहिये। इसी आधार पर वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 1995-96 से 1999-2000 तक 19986 करोड़ रुपये उत्पाद कर के वितरित किये जाये। इसके साथ उत्पाद शुल्क का जो वितरण है, 1995-96 से 1999-2000 तक अतिरिक्त उत्पाद कर का 19986 करोड़ रुपये तथा संघ उत्पाद वितरण का एक लाख 21 हजार 692 करोड़ रुपये का विवरण उस फार्मूले के आधार पर होना है। मान्यवर, इसमें पक्के नियम नहीं होने चाहिये कि बिल्कुल लोहे की लकीर या कोई दीवार खड़ी कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिये। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिये। कब प्राकृतिक प्रकोप हो जायें, कब टिड्डी दल आ जाये, कब सारी फसल बर्बाद हो जाये, राज्यों में अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाये। क्योंकि हिन्दुस्तान का बजट मानसून का जुआ है, इसलिये संघ उत्पाद शुल्क के बारे में वितरण की इस प्रकार की संवेदनशीलता और जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है, वह होनी चाहिये।

सभापति महोदया, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा बड़ा राज्य है और इस राज्य की भौगोलिक स्थिति बड़ी विचित्र है। कई राज्यों में तो अंग्रेजों के जमाने में विकास के कार्य हुये लेकिन राजस्थान में राजाओं की रियासतें थीं, वहां पर दोहरा शासन था। इसलिये जितना विकास होना चाहिये था उतना हुआ नहीं लेकिन जब रियासतों का विलीनीकरण हुआ तो वहां पर विकास की गंगा अवश्य बढ़ रही है। इस विकास कार्य के लिये केन्द्र साधन दे सकता है। इसलिये केन्द्र को चाहिये कि समान वितरण के आधार पर जो फार्मूला बनाया है उसके मुताबिक राज्यों को आवश्यकतानुसार धन दें। इसमें पिछड़ेपन का सही क्राईटीरिया हो और सही ढंग से उसका मूल्यांकन हो, सही एसेसमेन्ट हो।

सभापति महोदया, राजस्थान में खनिज पैदा होते हैं लेकिन उसको रायल्टी का हिस्सा मिलना चाहिये। बिहार में कोयला होता है, उसका हक उसे मिलना चाहिये। गुजरात में तेल और गैस पैदा होती है, उसका हिस्सा उसे मिलना चाहिये और इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी उसको अपना हिस्सा मिलना चाहिये। इस दृष्टि से इस पर विचार किया जाना चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसा न हो कि ऊंट के मुंह में जीरा या नौ दिल चले न ढाई कोस वाली स्थिति हो जाये। इसमें कुछ क्रान्तिकारी परिवर्तन आना चाहिये। इससे केन्द्र मजबूत होगा और राज्य मजबूत होगा। आर्थिक और लोकतंत्रीय दृष्टि से उसमें स्वायत्तता आये तो इससे देश खुशहाल होगा, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होगी और शायद सरकार मेरे इन सुझावों पर ध्यान देगी।

[अनुवाद]

**श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी)** : सभापति महोदया, मैं दोनों विधेयकों का विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है कि इन विधायकों का आशय क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ाना है। संघ उत्पाद शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क दोनों के वितरण के सम्बन्ध में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों को समझदारी के साथ क्रियान्वित नहीं दिया गया है। उत्पाद शुल्क का वितरण करने का अन्तरण सूत्र बहुत अधिक त्रटिपूर्ण है और पिछड़ेपन को भी सही रूप से परिभाषित अथवा आकलित नहीं किया गया है। पिछड़ेपन की परिमाण, जैसा कि वित्त आयोग ने परिभाषित किया है, पिछड़े राज्यों के लिए सहायक नहीं है। इसलिए इसे पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए और सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए कि पिछड़ेपन का आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए और पिछडेपन को किसी प्रकार परिभाषित किया जाना चाहिए।

महोदया, इसके कारण देश में क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य को केन्द्र से मिलने वाले उसके हिस्से से न केवल वंचित होना पड़ा है बल्कि उसे नौवें वित्त आयोग की तुलना में दसवें वित्त आयोग के हाथों अन्याय भी झेलना पड़ा। यद्यपि उड़ीसा के अधिकांश औद्यौगिक गृह राज्य के कच्चे माल का उपयोग कर रहे हैं, वे अपना निगमित कार्यालय विभिन्न महानगरों में खोल रहे हैं, इसके कारण राज्यों को काफी मात्रा में केन्द्रीय राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। वित्त आयोग को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था।

भारत सरकार को इस संबंध में एक अधिनियम भी लाना चाहिए कि किस प्रकार पिछड़े राज्यों को, जिनकी अपने उद्योग तो उनके अपने राज्यों में हैं परन्तु उनके निगमित कार्यालय महानगरों में हैं, इस कानून से लाभ पहुंच सकता है, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए।

महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान केन्द्रीय राजस्व के कुछ अन्य पहलुओं की ओर दिलाना चाहता हूँ जो विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उड़ीसा जैसे राज्यों को धन की काफी हानि उठानी पड़ रही हैं। यह खनिजों पर रायल्टी के बारे में है, योजना

आयोग और वित्त आयोग उड़ीसा जैसे अल्प विकसित राज्यों को दंड दे रहा है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने मे असमर्थ हैं। परन्तु केन्द्र दूसरी ओर राज्यों के राजस्व के उन क्षेत्रों में दखल दे रहा है जहां उन्हें दखल देने का अधिकार नहीं है। अल्प विकसित राज्यों के राजस्व का एक ऐसा क्षेत्र खनिजों पर रायल्टी है जहां संबंधित राज्यों की उनकी अपनी खनिज वाली जमीन पर उनका जो मालिकाना अधिकार है उनमें न केवल केन्द्रीय सरकार दखलंदाजी कर रही है परन्तु वह रायल्टी के समय पर और विवेकपूर्ण आकलन के मामले में भी हस्तक्षेप कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जहां तक हमारे संविधान का संबंध है, जमीन राज्यों की होती है परन्तु जमीन के अन्दर पाए जाने वाले खनिज केन्द्रीय सरकार के होते है? ऐसा निश्चित रूप से अल्पविकसित राज्यों का शोषण करने के लिए किया जाता हे। केन्द्रीय सरकार ने पिछड़े राज्यों का शोषण करने के आशय से कानून बनाया है। जहां तक हमारे संविधान का संबंध है, यदि जमीन राज्यों की है तो जमीन के अंदर पाए जाने वाले खनिज किस प्रकार केन्द्रीय सरकार के हैं? इसलिए जहां तक केन्द्रीय राजस्व का संबंध है, इस अधिनियमन से अल्पविकसित राज्य अपने खनिजों का उपयोग करने और अपना यथोचित हिस्सा पाने से वंचित हो रहे हैं।

जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किए जाने वाले निवेश का संबंध है, यह देखा गया है कि निवेश विकसित राज्यों में किया जाता है और पिछड़े राज्य राष्ट्रीयकृत बैंको के संसाधनों का उपयोग करने के लाभ से वंचित हो रहे हैं। सरकार को इस संबंध में पहल करनी चाहिए और पिछड़े राज्यों में राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा किए जाने वाले निवेश के संबंध में भारतीये रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांन्तों का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। महोदया, मैं आपको आपदा राहत निधि के बारे में एक और उदाहरण दे रहा हूं। नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत हमारे राज्य अर्थात उड़ीसा के 47 करोड़ रुपये मिल रहा था जबकि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत हमें अन्य राज्यों की तुलना में उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है। हालांकि यह विधेयक के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है, मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह इन सब पहलुओं पर विचार करें ताकि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से पिछड़े रहे है, यद्यपि वहां खनिज संसाधन बहुतायत में पाए जाते हैं, केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता ले सकें ताकि उनका पिछड़ापन दूर हो सके। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे इन पिछड़े राज्यों को विशेष श्रेणी राज्य समझा जाना चाहिए ताकि उन्हें केन्द्रीय सरकार में बेहतर वित्तीय मदद मिल सके। इससे वे अन्य राज्यों के साथ समता रख सकेंगे और सारा देश महसूस करेगा कि केन्द्रीय सरकार से उन्हें उनका उचित भाग मिल रहा है और समुचित न्याय मिल रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का विरोध करता हूँ और मुझे आशा है कि भारत सरकार उड़ीसा और अन्य राज्यों की मांगों पर विचार करेगी। उड़ीसा राज्य की पिछली विधान सभा इस मामले में काफी उद्वेलित थी। मंत्री महोदय को राज्य की इन भागों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि उडीसा में वही पार्टी सत्ता में भी हैं, उड़ीसा सरकार उदेलित है क्योकि दसवें वित्त आयोग ने इन सभी पहलुओ पर विचार नहीं किया है और दसवें वित्त आयोग ने राज्य को उसे मिलने वाले हिस्सों से वंचित रखा है। इसलिए मुझे आशा है कि मंत्री महोदय और भारत सरकार इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इन बातों पर पुनर्विचार करेगी।

**4.00 म.प.**

**[हिन्दी]**

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य)** : सभापति महोदया, दसवें वित्त आयोग ने भी नवें वित्त आयोग की तरह से महाराष्ट्र के साथ पक्षपात किया है। महाराष्ट्र से कई हजार करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण वहां अनेक समस्याएं हैं, लेकिन वित्त आयोग ने उन पर गौर नहीं किया और अन्य राज्यों पर ज्यादा मेहरबानी की है। आंध्र प्रदेश की मद में 1.29 प्रतिशत, बिहार में 1.833 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 1.066 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, लेकिन महाराष्ट्र के मामले में केवल 0.941 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो एक प्रतिशत से भी कम है। जबकि महाराष्ट्र की सरकार को देश भर में सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है। इसलिय मेरी सरकार से विनती है कि इस राशि को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना चाहिए। क्या महाराष्ट्र सरकार को दूध देने वाली गाय समझा जाता है, जिसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाए? यदि गाय दूध देना बंद कर दे तो उसको डण्डे मारकर दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह भी सरकार को समझना चाहिए।

सभापति महोदया, मैं बतलाना चाहता हूं, मैंने एक बार प्रश्न भी पूछा था, मुझे जवाब दिया गया था कि सिर्फ मुम्बई शहर से एक साल में 17,944 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्त होता है। लेकिन मुम्बई शहर के लिए दो वर्ष पहले 9 करोड़ रुपया दिया था। मुम्बई शहर में जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, प्रत्येक दिन में एक हजार लोग वहां आ रहे हैं, जिसकी वजह से मुम्बई शहर में पानी, स्लम व रहने की समस्या हो रही है, ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ गया है। यहां पर वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे विनती कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के साथ-साथ मुम्बई शहर के बारे में भी सोचिए। जहां से आप बड़े पैमाने पर राजस्व प्राप्त कर रहे हैं उसे सुविधाएं भी ज्यादा से ज्यादा दीजिए।

सभापति महोदया, मैं एक चाल में रहता हूँ, जो कभी भी गिर सकती है। मुम्बई शहर में ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें चाल कहते हैं, वे कभी भी गिर सकती हैं। वे बहुत पुरानी चाल हैं, उनकी मरम्मत, पुनर्निर्माण की व्यवस्था होनी चाहिए। अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुम्बई शहर और महाराष्ट्र के लिए आप राशि बढ़ाएं।

[अनुवाद]

**श्री अन्ना जोशी (पुणे)** : आदरणीय महोदया, इन दो विधेयकों पर सामान्यतः बोलने के बजाए मैंने मंत्री महोदय के साथ कुछ बिंदुओं पर पहले ही चर्चा की है, यदि नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा होता तो तब मिलने वाली राशि की तुलना में दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण महाराष्ट्र का कुल हिस्सा किस प्रकार 400 करोड़ रूपये कम हो गया है।

महोदया, आय कर में नौवें वित्त आयोग ने महाराष्ट्र के लिए कुल 8.181 प्रतिशत हिस्सा देने का सुझाव दिया है जबकि दसवें वित्त आयोग ने 6.126 प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की है, इसके कारण महाराष्ट्र को आय कर का आवंटन 5 वर्ष की अवधि यानि 1995-2000 के लिए 1.296 करोड़ रुपये कम हो जाएगा।

**4.05 म. प.**

[श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई]

रेलवे के मुआवजे मामले में यह कमी 96.646 करोड़ रुपये है और इसलिए जैसा कि श्री रावले ने कहा है यद्पि इस कार्य के लिए योजनाएं बनी हैं परन्तु वित्त मंत्रालय से और अधिक आशाएं की जाती है। इसलिए हमनें दसवें वित्त आयोग को सुझाव दिया है कि वे आय कर में हिस्सा 85 प्रतिशत से 75 प्रतिशत कर सकते हैं, अब यह हिस्सा 77.5 प्रतिशत कर दिया गया है। हम इससे कम हिस्सा स्वीकार करने को तैयार है परन्तु केन्द्र को जो कम्पनी कर मिल रहा है, उसका हमें 20 प्रतिशत मिलना चाहिए, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

केन्द्रीय सरकार को आय कर के रूप में जो कुल राजस्व मिलता है उसका लगभग 27 प्रतिशत महाराष्ट्र और बम्बई से मिलता है, परन्तु हमें इसका केवल 3 प्रतिशत हिस्सा मिलता है। इसलिये आय कर के संग्रहण, भुगतान करने का भार और जिम्मेदारियों का भार महाराष्ट्र विशेषकर बम्बई पर अधिक है।

जैसा कि उन्होंने कहा है, महाराष्ट्र और विशेषकर बम्बई में रोज आने वाले व्यक्तियों को देखते हुए अब महाराष्ट्र का नहीं रहा है। वे देश के विभिन्न भागों से अथवा प्रांतों के हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं और सभी स्थानीय सरकार में काम करते हैं। हमें उनके लिए मूल सुविधाएं जुटानी पड़ती हैं और इसके लिए हम धन कहां से लाएं ? कम से कम केन्द्रीय सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जो हमें धन दिया है, वह तो देना चाहिए। आमतौर पर सभी जगह आय में वृद्धि होती है, इसलिए तदनुसार हमारा हिस्सा भी बढ़ना चाहिए। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इसकी गणना कैसे करते हैं। कहीं यह कम है और कहीं यह बढ़ा हुआ है, यह सब ठीक है, लेकिन इसका कुल प्रभाव क्या होना चाहिए ?

दसवें वित्त आयोग अथवा सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कम से कम उन्हें ऐसी सिफारिश करनी चाहिए कि हमें 1990 से 1995 की पांच वर्ष की अवधि में जो मिल रहा है, वह कम न हों। जब धन का आवंटन किया जा रहा है तो सबसे पहले सरकार को निर्णय करना चाहिए कि विशेष प्रांत का कुल हिस्सा कितना होना चाहिए। मैं हर प्रांत के लिए यह सहायता मांग रहा हूं चाहे वह बिहार, उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश अथवा कोई अन्य प्रांत क्यों न हो। जो भी उन्हें मिल रहा है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। कम से कम इसमें कटौती नहीं की जानी चाहिए।

महाराष्ट्र के मामले में आय बढ़ी है। परन्तु इसके विपरीत, सरकार ने हमारे हिस्से में 4,000 करोड़ रुपये कम किए हैं और इसलिए मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि महाराष्ट्र विशेषकर बम्बई की आवश्यकताओं को देखते हुए और राष्ट्र की जिम्मेदारियों को देखते हुए इसके हिस्से में वृद्धि की जानी चाहिए। कम से कम इन दो का अन्तर कम किया जाना चाहिए। जो भी हिस्सा हमें पिछले पांच वर्षों से मिल रहा है, वह हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें इतनी भारी कमी नहीं की जानी चाहिए। इससे हमारी विकास की चल रही सभी परियोजनाओं को नुकसान पहुचेगा और यदि उसके लिए इतना प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है तो हमारा विकास रुक जाएगा, इसलिए मैं इसके लिए मंत्री महोदय से अपील करता हूं।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी चन्द्रशेखर मूर्ति)**: महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दसवां वित्त आयोग एक संवैधानकि और उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है। उन्होंने संघ उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों के वितरण का सिद्धान्त तय करते समय कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए हैं। मुख्य मापदंड राज्य की जनसंख्या और उसका पिछड़ापन रखा गया है। राज्यों के हिस्से के बारे में निर्णय करते समय दसवें वित्त आयोग ने वहां के पिछड़ेपन, आधारभूत ढांचा और प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा है, तदनुसार उन्होंने राज्यों को हिस्सा देने के बारे में निर्णय किया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि दसवें वित्त आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए। मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 281 में यह दिया हुआ है कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिश तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन कि सरकान ने उस पर क्या कार्यवाही की है, संसद के पटल पर रखा जाएगा।

अनेक माननीय सदस्य जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, आपदा राहत निधि के बारे में चिन्तित हैं। वे चाहते हैं कि राज्यों को आपदा राहत निधि के वितरण के बारे में कुछ मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए। दसवें वित्त आयोग ने 1983-84 से 1989-90 के वर्षों के दौरान आपदा पर हुए व्यय की कुल अधिकतम सीमा के औसत

और 1990-91 और 1992-93 के वर्षों के लिए आपदा राहत निधि को ध्यान में रखा है। यह मापदंड और फार्मूला है जो उन्होंने आपदा राहत निधि निर्धारित करने के लिए अपनाया है।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनके विशेष राज्यों का हिस्सा कम हो गया है। नौवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों को 37.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क का वितरण करने की सिफारिश की है जबकि दसवें वित्त आयोग ने सभी राज्यों को इसका 40 प्रतिशत वितरित करने की सिफारिश की है। शेष राजस्व कमी वाले राज्यों के लिए है जो कि 7.25 प्रतिशत है जो कि नौवं वित्त आयोग ने दिया है और अब यह 7.5 प्रतिशत है जैसा कि दसवें वित्त आयोग ने दिया है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि नौवें वित्त आयोग की तुलना में दसवें वित्त आयोग में राज्यों के हिस्से में समग्र वृद्धि की है।

अनेक माननीय सदस्यों ने जिन्होंने वाद विवाद में भाग लिया है, कर के वितरण के बारे में मुद्दे उठाए हैं। इस पर विभिन्न मंचों में चर्चा हुई है। यहां तक कि वित्त आयोग ने राज्यों के लिए वितरण का वैकल्पिक हिस्सा देने की सिफारिश की है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी।

कुछ माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या वित्त आयोग के कृत्यों को बदलने और पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूं कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे विधेयक का समर्थन करें। .... **(व्यवधान)**।

**श्री श्रीकान्त जेना (कटक)** : सभापति महोदया, : मंत्री महोदय ने 'पिछड़ेपन' की परिभाषा के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की है। 'पिछड़ेपन' की परिभाषा ही एक मुख्य मापदंड है जिस पर वितरण आधारित है यदि आप परिभाषा को विस्तृत करते हैं तो तब हमें पता लगेगा कि क्या सही तरीके का मापदंड अपनाया गया है या नहीं। दसवें वित्त आयोग की सिफारिश राज्य की जनसंख्या और उसके पिछड़ेपन पर आधारित है। पिछड़ेपन से क्या तात्पर्य है ? जहां राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्न है सिंचाई सुविधाएं सबसे कम होती हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे कम है, आधरिक संरचना की जहां बहुत कमी है, ऐसा राज्य उस स्तर पर नहीं आता जहां उसे स्वतः आना चाहिए, इसलिए हम यह विचारणीय प्रश्न पूछ रहे हैं कि 'पिछड़ेपन' की परिभाषा क्या है।

**श्री रमेश चेन्नित्तला** : महोदया मैं भी स्पष्टीकरण चहता, हूँ और तब मंत्री महोदय अंत में उत्तर दें सकते है..... **(व्यवधान)**

**श्री श्रीकान्त जेना** : यह केवल उड़ीसा का प्रश्न नहीं हैं। यदि दुर्भाग्यवश उड़ीसा को वह प्राप्त नहीं है तो तब में स्पष्ट करुंगा कि इसको वह स्थिती क्यों मिलनी चाहिए..... **(व्यवधान)**

**श्री रमेश चेन्नित्तला** : श्री जेना, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं।

महोदया, दसवें वित्त आयोग द्वारा दो स्तरीय ऋण राहत योजना की सिफारिश की गई है। एक सभी राज्यों के लिए है और दूसरा उन राज्यों के लिए है जिन पर ऋण कर भार है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दो स्तरीय ऋण राहत योजना के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने पर विचार कर रही है।

**श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : महोदया, मैं माननीय सदस्य श्री श्रीकान्त जेना द्वारा उठाई गई बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। वह पिछड़ेपन के मापदंड के बारे में जानना चाहते हैं। पिछड़ेपन के मापदंड पर चर्चा हुई थी और वित्त आयोग उससे सहमत हुआ था जो कि प्रतिवेदनों पर आधारित है। उन्होंने जनसंख्या, आधारित संरचना और किसी विशेष राज्य की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा है। यही आधार है जिस पर वे सहमत हुए हैं और उन्होंने निर्णय लिया है। उन्होंने इन सभी मानदंडो को ध्यान में रखते हुए राज्य के हिस्से के बारे में निर्णय किया है।

**श्री श्रीकान्त जेना** : यदि ऐसी बात है तो महोदया, मेरी बात बहुत आसान है। इस सम्बन्ध में एक गंभीर गल्ती हुई है। उड़ीसा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत है और अन्य पिछड़े वर्गों की 53 प्रतिशत है। इसलिए 100 प्रतिशत में से 93 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। इस तरह उड़ीसा स्वतःएक पिछड़ा राज्य है। जहां तक प्रति व्यक्ति आय का संबंध है, दसवें वित्त आयोग ने कहा है कि उड़ीसा की प्रति व्यक्ति आय, आधारिक संरचना देश में सबसे कम है और यहां तक कि रेलवे की आधारिक संरचना असम की तुलना में कम है। परन्तु यदि आप उत्पाद शुल्क के वितरण को देखेगें ता पायेंगे कि उड़ीसा की वह स्थिति नहीं मिल रही है। यह मेरा कहना है।

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : मेरा ख्याल है कि सब को जवाब जो देना चाहिए था, वह दे दिया है और एक-एक को अगर जवाब देंगे तो यह बहुत ही मुश्किल हो जायेगा।

**श्री अन्ना जोशी (पुणे)** : एक-एक का जवाब नहीं, पर कारपोरेट टैक्स पर कोई बोला नहीं।

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर)** : राज्यों के हिस्से का सवाल महत्वपूर्ण सवाल है ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : महोदय, उत्पादन शुल्क के वितरण के बारे में यह कहना है कि उन्होंने पहले ही मापदंड निर्धारित कर दिया है और मैनें इसके बारे में पहले ही कह दिया है।

**श्री वसुदेव आचार्य** : वे क्या हैं?

**श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : वे यह हैं : 20 प्रतिशत 1971 की जनसंख्या के आधार पर; 60 प्रतिशत प्रति व्यक्ति आय की दूरी के आधार पर; 5 प्रतिशत समायोजित क्षेत्र के आधार पर; 5 प्रतिशत आधरिक संरचना के अनक्रमणिका के आधार पर और 10 प्रतिशत कर प्रयास के आधार पर है। यह मापदंड वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किए गये हैं जो उन्होंने अपनाए हैं और उनकी रिपोर्ट दी है, हमने उन्हें केवल क्रियान्वित किया है .... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : कृपया बैठ जाइए, यदि मैं एक व्यक्ति को अनुमति दूंगा तो मुझको सबको अनुमति देनी पड़ेगी।

**श्री अन्ना जोशी** : महोदया, आपने मुझे समय देने का वचन दिया है।

**सभापति महोदय** : यह कठिन है। खैर मैं आपको अनुमति दूंगा।

**श्री अन्ना जोशी** : महाराष्ट्र सरकार ने सुझाव दिया है कि आय कर से होने वाली आय 85 प्रतिशत से कम करके 75 प्रतिशत कम करने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते निगमित कर से मिलने वाली आय का 20 प्रतिशत भी राज्यों को दिया जाना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि उनके अनुरोध का क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दसवें वित्त आयोग ने इस पर विचार किया है या नहीं।

दूसरा, मैंने एक बड़ा मूल प्रश्न उठाया है कि आवंटन ऐसा होना चाहिए कि कम से कम जो हिस्सा उन्हें इस समय मिल रहा है उसमें कमी न की जाए। उस बात का क्या हुआ? हमारे हिस्से में 400 करोड़ रुपये कम कर दिये गये है .... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : सभापति महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं, जो माननीय मंत्री ने पिछड़ेपन को परिभाषित किया है, जनसंख्या को, विकास को और प्रति व्यक्ति आय को, क्या माननीय मंत्री जी जो कह रहे है कि पुनर्विचार नहीं हो सकता है तो सदन की भावना को देखा जाए। जिन माननीय सदस्यों ने इस डिबेट में भाग लिया है, इस विधेयक पर अपने विचार रखे हैं, सब लोगों ने क्षेत्रीय विषमता पर जोर डाला है, रीजनल इम्बेलेसेज जो बढ़े हैं, उसपर जोर डाला है। क्या पावर्टी को आधार नहीं बनाया जा सकता है? यह पिछड़ापन नहीं है क्या? गरीबी की रेखा के नीचे बसर करने वाले लोगों का परसेण्टेज राज्यों में क्या है, क्या इस पर विचार नहीं किया गया है? तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेण्डेशंस पर पुनर्विचार करने का अधिकार सदन आज उनको देता है। अगर प्रस्ताव नहीं है तो हम लोगों की भावना को देखते हुए यह प्रस्ताव लायें।....**(व्यवधान)**

**श्री हरिचन्द सिंह (रोपड़)** : सारे देश के हरिजन गरीब हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? सारे हरिजन 40 साल से 50 साल से कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं।

**श्री श्रीकान्त जेना** : सरदार जी, सवाल तो हमारा भी वही है।

**श्री काशीराम राणा (सूरत)** : हम तो लोग भी गरीबों की बात कर रहे हैं।

**सभापति महोदय** : मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

.... **(व्यवधान)**

**श्री काशीराम राणा** : मैंने भी अपने व्यक्तव्य में जो कहा था, उसका कोई जवाब नहीं दिया है।

**सभापति महोदय** : आपका जवाब भी इसी में निहित होगा। एक ही बात में सब की बात निकल गई है। अब उनको जवाब देने दीजिए। .... **(व्यवधान)**

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य)** : हजारों करोड़ रूपये महाराष्ट्र से आ रहे हैं। ..... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदया** : आपका भी इसी में जवाब आ जायेगा। बात तो आपकी भी वही है।

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : सभापति महोदया, हम लोगो ने जो बाते कहीं है, मंत्री जी ने उसपर कम से कम नाम भी नहीं लिया है और अतिसंक्षिप्तीकरण कर दिया है।

**सभापति महोदय** : आप जितने लोग सदन में बैठे है, मैं महसुस करती हूं कि आप अपने उत्तरदायित्व को निभा रहे है, लेकिन ऐसे शोर करने से कभी भी आपको जवाब प्राप्त नहीं हो सकता। मैं आपको समय भी दे रही हूं, लेकिन फिर भी आप इतना समय खराब कर रहे हैं।

**श्री कालकादास (करोलबाग)** : गरीब लोग, शैडयूॅल्ड कास्ट्स, शैडयूॅल्ड ट्राईब्स के लोग जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और अभी तक 47 साल में उनके लिए कुछ नही हुआ, उस पर सरदारजी ने यह सवाल उठाया है, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। यह रीजनल इम्बेलेंसेज की बात नहीं है, यह सारे देश की बात है। यह राष्ट्रीय सवाल है ..... **(व्यवधान)**

**सभापति महोदय** : आप बैठिए, उतने में ही क्यों समय खराब कर रहे हैं। प्रश्न तो आनका आ गया है, अब आप उनको जवाब भी देने दीजीए।

**श्री डरचन्द सिंड** : यह लोग 50 साल से इनको वोट डाल रहे हैं और यह उनके दम से वजीर बना रहे हैं ..... **(व्यवधान)**

**[अनुवाद]**

**श्री श्रीकान्त जेना** : महोदया, हम मंत्री महोदय की सहायता करने की कोशिश कर रहे है **(व्यवधान)** दसवें वित्त आयोग ने वितरण के बारे में दो सिफारिशों की हैं। पहला जनसंख्या के बारे में है और दूसर पिछड़ेपन के बारे में है। यदि किसी विशेष कदम में पिछड़ी जनसंख्या अधिक है तो भारत सरकार उस राज्य को एक पृथक श्रेणी में रखने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार करेगी? मंत्री महोदय ने पिछड़ेपन की सही परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं की है। इस तरह के दृष्टिकोण के कारण हमें निरंतर कष्ट उठाना पड़ रहा है। नई अर्थिक नीति के कारण पिछड़े राज्य और अधिक पिछड़ जाएंगे और उन्नत राज्य और आगे बढ़ जाएंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य)** : मुम्बई शहर में करीब एक करोड़ लोग रहते हैं जिसमें 60 लाख लोग झोपड़ियों में रहते हैं। वहां से आपको 17944 करोड़ रुपये प्राप्त होते है, लेकिन आप मुम्बई शहर के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपये ही दे रहे हैं; क्या इससे 60 लाख लोगो का जो झोपड़ियों में रहते हैं, विकास हो सकेगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आपको मुम्बई शहर के लिए 10 प्रतिशत राशि देनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : अब शांति से सुन लीजिये।

**[अनुवाद]**

**श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : महोदया, वित्त आयोग ने वितरण के इस सिद्धांत को निर्धारित किया है। आज तक इस पर चर्चा कर रहे हैं और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धन का वितरण कर रहे हैं। अब तक सरकार ने वित्त आयोग की सब रिपोर्टों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और वित्त आयोग ने राज्यों को हिस्सों के वितरण के बारे में जो भी सुझाव दिए हैं, हम उन्हें कर रहे हैं, हम वित्त आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित कर रहे हैं। उन्होंने पिछड़ेपन की परिभाषा के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। उन्होंने जनसंख्या आधारित संरचना और राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखा है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि नवें वित्त आयोग के सुझाव के अनुसार महाराष्ट्र राज्य को केवल 6,201 करोड़ रुपये मिल रहे थे। अब दसवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार उसे 13,709 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। उड़ीसा राज्य को पहले 5,523 करोड़ रुपये मिल रहे थे और दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उसे 9,706.55 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। श्री रमेश चेन्नित्तल्ला ने ऋण स्थिति के बारे में की गई सिफारिश के संबंध में बात उठाई है। भारत सरकार ने ऋण राहत योजनाओं सहित इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें और इसे परित करें।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

''कि सैंघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**सभापति महोदय** : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**नया खंड 5 – निरसन और व्यावृत्ति संशोधन किया गया:**

पृष्ठ 3, पंक्ति 20

के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये।(5)

**निरसन और व्यावृत्ति**

(1) संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जायेगी।''(1)

(श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया जाये''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

''कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें ''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए हैं।**

**श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति**: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ: ''कि विधेयक, संधोधित रूप में पारित किया जायें''।

**सभापति महोदया** : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जायें''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : अब हम अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 1955 के बारे में विचार करने के लिए प्रस्ताव को निपटान हेतु लेगें।

प्रश्न यह है :,

''कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाये।''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : अब सभा विधयेक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

''कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**नया खंड 4 निरसन और व्यावृत्ति**

**संशोधन किया गया :**

पृष्ठ 2, पंक्ति 46

के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाये:



**निरसन और व्यावृत्ति**

(1) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन अध्यादेश, 1995 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।''(1)

(श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

''कि नया खंड 4 विधयेक में जोड़ दिया जाये''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**नया खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

''कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधयेक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें''

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 1 अधिनियमन् सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)**: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।''

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

''कि विधयेक संशोधित रूप में पारित किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**4.35 म.प.**

## कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

### राज्य सभा द्वारा यथापारित

**सभापति महोदय** : अब हम अगला मद लेंगे श्री पी.ए. संगमा प्रस्ताव करेंगे कि कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 में और

संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।

**श्रम मंत्री (श्री पी.ए. संगमा)** : महोदया मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जायें"

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में उपलबन्ध है कि रोजगार के दौरान लगी चोट तथा व्यवसायिक बीमारियों, जिसके कारण कर्मकार निःशक्त हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है कि दिशा में कर्मकारों और उनके परिवारों को प्रतिकर का भुगतान किया जायेगा। इस समय यह अधिनियम रेलवे कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों और इसकी अनूसूची-II में विनिर्दिष्ट खतरनाक रोजगारों में नियुक्ति व्यक्तियों पर लागू होता है। अनूसुची-II में वे व्यक्ति आते हैं जो कारखानों, खानों, चाय बागानों, मोटर वाहनों, निर्माण कार्य आदि में नियुक्त हैं। कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्राप्ति में क्रमशः विस्तार होने से कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की प्रयुक्ति का क्षेत्र कुछ हद तक कम हो गया है। तथापि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की प्रयुक्ति अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित कारखानों और कुछ अन्य संस्थापनाओं तक ही सीमित है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम शेष क्षेत्रों में भी लागू है।

इस अधिनियम को पिछली बार 1984 में संशोधित किया गया था। विधि आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अधिनियम में निम्न महत्वपूर्ण संशोधन करने का प्रस्ताव है :-

(एक) इस अधिनियम के उपबंधों को भारत में पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा भरती किए गए और काम करने के लिए विदेशों को भेजे गए ड्राइवरों, क्लीनरों और अन्य कर्मकारों पर लागू किया जा रहा है।

(दो) प्रतिकार की दरें 1984 में पुनरीक्षित की गई थी। तब से मूल्यों में आम वृद्धि हुई है, इसकी धारा 4 के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि निम्न के अनुसार बढ़ाने का प्रस्ताव है:

(क) किसी कर्मकार की मृत्यु की दशा में प्रतिकर की न्यूनतम राशि 20,000/- रुपये बढ़ाकर 50,000/- रुपये और स्थायी रूप से निःशक्तता होने की दशा में 24,000/- रुपये से बढ़ाकर 60,000/- रुपये किया जा रहा है;

(ख) किसी कर्मकार की मृत्यु होने की दशा में प्रतिकर की दर मासिक मजूरी के 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत और स्थायी रूप से पूर्ण निःशक्तता होने की दशा में संगत कारक से गुणित करके मासिक मजूरी 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जा रहा है। यह प्रस्तावित दरें 1964 के आई.एल.ओ. कन्वेशन सं0 121 के अनुसार हैं जो काम के दौरान लगी चोट से संबंधित है सिवाय इसके कि जैसा कि अभी हो रहा है प्रतिकर की राशि एक मुश्त दी जाती रहेगी।

(ग) प्रतिकर की अधिकतम राशि निर्धारित करने के लिए मासिक मजूरी की अधिकतम सीमा 1,000/- से बढ़ाकर 2,000/- रुपये की जा रही है।

(तीन) प्रतिकर की राशि के अतिरिक्त मृतक कर्मकारों के अन्तेष्टि खर्च के लिए 1,000/- रुपये के संदाय का भी उपबंध किया जा रहा है।

(चार) एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले निर्धन कर्मकारों की समस्याओं को देखते हुए उस क्षेत्र के आयुक्त के समक्ष, जहाँ कर्मकार अथवा उसके आश्रित आमतौर पर रहते हैं, प्रतिकर के लिए दावे करने को सुविधा देने हेतु विधयेक में एक उपबंध किया गया है।

संसद की श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने भी कुछ टिप्पणियों/सिफारिशों के अध्यधीन विधयेक को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने सभा द्वारा वर्तमान विधयेक को स्वीकृति दिए जाने के बाद उस पर सहयोगी मंत्रालयों के साथ परामर्श करके आगे और जांचने के लिए उन्हें नोट किया है।

विधेयक के माध्यम से किए जाने वाले ये प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन संक्षेप में हैं। मुझे आशा है कि सदस्य प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ सौंपता हूँ।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 में और संशोधन करने वाले विधयेक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

**श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर)** :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधयेक को प्रवर समिति को सौंपा जाये, जिसमें सात सदस्य होंगे, वे हैं :-

1. श्री अब्दुल गफूर
2. डा0 सत्यनारायण जटिया
3. श्री मंजय लाल
4. श्री हरिकेवल प्रसाद
5. श्री मोहन रावले

6. श्री पी.ए. संगमा
7. श्री जार्ज फर्नान्डीज़

साथ ही यह अनुदेश दिया जाए कि इसकी रिपोर्ट आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत की जाए''

**[हिन्दी]**

**श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर)** : सभापति महोदया, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में संशोधन के बारे जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, यह प्रस्ताव बहुत समय पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन सरकार के लोग और भारत सरकार इस समय कुछ ऐसे कामों में फंसे हु हैं कि सरकार को जनहित के मामलों को ले आने की फुरसत नहीं है। इस बिल से समाज के निचले स्तर के लोग जुड़े हुए हैं और गांव के लोग जुड़े हुए हैं।

इस अधिनियम, 1923 में संशोधन का उद्देश्य है कि जो श्रमिक काम करते हैं, चाहे वे किसी भी उद्योग में हों अगर वे घायल हो जाते हैं या मर जाते हैं, तो उनके परिवार को या उनके आश्रितों को मुआवजा देने के संबंध में इस अधिनियम में चर्चा है। सन् 1923 में जब यह अधिनियम पास किया गया होगा, तो उस समय के मुआवजे के अनुसार तय किया होगा। मंत्री महोदय ने कहा है कि 1984 में मुआवजे के बारे में संशोधन आया था और अब 1995 में यह संशोधन आ रहा है कि मुआवजे में बढ़ोतरी की जाए। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही उचित प्रस्ताव है।

इसके बारे में गहराई में जाने से, ऐसी जानकारी करने पर कि किस तरह के श्रमिकों को मुआवजा दिया जाए और किस परिस्थिति में दिया जाए। मैं देखता हूँ कि जहां सरकारी उपक्रम हैं, जहां श्रमिक काम करते हैं, घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं तो उनके किसी आश्रित को नौकरी मिल जाती है, उसको कुछ मुआवजा भी मिल जाता है, जो मुआवजा तय होता है। यहां मंत्री जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्राइवेट कम्पनी में बहुत अभाव है। हिन्दुस्तान में जो प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं वे इस तरह के काम श्रमिकों के मरने पर या उनके घायल होने पर नहीं करती हैं, जो प्रावधान सरकारी कम्पनी में, सरकारी क्षेत्र में तथा सरकारी उपक्रम में होते हैं वहां नहीं होते हैं। वे ठेकेदारी प्रथा से काम कराते हैं। अगर कोई मजदूर मरता है तो वे कहते हैं कि यह मेरी कंपनी का मजदूर नहीं था, यह ठेकेदार का मजदूर था। अगर कोई घायल होता है तो वे कहते हैं कि मेरा मजदूर नहीं था यह किसी ठेकेदार का मजदूर था। लेकिन ठेकेदारी व्यवस्था जो आपके मंत्रालय से स्वीकृत होकर बनाई गई है उसके अंतर्गत जो कंपनी में काम होते हैं वह व्यवस्था सबसे विवादास्पद है।

यहां हमारे श्रमिक नेता उपस्थित हैं वह जब इसकी चर्चा करेंगे तो विस्तार से करेंगे। ठेकेदारी व्यवस्था के बारे में मुझे यह कहना है कि इसके द्वारा जो किसी कंपनी में काम होता ह। वहां श्रमिकों का सीधे-सीधे उनके परिश्रम का शोषण होता है। अगर कोई श्रमिक मर जाए, घायल हो जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे क्षेत्र में बिरला साहब की एक हिंडालको कंपनी है। कनोडिया की केमिकल्स कंपनी है वहां जितने श्रमिक काम करते हैं उसके 10 गुना ठेकेदारी पर काम करते हैं। उनका पावर हाउस है। आपकी की ही सरकार उनके पावर हाउस बनाने का एक्सटेंशन करती है। पहले 50 मेगावाट बिजली बनाते थे और अब 500 मेगावाट बनाते हैं। उनके श्रमिक रोम मरते हैं, ठेकेदारों द्वारा काम कराए गए मजदूर रोज मरते हैं और रोज घायल होते हैं लेकिन रेनु पावर कंपनी में किसी तरह का भारत का कानून उनको उचित सीमा में नहीं बांधता, इसलिए कि वह बिरला साहब की कंपनी है और इसलिए कि आपकी सरकार से संबंधित लोग बिरला साहब के यहां जाकर दरबार लगाते हैं। मजदूरों की सुनने वाला कौन है? इस तरह के अधिनियम पास हो जाने से क्या हो सकता है? उनकी ही कंपनी हिंडालको है, जहां एल्यूमीनियम, कार्बन बनाया जाता है। हमारे बिहार के भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक दीनानाथ पांडेय होते थे। उनका एक रिश्तेदार काम करता था, वह एल्यूमीनियम, कार्बन के ताप से अपंग हो गया। वह बार-बार निवेदन करता रहा कि मेरी ड्यूटी दूसरे स्थान पर कर दी जाए लेकिन बिरला कंपनी के मैनेजमेंट ने कभी इस तरह के आदेश नहीं दिए। वह ताप से अपंग हो गया। आपने व्यावसायिक बीमारियों के बारे में मुआवजे की भी इस अधिनियम में चर्चा की है लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बार-बार यह चर्चाएं आती हैं कि जहां औद्योगिक विकास होता है वहां प्रदूषण होता है और उसके कारण लोगों को बीमारियां होती हैं। उन बीमारियों को व्यावसायिक बीमारियों से जोड़ा जा सकता है, कहा जा सकता है कि उस व्यवसाय के कारण बीमारियां होती हैं सिर्फ प्रस्ताव, अधिनियम या कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर भारत की सरकार कोई कानून बना दे और उस कानून के द्वारा अगर उस औद्योगिक क्षेत्र में बीमारी दूर हो जाती है तो मैं भारत सरकार के सभी मंत्रियों से कहना चाहूँगा कि सरकार रोज कानून बनाए लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप जाकर देखें कि जहां सरकारी उपक्रम है वहां भी प्रदूषण होता है। उनके कचरे पानी में गिरते हैं वही पानी वहां के रहने वाले लोग और वहां के श्रमिक पीते हैं और वे रोगी हो जाते हैं और उसी रोग से घुट-घुट कर मर जाते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है और उसमें उनके परिवार के लोग उस पीड़ा की जिन्दगी में जीने के लिए विवश रहते हैं। कनोडिया केमिकल्स का तमाम पंत सागर में गिरता है वहां लाखों लोग रहते हैं और वही पानी पीने के लिए वे विवश हैं और उनको तमाम तरह के रोग सताते हैं। वे रोगी होते हैं और वही व्यावसायिक बीमारियाँ, जिनकी आपने इस अधिनियम में चर्चा भी की है उनसे पीड़ित हो कर अपंग हो जाते हैं या अंधे हो जाते है।

जो लोग मर जाते हैं, उनका संरक्षण करने के लिए कोई कानून नहीं है। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि निचले स्तर के लोगों पर जो कानून लागू होता है, वही कानून बड़े स्तर के लोगों पर भी

लागू होना चाहिए, तभी ऐसे कानूनों का महत्व हो सकेगा।

कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। गांव में रहने वाले लोग मछली मारने का काम करते हैं, एक विशेष जाति के लोग यह काम करते हैं। ये लोग तालाबों, नदियों और समुद्र में मछली मारने का काम करते हैं। आज विदेशी कंपनियां मछली मारने का ठेका ले रही हैं, लेकिन मछली मारने का काम इन्हीं लोगों से लिया जाता है और गांवों में रहने वाले मल्लाहों, मछुआरा का शोषण ये बड़ी कंपनियां करती हैं।

**4.46 म.प.**

**[श्री नीतिश कुमार पीठासीन हुए]**

मछली मारने के काम में जो लोग घायल हो जाते हैं, अपंग हो जाते हैं, समुद्री तूफान में बह जाते हैं, नाव चलाते वक्त नदियों में डूब जाते हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को भी इस कानून के तहत लाया जाना चाहिए।

मेरा क्षेत्र कालीन उत्पादन का क्षेत्र है, जहां पर लाखों बुनकर काम करते हैं। बुनकरों के बारे में तमाम तरह की विसंगतियां विश्वभर में प्रचलित हैं, इनके बारे में चर्चा होती है, चाइल्ड लेबर के बारे में चर्चा होती है। कहा जाता है कि पढ़ने की उम्र में बच्चे बुनकरी का काम करते हैं। ये सारी चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन इन बुनकरों की कठिनाइयों को दूर करने की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जहां तक पढ़ाई की बात है, हमारे देश में केवल अक्षर ज्ञान को ही पढ़ाई नहीं माना जाता, बल्कि गुनने को भी पढ़ाई माना जाता है। गांवों में जो बच्चे मिट्टी, लोहे या बुनकरी आदि का काम सीख लेते हैं, इसको गुनना कहते हैं। यदि पढ़ने और गुनने की समन्वित व्यवस्था चले तो बुनकरों की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती है। आज बच्चे, बड़े सब बुनकरी के काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग जिस प्रदूषित वातावरण में काम करते हैं, उसमें रोगग्रस्त हो जाते हैं। इनको रोगमुक्त रखने के लिए यदि औषधालय की व्यवस्था हो जाएं तो ये लोग बुनकरी का काम महत्वपूर्ण तरीके से कर सकते हैं।

इसी तरह से जूते बनाने वालों, बैल्ट बनाने वालों और चमड़ा उद्योग में काम करने वालों की स्थिति है। उधर से गुजरने वाले को बदबू से पता लग जाता है कि यहां पर चमड़े का काम होता है। इन कारखानों का कचरा जहां इकट्ठा होता है, उससे भी तरह-तरह की बीमारियां होती हैं और इन कारखानों में काम करने वाले श्रमिक इन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इनको इस रोगग्रस्त व्यवस्था से मुक्ति दिलाने का भी कोई उपाय सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। इसका उदहारण कानपुर में देखा जा सकता है जो कि द्रोण जी का क्षेत्र है। इन सारी चीजों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत बड़ा काम आप कर सकेंगे।

इसी तरह से खेती में काम करने वाले लोग जो हैं वे भी घायल हो जाते हैं। बढ़ईगिरी का काम करने वाले घायल हो जाते हैं, लोहार का काम करने वाले घायल हो जाते हैं। इसलिए इन छोटे-छोटे उद्योगों में काम करने वालों के लिए भी प्रावधान बनाए जाएं। अगर वे अंपग हो जाते हैं, उनके हाथ कट जाते हैं तो कुछ मुआवजे की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कर दी जाती है। उनको सूचना कहां होती है कि ऐसे घायल लोगों को किसी प्रकार का मुआवजा दिया जा सकता है या उनकी चिकित्सीय व्यवस्था की जा सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार की उदारीकरण की नीति के अन्तर्गत बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। चाहे पेप्सी कोला हो, चाहे इंद्राणी कंपनी हो, वे किसी भी क्षेत्र में हों-लोहे के क्षेत्र में हो या किसी और क्षेत्र में हों। हमारा देश श्रम-प्रधान देश हैं। यहा श्रमिकों की एक बहुत बड़ी तादाद है। अब इन कंपनियों को इसकी चिंता नहीं हैं। वे अपने उद्योगों को मशीनों से चलाने की व्यवस्था करते हैं न कि श्रमिकों के श्रम से चलाने की व्यवस्था करते हैं। जिससे श्रमिकों के लाभ के लिए जो कानून बने हैं। उनसे बचा जा सके। उनको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की चिंता होती है। जब आप इन कानूनों को उन पर लागू करने जायेंगे तो वह कह देंगे कि ये तो प्रशिक्षित श्रमिक नहीं हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के कानून बनाते समय यह निश्चित किया जाना चाहिए कि श्रम प्रधान देश में श्रमिकों के श्रम का भी हम प्रावधान रखें जिससे श्रमिकों को बेरोजगारी से बचाया जा सके।

शुगर मिल के किनारे से अगर आप गुजरेंगे तो बड़ी दुर्गंध का आपको सामना करना पड़ेगा। बिहार में, मध्य प्रदेश में कई शुगर मिलें हैं। वहां शराब बनाने का लाइसेंस सरकार से मिल जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नंदगंज शुगर मिल है। मैं यह नहीं कहता कि शुगर मिल से जो कचरा निकलेगा वह कहां जायेगा। लेकिन जो दुर्गंधित कचरा निकलता है और उससे जो बीमारियाँ फैलती हैं उनको दूर करने का क्या प्रावधान किया गया है। मुआवजा देने से तो वह हमेशा के लिए व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि जहां भी इस तरह के कारखाने हैं - चाहे शुगर मिलें हैं, चाहे चमड़े का उद्योग है, चाहे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के उद्योग हैं। मैंने हिंडालको, बिरला कैमिकल्स का विशेषतौर से इसलिए ध्यान दिलाया कि इन लोगों के बारे में बार-बार सवाल इस सदन में आया है और सरकार की ओर से आश्वासन भी दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जहां वे श्रमिक रहते हैं।

आज भी सरकार के माध्यम से अगर इसका सर्वे करा लिया जाये तो हजारों लोग आपको रोगी मिलेंगे और काम करने लायक नहीं होंगे। इतना सब होने के बाद भी बिड़ला कम्पनी उनसे विवशता में काम लेती है। आज भी कनोडिया कारखाने से जो कचरा निकलता है वह पंत सागर में चला जाता है। हजारों लोग उस पानी को पीते हैं। आप

विड़ला और कनोडिया कारखानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। मैंने सदन में यह सवाल बार-बार उठाया लेकिन आपने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे तो श्रमिकों का और समाज का बहुत बड़ा कल्याण होगा। सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास तो उठ ही गया है, अगर इसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे तो सरकार के ऊपर लोगों को कुछ हद तक विश्वास कायम होगा। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : क्या कांग्रेस की ओर से कोई बोल रहा है?

**सभापति महोदय** : मैंने आपका नाम बुलाया है। यदि आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो कृपया बैठ जाइये। तब मैं किसी अन्य सदस्य को बुलाऊँगा।

**श्री ए.चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम)** : मेरा इस तरफ से पहला नम्बर है। जब विपक्ष से किसी का नाम लिया गया है तो इस तरफ के भी एक सदस्य का नाम लेना चाहिए।

**सभापति महोदय** : मैंने उनका नाम बुलाया है।

**श्री ए. चार्ल्स** : यह सच है पर वह सत्तारुढ़ दल के सदस्यों पर आक्षेप कर रहे हैं। हम भी कर्मकारों के प्रति उतने ही चिन्तित हैं। वह ऐसी अनावश्यक टिप्पणी क्यों कर रहे हैं?

**[हिन्दी]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : आपने बुलाया है तो बोलेगें।

**सभापति महोदय** : आप जो बोलेंगे वही रिकार्ड में जायेगा।

**[अनुवाद]**

**श्री बसुदेव आचार्य** : सभापति महोदय, हम कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, 1995 का स्वागत करते हैं। परन्तु इसे विधयेक में अनेक त्रुटियां हैं, अनेक प्रतिवंध हैं। उन्होंने अभी कहा है कि इस विधेयक को श्रम तथा कल्याण मंत्रालय की स्थाई समिति को सौंपा गया था। इस स्थाई समिति ने इस विधयेक पर विचार किया और कुछ सिफारिशें की, उन्होंने यह भी कहा है कि जब यह विधेयक पारित हो जाएगा तब मंत्रालय स्थाई समिति की सिफारिशों पर अमल करेगा।

इस विधयेक को स्थाई समिति को भेजने का क्या कारण था? स्थाई समिति ने विधेयक पर विचार किया और कुछ सिफारिशें की। इन सिफारिशों को विधेयक में शामिल न करने के क्या कारण हैं? इसीलिए श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक संशोधन का सुझाव दिया है कि इस विधेयक को इस सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। हम इस विधेयक को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं क्योंकि यह हजारों कर्मकारों से संबंध रखता है।

मूल अधिनियम, वर्ष 1923 में अधिनियमित किया गया था और उसके बाद से इसमें अनेक संशोधन किए गए हैं, पिछला संशोधन वर्ष 1984 में किया गया था जब मृत्यु अथवा स्थायी रूप से निःशक्त हो जाने की दशा में कर्मकारों को दिये जाने वाले प्रतिकर में वृद्धि की गई। पुनः 1989 में विधि आयोग ने भी प्रतिकर की राशि बढ़ाने की सिफारिश की थी।

**5.00 म. प.**

परन्तु मंत्रालय ने तब उस पर भी अमल नहीं किया था। यदि हम गणना करते हैं कि वर्ष 1984 में मूल्य सूचकांक क्या था और अब मूल्य सूचकांक क्या है तो यह पाएंगे कि स्थाई रूप से निःशक्त होने की दशा में कर्मकार को दी जाने वाली राशि में जो 20,000 रुपये से 50,000 रुपये और 60,000 रुपये की वृद्धि की जा रही है, वह बहुत कम है, किसी भी दशा में यह राशि 2 लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

भारतीय रेल अधिनियम का उल्लेख किया गया है। इस भारतीय रेल अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में कर्मचारियों और ड्राइवर, सहायक ड्राइवर, गार्ड, टिकट निरीक्षक स्टाफ जैसे रेल कर्मकारों की श्रेणियाँ दी हुई हैं जो रेलगाड़ियों में ड्यूटी कर रहे हैं। इन्हें रेल दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु होने की अवस्था में प्रतिकर के भुगतान से बाहर रखा गया है। पहले इन्हें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार प्रतिकर दिया जाता था। अब यदि गार्ड की दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है। तो गार्ड को उतना ही प्रतिकर मिलता है जितना दुर्घटना में मारे गए यात्रियों को मिलता है। यह संशोधन तब किया गया था जब भारतीय रेल अधिनियम, 1890 संशोधित किया गया था और दुर्घटना के कारण प्रतिकर के भुगतान से कुछ श्रेणियों के कर्मकारों को बाहर रखा गया था। मैं संयुक्त समिति का एक सदस्य था जिसने 1890 के भारतीय रेल अधिनियम पर विचार किया था। हमने कुछ सुझाव दिये थे कि कुछ अन्य कर्मकारों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए; जिन्हें अब कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर मिल रहा है। जैसे गैंगमैन जिन्हें अब मूल अधिनियम में संशोधन करने के बाद इसमें शामिल किया गया है। इसका कारण यह है कि यदि किसी कोच अथवा वैगन के पटरी पर से उतर जाने से रेलवे लाईन पर काम कर रहे इंजीनियरिंग स्टाफ या गैंग मैन मारे जाते हैं तो उन्हें 1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम के अनुसार प्रतिकर नहीं मिलेगा। कर्मकारों की कुछ श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है, उन्हें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजा मिलेगा। इसलिए भारतीय रेलवे अधिनियम में भी संशोधन की आवश्यकता है।

हमें आशा थी कि जब मंत्री जी 11 वर्ष के बाद यह संशोधन लाए हैं तो कम से कम एक विस्तृत विधेयक लाया जाएगा। हमें उसकी आशा थी। यहाँ उन्होंने परिभाषा नहीं बदली है। मेरे अनुमान से 1923 के मूल अधिनियम में जो परिभाषा स्वीकार की गई है उसमें 'कर्मकार' से अभिप्रेत है।

''कोई भी व्यक्ति (उस व्यक्ति के अलावा, जिसका रोजगार नैमित्तिक प्रकृति का है, जो नियोक्ता के व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजनों के अलावा अन्यथा नियुक्त है) जो

(1) एक रेल कर्मचारी है जैसा 1890 के भारतीय रेलवे अधिनियम (1890 का 9) में परिभाषित है....,''

''....रेलवे के किसी प्रशासनिक, जिला अथवा उप-मंडलीय कार्यालय में स्थाई तौर पर नियुक्त नहीं है और ऐसे किसी पद जैसा कि अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है, पर नियुक्त नहीं है''

अब उन्होंने सूची बढ़ा दी है, उन्होंने कर्मकारों की कुछ अन्य श्रेणियों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

कारखाना अधिनियम में 'कर्मकार' की परिभाषा क्या है? 'कर्मकार' से अभिप्रेत है :

''कोई भी व्यक्ति जो मूल नियोक्ता की जानकारी में अथवा उसकी जानकारी के बिना, प्रत्यक्ष अथवा संविदाकार सहित किसी एजेंसी के माध्यम से निर्माण प्रक्रिया अथवा किसी अन्य तरह के कार्य में जो निर्माण प्रक्रिया के प्रसंग में है अथवा जो उससे सम्बन्धित है, नियुक्त है परन्तु उसमें संघ की सशस्त्र सेनाओं का कोई सदस्य शामिल नहीं है।''

कारखाना अधिनियम में यह परिभाषा दी हुई है। परन्तु यहां कर्मकार की परिभाषा बिल्कुल अलग है, करोड़ों कर्मकार निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। इसके लिए विभिन्न वर्गों, विभिन्न लोगों से भारी माँग है। तीन या चार वर्ष पहले एक अभियान समिति भी गठित की गई है। और समूचे देश में निर्माण कर्मकारों के लिए एक विस्तृत कानून बनाने के लिए अभियान चल रहा था। ये निर्माण कर्मकार अभागे, निस्सहाय है और वे निर्धन लोग हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है। हमें इसका अनुभव है क्योंकि श्रमिक को विनियमित करने वाले अनेक कानून हैं। हमारे यहां संविदा श्रम (उत्पादन और विनियमन) अधिनियम है जिसका कि गलत ढंग से प्रयोग हो रहा है, यह प्रभावी नहीं है। यह न कोई बात समाप्त कर सकता है और न उसको विनियमित कर सकता है। यदि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है तो श्रम मंत्रालय और अन्य कुछ नहीं कर सकेंगे।

अन्य कानून भी हैं जैसे बाल श्रमिक अधिनियम, इसक भी दांत नहीं है, इस अधिनियम के उल्लंघन के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस मामले में भी यदि कानून को कड़ाई के साथ लागू नहीं किया जाता है तो इसको देखने के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम के मामलों में मुकद्मा, अधिनियमन, मुकदमों को अंतिम रूप देने, छंटनी, निलबंन, मजूरी का भुगतान न करने और वरखास्तगी के सम्बन्ध में धारा 10 (2)(क) के अन्तर्गत समय सीमा निर्धारित की गई है। परन्तु यहां मृत्यु होने और स्थाई निःशक्तता के लिए प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नियोक्ता एक वर्ष, दो वर्ष अथवा तीन वर्ष ले सकता है। और इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए नियोक्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस संशोधन को लाते समय इसको शामिल किया जा सकता था। अब यह राशि 20,000/- रुपये से बढ़ाकर 50,000/- रुपये की जा रही है और इसका प्रतिशत 40 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह राशि वर्ष 1989 में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार बढ़ाई जा रही है। 1989 का मूल्य सूचकांक क्या था और अब तक मूल्य सूचकांक क्या है? कुछ वास्तविक गणना भी की जानी चाहिए।

इसी तरह स्थायी निःशक्तता के लिए कर्मकारों को दिया जाने वाला प्रतिकर 24,000/- रुपये था। इसे अब बढ़ाकर 60,000 रुपये किया जा रहा है। 24,000/- रुपये की राशि 11 वर्ष पूर्व निर्धारित की गई थी। उस समय मूल्ये सूचकांक क्या था? स्थायी समिति ने क्या सिफारिश की थी? स्थायी समिति ने सिफारिश कब की थी, उन्होंने यह सुझाव दिया था कि गणना मूल्य सूचकांक के आधार पर की जानी चाहिए। हमें इस आधार के रूप में विधि आयोग की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए कि ये 1989 में की गई थी। परन्तु मैं कहना चाहूँगा कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में प्रतिकर की राशि बढ़ाते समय इस पर विचार नहीं किया गया। मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस बात को स्पष्ट करें कि इसे ध्यान में क्यों नहीं रखा गया।

सभापति महोदय मैं इसे आज के दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण समझता हूँ क्योंकि यह लाखों कर्मकारों से संबंध रखना है। ... **(व्यवधान)**

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : आचार्य साहब, आपको 18 मिनट हो चुके हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा)** : अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है।

**सभापति महोदय** : आप दो मिनट में समाप्त करिए। आपकी पार्टी का समय 4 मिनट का था और आपको 18 मिनट हो चुके हैं, इसलिए आप दो मिनट में खत्म कर दें।

**श्री बसुदेव आचार्य** : अभी तो हमारे तीन स्पीकर और हैं।. ....(व्यवधान)

**[अनुवाद]**

यहां, असंगठित कर्मकार, कृषि कर्मकार, बीड़ी कर्मकार, सिगरेट कर्मकार और कर्मकारों की ऐसी श्रेणियाँ हैं जो खतरनाक स्थितियों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें अलग क्यों कर दिया गया है?

**एक माननीय सदस्य** : राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं के बारे में क्या कहना है?

**श्री बसुदेव आचार्य** : आजकल इतना काम अन्य कर्मकारों की श्रेणियों की तुलना में अधिक खतरनाक है।

बीड़ी कर्मकारों के लिए केवल टी.बी. अस्पताल हो सकता है परन्तु इसके लिए आपके पास धन भी नहीं है। मैं पिछले तीन वर्षों से इस अस्पताल के लिए मांग कर रहा हूँ। मेरे जिलें में एक जगह लगभग 40,000 बीड़ी कर्मकार हैं। मैं बीड़ी कर्मकारों के लिए एक टी.बी. अस्पताल की मांग कर रहा हूँ और मुझे मंत्री महोदय से यह उत्तर मिल रहा है कि इसके लिए धन नहीं है। मैं बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि से धन की मांग कर रहा हूँ न कि सरकार से मांग कर रहा हूँ। बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए एक निधि है और यहाँ तक कि उस निधि में से धन बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए उपलब्ध नहीं किया जा रहा है।

**श्री अनिल बसु** : कांग्रेस के साथ यही समस्या है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : इसी तरह सभापति महोदय, ठेकेदारों द्वारा रेलवे में हजारों कर्मकारों को काम पर रखा हुआ है। वहां हजारों कर्मकार काम कर रहे हैं। इन ठेके के कर्मकारों पर शासन करने, उन्हें विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं। वरिष्ठ कर्मकारों के लिए संविदा श्रमिक विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत देय न्यूनतम मंजूरी उन्हें नहीं दी जा रही है और श्रम मंत्री इस मामले में कुछ नहीं कर सकते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि हमेशा चलते रहने वाले कार्यों कामें इन ठेकों के कर्मकारों को लगाया जा रहा है और 15 या 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अचानक उनकी छंटनी की जाती है, उनके लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं।

महोदय, उन्होंने अनुसूची 2 में कुछ श्रेणियों के कर्मकारों को शामिल किया है। परन्तु मैं 27 वर्ष के एक जवान लड़के का केस जानता हूँ। उसे भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के काम पर रखा हुआ था। इस प्रोजेक्ट का वित्त पोषण एक विदेशी एजेंसी कर रही थी। उस युवक को पश्चिम बंगाल की सरकार के अन्तर्गत एक स्थायी नौकरी मिलनी थी। उसका नियुक्ति पत्र उसके मां-बाप को उसकी मृत्यु के सात दिन बाद मिला। एक वाहन में जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। वह उस समय अपनी ड्यूटी पर था जब एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। प्रबंधकों - प्रोजेक्ट अथारिटी का क्या उत्तर था? उनका उत्तर यह था कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में अन्तर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और उसकी मृत्यु के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि उस युवक, जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, के माँ-बाप अब भूखे मर रहे हैं। उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला है क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

इसलिए कर्मकारों की एक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। नैमित्तिक कर्मकारों को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है; ठेके के कर्मकारों को इससे बाहर क्यों रखा गया है; कृर्षि श्रमिकों को इससे बाहर क्यों रखा गया है जबकि निर्माण कर्मकारों की अन्य श्रेणियों, बीड़ी कर्मकारों और असंगठित क्षेत्रों, जहां लाखों कर्मकार लगे हुए हैं, के कर्मकारों को इसमें शामिल किया हुआ है? समूचे श्रमिक श्रेणी में संगठित क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है।

महोदय, हाल ही में दो या तीन महीने पहले उन्होंने दुर्गापुर में एक सेमिनार में भाग लिया था। सेमिनार का विषय था ''निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा'' इस सेमिनार का आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने किया था परन्तु निर्माण कर्मकारों को मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार निर्माण कर्मकारों को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि नियोक्ता अधिनियम का उल्लघंन करता है तो नियोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने, उस पर मुकदमा चलाने का प्रावधान कहां है? क्या ऐसा एक भी मामला बता सकते हैं जहाँ कर्मकार को देय मुआवजा दिया गया है? सरकार ने नियोक्ता को दंडित करने के लिए क्या कार्यवाही की है।

महोदय, हमारा यह अनुभव रहा है कि अनेक श्रमिक कानूनों के होने के बावजूद इन कानूनों का बार-बार उल्लघंन होता रहा है और ऐसे मामलों में सरकार, श्रम आयुक्त और संबंधित मंत्रालय निस्सहाय हो जाते हैं। इसलिए इस विधेयक में कुछ कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए। अन्यथा इस विधयेक के साथ भी वही बात होगी। मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि यदि इसे प्रवर समिति को भेजा जाता है तो ऐसा करना बेहतर होगा। इस विधयेक को पारित करने की कोई जल्दी नहीं है। प्रवर समिति की रिपोर्ट 15 दिन या एक महीने के अन्दर आ जाएगी और तब सरकार इस विधयेक पर विचार कर सकती है, नहीं तो सरकार उपयुक्त संशोधन लाये या न सशोंधनों को स्वीकार करे जिन्हें इस विधेयक के विचारण चरण के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा तथा जिनमें यह दिया गया है कि किसी कर्मकार की मृत्यु होने की दशा में दी जाने वाली 50,000 रुपये की मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए। किसी कर्मकार की मृत्यु की दशा में मुआवजों के रूप में 50,000 रुपये की राशि बहुत कम है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना वक्तव्य समाप्त कीजिए।

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय, किसी कर्मकार की स्थायी रूप से निःशक्त होने की दशा में दी जाने वाली 62,000 रुपये की मुआवजे की राशि बहुत कम है।

**सभापति महोदय** : आपने अपनी बात कह दी है। अब कृपया आप बैठ जाएं

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वह मुआवजे की राशि बढ़ाने और विधेयक का क्षेत्र बढ़ाने के लिए संशोधन लाएं ताकि सब क्षेत्रों-संगठित, असंगठित, नैमित्तिक, ठेकेदार आदि के कर्मकारों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

**श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम)** : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक 1995 का समर्थन करता हूँ।

महोदय, मैंने दूसरे पक्ष के दो पिछले माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को सुना है। पहले वक्ता ने यह कहकर आलोचना की है कि यह विधेयक विलम्ब से लाया गया है और इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। यह कहा गया है कि मूल अधिनियम 1923 में पारित किया गया था और अनेक वर्षों के बाद केवल यहीं संशोधन लाए जा रहे हैं। यदि मेरी जानकारी सही है तो यही एक ऐसा अधिनियम है जिसमें पिछले वर्षों में अनेक परिवर्तन लाए गए हैं - मैं पक्के तौर पर नहीं जानता कि कितने संशोधन लाए गए हैं - लगभग 20 से 21 बार इस मूल अधिनियम को वर्तमान स्थितियों के अनुसार संशोधित किया गया है। इस प्रकार उन व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे और अन्य लाभों को संशोधित किया गया है। जिन्हें चोट पहुंची है अथवा जो अपंग हो गए हैं अथवा जिनकी दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाने की दशा में मुआवजा उनके परिवार के निकट संबंधी को मिलता है। इसलिए इस विधेयक के द्वारा जो संशोधन लाया जाना है वह लगभग बीसवीं बार लाया गया है। यह सच हो सकता है कि यह विधि आयोग की सिफारिशों के कारण लाया जा रहा है और इन संशोधनों को कुछ पहले लाया जा सकता था लेकिन यह आरोप कि इसमें विलम्ब किया गया है, सही नहीं है। समय-समय पर संशोधन लाए जाते रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री वसुदेव आचार्य ने अनेक सुझाव दिए हैं। मैं उनके एक सुझाव से सहमत हूँ जो उन्होंने 'कर्मकार' की परिभाषा के सम्बन्ध में दिए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में उसे एक तरीके से दिया गया है। कारखाना अधिनियम में उसे भिन्न तरीके से दिया गया है और इस विधेयक में कुछ और है। मैं महसूस करता हूँ कि नैमित्तिक कर्मचारियों, ठेके के श्रमिकों और प्रशिक्षुओं को इस विधेयक की परिधि में लाया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ तक कि सरकारी उपक्रमों में पिछले कुछ सालों से भिन्न कारणों से भरती पर रोक लगी है। हजारों श्रमिकों को दैनिक मजदूरी पर अथवा नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में रखा जा रहा है। यह कहना कि यदि ऐसे कर्मकारों को कुछ होता है जो पिछले 6-7 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो वे वैध मुआवजे के हकदार नहीं होंगे या उनकी मृत्यु होने की दशा में उनके परिवार के किसी सदस्य या निकट सम्बन्धी को मुआवजा नहीं मिलेगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे इस पहलू को देखें।

मैं इस सुझाव से सहमत हूँ कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि यह सुझाव एक ऐसे सदस्य से आया हूँ जो ऐसी पार्टी से सम्बन्ध रखते हैं जिसे श्रमजीवी वर्ग की हमेशा बहुत चिन्ता रहती है। यदि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि यह दसवीं लोक सभा में भी पारित नहीं होगा। यदि कर्मकारों को प्रोत्साहन देने का यही तरीका है तो पश्चिम बंगाल राज्य में उनकी जो स्थिति है उसके लिए हमें बहुत दुख है। हम जो दूसरो राज्यों के हैं, इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हैं और कहते हैं कि इसको पारित किया जाना चाहिए। इस विधेयक को पहले 22 बार संशोधित किया जा चुका है। इसलिए और संशोधन लाने पर कोई रोक नहीं है। यदि आवश्यक समझा गया तो दसवीं लोक सभा के शरदकालीन अधिवेशन में ही एक और संशोधन लाया जा सकता है। मैं ऐसे उपचारी उपायों की प्रशंसा करता हूँ बजाए इसके कि इस विधेयक के लाभ कर्मकारों को देने से रोका जाए।

जिन कुछ संशोधनों को लाने का प्रस्ताव किया गया है, उनके लाने के तरीके के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। श्री वसुदेव आचार्य ने कहा है कि 40,000/- रुपये या 50,000/- रुपये की राशि पर्याप्त नहीं है। मैं उनसे सहमत हूँ परन्तु मैं महसूस करता हूँ कि कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हो गई है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह वाद-विवाद का उत्तर देते समय इसको स्पष्ट करें। मैं समझता हूँ कि यह राशि न्यूनतम है जो किसी को मिल सकती है और अधिकतम राशि 2 लाख रुपये से अधिक हो सकती है। यदि यह सही है तो मैं नहीं समझता कि इस विधेयक की ऐसी आलोचना की जानी चाहिए। कुछ मामलों में जो न्यूनतम राशि किसी को मिल सकती है वह 50,000/- रुपये है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में यह कहना सही नहीं है कि यह राशि बहुत कम है। निश्चय ही हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। क्योंकि यही केवल एक ऐसा लाभ होगा जो निर्धन कर्मकारों और उनके परिवारजनों को मिल सकता है। मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। यह आलोचना कि यह बहुत कम है-ऐसी धारणा पैदा करता है कि यह अधिकतम राशि है जिसके लिए कोई भी कर्मकार हकदार है, यह सही नहीं है।

कर्मकारों की श्रेणियों के बारे में यह कहना है कि यद्यपि मैंने कहा है कि यह परिभाषा बदली जानी चाहिए। अधिनियम में अनेक परिवर्तन लाए गए हैं जिनके अनुसार विभिन्न श्रेणियों के कर्मकारों जैसे मास्टर, नाविक कैप्टन और जहाज अथवा विमान के चालक दल के सदस्य,

ड्राइवर, हैल्पर, मैकेनिक, क्लीनिर और कम्पनी द्वारा विदेशों में कार्य करने हेतु भरती किए गए व्यक्तियों को इसमे शामिल किया गया है। यह एक स्वागत योग्य परिवर्तन है जहां विदेशों में काम करने वाले कर्मकार को इसमें शामिल किया गया है जिसे यहां भरती किया गया है परन्तु जो विदेशों में कार्य कर रहा है इस विधेयक में इस पदलू पर भी ध्यान दिया गया है।

मैं अब विधयेक के खंड 5 पर आऊँगा । नियोक्ता की ओर से मुआवजे का भुगतान रक्षित है। नियोक्ता को एक महीने के अन्दर भुगतान करना होता है। यदि एक महीने के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता है तो व्याज के भुगतान के लिए प्रवर्तनीय धारा है। यह एक वहुत स्वागत योग्य परिवर्तन है। यदि भुगतान करने में तव भी विलम्व होता है तो दंड देने का भी प्रावधान है। लेकिन यह सुनिश्चित करने का कोई प्रावधान नहीं है कि आयुक्त एक निश्चित समयावधि में निर्णय लेगा।

मेरा एक खंड यानि खंड 5 (3)(क) के वारे में मतभेद है इसमें यह उपबंध है कि देय व्याज कर्मकार अथवा उसके आश्रित को जैसा कि मामला है, देय होगा और जुर्माना राज्य सरकार के नाम जायेगा। आयुक्त राज्य सरकार का कर्मचारी है और इसलिए यह सरकार के हित में होगा यदि वह भुगतान करने में अनिश्चितकालीनं विलम्ब करता है। इसका निराकरण करने के लिए एक उपबंध यह करना चाहिए कि जुर्माने की राशि अन्त में या तो कर्मकार को अथवा उसके निकट संबंधी को दी जाए।

हमारे मंत्री जी दयालु हैं, मैं उन्हें सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। मैं त्रिवेन्द्रम में उनकी मीटिंग में उपस्थित हुआ था, अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, मंत्री जी यहाँ उपस्थिति हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि यदि संभव हुआ तो इस विशेष वात को भी ध्यान में रखा जाए। इस अधिनियम में या तो अभी संभावित परिवर्तन किए जाएं अथवा भविष्य में अन्य संशोधन लाये जायें।

जैसा कि मैंने पहले वताया है, अनूसूची-II में अनेक परिवर्तन किए गए हैं जिससे 'कर्मकार' की परिधि को बढ़ाया जा सके। इससे कर्मकारों की अनेक श्रेणियों को जिन्हें अभी मुआवजा नहीं मिलता है उन्हें यह मिल सके।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं एक अपील करना चाहता हूँ। अनेक कल्याणकारी योजनाएं वनाई जा रही हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने वचन दिया है कि भविष्य-निधि के अन्तर्गत आने वाले कर्मकारों को पेंशन दी जाएगी। इसलिए पिछले सत्र में और इस सत्र में भी आश्वासन दिया गया था। लाखों कर्मकार इसका इंतजर कर रहे हैं। लाखों परिवार के सदस्यों को इससे लाभ पहुंचेगा। यह विधेयक जिस पर चर्चा की जा रही है केवल किसी दुर्घटना के होने की स्थिति में लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति 60,000 रुपये चाहता है तो उसे किसी दुर्घटना में फंसना पड़ेगा। यह उचित नहीं है। उन कर्मकारों के वारे में क्या कहना है जो 30 से 40 वर्षों की निष्ठापूर्वक सेवा करने के उपरान्त अन्त में इससे वंचित रह जाते हैं। मैं जानता हूँ कि मंत्री महोदय इस विधेयक के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान हैं। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि इस आशय का एक विधेयक संसद के इस सत्र में पारित किया जाए। इससे कर्मकारों के परिवारों की दशा सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधयेक की संस्तुति करता हूँ और इस का समर्थन करता हूँ।

**[हिन्दी]**

**श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर)** : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूँ चूंकि, इस विधयेक को हम मज़दूरों की समस्याओं को हल करने वाला विधयेक नहीं मानते हैं।

1976 में जव इस विधेयक को, यानि वर्कमेन्स कम्पेसेशन एक्ट 1923 का संशोधन इस सदन में हुआ था, तव इस सदन में तत्कालीन श्रम मंत्री ने, श्री वीरेन्द्र पाटिल उन दिनों श्रम मंत्री थे, उनके भाषण में कहे हुए दो तीन वाक्य मैं यहां वताना चाहता हूँ, चूंकि 500 रुपये न्यूनतम से तनख्वाह 1000 रुपये पर लाई गई थी, जिसको अभी 2000 रुपये करने का संशोधन यहाँ पर आया है, तो उन्होंने उस संदर्भ में यह कहा।

**[अनुवाद]**

प्रतिकर की प्रस्तावित पुनरीक्षित दरें सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम स्तरों से संवंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में विनिर्दिष्ट दरों पर आधारित है सिवाय इसके कि वर्तमान 1,000/- रुपये प्रति माह की मजूरी लेने वालों के संबंध में देय प्रतिकर 1000/- रु0 प्रति माह की मजूरी पर देय राशि तक की सीमा तय रखने का प्रस्ताव है।

**[हिन्दी]**

याने चाहे जो भी तनख्वाह हो हम यह मानकर चलेंगे कि उसकी एक हजार रुपये तनख्वाह है। यह एक सीमा बांध दी गई थी। अव मैं उसके अगले वाक्य को पढ़कर वताना चाहता हूँ कि सरकार की नीयत क्या है और श्रमिकों के प्रति सरकार का सोच क्या है, उस पर यह वाक्य रोशनी डालता है। श्रम मंत्री ने कहा कि :

**[अनुवाद]**

''यह प्रस्तावित ऊपरी सीमा है-

**[हिन्दी]**

यह जो हजार की ऊपरी सीमा है -

72,151 रु0 हो गई। यह वृद्धि 700 प्रतिशत है, 1976-77 और 1993-94 के बीच सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की प्रतिव्यक्ति परिलाब्धियों में वृद्धि 700 प्रतिशत रही है।

[हिन्दी]

यह जो इन्क्रीज है, ऐसी इन्क्रीज नहीं है जो दस साल में एक बार ही उनको दी गई है। यह इन्क्रीज तो हर साल बढ़ती गई है, कुछ मंहगाई भत्ते के चलते, कुछ बोनस की बढ़ोतरी के चलते और कुछ हर तीन साल के एग्रीमेंट के चलते, उसके साथ यह जुड़ा हुआ एरियर है तथा अनेक और चीजें हैं। संगठित मजदूर तो लड़-लड़ कर अपने लिए पाता है और उस आधार पर बना हुआ, उस आधार पर बढ़ा हुआ उसका यह वेतन है। जो कर्मचारी हैं, चाहे संगठित हों या असंगठित हों और असंगठित में भी कन्स्ट्रक्शन वर्कस के बारे में यहां पर बात बताई गई है। ऐसा नहीं कि उनमें भी असंगठित मजदूर नहीं हैं। अब वह चाहे रेलवे में हो, बन्दरगाहर में हो, कन्स्ट्रक्शन वर्क में हो या खदानों में हों, जिन-जिन क्षेत्रों में ये काम करने वाले मजदूर हैं, अगर उन पर यह कानून लागू हो, तो उनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ो में हो सकती है। मंत्री जी, अगर इस कानून का सही मायनो में अमल हो जाए, तो आप इससे इन्कार नहीं कर सकेंगे कि इस पुस्तक के एडिशन, 1992 के शैड्युल-।। के पेज 29 से लेकर 32 तक जो लिखा है, यदि इन सब के लिए यह कानून लागू हो जाए, तो यह करोड़ो लोगों पर लागू हो जाएगा, लेकिन यह हो नहीं रहा है। वह हो, इसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जब कोई दबाव लगता है, तो मालिक अपनी जान बचाने में काबिल है, वह कोई रास्ता निकाल ही लेता है। ये सब चीजें अपनी जगह पर हैं। इस कानून के अन्तर्गत आप ऊपरी सीमा एक हजार से दो हजार करने जा रहे हैं। मरने पर मल्टीप्लाइड बाई कन्स्ट्रक्शन फैक्टर 40 परसेंट की जगह पर 50 परसेंट करने जा रहे हैं। टोटल-परमानेंट-डिसएबल्ड जहां 50 परसेंट था, उसको 60 परसेंट कर रहे हैं। ये सब चीजें जब जब कर रहे हैं, मरने पर 50 हजार और परमानेंट टोटल डिसएबल्ड के लिए 60 हजार लाकर रख देते हैं, तो देश में विभिन्न क्षेत्रों में तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो चीज है, उसके बारे में आप सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी तरफ जो आप सोचने के लिए तैयार नहीं है, वह हैं बढ़ती हुई चीजों के दाम।

आज सुबह की प्रश्नकाल में एक प्रश्न था, संख्या 39, जो कि समय की कमी की वजह से नहीं आ पाया। आप केवल अनाज और सब्जियों के दाम, जो सरकार द्वारा किए गए आंकड़े हैं, उनको ही देख लीजिए। आप वहां 12 साल में 10 हजार से 20 हजार करने जा रहे हैं और 20 हजार से 50 हजार करने जा रहे हैं, इधर आप पिछले छः महीने के आंकड़े, फरवरी से जुलाई तक, अनाज के बढ़े हुए दामों को देख लें। ज्वार का दाम पिछले छः महीने में 14.7 प्रतिशत बढ़ा है। बाजरे का दाम छः महीने में 13.8 प्रतिशत बढ़ा है। अरहर का दाम पिछले छः महीने में 45.8 प्रतिशत बढ़ा है और ग्राउन्ड-ऑयल का दाम 18.4 प्रतिशत बढ़ा है और सब्जियों के दाम 58.3 प्रतिशत बढ़े हैं। नमक-नमक का दाम पिछले छः महीने में 47.1 प्रतिशत बढ़ा है। ये सरकारी आंकड़े हैं और इस विभाग के मंत्री हैं, श्री बूटा सिंह।

आप यहाँ यह कानून ला रहे हो और हम इस सदन में इस कानून का स्वागत कर रहें हैं।.... **(व्यवधान)** हम लोग मजदूरों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं जो अपने खून और पसीने से इस देश का निर्माण कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं यहां आज बहुत शर्मिंदा होकर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा जीवन इस देश के श्रमिकों के बीच में उनके संगठन खड़े करने और उनके लिए संघर्ष करने के लिए बीता है।

मैं आज पहली बार इस मुद्दे पर इस सदन में बोल रहा हूँ, लेकिन यह बात नहीं है कि हम इस पर लड़ाई नहीं लड़ेगें। हमें शर्म इसलिए लगती है कि सारे जीवन भर की लड़ाई के बाद भी हम कुछ नहीं कर पाए हैं। यह सोचते हुए हमें शर्म लगती है कि हम लोगों का जीवन किसी काम का नहीं रहा, हम यह महसूस करने लगे हैं। अब आप जो कर रहे हो हम इसको नहीं मानते हैं, यह सदन को गुमराह करने वाली बात है, सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। इसका स्वागत करके इस कानून को हम लोग यहां पर पारित करें यह मजदूरों के साथ जुल्म तथा अन्याय होगा, यह मुझे कहना है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अब यह जो लिब्रलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन चला है, इसका मतलब है कि फिर कांट्रेक्ट बेसिस पर दे देना, प्राइवेटाइज कर देना, ये सब चल रहा है। अभी चंद दिन पहले रेल मंत्री जी ने ऐलान किया कि हम 26 रेलवे स्टेशनों का तत्काल निजीकरण करने जा रहे हैं और अगले साल भर में 100 बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन, जिसमें दिल्ली रेलवे स्टेशन भी है, इन सब का प्राइवेटाइजेशन होगा। यानी क्या होगा, कि कोई ठेकेदार बाहर बैठ कर टिकट बेचेगा और कमीशन लेगा। रेल की कैंटीन में काम करने वाले को हटा कर वहां ठेकेदार बैठेगा। आप ही का दस्तावेज बता रहा है कि पिछले 3 सालों में आपका जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग है उसमें डेढ़ लाख कर्मचारी हटा दिए गये और ये सारा काम निजी लोगों के हाथ में जा रहा है। ये जितनी विदेशी कंपनियां हिन्दुस्तान में आ रही है, ये क्या कर रही हैं। ये ठेकेदार को पकड़ रहे हैं। कोकाकोला, पेप्सी कोला, जिनका नाम यहां पर लिया गया, ये कंपनियां विश्व में ठेकेदारों के जरिए काम करती हैं। पेप्सी कोला कह रही है। कि हमने दुनिया में 6 लाख लोगों को रोजगार दिया और रेल के अंदर जब आप परमानेंट कर्मचारी को हटा कर उसके काम को ठेकेदारों के हाथों में देते हैं तो उसका क्या नतीजा होता है, 2,000 तनख्वाह पाने वाले मजदूर का काम 8 घंटे का काम, सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी, साल में 1 महीने की छुट्टी, सिक लीव, केजुअज लीव, जो भी हम लोग अपने लिए और दूसरों के लिए मांग करते हैं, ये सब पाने वाले कर्मचारी सड़क के मेहमान बन जाएंगे और फिर एक ठेकेदार के पास वह रोजगार पकड़ कर 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम करे, उसको जो मामूली सुख-सुविधा मिलती थी वह सब खत्म हो गई।

यह जो आपका वर्कमैंस कम्पनसेशन एक्ट है, श्रम मंत्री जी, अगर रेल कर्मचारी को काम करते हुए 2,000 के ऊपर उसको जो कंपनसेशन मिलता है, लेकिन अब जो आपने लिब्रलाइजेशन शुरू किया है तो उसमें उसको महीने का पांच सौ रुपए के ऊपर कंपनसेशन मिलेगा। आपने जो न्यूनतम बढ़ा दिया इस बात के लिए आप हम लोगों को इसका स्वागत चाहते हैं, हम कैसे इसका समर्थन करें?

सभापति महोदय, इसलिए हमने यह संशोधन दिया है कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। हम सरकार को मौका देना चाहते हैं, यह चुनावी साल भी है। परसो प्रधान मंत्री जी ने अनेक घोषणाएं की हैं, सुना है कि 4799 करोड़ या कुछ की अनेक प्रकार की योजनाएं, जिनका पहले बजट में ऐलान किया गया था, परसों फिर फायर साइड चैट, जो प्रेसीडेंट रूजवैल्ट क्या करते थे, उस तरह से किया गया है। पहले दिन हिंदी में, दूसरे दिन अंग्रेजी में फायर साइड चैट किया गया और बताया गया कि क्या-क्या करने जा रहे हैं, क्या-क्या सुधार होने हैं। वैसे भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स खूब विज्ञापन दे रही हैं, जिनका विरोध किया जाना चाहिए। दिखाया जा रहा है कि देश में जो भी चीज हो रही है वह नरसिंह राव जी के नेतृत्व में और फंला मंत्री की वजह से हो रही है। तो फिर कीमते भी तो इन्हीं के चलते बढ़ रही हैं, उसमें भी तो नरसिंह राव जी का नेतृत्व होगा। मैं एक बात यहां नहीं कहना चाहता, आप एक्सपंज कर देंगे। एक ज़माने में हमारे दल में थे, महाराष्ट्र के बहुत बड़े लेखक, नाटककार, संपादक, एक्टीविस्ट, सबसे पहले राष्ट्रपति द्वारा सिनेमा में स्वर्ण पदक पाने वाले आचार्य अत्रे जी को इन बातों पर बहुत गुस्सा आता था, जब यह कहा जाता था कि सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है। वे कहते थे कि जब सब कुछ इनकी वजह से हो रहा है तो मेरे घर के बगल में। **

वैसे इसमें कोई असंसदीय बात नहीं है। मुझे रोज आचार्य अत्रे की वह बात याद आती है कि जब कुछ इनकी वजह से हो रहा है तो फिर गली में जो कुछ हो रहा है, वह भी इनकी वजह से होता होगा। इसलिए कुछ तो सीमा रखिए, यह ठीक नहीं है। कभी-कभी काउंटर प्रोडेक्टिव हो सकता है लेकिन फिर पाजीटिव अपेक्षाएं नेगेटिव होने लगती है और यह एक मजाक जैसा बन जाता है।..... **(व्यवधान)**

सभी की तस्वीरें आ रही हैं, सभी लोग अपना-अपना जमाने में लगे हुए हैं।

इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि व्यापक प्रश्नों को लेकर इस कानून पर सदन में विचार कीजिए। इस तरह से पब्लिक सेक्टर का पैसा खर्च कर के यह दर्शाने की कोशिश मत कीजिए कि लोहा बढ़ा तो हमारी वजह से बढ़ा, कोयला बढ़ा तो हमारी वजह से बढ़ा, हालांकि काम मजदूरों ने किया। यदि कोई चीज घट गई तो वह औरों की वजह से घट गई। 9 महीने वी.पी. सिंह की सरकार आई थी, इस वजह से घट गई। ये सारी चीजें करने के बजाए मजदूरों के इस कानून में ईमानदारी से संशोधन करेंगे तो अच्छा होगा।

सभापति महोदय, नेशनल लेबर कमीशन 1967 में बना था और इसका चेअरमैन इंदिरा जी ने स्वंय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश श्री गजेन्द्र गड़कर को बनाया जो कि माने हुए मुख्य न्यायाधीशों में से थे। 1969 में इस कमीशन की रिपोर्ट आई, जिसमें इस कानून पर खूब विचार किया गया था और उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की थीं। वे सिफारिशें मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकारी तो आपको पढ़ कर सुनाएंगे नहीं, आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, विपक्ष में रहने पर समय रहता है, सरकार में रहने पर समय नहीं रहता, क्योंकि कोई न कोई कमेटी, कोई न कोई धांधली चलती रहती है।

अपनी रिपोर्ट में उन्होंने जो कहाः

**[अनुवाद]**

''इस अधिनिमय के क्रियान्वयन से अनेक कमियां प्रकाश में आई हैं'' - और यह रिपोर्ट 1969 की है - ''जो कर्मकारों को द्रुत राहत पहुंचाने में अवरोध उत्पन्न करता है। अपवंचन के मामले हुए हैं। यद्यपि अधिनिमय 45 वर्ष पुराना है।''

**[हिन्दी]**

**सभापति महोदय** : छः बज रहे हैं। आपको कितना समय और लगेगा? क्या 5 मिनट में समाप्त कर सकते हैं?

**श्री जार्ज फर्नांडीज** : नहीं, पांच मिनट में तो समाप्त नहीं हो सकता है।

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : यह सभा कल 2 अगस्त, 1995 को 11.00 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**6.00 म. प.**

**तत्पश्चात लोक सभा**
**बुधवार, 2 अगस्त, 1995/11 श्रावण, 1917 (शक)**
**के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

---

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।